मंगलवार, 26 नवंबर, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 4, मंगलवार, 26 नवम्बर, 1996/5 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
ईरान के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत		19
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	61 से 64	4—19, 20—39
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या-	65 से 80	39—57
अतारांकित प्रश्न संख्या	554 से 783	58—311
सभा पटल पर रखे गए पत्र		311—312
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति		
पहला प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		312
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति		
पैंतीसवा प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		312
कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—**स्वीकृत**		313
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति		
श्री चतुरानन मिश्र		313—315, 355—356
नियम 193 के अधीन चर्चा		
आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति		
श्री पी. उपेन्द्र		315—322
कुमारी उमा भारती		322—327
श्री के.एस.आर. मूर्ति		358—363
श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी		363—368
श्री एच.डी. देवेगौड़ा		368—370
डा. एम. जगन्नाथ		370—373
श्री बी. धर्म भिक्षम		373—375
श्री जसवंत सिंह		375—381
श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था		381—382
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी		382—383
श्री हन्नान मोल्लाह		383—385
श्री जार्ज फर्नान्डीज		385—391
प्रो. रासा सिंह रावत		391—394

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
श्रीमती शारदा टाडीपारथी		395—398
श्री प्रमथेस मुखर्जी		398—399
श्री रामबहादुर सिंह		399—401
श्री मधुकर सरपोतदार		401—405
डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी		405, 407—411
श्री तरित वरण तोपदार		411—413
श्री गंगा चरण राजपूत		413—416
श्री एम.ओ.एच. फारुख		416—418
श्री के.एस. रायुडू		418—420
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका		420—422
श्री जी.ए. चरण रेड्डी		422—424
श्री रविन्द्र क्त्तूरी		424—425
नियम 377 के अधीन मामले		338—341
(एक)	पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता श्री पुन्नू लाल मोहले	338
(दो)	राजस्थान में एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता श्रीमती वसुन्धरा राजे	338
(तीन)	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता श्री एन.जे. राठवा	338—339
(चार)	पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,000/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की आवश्यकता श्री सुकदेव पासवान	339
(पांच)	असम में हाल में आयी बाढ़ और वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता श्री उधव बर्मन	339—340
(छह)	तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में पश्चिमी तट के साथ मत्स्य पत्तन और मत्स्य उतराई केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता श्री एन. डेनिस	340
(सात)	उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता डा. रमेश चन्द तोमर	340—341
(आठ)	उड़ीसा के धेनकनाल जिले में सूखे की समस्या से निपटने के लिए रेंगाली सिंचाई और ओ.ई.सी.एफ. से सहायता प्राप्त जल आपूर्ति परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता श्री के.पी. सिंह देव	341
अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम को निरस्त करने के प्रश्न के बारे में		356—357

लोक सभा

मंगलवार, 26 नवम्बर, 1996/5, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नागरकुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी और कुछ उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों ने वास्तविक आंकड़ों और आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए आंकड़ों के संबंध में कुछ वक्तव्य दिये हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, हम आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों की मांग का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि इस मामले को पहले लिया जाए। यह मामला बहुत गम्भीर है। बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रैजडी हुई है। हम चाहते हैं कि इस मामले को पहले लिया जाए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी और कुछ उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों ने, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को सहायता हेतु जो आंकड़े भेजे हैं उसके संबंध में दिये गए वक्तव्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री शक के घेरे में आ गए हैं। यह अत्यंत दुखद है। इसलिये, मैं चाहता हूं कि इस विषय पर तत्काल विचार किया जाए अथवा माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं स्पष्टीकरण दें।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : हम इस मामले में तेलगू देशम और आन्ध्र प्रदेश के सभी सदस्यों का समर्थन करते हैं। यह बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रैजडी हुई है। इसको आपको स्वीकार करना चाहिये। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ : यह माननीय त्रासदी है। आन्ध्र प्रदेश सरकार पहले ही प्रतिवेदन भेज चुकी है। यह अत्यंत दुखद है कि उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों ने निन्दात्मक वक्तव्य दिये हैं। यह अनुचित है। माननीय प्रधान मंत्री जी को स्वयं स्पष्टीकरण देना चाहिये। यह अत्यंत दुख की बात है कि माननीय प्रधान मंत्री और कुछ उच्च पदों पर असीन व्यक्तियों ने एक जिम्मेदार मुख्य मंत्री द्वारा प्रेषित आंकड़ों के संबंध में उनको शक के घेरे में लाने वाले कतिपय वक्तव्य दिये हैं जैसाकि कुछेक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों ने खबरें छापी हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मांग आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों के द्वारा हो रही है, सही मांग है। जबकि उत्तर प्रदेश का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बाजू में रख कर यह जो नेचुरल कैलेमिटि है, हम चाहते हैं कि उस पर विचार किया जाए।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ : माननीय प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि यह राष्ट्रीय आपदा है। वर्तमान में माननीय प्रधान मंत्री आंकड़ों को कैसे झुठला सकते हैं जैसा कि कई माननीय सदस्यों के अखबारों में छपे बयानों से प्रतीत होता है। माननीय प्रधान मंत्री को स्पटीकरण देना चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए, केन्द्रीय सरकार उससे निपटने में असफल रही है। हम आन्ध्र प्रदेश के इस प्रकरण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए, आपसे मांग करते हैं कि इस राष्ट्रीय आपदा पर पहले चर्चा की जानी चाहिए। जिस ढंग से केन्द्रीय सरकार असफल रही है, उसकी नाकामियों को उजागर करते हुए, हम चाहते हैं कि आन्ध्र प्रदेश की जनता को राहत दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, सभी सदस्यगण आन्ध्र प्रदेश के लोगों के बारे में चिन्तित हैं। सरकार गैर जिम्मेदार रही है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो कि सम्पूर्ण सभा भी चिन्तित नहीं है। कुछ समय के लिए हम सभी सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश का मामला कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाए और आज तुरन्त आन्ध्र प्रदेश की प्राकृतिक आपदा के मामले पर चर्चा की जाए। आवश्यकता हो तो आप प्रश्न काल स्थगित कर सकते हैं। हम इस पर सहमत हैं।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मसला है, इसको लिया जाना चाहिए। पूरा आन्ध्र प्रदेश तबाह हुआ है। सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत : सरकार ने जिस ढंग से काम किया है और जिस ढंग से उसने सहायता पहुंचाई है, उसमें वह असफल सिद्ध हुई है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आज की कार्य सूची के अनुसार सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के तुरन्त पश्चात मद संख्या 6 के अनुसार माननीय कृषि मंत्री वक्तव्य देंगें ।

चूंकि कार्य मंत्रणा समिति ने नियम 193 के अधीन आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में आई आपदाओं के बारे में चर्चा किये जाने पर सहमति व्यक्त की है और आज एक पर चर्चा की जानी है अतः हम इन दोनों मामलों पर एक साथ माननीय मंत्री के वक्तव्य के तुरन्त पश्चात चर्चा कर सकते हैं।

चूंकि यह मामला अत्यंत गम्भीर है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाए। सभा की सहमति हो तो आज हम शून्य काल स्थगित करके प्रश्न काल के पश्चात चर्चा कर सकते हैं। पिछले सप्ताह भी प्रश्न काल नहीं हो पाया था। इसलिये, मेरे विचार से आज भी प्रश्न काल स्थगित करना उचित नहीं है। प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात सभा पटल पर पत्र रखे जायंगे और माननीय कृषि मंत्री वक्तव्य देंगे। उसके पश्चात आन्ध्र प्रदेश में आई आपदा पर चर्चा की जाएगी।

श्री के. विजय भास्कर रेड्डी (कुरूनूल) : महोदय, हमको इस पर कोई अपात्ति नहीं है। हमारी आपत्ति माननीय प्रधान मंत्री द्वारा मूल्यांकन के संबंध में दिये गए वक्तव्य के बारे में है।...**(व्यवधान)** माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि तूफान के कारण अनुमानित नुकसान जितना बताया गया है उससे काफी कम है। हमको इस पर आपत्ति है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात समझता हूं परन्तु सच्चाई कृषि मंत्री के वक्तव्य के पश्चात ही मालूम चलेगी। उस वक्त प्रत्येक बिन्दु को उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं आपके सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं किंतु मै माननीय कृषि मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारे सदस्यगण उड़ीसा में सूखे की स्थिति के बारे में भी अति चिन्तित हैं। हम उस पर भी आन्ध्र प्रदेश की स्थिति के साथ-साथ चर्चा कर सकते हैं अथवा अलग से करेंगे? हमें इस पर पृथक चर्चा कराए जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम उड़ीसा की स्थिति पर भी एक अलग चर्चा करने के लिए सहमत हो गये हैं।

श्री संतोष मोहन देव : यदि इस पर सहमति हो गई है, तो फिर हम यह कल या परसों प्रश्न काल के पश्चात कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

श्री सन्तोष मोहन देव : कृपया उड़ीसा को भी वरीयता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर सहमत हो गये हैं। हम इस पर प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इस मामले का समाधान हो गया है, अब प्रश्न काल होगा।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारी वर्षा/बाढ़ के कारण हानि

+

***61. श्री एम. सैल्वारासु :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1996 और उसके बाद से आंध्र प्रदेश तथा अन्य अनेक राज्य भारी वर्षा/बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के कौन-कौन से जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल ने उन क्षेत्रों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो इस दल की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य में जान-माल फसलों पशुओं सम्पत्ति इत्यादि को हुये नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को राहत और पुनर्वास कार्यों के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ). राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 17 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश के कुछ भाग अगस्त, 96 से विभिन्न मात्रा में आए चक्रवातों, भारी वर्षा बाढ़ से प्रभावित हुए। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्रीय दलों ने आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों का दौरा किया, ताकि वहां की स्थिति राहत तथा पुनर्वास की आवश्यकताओं का जायजा लिया जा सके। मनुष्यों तथा पशुओं की हानि फसलों तथा घरों को हुए नुकसान तथा प्रभावित राज्यों को आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है। विभिन्न राज्यों के प्रभावित जिलों की सूची अनुबंध-II पर है।

अनुबंध–I

	राज्य	मृतकों की संख्या	मरे हुए पशुओं की संख्या	झोपडियों/मकानों को नुकसान (संख्या)	फसल क्षेत्र को नुकसान (लाख है.में)	निर्मुक्त आपदा राहत निधि का केन्द्रीय अंश (रु. करोड़ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1574	66694	718080	17.95	93.140
2.	अरूणाचल प्रदेश	15	1256	330	0.06	3.960
3.	असम	38	372	7848	2.00	28.133*
4.	बिहार	260	66	66955	7.14	29.228
5.	गुजरात	117	1962	54575	4.28 8.16	18.790
6.	हिमाचल प्रदेश	45	2250	5774	2.58	15.158
7.	जम्मू व कश्मीर	58	9534	24521	0.46	14.780
8.	कर्नाटक	239	4787	104199	8.38	23.543
9.	केरल	159	–	18729	0.39	41.550
10.	मध्य प्रदेश	48	344	7075	0.14	28.733
11.	महाराष्ट्र	198	38	2899	–	38.363
12.	पंजाब	13	1	26	–	38.458
13.	राजस्थान	138	6438	119241	2.10	134.280
14.	तमिलनाडु	75	88	40222	0.05	33.383
15.	उत्तर प्रदेश	352	1279	70858	6.78	70.380
16.	पश्चिम बंगाल	48	84	203987	0.83	38.490
17.	सिक्किम	06	–	20	–	3.530
18.	पांडिचेरी	148	–	6000	0.008	

* राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से असम को अतिरिक्त 21.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं।

विवरण–II

बाढ़/चक्रवात से प्रभावित जिलों के नाम

1. आंध्र प्रदेश

1. विशाखापट्टनम
2. पश्चिमी गोदावरी
3. कृष्णा
4. गुन्टूर
5. पूर्वी गोदावरी
6. नेल्लौर
7. चित्तौड़
8. कुरनूल
9. कुड्डपाह
10. अनन्तपुर
11. महबूबनगर
12. वारंगल
13. खम्माम
14. श्रीकाकुलम
15. विजयनगरम
16. प्रकाशम
17. करीमनगर
18. हैदराबाद
19. आदिलाबाद

20. मेडक
21. नालगोन्डा
22. निजामाबाद
23. रंगारेड्डी

2. अरूणाचल प्रदेश

1. लोहित
2. पूर्वी सियांग
3. पश्चिमी सियांग
4. तवांग
5. पश्चिमी कामेंग
6. पूर्वी कामेंग
7. निचला सुबनसीरी
8. ऊपरी सुबनसीरी
9. ऊपरी सियांग
10. दिवांग घाटी
11. चांगलांग
12. पापुमपारे
13. तिराप

3. असम

1. धेमाजी
2. डिब्रूगढ़
3. तिनसुकिया
4. दरांग
5. लखीमपुर
6. शिवसागर
7. ज़ोरहाट
8. धुबड़ी
9. वोंगाई गांव
10. ग्वोलपाड़ा
11. बाड़पेटा
12. नलबाड़ी
13. काम्मरूप
14. सोनितपुर
15. नागांव
16. कोकराझाड़
17. गोलाघाट
18. मोरीगांव

4. बिहार

1. शिवहर
2. सीतामढ़ी
3. पूर्वी चम्पारण
4. समस्ती
5. सुपौल
6. सहरसा
7. खगड़िया
8. किशनगंज
9. पाकुर
10. मधुबनी
11. कटिहार
12. पश्चिमी चम्पारण
13. पूर्णिया
14. मुजफ्फरपुर
15. गोपालगंज
16. दरभंगा
17. अररिया
18. मधेपरा
19. भागलपुर
20. नालन्दा
21. हजारीबाग
22. वैशाली
23. वेंगुसराय
24. भोजपुर
25. सारण
26. मुंगेर
27. बक्सर
28. पटना
29. लखीसराय
30. साहबगंज
31. शेखपुरा

5. गुजरात

1. मेहाना
2. जामनगर
3. खेड़ा
4. सूरत
5. भावनगर

6. जूनागढ़
7. सुरेन्द्रनगर
8. वल्साद
9. अहमदाबाद
10. राजकोट
11. सावरकांठा
12. भरूच
13. पंचमहल
14. वनासकांठा
15. कच्छ
16. कमरेली
17. डैंग्स
18. वदोदरा
19. गांधीनगर

6. हिमाचल प्रदेश

1. कांगड़ा
2. शिमला
3. मण्डी
4. सोलन
5. सिरमौर
6. विलासपुर
7. कुल्लू
8. हमीरपुर
9. ऊना
10. चम्बा
11. किन्नौर
12. लाहौल व स्पीति

7. जम्मू व कश्मीर

1. श्रीनगर
2. बडगाम
3. बारामूला
4. कूपवाड़ा
5. अनन्तनाग
6. पूलवामा
7. डोडा
8. उधमपुर
9. कठुवा
10. राजौड़ि
11. जम्मू

8. कर्नाटक

1. रायचूर
2. बीजापुर
3. बंगलौर (शहरी)
4. मैसूर
5. धारवाड़
6. बेल्लारी
7. दक्षिण कन्नड़
8. बिदार
9. टुमकुर
10. कोडागु
11. कोलार
12. बंगलौर (ग्रामीण)
13. हसन
14. गुलबर्गा
15. उत्तर कन्नड़
16. चिकमंगलूर
17. चित्रदुर्गा
18. शिमोगा
19. मान्दया

9. केरल

1. कासरगोड़
2. ईदुक्की
3. कन्नानौर
4. कालीकट
5. त्रिशूर
6. वायनाड़
7. तिरूअनन्तपुरम
8. कोट्टायम
9. कोल्लम
10. पालघाट
11. मालापुरम
12. एर्नाकुलम
13. पथनमथोट्टा
14. अलपूजा

10. मध्य प्रदेश

1. भिण्ड
2. मुरैना
3. राजगढ़
4. छतरपुर

11. महाराष्ट्र

1. नासिक
2. अहमदनगर
3. शोलापुर
4. सांगली
5. जालना
6. बीड़
7. लातूर
8. उस्मानाबाद
9. नान्देड़
10. नागपुर
11. अमरावती
12. बुल्ढ़ाणा
13. पुलिया
14. सतारा
15. औरंगाबाद
16. अकोला
17. ठाणे
18. रत्नागिरी
19. मुम्बई (शहर)
20. मुम्बई उप-नगर
21. रायगढ़
22. सिन्धुर्ग
23. पुणे
24. चन्द्रपुर
25. परभनी
26. वर्धा

12. पंजाब

1. अमृतसर
2. होशियारपुर
3. गुरूदासपुर
4. पटियाला
5. मुक्तसर
6. फिरोजपुर
7. मोगा

13. राजस्थान

1. जोधपुर
2. जैसलमेर
3. नागौर
4. हनुमानगढ़
5. अलवर
6. टोंक
7. झुनझुनू
8. भरतपुर
9. बीकानेर
10. धोलपुर
11. गंगानगर
12. जयपुर
13. सिकर
14. अजमेर
15. बरान
16. बुंदी
17. झालावर
18. कोटा
19. सवाय माधोपुर
20. बन्सवारा

14. सिक्किम

1. गंगटौक
2. उत्तरी सिक्किम

15. तमिलनाडु

1. नागपटिनम
2. त्रिची
3. विल्लूपुरम
4. थन्जावुर
5. उत्तरी अरकाट
6. चेंगालोअट्टु
7. मद्रास
8. कोयम्बटूर
9. नीलगिरी

10. पासुमून मुथुरामालिंगा
11. थावर
12. डिन्डीगुल अन्ना
13. थिरूवन्नामलाई
14. तिरूनेलवेली

16. उत्तर प्रदेश

1. इलाहबाद
2. हरदोई
3. बारबंकी
4. वाराणसी
5. आगरा
6. मथुरा
7. फिरोजाबाद
8. राय बरेली
9. फतेहपुर
10. मिर्जापुर
11. गाजीपुर
12. भदोही
13. बलिया
14. प्रताप गढ़
15. बेहराईच
16. महाराजगंज
17. गोरखपुर
18. गोण्डा
19. पिथोरागढ़
20. बस्ती
21. खेरी
22. सिद्धार्थनगर
23. आजमगढ़
24. बिजनौर
25. फररूखाबाद
26. पडरौना
27. फैजाबाद
28. उन्नाव
29. मुजफ्फर नगर
30. हमीरपुर
31. बांदा
32. जालौन
33. अलीगढ़
34. इटावा
35. बदायूं
36. एटा
37. हरिद्वार
38. कानपुर देहात
39. सोनभद्र
40. अम्बेडकर नगर
41. सहारनपुर
42. पोड़ी गढ़वाल
43. उत्तर काशी
44. चमोली

17. पश्चिम बंगाल

1. जलपाईगुड़ी
2. कूच बिहार
3. दारजीलिंग
4. दक्षिणी दिनाजपुर
5. मालदा
6. हुगली
7. नडिया
8. मुर्शिदाबाद
9. बरदवान
10. मिदनापुर

18. पाण्डिचेरी

1. यानम

श्री एम. सैल्वारासु : माननीय अध्यक्ष महोदय, समुद्री तूफान से केवल आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु ही प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी भी प्रभावित हुआ है। इस तूफान से पाण्डिचेरी में यानम जिला पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन केन्द्र सरकार ने इस जिले का दौरा करने के लिए कोई दल नहीं भेजा हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी राहत उपायों में से केन्द्र सरकार ने कोई वित्तीय सहायता पाण्डिचेरी सरकार को प्रदान की है। यदि हां, तो यदि कोई धन-राशि स्वीकृत को गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, मैंने पहले ही अपने उत्तर में प्रभावित जिलों की राज्य-वार सूची दी है। यह सही है कि संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी के कुछ भाग भी प्रभावित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या किसी केन्द्रीय दल ने पाण्डिचेरी का दौरा किया है?

श्री चतुरानन मिश्र : पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है; अतः दल अब तक नहीं गया है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं।

श्री एम. सैल्वारासु : क्या उनको कोई सहायता प्रदान की गई है?

श्री चतुरानन मिश्र : जहां तक सहायता का प्रश्न है, दो निधियां हैं। एक राज्य आपदा निधि है और दूसरा आपदा राहत निधि है। जहां तक आपदा राहत निधि का संबंध है, इसे वे खर्च कर सकते हैं और जब भी वे कहते हैं, हम इसे जारी कर देते हैं।

श्री एम. सैल्वारासु : आन्ध्र प्रदेश के दौरे पर गये केन्द्रीय दल का आन्ध्र प्रदेश में हाल के समुद्री तूफान के कारण हुई क्षति का आंकलन क्या है?

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, केन्द्रीय दल को अभी वहां जाना है लेकिन नारियल और बागवानी को हुई क्षति का पता लगाने के लिए हमने एक दल भेजा है। उस दल का एक सदस्य कृषि विभाग में निदेशक था। उन्होंने इसकी जांच की है। एक पूरी रिपोर्ट आ गई है और हमने क्षति का और राहत का आकलन किया है; वह मैं आपको बाद में बताऊंगा।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : अध्यक्ष महोदय, यह जो जदीद टैक्नोलोजी है, उसमें नया राडार सिस्टम लगाने का कोई ऐसा इरादा है जिसकी वजह से बताया जा सके कि तूफान आने वाला है। हमारे यहां पुराना सिस्टम है। इस तबाही की जिम्मेदार स्टेट गवर्नमैंट है। अगर नए राडार के आलात लगाए होते तो आज इतनी तबाही और बरबादी नहीं होती।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने जो इमदाद थी, इंतिहाई कम है। वहां रोड भी नहीं है। आपको वह इमदाद बढ़ानी चाहिए। आपने इमदाद खर्च के तौर पर दी है। आप इमदाद बढ़ाने का कोई इरादा रखते हैं। आप इमदाद बढ़ाएं और नए आलात लगाएं ताकि आफात वगैरह की पहले से इत्तला मिल सके। पुराने आलातों के बारे में आपको मालूम नहीं है। वे खराब पड़े हैं। आप इसके जिम्मेदार हैं। आप इस जिम्मेदारी को कबूल कीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सम्भव होगा टैक्नॉलोजी माडर्नाईज करने की कोशिश की जाएगी। हमने वर्ल्ड बैंक से कहा है कि वह इसके बारे में स्टडी करके हमें बताए। अगर दुनिया में कहीं कोई चीज उपलब्ध है जिससे हमें पहले से इसका पता लग सके तो हम उसे करने के लिए तैयार हैं। अभी तक जो टैक्नोलोजी हमारे पास उपलब्ध है, उसके मुताबिक सैटे लाइट से हम इसकी खबर दे रहे थे। स्टेट गवर्नमैंट के कहने के मुताबिक टी.वी. और रेडियो भी इसके आने की घोषणा कर रहे थे लेकिन फिर भी दुर्घटना तो दुर्घटना है। साईंस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके द्वारा साइक्लोन को रोका जा सके। आर्मी को तो रोका जा सकता है लेकिन साइक्लोन को नहीं रोका जा सकता। हमने कल ही एशिया और पैसेफिक साईंटिस्टों से अनुरोध किया था कि अगर इसको रोकने का कोई रास्ता निकल सके तो रास्ता निकाला जाए। वह इसकी सूचना जल्द से जल्द भिजवाने की कोशिश करेंगे। हम हस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा रेडियो द्वारा इसकी सूचना दी जाए। कुछ इस बारे में किया गया है लेकिन इसे लार्ज स्केल पर करने की कोशिश करेंग। हम आपको इस बात का पूरा आश्वासन देते हैं।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि साइक्लोन को रोकने का उपाय है या नहीं? मैंने यह पूछा कि जदीद आलात दुनिया में आ चुके हैं, उनको आप यहां लाएं। वह आपके पास पुराने किस्म के हैं। आप खुद देख रहे हैं कि दो प्लेन्स के बीच इस वजह से हादसा हुआ कि अपके पास जदीद आलात नहीं हैं। क्या आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं? अपा इमदाद खर्च के तौर पर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि यह कौमी अलमिया है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। और नहीं।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : आप इमदाद खर्च के तौर पर दे रहे हैं। यह अफसोस की बात है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं।

[हिन्दी]

जो मॉडर्न टैक्नॉलोजी हमारे पास उपलब्ध है, उसको आग बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। एग्जिस्टिंग सैटे लाइट से इनफर्मेशन लेकर भी काम किया गया है। आप यह न कहें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मैं आपसे नए आलात लगाने के लिए कह रहा हूं।

श्री चतुरानन मिश्र : जो चीज साइंस में उपलब्ध नहीं है, उसको हम कहां से लाएं। जितनी उपलबध है, उसका हम उपयोग करेंगे। विश्व बैंक की मदद लेकर भी इसे करवा रहे हैं। आप हमें इसे करने की इजाजत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह एक दुखद घटना है। इसलिए क्वश्चन आवर के बाद हाउस में इस पर डिसकशन होगा और पूरी डिबेट होगी।

[अनुवाद]

चूंकि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, बाकी प्रदेशों में जो नुकसान हुआ है, उसका भी ख्याल करना चाहिए। हमें भी सवाल पूछने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, यह प्रश्न अन्य राज्यों से भी संबंधित है।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि नैचुरल कैलेमिटी के कारण जो सहायता देनी चाहिए, वह केन्द्र सरकार सर्वे के बाद देगी लेकिन दिखायी यह दे रहा है कि आन्ध्र प्रदेश 1600 लोग मर गए, महाराष्ट्र में 200 लोग मर गए, बिहार में 200 लोग मर गए। मेरा सुझाव यह है और मैं यह पुछना चाहता हूं कि नैसर्गिक विपत्ति के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है या मनुष्य मर जाते हैं तो केन्द्र सरकार ऐसी सहयता क्यों नहीं करती कि हर व्यक्ति के मर जाने के बाद केन्द्र की ओर से उसे सहायता दी जाए।

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अभी तक यह व्यवस्था है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से तुरन्त सहायता दे दी जाती है। ज्यों ही सूचना आती है तो 50 हजार रूपए दे दिए जाते हैं। यह अलग बात है कि वह कम है और इसको बढ़ाना चाहिए। हम इस पर विचार करेंगे। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार खुद भी देती है लेकिन आप क्षति-पूर्ति के लिए...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : मनुष्य की मृत्यु होने पर...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : आप उनसे बात कर रहे थे। मैंने इसका पहले ही जवाब दे दिया है।

तो हमने कहा कि 50 हजार रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से तुरंत देने की व्यवस्था है और राज्य सरकार के लिये भी कलैमिटीज रिलीफ फंड के लिये अलग-अलग तय किया है। कोई 50 हजार देती है तो कोई 25 हजार रुपया देती है। यह तो अभी तक की व्यवस्था है। इसके लिये हमारी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें रकम दिये जाने के लिये जो विचार किया गया था और यह चार-पांच साल पहले किया गया था, हमने आज उसे कहा है कि हम अपडेट करना चाहते हैं और यह कमेटी उस पर कम करना चाहती है और फिर उसके मुताबिक काम किया जायेगा।

श्री नवल किशोर राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार में पिछले दिनों भंयकर बाढ़ आयी और मानीय मंत्री जी ने हमारे साथ उसका सर्वे किया। बिहार में 31 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां से एक अध्ययन दल गया था और उसकी रिपोर्ट भी आ गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक योजना मद में जो रिलीफ की राशि है, उसके अतिरिक्त बिहार को कितनी सहायता मिलेगी। बिहार में किसानों को 500 रुपये प्रति हैक्टेयर क्षतिपूर्ति देने का वायदा सरकार का है और मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से बयान भी दिया कि शीघ्र भुगतान होगा। वह अभी तक नहीं हुआ है, कब तक होगा? क्या गरीबों की झोपड़ियां गिरने पर पुनर्निर्माण हेतु कोई प्राकृतिक आपदा कोष में से देने की व्यवस्था सरकार कर रही है?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों को 500 रूपये प्रति हैक्टेयर क्षतिपूर्ति देने की बात है, और यह हमने सिर्फ बिहार के लिये ही नहीं कहा, बल्कि 8-10 दिन पहले माननीय सदस्यों को पत्र लिख कर दे दिया था और कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपया दिया हैं। उसमें किसानों को 200 रुपये या 500 रुपये प्रति हैक्टेयर इनपुट असिस्टेंस के रूप में देने की बात की गयी है और हमने यहां से राज्य सरकार को दिया है। आप वहां राज्य सरकार से चुकता कराने के लिये मिल लीजिये। हम तो केवल फंड्स देने वाले हैं, हमने दिया है।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पश्चिम बंगाल में हाल ही में बाढ़ से प्रभावित कई जिलों का उल्लेख किया है। इन जिलों में अधिकतर कूच बिहार से उत्तर बंगाल के मालदा तक शामिल है। क्या यह सही नहीं है और क्या मन्त्री जी इस बात से अवगत हैं अथवा नहीं कि उत्तर बंगाल में तिस्ता नहर परियोजना के पूरा होने की धीमी प्रगति और बंगला देश से इस सीमा तक पानी के उतरे बहाव के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ एक स्थायी समस्या हो गई है? क्या मंत्री जी जल संसाधन मंत्री के साथ एक संयुक्त बैठक करेंगे? यह देखने के लिए कि उत्तरी बंगाल की सीमा में बंगला देश से उतरे बहाव से आने वाले पानी को उचित नालों द्वारा रोका जाये और तिस्ता नहर परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाये? अन्यथा यह उत्तर बंगाल की एक स्थायी बाढ़ समस्या बन गई है। क्या मंत्री जी जल संसाधन मंत्री के साथ बैठक करेंगे?

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट आयी है, वह तो लैंड इरोजन के बारे में है और हमारी मिनिस्ट्री के अंदर - विलेज कर जायेगा या रिहैबिलिटेशन का पाइंट है, बाकी सिंचाई के अंदर है। यदि आप चाहते हैं तो हम सिंचाई विभाग को भेज सकते है और एक जांइट मोटिंग राज्य सरकारों और सैंट्रल की हो। हमें तो रिलीफ देने से मतलब है। यदि आप कहें तो हम करने के लिए तैयार हैं बाकी बातें ये दोनों मिलकर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या आपने बैठक की? जब तक आप जल संसाधन मंत्रालय की समस्या को नहीं जानेंगे, आप समस्या का समाधान कैसे करेंगे? यह बाढ़ एक स्थायी समस्या बन गयी है। यह प्राकृतिक जल से उत्पन्न बाढ़ नहीं है। प्रतिदिन बंगला देश से पानी आता है। तिस्ता नहर पूरी नहीं हुई है। इसी कारण से यह बाढ़ उत्तर बंगाल में आती है।

श्री चतुरानन मिश्र : माननीय सदस्य, बाढ़ मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं हैं। यदि आप बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, तो मैं अपकी सहायता करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बाढ़ मंत्री के अधीन नहीं है: केवल समुद्री तूफान मंत्री जो के अधीन है।

पूर्वाह्न 11.19 $^{3}/_{4}$ बजे

ईरान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से और सदन के माननीय सदस्यों की ओर से, मैं महामहिम, श्री अली अकबर नातेक नूरी, इस्लामी गणराज्य ईरान की मजलिस के अध्यक्ष, तथा ईरान के संसदीय प्रतिनिधि मंण्डल के अन्य सदस्यों, जो हमारे सम्मानीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, का स्वागत करता हूं। प्रतिनिधि मण्डल के अन्य माननीय सदस्य ये हैं :—

1. महामहिम श्री मोहम्मद रेजा नेमातजदेह
2. महामहिम श्री यहया अले - इसाग
3. महामहिम श्री सैयद रेजा तकबी
4. महामहिम श्री जावेद अरदेशीर लारी जनी
5. महामहिम श्री मोहम्मद बकर नेवीसी
6. महामहिम श्री अहद काजी
7. महामहिम श्रीमती मरजिह सेदिकी
8. महामहिम श्री अले इद्दीन बराजेरदी
9. महामहिम श्री एलीनाकी खामोशी
10. श्री करबासियन
11. श्री अबरीशामी

प्रतिनिधि मण्डल 25 नवम्बर, 1996 को दिल्ली पहुंचा। वे अब विशेष बाक्स में बैठे हैं। हमारी कामना है कि हमारे देश में उनका आगमन उनके लिए प्रसन्नता और उपयोगिता का द्योतक हो। उनके माध्यम से, हम इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति, संसद और वहां के मित्र लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : मध्य प्रदेश में कई लोगों की भूख से मृत्यु हो गई है। कई लोग भूख से मारे गये हैं। ...**(व्यवधान)** पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में हजारों परिवार संकट में हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बाद में ला सकते हैं। हम इसके पश्चात पूरा वाद-विवाद करेंगे।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.21 बजे

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—जारी

[हिन्दी]

नई चीनी मिलों को राहत

+

*62. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री भक्त चरण दास :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नए चीनी मिल मालिकों को लेवी चीनी पर सात वर्ष की छूट प्रदान की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने उक्त छूट वापिस ले ली है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो मिल मालिकों को फिर से उक्त छूट कब तक प्रदान कर दी जायेगी: और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) लाइसेंससुदा क्षमता बढ़ाने के लिए 7वीं योजना अवधि (1.10.85 से 30.9.90 तक) के दौरान लाइसैंस प्रदान की गई चीनी मिलों को लेवी चीनी पर क्रमशः 5 वर्ष तथा 7 वर्ष के लिए छूट दी गई थी। यह छूट चीनी मिल के उच्च वसूली क्षेत्र अथवा अन्य वसूली क्षेत्र में स्थित होने पर निर्भर था। उसके पश्चात् 31 मार्च, 1994 तक लाइसेंस प्रदान की गई नई चीनी मिलों को 10 मार्च 1993 को घोषित प्रोत्साहन योजना के अधीन लेवी चीनी पर 8 वर्षों के लिए उच्च वसूली क्षेत्र तथा 10 वर्षों के लिए अन्य वसूली क्षेत्र में छूट दी जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 31 मार्च 1994 तक जो नयी चीनी मिलों के लाइसेंस जारी किये गए हैं, उन पर लेवी वसूली में छूट जारी है; मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि वर्ष 1995 तथा वर्ष 1996 में जो नयी मिलों के लाइसेंस जारी किये गए हैं, क्या उन पर भी प्रोत्साहन लेवी छूट मिलेगी? यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मार्च, 1994 तक इनसेन्टिव दिया गया है। मैंने पहले ही उत्तर में इसका जिक्र किया है कि 1.10.85 से 30.9.90 तक और फिर रिवाइज्ड करके जो हाई रिकवरी एरिया है, 10 प्रतिशत से ऊपर जहां हमारा शुगर कण्टेण्ट है, उसको हम हाई रिकवरी एरिया में देते हैं। उसमें आठ वर्ष का हमने संशोधन किया और 10 वर्ष लो रिकवरी एरिया में। इसको मिलाकर लगभग 31 मार्च, 1994 तक जो भी फैक्टरीज स्वीकृत हुई थी, उनको इनसेन्टिव दिया गया है और अभी भी जो उस समय का बकाया है, वह दिया जा रहा है। अभी कोई नया प्रस्ताव ऐसा नहीं है।

श्री अमर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जानते हैं कि प्रति वर्ष गन्ना मिलें प्रायः अक्तूबर के प्रथम सप्ताह से पेराई प्रारंभ करती थीं, लेकिन इंडियन शुगर मिल असोसिएशन की मनमानी के कारण इस वर्ष गन्ना पेराई 22 नवंबर, 1996 से प्रारंभ की गई है जिसके कारण गन्ना किसान अपने खेतों में गेहूं नहीं बो पाया है। इस मनमानी से न केवल् किसान का नुकसान हुआ है बल्कि देश का भी नुकसान हुआ है। 20 लाख टन का गेहूं का अधिक उत्पादन होने में मिल-मालिकों ने बाधा पहुंचाई। माननीय गवर्नर ने उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत 76 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की थी। मिल-मालिकों ने गन्ना-किसानों की पर्चियों पर कीमत में डालकर निर्धारित मूल्य किसानों को न देने का मन बना लिया है। अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चीनी मिल असोसिएशन की मनमानी रोकने के लिए लघु खांडसारी ईकाइयों को वैक्यूम पैन की अनुमति देंगे? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश में चीनी मिल खोलने का जिक्र किया है। अभी लगभग 117 चीनी मिलें खुलनी थी। हमारी लगभग 61 चीनी मिलें चालू हो गई हैं। कल ही मैंने वहां के गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है कि उत्तर प्रदेश में जो बाकी चीनी मिलें हैं उन चीनी मिलों को खोलने की दिशा में तुरंत सकारात्मक पहल करें और मैं समझता हूं जो चीनी मिलें नहीं खुली हैं तुरंत की उनको खोल दिया जायेगा। जहां तक आप लघु खांडसारी मिलों पर वैक्युम पैन लगाने की बात कर रहे हैं तो माननीय सदस्य अपने सुझाव दें, मैं उन सुझावों को ग्रहण करके उन पर विचार कर सकता हूं।

श्री भक्त चरण दास : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1994 के अंदर कितनी चीनी मिलों ने इन्सेटिव क्लेम किया था और कितनी चीनी मिलों को इंसेटिव मिला है, खासकर उड़ीसा की कितनी चीनी मिलों को इंसेटिव मिला है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से बताया है कि अलग से उड़ीसा के संदर्भ में सवाल पूछा जाए, यहां उसका सवाल नहीं उठता है। मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, अभी मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है और मंत्री जी ने जवाब दिया है। लेकिन सबसे अहम मसला यह है कि आप जो मिलों को रियायत दे रहे हैं, जबकि पांच अरब रुपया उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया हैं। मंत्री जी के जिम्मे जो कानपुर शूगर वर्क्स और चंपारण शूगर वर्क्स हैं और अभी तीन मिलें चम्पारण शूगर वर्क्स की चल नही रही हैं। मंत्री जी ने गवर्नर साहब को पत्र लिखा है। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके अधीन कानपुर शगूर वर्क्स की फैक्टरी चलेगी या नहीं चलेगी और कानपुर शूगर वर्क्स के जिम्मे 17 करोड़ रुपया बकाया है। बिहार की तीन चीनी मिलें चम्पारण की जो आपके जिम्मे नहीं चल रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वे चीनी मिलें कब तक चलेंगी और गन्ना मिलों का भुगतान कब तक होगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, तीनों चीनी मिलें टैक्सटाइल डिपार्टमेंट से संबंधित हैं इसलिए मैं उसको रेफर कर चुका हूं। ये हमारे विभाग से संबंधित नहीं है।...**(व्यवधान)**

श्री गुलाम रसूल कार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, पांच अरब रुपया गन्ना किसानों का बकाया है और कानपुर शुगर वर्क्स के जिम्मे 17 करोड़ रुपया बाकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि गन्ने का दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा तथा नई चीनी मिलें चलना वहां शुरू होंगी या नहीं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। गन्ने के पेमेंट का सवाल नहीं है; सवाल है इंसेटिव देने का। माननीय सदस्य जो भी सवाल पूछें मैं तथ्यों के आलोक में ही उसका जवाब दूंगा। जो मूल प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि टैक्स-टाइल डिपाटमेंट मैंनेजमेंट देखता है।...**(व्यवधान)**

श्री राम नगीना मिश्र : आज भी पांच अरब रुपया बकाया है। ...**(व्यवधान)**

श्री गुलाम रसूल कार : आपने मेरा नाम पुकारा था। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया, कृपया...

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं आप से अनुरोध कर रहा हूं। जब हम माननीय कृषि मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, तो वे कहते हैं, कि 'समुद्री तूफान' उनके चार्ज में है, बाढ़ नहीं है। जब हम खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री से प्रश्न करते हैं, तो वे कहते हैं: "चीनी मिलें वस्त्र

मंत्रालय के अन्तर्गत हैं और इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। मैं चीनी के उत्पादन के बारे में उत्तर दे सकता हूं।" यह एक वास्तविक कठिनाई है। सदस्य सभी संभव प्रश्न पूछेंगे। हमें उत्तर कैसे मिलेंगे? अन्यथा, सरकार तो प्रत्येक संभव प्रश्न से बच निकलेगी।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय जसवंत जी बहुत बुजुर्ग सदस्य हैं और काफी प्रबुद्ध सदस्य भी हैं। मैं जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं कि तीनों चीनी मिलों चम्पारण और कानपुर आदि का केवल मैनेजमेंट टैक्सटाइल डिपार्टमेंट देखता है, चीनी मिलों का कंट्रोल हमारे अंडर है। फ्री सेल चीनी रिलीज करने का मामला, लेवी लगाने का मामला कंट्रोल फूड मिनिस्ट्री देखती है, लेकिन चीनी मिलों का चलाने का सवाल इन्होंने पूछा है तो चलाना तो मैनेजमैंट टैक्सटाइल डिपार्टमेंट चलाता है। **...(व्यवधान)**

श्री राम नगीना मिश्र : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां का चेयरमैन आपका बनाया हुआ है, आप गुमराह कर रहे हैं।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं।

मेरे विचार से माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह ने एक बहुत सही प्रश्न उठाया है। जहां तक व्यवहार्य है, मंत्रियों को संगत प्रश्नों के लिए जानकारी होनी चाहिए। यदि उनके पास प्रश्न/उत्तर नहीं हैं तो मेरे विचार से प्रत्याशा कर सकते हैं और अपने सहयोगी विभागों से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। यदि उनके पास कुछ न हो, तो जानकारी एकत्रित कर सकते है और उसको माननीय सदस्यों तक पंहुचा सकते हैं। हम सामान्तया ऐसा ही करते हैं।

श्री गुलाम रसूल कार : मैं आपके जरिए ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि शुगर की जो प्रोक्योरमैंट और डिस्ट्रीब्यूशन पौलिसी है, कुछ शुगर सरकारी खाते में दो जाती है और कुछ ओपन मार्केट में बिकती है, क्या मिनिस्टर साहब इस बात को महसूस करते हैं कि जैसे गंदुम सरकारी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर पहुंचाकर डीलरों के जरिए सप्लाई की जाती है, वैसे ही शुगर को भी फार-फ्लंग एरियाज में पहुंचा कर सप्लाई किया जाए। गंदुम के लिए आपने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्ट पर गोदाम बनाए हैं, उन्हीं गोदामों में शुगर को भी लाया जा सकता है। इस पौलिसी को अपनाने से फायदा यह होगा कि हमारे पहाड़ी एरियाज में, कश्मीर वैली में जो फार-फ्लंग एरियाज हैं, जैसे गुरैया, मौलाब, तांकवाल, वहां शुगर आसानी से मिल सकेगी। क्या मिनिस्टर साहब पौलिसी में ऐसी तबदीली लाएंगे या कोई ऐसा तरीका सोचेंगे जिससे आम लोगों को आसानी से शुगर मिल सके और सरकारी तौर पर और प्राईवेट ओपन मार्केट में आज जो ब्लैक-मार्केटिंग हो रही है, उस पर कंट्रोल किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, हमारा काम है कि पी.डी.एस. में 9 रुपए 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जाए, उसका पूरे देश में एक स्टैन्डर्ड दाम है, जिस रेट पर जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत लोगों को चीनी दी जाती है **...(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मंत्री जी, बाजार में चीनी का क्या भाव है, उत्तर प्रदेश में चीनी 16 रुपए किलो बिक रही है...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यदि आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मंत्री जी का उत्तर सुनिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : पहली बात यह है कि ओपन मार्केट में पिछले दिनों चीनी का जो दाम रहा है, आज उससे 60 पैसे कम है और मैं समझता हूं कि एक रुपए किलो तक चीनी का दाम कम हो जाएगा, जो फ्री मार्केट में चीनी का कोटा हम रिलीज करते हैं। जहां तक ब्लैक मार्केटिंग का सवाल है, जन-वितरण प्रणाली में चीनी के वितरण का काम राज्य सरकार का है, राज्य सरकारें जन वितरण को नियंत्रित करती हैं, हमारा काम सिर्फ एलोकेशन करना या एलॉटमैंट करना है, नीचे वितरण का काम, डिस्ट्रीबयूशन का काम राज्य सरकारें देखती हैं...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : उत्तर प्रदेश तो आज आपके अंडर है वहां चीनी के दाम खुले मार्केट में 16 रुपए किलो हैं...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यदि माननीय सदस्य को पहाड़ी इलाकों के संबंध में कोई शिकायत है, मैं सदन के सामने कहता हूं कि वे मुझे लिखकर विस्तार से जानकारी दें, मैं निश्चित रूप से जांच के लिए राज्य सरकार को लिखूंगा।...**(व्यवधान)**

लेफ्टीनैंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : आपने जीरो-आवर के लिये जो सब्जैक्ट नियत किया है; आज तो कोई जीरो-आवर नहीं है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामालिंगम के द्वारा प्रश्न पूछे जाने के पश्चात मैं आपको अनुमति प्रदान करूंगा।

(व्यवधान)

डा. के.पी. रामालिंगम : अध्यक्ष महोदय, केवल निजी मिलों में ही नहीं, बल्कि सहकारी मिलों में भी, करोड़ों रुपये की चीनी मिलों में पड़ी हुई है। केन्द्र सरकार ने कोई कोटा नहीं दिया है और इसलिए वे इसे बेचने अथवा इसे जारी नहीं कर सकते। मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को धनराशि नहीं दे सकते। अब, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा

उत्तर प्रदेश में काफी किसान मिलों को गन्ना भेजने के पश्चात् पैसे के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कटाई का दूसरा मौसम भी आने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

डा. के.पी. रामालिंगम : जी हां, महोदय, क्या मंत्रालय उस सारे भण्डार को लेने के लिए जो सहकारी मिलों तथा निजी मिलों के पास पड़ा है, कोई विरोध कोटा दे रहीं है? क्या अब आपात कोटा जारी करने का कोई विचार है। क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देंग।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि अभी विभागीय मंत्रिमंडलीय समिति हमने बनाई है। इस समिति के तीन सदस्य बनाए हैं। इसके माध्यम से हम देख रहे हैं और मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बार कोई ऐसी चीनी मिल नहीं है जहां फ्री सेल भंडार रिलीज नहीं हुआ है और गन्ना किसानों का बकाया है। चीनी मिल की स्थिति और उसके उत्पादन की स्थिति देख कर हमने रिलीज करना शुरू कर दिया है। यदि माननीय सदस्य विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्य को वह सूची भेज दूंगा जिसमें यह जानकारी है कि किस चीनी मिल को कितना रिलीज किया है।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, यह मसला हमने जीरो आवर के लिए भी किया है, लेकिन अब प्रश्न आया है, तो इस पर अब भी चर्चा होनी चाहिए। इसमें दो-तीन बातें हैं, एक तो यह है जैसा मैंने अभी कहा माननीय मंत्री महोदय को हमने पहले बता रखा है कि एक चीनी मिल है जिसका तीन साल से बकाया नहीं दिया गया है। हमने चिट्ठी भी लिखी है कि गौरी बाजार शुगर मिल है जिसने बकाया नहीं दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने यहां पर कहा था कि 50 प्रतिशत बकाया पूरा देने के लिए वे फौरन हुक्म दे रहे हैं, लेकिन वह बकाया भी नहीं दिया गया है। पडरौना जनपद और देवरिया जनपद में चीनी मिलें हैं जिनका 46 करोड़ रुपया बकाया है। यह स्थिति इतनी भयावह है कि आप इसकी स्वीकृति दें ताकि हम इस पर 193 में चर्चा कर सकें।

जहां तक आंध्र प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा का सवाल है, हम सब उसके साथ हैं, लेकिन इस मसले को अगर आप टैक्सटाइल मिनिस्टर पर फेंकेंगे और वे कृषि मंत्री पर डालने की कोशिश करेंगे और कृषि मंत्री फिर आप पर डालने का प्रयास करेंगे, तो उन किसानों का क्या होगा, जिनका सामान लिया गया है? यह कोई ऐसी बात नहीं है बल्कि आपने उनसे सामान खरीदा है। तीन साल हो गए हैं और उसका पैसा आपने अभी तक नहीं दिया है। इसलिए प्रश्न यह है कि जिन मिलों के बकाया भुगतान के दो साल हो गए हैं कब तक उन मिलों का भुगतान कर दिया जाएगा और जो बाकी की मिलें हैं उनका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा और क्या इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम आप बनाएंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही जिक्र किया है कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 900 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के बकाया थे जिनमें से पिछले दो महीने में 450 करोड़ रुपए भुगतान किया गया और जो बकाया है उसके भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर नियम 193 में बहस कराने पर विचार कीजिए?

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए।

[अनुवाद]

उड़ीसा में सूखा

+

*63. **डा. कृपासिन्धु भोई :**
श्री जी.एम. कुंटूरकर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के अनेक जिलों में चालू वर्ष के दौरान विशेष रूप से जून, 1996 के बाद से भयंकर सूखा पड़ा है;

(ख) यदि हां, तों उन जिलों के नाम क्या हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हुये हैं और प्रत्येक जिले में जान-माल, फसलों इत्यादि का कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये इन जिलों को चालू वर्ष में कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त सहायता राशि में वृद्धि हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (च). विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख). फसल कटाई मूल्यांकन के आधार पर उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के 20 जिलों में 13664 गांवों में अपर्याप्त वर्षा के कारण 50 प्रतिशत तथा इससे अधिक फसल नष्ट हुई है। इन 20 जिलों के ऐसे गांवों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। मोटे अनुमान के अनुसार शेष 8 जिलों, अर्थात् बालासौर, भद्रक, गजपति, गंजम, खुर्दा, पुरी, सम्बलपुर तथा सुंदरगढ़ के 8306 गांवों में, 50 प्रतिशत तथा इससे अधिक फसल नष्ट हुई हैं।

सूचित मृत्यु के संबंध में राज्य सरकार से मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ). भारत सरकार द्वारा 1996-97 के दौरान आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश की समस्त राशि अर्थात 36.76 करोड़ रुपये जिसमें केंद्रीय अंश की अग्रिम के तौर पर दी गई 9.19 करोड रुपये की चौथी किस्त भी शामिल है, पहले ही जारी कर दिए गए हैं। भारत सरकार आपदा राहत निधि आबंटन में जिलावार वितरण नहीं करती। प्रधान मंत्री जी के दौरे के बाद गरीबो हटाने और रोजगार सृजन संबंधी प्रयोजनों के लिए और अधिक धनराशि जारी की गई है।

(ङ) और (च). उड़ीसा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सूखा राहत उपायों के लिए 585.80 करोड़ रुपये की मांग करते हुए एक ज्ञापन भेजा है। राहत के लिए उनकी मांग का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय टीम ने 17 से 20 नवंबर, 1996 तक राज्य का दौरा किया है। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर और केन्द्रीय सहायता यदि अपेक्षित हो, दिए जाने पर विचार किया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	जिले में ब्लॉकों की कुल संख्या	प्रभावित ब्लॉकों की संख्या	जिले में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	प्रभावित ग्राम पंचायतों की संख्या	जिले में गांवों की कुल संख्या	सतत रूप से फसल क्षति वाले गांवों की संख्या		
							50 से 70%	75% और अधिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंगुल	8	8	180	142+2	1922	351	936	1287
2.	बोलनगीर	14	14	241	241+3	1783	1088	703	1791
3.	बारागढ़	12	11	196	141+1	1208	116	710	826
4.	कटक	14	12	262	86	1865	244	83	327
5.	ढेंकनाल	8	9	172	142+3	1221	19	328	387
6.	जाजपुर	10	9	242	41	1781	24	30	54
7.	झरसुगुडा	5	5	60	57+2	356	25	25	275
8.	कंधामल	12	12	144	52+1	2515	1102	93	1195
9.	नवरंगपुर	10	1	148	13	897	48	1	49
10.	नयागढ़	8	8	143	141+2	1694	91	1509	1600
11.	नौपाड़ा	5	5	93	59+1	659	156	68	224
12.	सोनपुर	6	6	80	56+3	959	283	390	673
13.	बुद्ध	3	3	58	51+1	1156	13	1019	1032
14.	देवगढ़	3	2	52	15	867	41	-	41
15.	रायगढ़	11	6	140	58	2691	305	191	496
16.	कालाहांडी	13	12	195	92+1	2201	174	98	272
17.	क्योंझर	13	13	244	168+3	2133	306	95	401
18.	जगतसिंहपुर	8	2	181	14	1391	70	7	77
19.	केन्द्रपाड़ा	9	1	205	3	1567	2	1	3
20.	मयूरभंज	26	26	316	316+1	3827	1678	1016	2694
	योग	198	165	3352	1888+24	32693	6361	7303	13664

[अनुवाद]

डा. कृपासिंधु भोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 30 वर्षों से तटीय उड़ीसा अक्सर सूखे से ग्रस्त रहा है जबकि उड़ीसा का दूसरा भाग प्रत्येक दूसरे वर्ष बाढ़ का शिकार होता रहता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस वर्ष, राज्य द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 30 जिलों में से 26 जिले बुरी तरह से सूखे की चपेट में हैं और मंत्री जी द्वारा दी गई "क्राप कटिंग रिपोर्ट" के मुताबिक 50,000 से भी अधिक गांवों में से 26,000 गांवों में बिल्कुल भी फसल नहीं हुई है। अतः इस विषय पर मात्र वाद विवाद करके हम उड़ीसा की समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। मेरा जन्म एक सूखाग्रस्त गांव में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

डा. कृपासिंधु भोई : मैंने सिर्फ मूलभूत बातें कही हैं। माननीय मंत्री जी ने कालाहांडी, बोलनगीर, भवानीपटना और महाबरा के दौरे किए हैं। एक दूसरी जगह, जो छूट गई है, बारागढ़ का उप-मंडल पदमपुर है। इन सभी स्थानों पर अक्सर सूखा पड़ता रहता है।

लेकिन इस वर्ष पूरा राज्य बुरी तरह से सूखे की चपेट में है। अतः अल्पकालिक तौर पर तदर्थ अनुदान से समस्या का समाधान नहीं होगा। माननीय मंत्री श्री चतुरानन मिश्र ने परसों राज्य का दौरा किया था।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है? यदि आप इसी तरह बोलते रहे तो मंत्री महोदय आपके प्रश्न का जवाब नहीं देंगे।

डा. कृपासिंधु भोई : महोदय, मैं और अधिक प्रश्न नहीं कर रहा हूं। यह एक संकट की स्थिति है जिसका मैं बयान कर रहा हूं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इस वास्ते कितनी धनराशि देने जा रही है और क्या केन्द्र सरकार शीघ्र ही कोई दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाने जा रही है। कांग्रेस के शासनकाल में कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों में यह योजना थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस योजना को राज्य के अन्य सूखा प्रवण क्षेत्रों में भी लागू किया जायगा।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि उड़ीसा की स्थिति बहुत गंभीर है। अभी जो गंभीरता है, वह जनवरी से खतरे में परिणित हो जायेगी क्योंकि जनवरी के बाद हमारे सामने 50-60 आदमियों को खिलाने का सवाल उत्पन्न होगा। इसलिए यह चिंताजनक सवाल है। हम जहां भी जाते हैं वहां हर पार्टी के लोगों को बुला लेते हैं, चाहे वे विरोधी दल के हों या किसी और दल के हों, तमाम लोगों से डिसकस करते हैं। हमने अभी राज्य सरकारों को कई तरह के इंतजाम करने के लिए एडवांस में 216 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिये हैं ताकि कोई भी आदमी भूख से न मरे। हमारी सबसे पहली चिंता यही है। हमने कई लोगों को देखा है जो दस दिनों से नहाये तक नहीं हैं। जहां पीने का पानी नहीं है वहां हमने प्राइवेट सैक्टर से रिग मशीन के जरिये पानी उपलब्ध कराने का इंतजाम किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोपरेट किया है। उन्होंने कहा है कि हम सब काम पूरा कर देंगे। पहले जरूर कुछ ऐसा था लेकिन अब काम शुरू हो गया है। अब जिस ढंग से काम शुरू हुआ है, उससे हम समझते हैं कि इसे टैकल कर लेंगे। हम सदन को बताना चाहेंगे कि यह बात ठीक है। अभी जो हमारा टैन्थ फाइनेंस कमीशन का दायरा है, उससे उड़ीसा और शायद आंध्र का सवाल हल नहीं हो सकता। हमें उससे कुछ बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए आप हमें समय दीजिए। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि 216 करोड़ रुपये अभी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सैंटर की टीम वहां गई थी जिसकी रिपोर्ट कल तक पेश हो जाएगी। हम उसे देखेंगे और पूरी सहायता करेंगे, किसी को मरने नहीं देंगे। बिना पैसे के कोई मर जाए, यह कभी नहीं हो सकता। हम आपको इसकी गारंटी देते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, मेरा इसी से संबंधित सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें है, आपको नहीं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि हम सदन के भीतर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कराने जा रहे हैं। अतः आपके मस्तिष्क में जो कुछ भी मूल सुविधाओं से संबंधित बातें हैं इस बारे में आप नहीं बताएं।

डा. कृपासिंधु भोई : नहीं, महोदय। मैं मूलभूत सुविधाओं के बारे मे कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं। पेय जल की समस्या का समाधान करने के लिए पड़ोसी राज्यों के निजी क्षेत्र के लोग नलकूपों की खुदाई करने हेतु अपना सहयोग देने में इच्छुक नहीं हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह उड़ीसा में 1,000 रिगों को लगाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय की सहायता लेंगे जो गहरे गवेषणात्मक नलकूपों की खुदाई का कार्य कर रहा है और क्या उसके संगठन की सहायता लेंगे जिसका मुख्यालय गाजियाबाद में स्थित है ताकि वहां पेय जल की समस्या का समाधान किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी से जो बातचीत हुई, उसके मुताबिक कुछ रेंज तो राज्य सरकार के अपने हैं। उन्होंने कहा कि शायद 26 रेंज प्राईवेट सैक्टर के हैं। यदि माननीय सदस्यों को कुछ जचे तो वे हमें बताएं। जहां से भी होगा, हम रिग भिजवाएंगे। यदि डिफैंस का होगा तो हम फौज को भेज देंगे लेकिन लोगों को मरने नहीं देंगे। हम सब मिलाकर काम करेंगे, हमारा मालिक एक ही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कुंटूरकर। क्या वह अनुपस्थित हैं?

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। मैंने श्री चन्द्रशेखर को पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी को बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उड़ीसा की समस्या के प्रति बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाया है। उड़ीसा की समस्या बहुत ही नाजुक है और आगामी कुछ महीनों में बहुत ही गंभीर रूप धारण करने जा रही है। मैं समझता हूं कि इसके लिए आपको केवल आश्वासन ही नहीं देना चाहिए अपितु, जैसाकि माननीय मंत्री ने कहा है, समस्त सरकारी संसाधनों और निजी संगठनों को इकट्ठा किया जाना चाहिए तथा अकाल जैसी स्थिति-जो एक तरह से पहले से ही पश्चिमी उड़ीसा में चल रही, को टालने के लिए मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार जल संसाधन मंत्रालय की सहायता से और जरूरत हुई तो रक्षा मंत्रालय के जरिए भी नलकूपों को लगवाने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी ताकि लोग पेय जल के अभाव में-पेयजल के अभाव के कारण नहीं बल्कि प्यास के कारण-न मरें। यह उन्हें केवल खाना देने का प्रश्न नहीं है बल्कि उस राज्य में पेय जल दुर्लभ हो गया है। मैंने माननीय मंत्री का वक्तव्य पढ़ा है और मैं स्थिति का सही आकलन करने के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख है कि मुझे सरकार की प्रतिक्रिया मंत्री जी के वक्तव्य के समुतल्य नहीं दिखती। क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार भी उड़ीसा की समस्या को उतनी ही गंभीरता से ले?

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, मैं इस विषय पर चर्चा कैबिनेट में तथा प्रधान मंत्री जी के साथ भी कर रहा हूं। पर्व प्रधान मंत्री के नाते आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री के पास पर्याप्त अधिकार होते हैं और कृषि मंत्री के पास कम अधिकार होते हैं।

श्री चंद्रशेखर : आपके पास पर्याप्त अधिकार हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि विशेष रूप से उड़ीसा मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई जाए। मैं माननीय सदस्य तथा सदन को भी आश्वासन देता हूं कि जो कुछ भी संभव होगा, किया जाएगा।

आप मुझे सुझाव दीजिए। बल्कि मैं कह सकता हूं कि यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। इसका संबंध मध्य वर्ग से है। वे काम करने के लिए खेतों में नहीं जाते हैं। जैसाकि आप जानते हैं जो काम उपलब्ध है वह रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत उपलब्ध है तथा अन्य बातें भी हैं। वे दूसरे के खेतों में नहीं जा सकते। इसी प्रकार मध्य वर्गीय किसान परिवार के पुरूष सदस्य और अन्य लोग भी दूसरे के खेतों में जाकर काम करना नहीं पसंद करेंगे। मैं जो युक्ति निकालना चाह रहा हूं वह यह है कि उन्हें अपने स्वयं के खेतों में ही काम कर सकें तथा कम से कम पुरूष सदस्यों को काम मिल सके। मैंने मुख्य मंत्री से महिला संगठनों से यह पता लगाने के लिए कहा है कि वे किस प्रकार का हस्तशिल्प और अन्य कार्य कर सकते हैं और मैं आसान दरों पर धन तथा बाजार संबंधी सुविधाएं देने के लिए तैयार हूं। यदि माननीय सदस्य कुछ सुझाव दे सकें कि इस अकाल जैसी स्थिति में मध्य वर्ग की गृहिणियों के लिए क्या किया जा सकता है तो मैं उनका अहसानमंद होऊंगा और मैं उस पर फौरन कार्यवाही करने का आश्वासन देता हूं।

श्री शरत पटनायक : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उड़ीसा के सूखा प्रवण क्षेत्रों 'राष्ट्रीय आपदा' के रूप में घोषित करने जा रही है और क्या सरकार उड़ीसा के पिछड़े जिलों जैसे, बोलनगीर, कालाहांडी, जोरपुर, फूलवानी, दीमापुर और पद्मपुर से सूखे की स्थिति का स्थायी रूप से उन्मूलन करने के लिए विशेष निधियां देने पर विचार कर रही है जिससे कि इन क्षेत्रों के गरीब लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इस तरह से सुस्पष्ट होना चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : जी, हां। यह सत्य है कि उड़ीसा में हर साल सूखा पड़ता है।

इसलिए, उस स्थिति से निपटने के लिए कुछ अवश्य किया जाना चाहिए। मैं कुछ स्थायी समाधान के बारे में सोच रहा हूं क्योंकि कालाहांडी, बोलनगीर और वास्तव में वह पूरा क्षेत्र ही सूखे की चपेट में है, मैं यह नहीं जानता कि यह स्थिति कितने दशकों से है किंतु जहां तक मुझे याद है, पिछले चार या पांच दशकों से तो यही स्थिति है ...**(व्यवधान)** मैं इस राष्ट्रीय विपदा के बारे में सुनता रहा हूं लेकिन इसे राष्ट्रीय विपदा घोषित करने के लिए कोई अधिनियम नहीं लाया गया है। यदि यह मेरा नीति-वाक्य है तो मैंने इसे पहले ही कह दिया है, यदि यह प्रधान मंत्री का नीति-वाक्य है तो उन्होंने भी पहले ही यह कह दिया है। मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि दसवें वित्त आयोग के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है इसलिए असाधारण उपाय करने होंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं यह मैं भरसक प्रयास करूंगा कि वहां बार-बार सूखा न पड़ें। इसलिए, इसके लिए कुछ उपाय करना ही होगा।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह प्रश्न उड़ीसा से संबंधित है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर में पाली और महुवा में पान की खेती बहुत बड़ी संख्या में होती है। इस वर्ष यह फसल बर्बाद हो गई है। वहां पर इस काम में लगे हुए लोगों की संख्या 10 लाख के करीब है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विशिष्ट रूप से उड़ीसा से संबंधित है।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता : कृषि मंत्री जी ने इस प्रश्न के जवाब में कहा है कि प्राकृतिक आपदा घोषित करने के लिए कोई एक्ट नहीं है। हम देख चुके हैं कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में दैविक विपदा के कारण बहुत हानि हुई। दैविक विपदाएं भारतवर्ष में आती ही रहती हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उसके सामने कोई ऐसी योजना है जिससे इस स्थिति का सामना करने के लिए कोई स्थाई व्यवस्था बनाई जा सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वह इसके लिए स्थायी समाधान के बारे में सोच रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, उड़ीसा से ही लगा हुआ मध्य प्रदेश है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न के विषय-क्षेत्र से बाहर क्यों जा रहे हैं? यह प्रश्न विशिष्ट रूप से उड़ीसा संबंधित है। आपके प्रश्न को अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ, क्या देना है, यह सवाल नहीं होता।

श्री पवन दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर उड़ीसा में कालाहांडी क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भुखमरी और अकाल किसी प्रकार की सीमा नहीं मानते। मेरा छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो उड़ीसा से लगता है, वहां पर रायगढ़ और सारंग गढ़ जिलों में उड़िया भाषी लोग रहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विशिष्ट प्रश्न उड़ीसा से ही संबंधित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने शुरू में कहा है कि इस बारे में सदन में चर्चा हो रही है। आपको उसमें मौका मिलेगा तो अपनी बात कहना।

[अनुवाद]

वायु-प्रदूषण के कारण मौतें

+

*64. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री अजित कुमार पांजा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक पर्यावरण केन्द्र की पत्रिका "डाउन टु अर्थ" की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष मात्र छः भारतीय शहरों में 40,000 व्यक्तियों की वायु प्रदूषण से मृत्यु हो जाती है जिनमें से 7,500 लोगों की मौत अकेले दिल्ली शहर में होती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की अन्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) पर्यावरणीय प्रदूषण की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के लिये किये गये विभिन्न उपायों से प्राप्त हुये परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसके पुनर्गठन हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(ख) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र की पत्रिका "डाउन टु अर्थ" की रिपोर्ट की अन्य विशेष बातें निम्न प्रकार हैं :-

- रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 34,000 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत (1992 में) के बराबर पर्यावरणीय क्षति होती है।
- रिपोर्ट ने वायु तथा जल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य लागत तथा कृषि भूमि और चरागाह भूमि के अवक्रमण तथा वनों के विनाश के कारण हुई आर्थिक क्षति का अनुमान लगाया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन राजस्व के अवसरों में आई कमी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुई क्षति का भी लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है।
- रिपोर्ट में जल के स्तर में आई कमी के कारण स्वास्थ्य लागत प्रतिवर्ष 19,950 करोड़ रुपए दर्शाई गई है जोकि कुल पर्यावरणीय लागत का 59 प्रतिशत है।

- रिपोर्ट में वायु प्रदूषकों के कारण प्रतिवर्ष 1,810-7,357 करोड़ रुपए की कुल स्वास्थ्य लागत का अनुमान लगाया गया है।
- रिपोर्ट में भूमि अवक्रमण के कारण प्रतिवर्ष कुल कृषि निवेश में 4.0 प्रतिशत मे 6.3 प्रतिशत तक उत्पादकता की क्षति का अनुमान लगाया है जोकि 5,250 करोड़ रुपए से 8,400 करोड़ रुपए बनता है।
- रिपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कमी के कारण प्रतिवर्ष 497-991 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति का पता चलता है।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण नियमित करने के लिए किए गए उपाय तथा उनसे प्राप्त नतीजे निम्न प्रकार हैं :-

- सरकार ने प्रदूषण के उपशमन के लिए एक व्यापक नीतिगत विवरण तैयार किया है जिसमें विकास आयोजना के पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं को एक साथ जोड़ने पर विचार किया गया है। इसके साथ ही इसमें प्रदूषण उपशमन के उपचारात्मक पहलुओं पर तथा औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए प्रौद्योगिकीय निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- उद्योगों के स्थानों तथा संकलन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं।
- प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
- उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण/मानीटरन उपकरणों के लिए सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क की छूट दी जाती है।
- छोटी औद्योगिक इकाइयों के समूह में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रकार के लगभग 60 संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं जोकि निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है।
- छोटे और मझौले उद्योगों में प्रदूषण उपशमन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं :-
- छोटे उद्योगों के समूहों में अपशिष्ट न्यूनीकरण केन्द्रों की स्थापना संबंधी परियोजना।
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् में राष्ट्रीय स्वच्छ उत्पादन केन्द्र की स्थापना संबंधी परियोजना।
- 39 श्रेणियों के उद्योगों के लिए पर्यावरण (अधिनियम), 1986 के तहत उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए जा [illegible]।
- [illegible] प्रदूषण फैलाने वाली 17 श्रेणियों के उद्योगों की [illegible] 1551 इकाइयों में से 1259 उद्योगों ने निर्धारित मानकों का पालन करते हुए पर्याप्त सुविधाएं पहले ही लगा ली हैं। 112 इकाइयां बंद कर दी गई हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है तथा चूककर्त्ता उद्योगों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
- प्रदूषण के उपशमन के लिए देश में 24 समस्या-क्षेत्रों की पहचान की गई है। 14 क्षेत्रों के लिए कार्य-योजनाएं तैयार की गई हैं और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे आवासीय, औद्योगिक और संवदेनशील क्षेत्रों में प्रमुख वायु प्रदूषकों के लिए मानक शामिल हैं।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी बड़े शहरों तथा नगरों में वायु प्रदूषकों के स्तर की मानीटरन कर रहा हैं। इसे वह राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन नेटवर्क के अंतर्गत 290 परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन केन्द्रों के एक नेटवर्क के जरिये करता है। इससे प्राप्त आंकड़ों से वायु गुणवत्ता के उतार-चढ़ाव का पता लगाने में मदद मिलती है। प्रमुख वायु प्रदूषकों की परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी से संकेत मिलता हैं कि अधिकांश शहरों में नाइट्रोजन डाइआक्साइड तथा सल्फर डाइआक्साइड जैसे प्रदूषक निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं। अनेक शहरों में विशेषकर दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता लखनऊ के कुछ क्षेत्रों की परिवेशी वायु में निलंबित कणिकीय पदार्थों का वार्षिक औसत संकेन्द्रण निर्धारित सीमाओं से अधिक है। दिल्ली में कम शीशा युक्त पैट्रोल शुरू करने के बाद और फिर शीशा रहित पैट्रोल शुरू करने के बाद कणिकीय शीशे के स्तर में कमी आ रही है।
- सभी श्रेणियों के पैट्रोल और डीजल वाहनों के लिए 1.4.1996 से कड़े उत्सर्जन मानक अमल में लाए गए हैं जिन्हें 1.4.2000 से और अधिक सख्त बनाया जाएगा। इससे स्वच्छ वाहनों का आवागमन होगा और इनमें उन्नत प्रौद्योगिकियों के फलस्वरूप वाहनों से निकलने वाले धुएं में कमी आएगी।
- केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं के लिए मानक लागू करें और आम जनता को विभिन्न पहलुओं जैसे वाहनों का रख-रखाव, वाहन

प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन के लिए सुधारात्मक उपायों के बारे में जागरूक बनाएं।

- जून, 1994 से चार महानगरों यथा दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में कम शीशे वाला पैट्रोल शुरू किया गया था। इसके बाद 1.4.1995 को उपर्युक्त चार शहरों में शीशा रहित पैट्रोल शुरू किया गया है।
- केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा देश के 12 प्रमुख शहरों में वाहन प्रदूषण के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों से इन शहरों में प्रदूषण के स्तर को जानने तथा इसके नियंत्रण के लिए उपयुक्त निवारण उपाय को सुझाने में मदद मिली है।
- सरकार चरणबद्ध रूप में शीशा रहित पैट्रोल तथा उत्प्रेरक प्रवर्तक लगे वाहनों को शुरू करने तथा स्वच्छ डीजल वाहनों के लिए कम सल्फर युक्त डीजल शुरू करने के वास्ते एक बड़ी कार्य योजना क्रियान्वित कर रही है। पैट्रोल और डीजल के लिए ईंधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित कर लिए गए हैं।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल : मैंने माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा है और मैं अपना प्रथम पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने कभी भी जल वायु तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारणों को जानने के लिए कोई अध्ययन करवाया था जो कि भारत के छः नगरों में मोतों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है।

यदि हां, तो उसके क्या परिणाम सामने आए और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है कि अध्ययन किया गया है या नहीं किया गया है, शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाली गैस तथा औद्योगिक घरों में जलावन से होने वाला प्रदूषण है। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली का मैं कहूंगा कि घरों का सी.पी.एम. का प्रदूषण 1994 में एक्सटीरिअर में 328 है तथा इंटीरियर में 354 है जो 7 होना चाहिए वह 12.5 है। इंडस्ट्री में जो 80 होना चाहिए, वहां 20.7 ही है। एन.ओ.एक्स जहां 7 होना चाहिए, वहां 28.3 है। इंडस्ट्री में जहां 80 होना चाहिए, वहां 29.8 है, यह किया गया है।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मंत्री जी ने इसका उत्तर कुछ और दिया है, इसका उत्तर स्पष्ट करवाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जिस किसी भी तरह समझना चाहते हैं, समझिए।

श्री सनत कुमार मंडल : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जल प्रदूषण की सबसे अधिक भयानक समस्या से अवगत है जिसने आजकल उत्तर तथा दक्षिण में 24 परगना तथा पश्चिम बंगाल के समीप अन्य शहरों को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। यदि हां, तो उनका इस स्थिति से निपटने तथा प्रभावित निवासियों को आवश्यक राहत पहुंचाने के बारे में क्या विचार है।

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : अध्यक्ष महोदय, आज का प्रश्न प्रदूषण पर है लेकिन माननीय सदस्य ने जल प्रदूषण पर भी बात की है तो मैं 24 परगना के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं बता देना चाहता हूं कि जून 1991 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें आर्सेनिक पौल्यूशन इन ग्राउन्ड वॉटर इन वेस्ट बंगाल के बारे में आया था, उसमें मेम्बर्स ने रिकमेंडेशन्स दी थी कि डीप एक्वाय फायर्स जिसमें कि आर्सेनिक है, उसको ड्रिन्किंग वॉटर परपज के लिए टैप कर लें और जो ट्यूब वैल है जिसमें आर्सेनिक है ...**(व्यवधान)**

श्री विजय गोयल : मंत्री जी क्या जवाब दे रहे हैं, सदन को कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरा विचार है कि इस पर हॉफ एन ऑवर डिसकशन करा लीजिए। आज पौल्यूशन का मामला बहुत गंभीर हो चुका है और खासकर दिल्ली के अंदर तो और ज्यादा गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय : और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ...**(व्यवधान)** इसलिए मंत्री जी को कहिए कि इसका जवाब दें और इस पर हॉफ एन ऑवर की चर्चा करवाइये।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : इस पर हॉफ एन ऑवर तो क्या एक घंटे का डिसकशन हो जाए, मैं उसे भी स्वीकार करता हूं क्योंकि पर्यावरण का मामला बड़ा जटिल है, इस पर डिसकशन होना चाहिए और सदस्यों की भी राय मालूम पड़नी चाहिए। वायु प्रदूषण के बारे में भी सदस्यगण पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, श्री राजेश पायलट भूतपूर्व पर्यावरण मंत्री हैं। वे उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए, उन्हें खड़े होकर उत्तर का स्पष्टीकरण देना चाहिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : श्री हाण्डिक, आप जल्दी से आधे मिनट में अपना प्रश्न पूछिए। यदि आपको उत्तर चाहिए तो संक्षेप में प्रश्न पूछिए।

श्री विजय हाण्डिक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में 10 प्रतिशत प्रदूषण यातायात वाहनों से होता है जबकि 80 प्रतिशत प्रदूषण उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे विषैले पदार्थों तथा औद्योगिक विद्युत उत्पादन द्वारा होता है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए कुल वाहनों से के एक तिहाई वाहनों को कम कर देने के संबंध में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह द्वारा दिए गए निर्णय की ओर गया है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह सुझाव स्वीकार है और यदि नहीं, तो सरकार किन वैकल्पिक उपायों के बारे में विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही सतर्क कर दिया था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चीनी उत्पादन

***65. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस् सीमा तक;

(ग) केन्द्रीय पूल में चीनी का राज्यवार अंशदान कितना है;

(घ) इस वर्ष कितनी चीनी का निर्यात किये जाने की संभावना है; और

(ङ) चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ). चीनी का अत्यधिक उत्पादन हुआ है। चीनी मौसम 1995-96 के दौरान लगभग 130 लाख टन + घरेलू उठान/आवश्यकता के प्रति 164.29 लाख टन (अनंतिम) चीनी का उत्पादन हुआ। चीनी उद्योग ने चीनी मौसम 1995-96 (30.9.1996 तक) लगभग 81 लाख टन के अंतिम स्टाक पर समाप्त हुआ जबकि पिछले वर्ष 30.9.1995 को अंतिम स्टाक 53 लाख टन था।

चीनी का कोई केन्द्रीय भंडार नहीं है अतः राज्यों का इसे योगदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता। नये चीनी वर्ष में चीनी आपूर्ति की अत्यंत सुविधाजनक स्थिति को देखते हुए अधिकतम चीनी निर्यात की कोशिश की जाएगी।

विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

***66. श्री टी. गोपाल कृष्ण :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1000 करोड़ रुपये तक की विद्युत परियोजनाओं को उनके पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार किए बिना एकमुश्त मंजूरी देने की घोषणा की है;

(ख) क्या भविष्य में 1000 करोड़ रुपये तक की विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सभी विद्युत परियोजनाओं द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण निकासी देने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करने का स्वरूप तैयार किए जाने का कार्य अंतिम चरण में है।

प्रतिबंधित संगठनों को विदेशी सहायता

***67. प्रो. अजित कुमार मेहता :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में प्रतिबंधित संगठनों को लगातार भारी मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले प्रतिबंधित संगठनों के नाम क्या है;

(ग) इन संगठनों द्वारा यह सहायता किस प्रयोजनार्थ उपयोग की जा रही है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ). सरकार को इस प्रकार के संगठनों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है जिन्हें कानून के अंतर्गत "गैर-कानूनी एसोसिएशन" घोषित किया गया है और वे लगातार बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। तथापि, समय-समय पर इस आशय की रिपोर्टें मिलती रही हैं कि गुप्त चैनलों से प्रतिबंधित संगठनों सहित विभिन्न अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों को अवैध धन राशि प्राप्त हो रही है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां देश के विभिन्न भागों में विभिन्न अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार सतर्कता बरत कर और अभियान चला कर इस प्रकार की संभावनाओं को रोकने का लगातार प्रयास कर रही है।

खाद्यान्नों हेतु मूल्य निर्धारण ढांचा

*68. **श्री हरिन पाठक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने खाद्यान्नों की खरीद हेतु मूल्य निर्धारण ढांचे संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) भिन्न भिन्न समय पर खाद्यान्नों की खरीद के लिए क्रमिक मूल्य ढांचे के संबंध में कृषि लागत और मूल्य आयोग के विचार क्या हैं; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस समय क्या नीति अपनाई जा रही है और यह नीति किस सीमा तक कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग ने 1995-96 मौसम की रबी फसलों की मूल्य नीति संबंधी रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया कि क्रमांकित मूल्य संरचना के साथ दोलायमान खरीद प्रणाली न केवल विपणन तथा खाद्य मूल्य व्यवस्था में अधिक विकृतियां पैदा करेगी अपितु मध्यम अवधि में खाद्यान्न प्रबंध को और अधिक दुष्कर तथा महंगा बना देगी। सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की टिप्पणी से सहमत होकर यह निर्णय लिया कि केवल न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाएगी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से अनाज (चावल, धान और मोटा अनाज) की खरीद करता है। विभिन्न केन्द्रों पर किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाया गया सब अनाज जो निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाया जाता है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों तथा उनकी खरीद एजेन्सियों के सहयोग से खरीद लिया जाता है। किसानों को यह विकल्प है कि वे अपना उत्पाद भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेन्सियों को समर्थन मूल्य पर अथवा खुले बाजार में बेच दें, जैसा भी उन्हें लाभप्रद हो। चावल की खरीद चावल मिलों तथा चावल व्यापारियों पर सांविधिक लेवी के माध्यम से की जाती है। लेवी का प्रतिशत राज्य सरकारें निर्धारित करती है।

गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री

*69. **श्री एस. जगन्नाथ रेड्डी** :

डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री के लिए उपयोग में लाए गए विवेकाधिकारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न डिपों पर इसके भंडार का खुले रूप से नीलाम नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार खुले बाजार में बिक्री संबंधी योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) यद्यपि, गेहूं और चावल की खुली बिक्री (घरेलू) से संबंधित मूल्य और सीमा जैसे नीतिगत मामलों का निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन राज्य-वार निर्मुक्तियों जैसे परिचालन संबंधी मामले भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक तीन सदस्यीय समिति, जिसके अध्यक्ष, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम होते हैं, द्वारा खरीदारों के नाम और एक मास में खरीदारों को बेची जाने वाली गेहूं की मात्रा के बारे में निर्णय किया जाता है।

(ख) और (ग). भारतीय खाद्य निगम विभिन्न डिपुओं में अपने स्टाक की खुली नीलामी नहीं करता है। गेहूं और चावल की खुली बिक्री अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाधा पहुंचाए बिना बाजार मूल्यों पर संतुलित प्रभाव डालने के लिए की जाती है। संगत व्यावहारिक सोच विचार करने पर सरकार ने केन्द्रीय निर्गम मूल्य से अधिक लेकिन भारतीय खाद्य निगम की इकनामिक लागत से कम मूल्यों पर गेहूं और चावल की बिक्री करने का निर्णय किया है।

(घ) और (ङ). घरेलू इस्तेमाल के लिए गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री करने की योजना क्रमशः अक्तूबर, 1993 और जनवरी, 1994 से चल रही है।

एन.डी.एम.सी. में अनियमितताएं

*70. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के खातों की गत चार वर्षों से भी अधिक समय से लेखा परीक्षा नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सभी विभागों के खातों की लेखापरीक्षा करने और तत्संबंधी निष्कर्षों को सदन के पटल पर रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) दिल्ली नगर निगम की तुलना में लेखा परीक्षा संबंधी स्थिति क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). समवर्ती लेखा-परीक्षा पार्टी, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, दिल्ली प्रशासन के समग्र पर्यवेक्षण में वर्षों से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विभिन्न

विभागों/यूनिटों के लेखों को लेखा परीक्षा कर रही है। लेकिन वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें तैयार करने में विलंब हुआ है। पिछली वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 1989 में जारी की गयी थी जो कि वर्ष 1985-86 के संबंध में थी। परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा ने इस विलंब का कारण अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों की कमी होना बताया है।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 के अधिनियमित होने के बाद, हाल ही में, इस अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत मुख्य लेखा परीक्षक की नियुक्ति की गयी है। परिषद के लेखों की जांच करना और उनकी लेखा परीक्षा करना मुख्य लेखा परीक्षक की सांविधिक जिम्मेवारी है और उसे प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, पिछले वर्ष के लिए परिषद के सम्पूर्ण लेखों की रिपोर्ट, परिषद को देनी होती है। यह उम्मीद की जाती है कि एक बार मुख्य लेखा परीक्षक के लिए कर्मचारी और मूल संरचना-सहायता को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद "प्राप्ति और व्यय" की वार्षिक लेखा परीक्षा निर्धारित समय सारणी के अनुसार की जाएगी। आवश्यक सहायता प्रदान करने संबंधी एक प्रस्ताव परिषद के विचाराधीन है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति संसद में रखने की इस अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार, निगम के जनरल विंग के गैर-योजना व्यय से संबंधित लेखों की लेखा परीक्षा 1994-95 तक कर ली गई है। वर्ष 1995-96 के लेखों की लेखा परीक्षा की जा रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष न्यायालय

*71. **श्री एन.जे. राठवा : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अत्याचार के मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे न्यायालयों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष न्यायालयों को स्थापित किए जाने हेतु कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत राज्य सरकारों से इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले के सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने की पहले ही अपेक्षा की गई है। तथापि, इस अधिनियम को संशोधित करने संबंधी एक प्रस्ताव पर राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधितों के साथ परामर्श किया जा रहा है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जातति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति से जिलों को छोड़ दिए जाने या मिला लिए जाने के अध्यधीन, प्रत्येक जिले में अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना अनिवार्यतः किए जाने का प्रावधान किया जा सके।

(घ) एक वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए उपायों के लिए राज्य सरकारों को 50:50 के आधार पर (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विशेष न्यायालयों की स्थापना पर अपने द्वारा वहन किए गए व्यय के लिए समान केन्द्रीय सहायता के पात्र होंगे, जिसकी मात्रा पर इस संबंध में उनके द्वारा तैयार किए गए वार्षिक प्रस्तावों में विचार किया जाएगा।

वर्षा सिंचित क्षेत्रों का विकास

*72. **श्री विजय हाण्डिक : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्र जो कुल फसल क्षेत्र का 70 प्रतिशत है, के विकास के लिए कौन-कौन से विशिष्ट उपाय किए गए हैं और क्या संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) क्या उत्पादन में वृद्धि के लिए विद्यमान और संभाव्य, दोनों सिंचाई सुविधाओं का प्रभावी ढंग से विकास तथा दोहन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) देश में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं शामिल हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा पिछले 4 वर्षों के दौरान दी गई निधियों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा प्रत्येक परियोजना के संबंध में अब तक खर्च की गई राशि की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग). सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं से सिंचाई क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने में मदद मिली है। वर्ष 1950-51 में 22.60 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती थी। वर्ष 1993-94 में 76.7 मिलियन क्षेत्र की सिंचाई की जाने लगी। अन्य उपायों के साथ-साथ सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने से खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि हुई है। वर्ष 1989-90 में 171.04 मिलियन मी.टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ जबकि यह उत्पादन वर्ष 1995-96 में बढ़कर 192 मिलियन मी.टन हो गया।

विवरण-I

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वर्षासिंचित खेती के विकास के लिए निर्मुक्त की गई धनराशि

क्र. सं.	योजना का नाम	आठवीं योजना के आखिरी 4 वर्षों (1992-93) से (1995-96) के दौरान निर्मुक्तियां
1.	वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू. डी.पी.आर.ए.)	733.33
2.	पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती वाले क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए पनधारा विकास परियोजना	26.02
3.	नदी घाटी परियोजना के आवाह-क्षेत्र में मृदा सरंक्षण	220.70
4.	बाढ़ प्रवण नदियों में आवाह-क्षेत्र में मृदा संरक्षण (एफ.पी.आर.)	106.22
5.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	629.75
6.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)	311.91
7.	समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	164.49
	योग	2192.42

विवरण-II

बाह्य तौर पर सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत खेती के लिए व्यय की गई धनराशि

क्र.सं.	योजना का नाम	संचित व्यय (रु. करोड़ में)
1.	विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजनाएं :	
	(एक) समेकित पनधारा विकास परियोजना (मैदानी)	113.87
	(दो) समेकित पनधारा विकास परियोजना (पहाड़ी)	148.81
2.	डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (डेनिडा) सहायता-प्राप्त परियोजनाएं :	
	(एक) कर्नाटक में व्यापक पनधारा विकास परियोजना	9.90
	(दो) व्यापक पनधारा विकास परियोजना, तिरूनेलवेली, तमिलनाडु	3.92
	(तीन) व्यापक पनधारा विकास परियोजना, रामनाथपुरम, तमिलनाडु	0.24
	(चार) व्यापक पनधारा विकास परियोजना, कोरापुट उड़ीसा	1.92
3.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी.) सहायता प्राप्त परियोजना :	
	(एक) समेकित पनधारा प्रबंध परियोजना भीमताल, उ.प्र.	8.39
	(दो) समेकित पनधारा प्रबंध परियोजना, दक्षिणी भागीरथी, उ.प्र.	49.55
	(तीन) समेकित पनधारा प्रबंध परियोजना, दूनघाटी उ.प्र.	10.36
4.	के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन) सहायता-प्राप्त परियोजना :	
	समेकित पनधारा विकास परियोजना, महाराष्ट्र	6.10
5.	स्विटजरलैंड विकास निगम (एस.डी.एस.) सहायता प्राप्त परियोजनाएं :	
	कर्नाटक में सहभागी व समेकित विकास पनधारा परियोजना	3.10
	योग	326.16

[हिन्दी]

गेहूं की नई किस्में

*73. **श्री पंकज चौधरी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की तीन नई किस्में विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप गेहूं का कितना उत्पादन बढ़ने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। परिषद ने एच डी 2329 किस्म की जगह पर उगाने के लिए तीन नयी किस्में नामतः पी बी डब्ल्यू, 343, यू पी 2338 तथा डब्लू एच 542 विकसित की है जिसे पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उ.प्र. के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जा रहा है, परन्तु यह किस्म रोगों से शीघ्र प्रभावित होती है।

(ग) इन नयी किस्मों में मौजूदा लोकप्रिय किस्मों की तुलना में कुछ अधिक पैदावार देने की क्षमता (3-5 क्विंटल प्रति हैक्टर) है।

इन नयी किस्मों को लोकप्रिय बनाने से उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

तिलहन की खेती

*74 **श्री के.पी. सिंह देव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिलहन की खेती के क्षेत्र में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में कितने और नए क्षेत्रों में तिलहन की खेती करने का विचार है; और

(ग) नौवीं योजना में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए आकलित अनुमान का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). क्रमिक फसलन, अंतर्फसलन, कम आय देने वाली फसलों के स्थान पर दूसरी फसल लगाकर तथा समस्या वाले क्षेत्रों/परिस्थितियों में फसलों का प्रतिस्थापन करके तिलहनों, विशेषकर सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया और सरसों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार की संभावनाएं हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर पूर्वी राज्यों में क्षेत्र विस्तार की संभावनाएं विद्यमान हैं। लेकिन क्षेत्र के लिए अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तिलहन का उत्पादन लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है। योजना आयोग ने अभी वर्ष 2000 ई. तक के लिए तिलहन उत्पादन के लिए 26 मिलियन मी.टन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

[हिन्दी]

हॉट-मिक्स संयंत्रों को बंद करना

*75. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के कुछ हॉट मिक्स संयंत्रों को बंद करने का आदेश दिया है या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन संयंत्रों द्वारा फैलाए जा रहे वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अब तक दिल्ली के जांच किए गए हॉट-मिक्स संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है या करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10 अक्तूबर, 1996 के अपने आदेश द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 43 हॉट मिक्स संयंत्रों को किसी अन्य औद्योगिक क्षेत्र में पुनः स्थापित/अंतरित करने का निदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि इन हॉट-मिक्स संयंत्रों को बंद किया जाएगा और 28 फरवरी, 1997 से दिल्ली शहर से इनका कार्य संचालन रूक जाएगा।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 43 हॉट-मिक्स संयंत्रों से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार हॉट-मिक्स संयंत्रों से प्रसंस्करण उत्सर्जन में धूल-कण और सल्फरडाइऑक्साइड के अतिरिक्त पॉली एरोमिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि प्रायः कैंसरजन होते हैं। अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक विशेषज्ञ समिति ने हॉट-मिक्स संयंत्रों को श्रेणीबद्ध करके परिसंकटमय उद्योग के रूप में लिया हैं।

सरकारी और निजी क्षेत्र के अनेक हॉट मिक्स संयंत्र आवासीय क्षेत्रों के समीप स्थित हैं और इसलिए समीप के निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम ऐसे प्रतिष्ठानों से हो सकता है। (लाल कुआं, रंगपुरी, महरौली, ख्याला) हॉट मिक्स संयंत्रों को बहेतर अनुरक्षण नहीं होता हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने हॉट मिक्स संयंत्रों के अंतरण/पुनःस्थापन की सुविधा के लिए "एकीकृत एकल अभिकरण" का गठन किया है। इस अभिकरण में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिव तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सदस्य सचिव सम्मिलित हैं। "एच" श्रेणी के तहत आने वाले उद्योगों के लाभ के लिए तथा जिन्हें दिल्ली से बाहर अंतरित होने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, के लिए एक "एकल खिड़की सेवा" भी कार्यरत है जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उद्योग आयुक्त हैं।

[अनुवाद]

बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर)

***76. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न बाघ अभयारण्यों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी जारी की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बाघ परियोजना के लिए कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई;

(ग) इस योजनावधि के दौरान बाघ और इस प्रजाति के अन्य बड़े वन्य प्राणियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई अथवा कमी आई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन अभयारण्यों में बाघ और अन्य वन्य प्राणियों के समुचित संरक्षण और विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (घ). दो विवरण संलग्न हैं। इनमें विवरण-I में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "बाघ परियोजना स्कीम" के अंतर्गत विभिन्न टाइगर रिजर्वों को दी गई धनराशि बताई गई है जबकि विवरण-II में देश में बाघों के परिरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों का उल्लेख है।

(ख) विदेशी सहायता प्राप्त दो परियोजनाएं-वानिकी अनुसंधान शिक्षा तथा विस्तार परियोजना और भारत पारि-विकास परियोजना क्रमशः 1944-95 तथा 1995-96 में शुरू की गई थीं। 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान वानिकी अनुसंधान शिक्षा तथा विस्तार परियोजना के अंतर्गत 9.59 लाख रुपए तथा 0.76 लाख रुपए दिए गए। भारत पारि-विकास परियोजना के तहत 1995-96 में विभिन्न राज्यों को 194.13 लाख रुपए दिए गए।

(ग) प्रत्येक चार वर्षों में एक बार अखिल भारतीय बाघ तथा तेंदुआ गणना की जाती है। पिछली दो गणनाओं के दौरान बाघों और तेंदुओं की अनुमानित आबादी इस प्रकार है :-

	बाघ	तेंदुए
1989	4334	6767
1993	3750	6828

शेरों की गणना प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार की जाती है। आंकड़े बताते हैं कि 1990 में इनकी संख्या 284 तथा 1995 में 304 थी।

विवरण-I

भाग (क) तथा (घ) के उत्तर में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	टाइगर रिजर्व का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 31.10.96 तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोर्बेट (उत्तर प्रदेश)	29.245	67.7750	57.950	62.360	35.000
2.	पलामू (बिहार)	55.696	54.2000	51.500	62.100	24.000
3.	सीमलीपाल (उड़ीसा)	45.693	46.5200	69.385	50.125	17.000
4.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	61.301	65.8900	65.385	76.873	35.000
5.	मानस (असम)	38.836	36.3821	42.325	55.650	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	सरिस्का (राजस्थान)	45.700	60.5210	45.500	52.485	31.500
7.	रणथम्बौर (राजस्थान)	46.779	55.2700	51.085	61.285	31.500
8.	बांदीपुर (कर्नाटक)	24.397	35.1960	45.750	50.330	-
9.	सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल)	30.615	36.5860	36.930	45.705	16.000
10.	नलघाट (महाराष्ट्र)	44.147	36.7130	44.475	45.353	20.000
11.	परियार (केरल)	45.862	46.7300	16.673	28.065	16.000
12.	इंदरावती (मध्य प्रदेश)	20.871	23.2430	22.350	15.000	-
13.	मनधापा (अरुणाचल प्रदेश)	27.274	32.0080	34.540	35.874	-
14.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	28.485	23.9400	32.604	33.780	20.000
15.	वाल्मीकि (बिहार)	-	-	-	-	12.250
16.	नागार्जुनसागर (आंध्र प्रदेश)	20.076	25.2700	26.381	27.360	08.000
17.	बक्सा (पश्चिम बंगाल)	37.525	47.7220	50.610	44.460	19.000
18.	कालाकड मुंडनथुरई (त.नाडु)	29.630	40.8650	29.120	24.480	14.000
19.	पेंच (मध्य प्रदेश)	6.920	28.0760	45.905	28.056	03.100
20.	टाडोबा-अंधेरी (महाराष्ट्र)	-	-	13.635	06.900	08.000
21.	वनहवगढ़ (मध्य प्रदेश)		7.8950	8.955	02.050	-
22.	दम्पा (मिजोरम)	-	-	-	13.450	08.360
23.	पन्ना (मध्य प्रदेश)	-	-	-	09.000	-
	जोड़	642.052	760.8021	797.998	841.241	318.835

विवरण–II

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I से 4 में शामिल पशुओं के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध है।

2. बाघ, हाथियों, गैंडों तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

3. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए 1,48,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 441 वन्यजीव अभ्यारण्यों और 80 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने भी इन वन्यजीवों की संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए क्रमशः वर्ष 1973 और 1991 में "बाघ परियोजना" और "हाथी परियोजना" स्कीमें भी चलाई हैं। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है जिनमें बाघ परियोजना और हाथी परियोजना भी शामिल हैं।

4. वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

5. वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइटस) के उपबंधों के तहत संकटापन्न पशु प्रजातियों और उनके अंगों तथा उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है।

6. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

7. इस मंत्रालय ने सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, आर.पी.एफ. तथा विदेशी डाकघर, ट्रैफिक इंडिया और वन्यजीव प्राधिकारियों जैसे सभी बड़े प्रवर्तन संगठनों के प्रतिनिधियों वाली एक राष्ट्रीय समन्वय समिति स्थापित की है ताकि वन्यजीव और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार की समस्या से निपटने के लिए अंतर-विभागीय सहयोग और समन्वय बढ़ाया जा सके।

8. देश के उन क्षेत्रों जहां बाघ रहते हैं, के प्रबंधन में सुधार का सुझाव देने के लिए मंत्रालय में एक "टाइगर क्राइसेस सेवा" स्थापित किया गया है।

9. राज्य सरकारों की सलाह दी गई है कि वे सर्तकता बढ़ा दें और गश्त तेज कर दें।

10. बाघ परियोजना क्षेत्रों में "विशेष स्ट्राइक बल" की स्थापना के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

11. बाघ संरक्षण से संबंधित द्विपक्षीय मामलों का समन्वय करने और बाघ की हड्डियों और उसके शरीर की अन्य अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए चीन सरकार के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तथा

12. बाघ के चोरी-छिपे शिकार को रोकने तथा बाघ रेंज देशों में बाघ संरक्षण के लिए प्रयासों का समेकन करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा "विश्व बाघ मंच" की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

निर्यात के लिए राजसहायता

***77. श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे किसानों को कोई राजसहायता प्रदान कर रही है जिनके उत्पाद दूसरे देशों को निर्यात किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह राजसहायता किसानों के बदले में बिचौलियों द्वारा हथिया ली जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस राजसहायता को किसानों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ). जिन छोटे किसानों के उत्पाद अन्य देशों को निर्यात किए जाते हैं, उन्हें कोई राजसहायता नहीं दी जाती। लेकिन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) के पास निर्यातिकों के रूप में पंजीकृत किसानों सहित निर्यातिकों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (एपेडा) द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 356 और 249 को रद्द करना

***78. श्री तरित वरण तोपदार :**
श्री तारिक अनवर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 और 249 को रद्द करने के बारे में जम्मू और कश्मीर सरकार और अन्य राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). अन्तर-राज्यीय परिषद की 15 अक्तूबर, 1996 को हुई दूसरी बैठक के दौरान, अनुच्छेद 356 में संशोधन करने से लेकर इसको समाप्त किए जाने तक के बारे में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए। उपर्युक्त बैठक में अनुच्छेद 249 को रद्द करने के बारे में कोई मत व्यक्त नहीं किया गया। तथापि, जम्मू व कश्मीर के मुख्य मंत्री ने अनुच्छेद 356 पर बोलते हुए, अनुच्छेद 249 के संबंध में निम्नलिखित बातें कहीं :-

> "1984 में, तत्कालीन राज्यपाल द्वारा विधिवत रूप से चुनी गई हमारी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद, एक-के-बाद-एक अध्यादेश जारी करने में उन्होंने कोई हिचक महसूस नहीं की। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रपति से (राष्ट्रपति शासन के दौरान) भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 का प्रयोग करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल को ऐसा बड़ा कदम उठाने का न तो कोई प्राधिकार था और न ही ऐसा कोई शासनादेश प्राप्त था। उन्हें सलाह देने के लिए उनकी कोई मंत्री परिषद भी नहीं थी तथा निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यपाल के रूप में वह कोई विधायी अधिकार प्रयोग नहीं कर सकते थे.... मैंने यह उदाहरण, यह समझाने के लिए दिया है कि कोई राज्यपाल विधिवत रूप में चुनी गई किसी सरकार को हटाने के लिए किस सीमा तक जा सकता है और फिर प्रशासन को अपने मनमाने ढंग से चला सकता है।"

अन्तर-राज्यीय परिषद की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि परिषद की एक स्थाई समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुच्छेद 356 सहित आपातकालीन प्रावधानों के मुद्दे की व्यापक रूप में जांच करेगी और इसके गठित होने के तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। स्थाई समिति की रिपोर्ट पर परिषद की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसके उपरान्त परिषद के विचारों को विचारार्थ और आगे कार्रवाई करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा। स्थाई समिति का गठन विचाराधीन है।

चीनी विकास परिषद

***79. श्री राम नाईक :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी विकास परिषद के सदस्यों के नाम तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान परिषद द्वारा कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान परिषद द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) विकास परिषद के नाम तथा उद्देश्य क्रमशः विवरण-I तथा II पर संलग्न हैं।

(ख) 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान परिषद की केवल एक बैठक हो सकी। चीनी उद्योग विकास परिषद का पुनर्गठन 4.6.1993 को किया गया तथा पुनर्गठित परिषद् की बैठक 23.12.1993 को हुई। परिषद की अवधि 3.6.95 को समाप्त हुई। 23.2.1996 को इसका पुनर्गठन किया गया। विकास परिषद् की एक बैठक 26.11.1996 को होने जा रही है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

1.	सचिव, भारत सरकार खाद्य विभाग, नई, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री शंकरराव डी. काले (सदस्य, लोक सभा)	सदस्य
3.	श्री अभय प्रताप सिंह (सदस्य, लोक सभा)	सदस्य
4.	श्री शिवाजी राव जी पाटिल (सदस्य, राज्य सभा)	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार खाद्य मंत्रालय, में चीनी के भार साधक, नई दिल्ली	सदस्य सचिव
6.	मुख्य निदेशक, चीनी निदेशालय नई दिल्ली	सदस्य
7.	निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर उ.प्र.	सदस्य
8.	निर्देशक, वसंतदादा शर्करा संस्थान पुणे,	सदस्य
9.	निदेशक, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बतूर	सदस्य
10.	अध्यक्ष, भारतीय चीनी मिल, संगम सुगर हाउस, 39 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	सदस्य
11.	अध्यक्ष, नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव सुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, "बैकुठं" (तीसरा तल) 82-83, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	सदस्य
12.	कार्यपालक निदेशक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, बैंक आफ़ बडौदा भवन, 10 संसद मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
13.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवधन विभाग उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली	सदस्य
14.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 4, सिरी इंस्टीटयूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली	सदस्य
15.	संयुक्त सलाहकार, उद्योग और खनिज प्रभाग, योजना आयोग, संसद मार्ग नई दिल्ली	सदस्य
16.	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश खांडसारी चीनी विनिर्माता संगम बी-92 गांधी नगर मुरादाबाद, (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
17.	श्री मुश्ताक अहमद, लोहिया नगर, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
18.	श्री सत्यवीर सिंह चौधरी चौधरी ट्रेवेल्स, आकाशदीप होटल, बस अड्डे के समीप, अलीगढ़ (उ.प्र.)	सदस्य
19.	श्री बिजेन्द्र सिह "मुन्नू" ग्राम और डाकघर-खतौनी, बलिया (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
20.	श्री ओ.पी. चौधरी, रामपुर (बरौसा) सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
21.	श्री सुरेन्द्र सिंह हरजोली जाट, हरिद्वार उत्तर प्रदेश	सदस्य
22.	श्री श्याम लाल त्यागी, अधिवक्ता जिला न्यायालय, सोनीपत, (हरियाणा)	सदस्य
23.	आचार्य, सी. नरसिम्हप्पा, 522, फिफ्थ मैन, पो; जे एक्सटेंशन, दावणगेरे (कर्नाटक)	सदस्य
24.	श्री श्रीकांत शेराले, 112, सुधीर बगलो, पुलिस ग्राउड के सामने मांडल कालोनी, पुणे-16 महाराष्ट्र	सदस्य

विवरण-II

विकास परिषद का उद्देश्य निम्नवत् है :-

1. चीनी उत्पादन के लक्ष्य की सिफारिश करना/मानक विनिर्देशों का निर्माण/प्लांट तथा मशीनरी अथवा चीनी फैक्ट्री जिसमें नवीनतम तकनीक लगी हो, के लिए विनिर्देशों हेतु दिशा-निर्देश देना।

2. इसकी स्थायी अनुसंधान सलाहकार समिति के माध्यम से, चीनी विकास निधि के द्वारा कोष प्रदान करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की सिफारिश की जाती है। इस प्रकार की परियोजनाएं फैक्ट्रियों की तकनीकी दक्षता तथा गन्ने की पैदावार तथा गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

3. चीनी मानकों पर स्थायी सलाहकार समिति के माध्यम से प्रत्येक वर्ष बी.आई.एस. द्वारा निर्धारित विनिर्देशों को सुनिश्चित करते हुए आई.एस.एस. श्रेणी का नमूना तैयार किया जाता है।

4. यह चीनी उद्योग के संदर्भ में सरकार की नीतियों की समीक्षा के एक फोरम के रूप में काम करता है तथा सरकार के विचारार्थ उपयुक्त सिफारिश करता है।

उर्वरकों लिए नई मूल्य निर्धारण नीति

***80. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों संबंधी नई मूल्य निर्धारण नीति का स्वदेशी उर्वरक उत्पादन एककों पर प्रतिकूल असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के उर्वरक उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). इस समय यूरिया एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है जिसके लिए प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम (आर पी एस) के तहत राजसहायता दी जाती है। दिनांक 1.4.1991 से लागू छठी मूल्य-निर्धारण अवधि के लिए नीति विषयक मानक 31.3.1997 तक वैध है। मानदंडों तथा वास्तविक आंकड़ों के संयोजन के आधार पर आर.पी.एस. में शुद्ध पूंजी पर कर पश्चात 12 प्रतिशत लाभ का प्रावधान है। यूरिया संयंत्रों के समग्र क्षमता उपयोग ने, 1995-96 में 96.7 प्रतिशत का स्तर प्राप्त करने के लिये गत 3 वर्षों के निरन्तर सुधार दर्शाया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रकोष्ठ

554. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास गतिविधियों पर निगरानी हेतु एक पृथक प्रकोष्ठ गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर क्षेत्र की ही समस्याओं से निपटने के लिए एक प्रभाग है। उक्त क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों में प्रधान मंत्री जी स्वयं गहरी रूचि ले रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्वोत्तर के लिए एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है। यह प्रकोष्ठ पूर्वोत्तर के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विभिन्न पहलों के क्रियान्वयन का प्रबोधन तथा समन्वय करेगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

555. श्री अशोक प्रधान : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुछ पद अभी भी खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों तथा उपक्रमों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को नई भर्ती के अतिरिक्त पदोन्नति भी दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न पदों के लिए की गई भर्ती तथा पदोन्नति के बारे में वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती तथा उन श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति आरक्षण नियमों के अनुसार की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो विभिन्न श्रेणियों में रिक्त आरक्षित पदों को भरने तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के अनुसार पदोन्नति देने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि में अनुसंधान और विकास

556. श्री ललित उरांव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि अनुसंधान तथा विकास उद्देश्य के लिये राज्य-वार कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) चालू वर्ष 1996-97 के दौरान देश के विभिन्न संस्थानों में किये जा रहे अनुसंधान कार्य का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि अनुसंधान व विकास पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंक भा.कृ.अ.प. की बहुत ही संस्थाओं के केन्द्र देश के अनेक राज्यों में फैले हुए हैं।

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1993-94	441.99
1994-95	494.17
1995-96	521.88

(ख) और (ग). कृपया संलग्न विवरण देखें।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा अनुसंधान प्रयासों और उपलब्धियों का ब्यौरा

प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं: भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक में 1,30,000 प्रविष्टियों का रखरखाव, कृषि बागवानी वाले पौधों की विविधता का एकत्रीकरण व मूल्यांकन तथा उनका इस्तेमाल, फलों व सब्जियों के अलावा विभिन्न फसलों की अनेक किस्मों की पहचान व उन्हें जारी करना, कीट व समेकित नाशकजीव नासी प्रबंध की रणनीति के लिए जैविक नियंत्रण से संबंधित आशाजनक उपायों की खोज करना, रोग मुक्त बीज के उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास, कटाई के उपरान्त प्रौद्योगिकियों व उपकरणों का विकास, पंजाब महाराष्ट्र व राजस्थान के मृदा मान मानचित्रों को अन्तिम रूप देना, महत्वपूर्ण फसल प्रणालियों की पहचान, संघनित मृत्तिका खंडों (कम्प्रेस्ड मड-ब्लॉक) की चालकता का अनुमान लगाने के लिए द्रव चालित चालकता मीटर का निर्माण, अनुमान के लिए छोटे नमूने ले सकने हेतु अच्छी कपास का विकास, मूंगफली की गिरी के श्रेणीकरण के लिए ग्रेडर व फलों के श्रेणीकरण के लिए गोलाकार फल ग्रेडर का विकास, शहद निकालने के लिए उपयुक्त उपकरणों का निर्माण, वाटर चेस्टनट का छिलका उतारने वाले यंत्र सुपारी (च्यूनट) छीलने के यंत्र का विकास, चावल जल्दी पकाने की प्रक्रिया का विकास, लाख के विविध उपयोगों का पता लगाना, लेखन/छपाई कागजों का निर्माण, प्याज को धूप में सुखाने के लिए उपयुक्त यंत्र का विकास, जल निकासी के लिए स्थान विशेष के लिए उपयुक्त सतही व उप सतही तकनीकों का विकास।

पशु विज्ञान के क्षेत्र में 47 फ्राइजवाल सांड़ों के 2.5 लाख वीर्य नमूने (स्ट्रॉ) हिम शीतित किए गए। भारत मेरीनों भेड़ों के जीवित बचे रहने का प्रतिशत 98 तक लाया गया व 85 प्रतिशत लैम्बिंग पहचानी गयी। सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत 123 भेड़ों को प्रजनन के लिए सप्लाई किया गया।

आई.एल.एम. 90 द्वारा 275 अंडों का हैन आउस उत्पादन रेंडम सेम्पल जांच का एक रिकार्ड है। थाइलेरिया संक्रमण का तत्काल व आसानी से पता लगाने के लिए एक सरल, विश्वसनीय व सही परीक्षण विधि- डी.ओ.टी., "एलाइजा" का विकास किया गया है। दूध उत्पादों के विकास के लिए अनेक प्रक्रियाओं जैसे कम कोलस्ट्रोल युक्त मोजारोला चीज का उत्पादन, चीज स्प्रैड पाउडर, रसगुल्ला पाउडर, छेने पर आधारित खुम्बी सूप पाउडर, पीजा के लिए इन्स्टैन्ट मिक्स आदि का विकास किया गया है।

मात्स्यिकी के क्षेत्र की मुख्य उपलब्धियां हैं : बहते जल वाली जल जीव संवर्धन प्रणालियों की स्थापना जिनमें 10 एम 3 क्षमता वाली 27 सिस्टर्न शामिल हैं तथा जिनकी नियंत्रित प्रवाह दर प्रति सेकेण्ड 201 तक है। मैक्रोब्रेशियम रॉजेनबर्गी के अंडों के प्रवर्धन के लिए घर के पिछवाड़े चलाई जा सकने वाली तथा कम लागत वाली हैचरी का निर्माण जिसके द्वारा लुप्त प्रायः हिमालय माहसीर के 0.84 लाख पौनों का रिकार्ड उत्पादन हुआ।

परिषद द्वारा 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों का एक विशाल तंत्र स्थापित किया गया है जिनके द्वारा परिषद के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं व कृषि, पशु विज्ञान, मात्स्यिकी तथा तत्संबंधी व्यवसायों के विभिन्न पहलुओं पर अनेक प्रशिक्षण आयोजित किए गए। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लगभग 2.51 लाख किसानों खेतिहर महिलाओं तथा ग्रामीण युवाओं को कृषि विज्ञान केन्द्रों के विभिन्न प्रसार कार्यक्रमों के द्वारा कृषि संबंधी विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रसार कार्यक्रम फील्ड दिवस, किसान मेलों/गोष्ठियों, दलगत विचार विमर्श प्रदर्शनियों, महिला मेलों, चिकित्सा शिवरों, वीडियो फिल्मों, दूरदर्शन व रेडियो कार्यक्रमों आदि के रूप में आयोजित किए गए। कृषक समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थानों तथा परियोजनाओं की श्रृंखला द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रसार किया जा रहा है।

कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि कंप्यूटर केन्द्र की स्थापना है जिसे ए.आर.आई.एस. कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा तथा वैज्ञानिकों का विश्वस्तरीय साहित्य से सम्बद्ध हो सकेगा। बारह लड़कियों के होस्टल तथा आठ लड़कों के होस्टल का निर्माण कराया गया है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के करीब 100 संकाय अध्यापकों

को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की गई है, ताकि विदेश के वैज्ञानिकों के साथ वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपस में बातचीत कर सकें। इसी तरह केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के प्रबंध मंडल की स्थापना की गई है तथा विश्वविद्यालय के अंतर्गत पशु चिकित्सा कालेज का शिलान्यास किया गया है तथा प्रोन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों में 36 प्रोन्नत अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रायोजनाओं के अंतर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए 130 वैज्ञानिकों कंप्यूटरों चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह 120 क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को सहायता प्रदान की गई और विशेषीकृत क्षेत्रों में 201 वैज्ञानिकों को विदेशों में प्रशिक्षित किया गया। "कृषि मानव संसाधन विकास" की एक अन्य विश्व बैंक की प्रायोजना को 14 अगस्त, 1995 को आरंभ किया गया। इसके प्रथम चरण में आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु के कृषि/पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय इसमें भाग ले रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग विदेशी कृषि संस्थानों/संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग विदेशी सहायता प्राप्त प्रायोजनाओं/समझौता ज्ञापनों/कार्य योजनाओं वित्तीय/तकनीकी सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनारों/सम्मलेनाओं के माध्यम से यह सहयोग कर रहा है। आलोच्य वर्ष के दौरान आंरभ की गई प्रमुख प्रायोजनाएं ये हैं : विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रायोजनाएं जैसे (I) कृषि मानव संसाधन विकास प्रायोजना (II) टिकाऊ बारानी कृषि विकास प्रायोजना- इसे विश्व बैंक के तत्वावधान में जापान से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों अर्थात् कोलम्बो योजना, नेपाल सहायता कोष, भारत-ईरान कार्य योजना, एफ.ए.ओ. आदि के अंतर्गत विदेशी नागरिकों को अल्प अवधि और दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण प्रदान किए गए। करीब 84 प्रार्थियों ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तैनात कर्मी

557. डा. जयन्त रंगपी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इकाई-वार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कितने कर्मियों को तैनात किया गया है तथा वे कब से तैनात हैं;

(ख) संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऐसी तैनाती पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है; और

(ग) इस प्रकार की तैनाती के मानदण्डों अथवा औचित्य का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती आवश्यकता के आधार पर की जाती है अर्थात् जन शक्ति का निर्धारण इस प्रयोजन के लिए पहले ही निर्धारित इन्डकशन मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	निजी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	इंडक्शन की तिथि	संख्या	195-96 के दौरान निजी क्षेत्र के उपक्रमों का व्यय
1	2	3	4	5
01.	एच.एफ.सी.एल. हल्दिया	08.01.72	249	1,29,34,945
02.	एच.एफ.सी.एफ. नमरूप	13.09.75	225	1,06,59,439
03.	एफ.सी.आई. न्यू जलपाईगुड़ी	15.05.72	107	65,81,894
04.	के.सी.सी. केयरी	08.10.71	398	1,85,20,338
05.	बी.ए.एल.सीठ.ओ. क्रौरेबा	05.10.73	260	1.15,04,961
06.	एच.एफ.सी. हल्दिया	22.09.71	433	2,29,26,849
07.	ए.सी.पी. दुर्गापुर	20.09.70	552	3,04,24,419
08.	आई.पी.सी.एल. बड़ौदा	17.07.72	581	2,84,43,887
09.	एन.आई.एल. जादवपुर	19.09.71	43	17,37,624

1	2	3	4	5
10.	डी.वी.सी डनकुनी	09.02.83	110	55,58,249
11.	बी.आर.पी.एल. बोनगईगांव	16.11.76	333	1,77,87,980
12.	एस.ए.आई.एल. (एस.वाई.) पहारपर	04.09.77	91	49,61,839
13.	एन.पी.पी.सी.एल. नागालैंड	25.02.77	78	55,00,000
14.	सी.पी.पी. कच्छर	15.09.82	184	94,13,889
15.	एफ.एस.पी.पी. फरक्का	15.06.81	617	2,95,93,875
16.	एस.एम.पी.एल. वाड़ीनगर	01.12.81	99	50,35,415
17.	के.एस.टी.पी.पी. कोरबा	02.12.81	420	2,00,27,281
18.	डी.वी.सी. मुख्यालय कलकत्ता	01.01.82	57	33,91,038
19.	डी.टी.पी.एस. दुर्गापुर	02.03.82	384	2,23,29,575
20.	एन.एन.पी. नवागांव	07.03.83	224	1,11,14,412
21.	ई.सी.एल. सीतलपुर	15.07.83	1274	8,77,05,976
22.	ओ.आई.एल. दुलीयाजान	18.02.85	1143	5,91,50,039
23.	बी.टी.पी.एस. बदरपुर	01.01.85	365	2,01,06,780
24.	एस.एम.पी.एल. राजकोट	10.12.86	192	93,60,810
25.	आर.एच.एस.टी.पी.पी. रिहन्द	15.01.85	389	1,51,13,537
26.	आई.ओ.सी. शकुरबस्ती	22.09.86	473	2,47,00,582
27.	डी.ई.एस.यू. दिल्ली	05.06.87	84	48,20,298
28.	टी.एच.ई.पी. चनबासा	23.11.87	120	60,76,845
29.	ओ.एन.जी.सी. हजारिया	15.08.88	217	1,06,09,540
30.	बी.सी.पी.पी. कोरबा	15.04.88	117	46,77,480
31.	ओ.एन.जी.सी. नजीरा	13.03.88	1178	5,86,33,765
32.	आई.आई.एस.सी.ओ. बर्नपुर	10.11.89	1043	4,56,86,296
33.	ओ.एन.जी.सी. जोरहट	30.07.89	777	3,13,87,758
34.	डी.एच.ई.पी.पी. देयांग	06.04.94	169	1,22,69,440
35.	सी.एल.जेड.एस. चित्तोड़गढ़	10.08.91	142	64,17,671
36.	जी.ए.आई.एल./एल.पी.जी. विजयपुर	07.06.93	177	73,61,843
37.	एन.एल.सी.एल. नैवेली	18.05.94	216	1,83,72,446
38.	एफ.सी.आई. रामागुन्डम	09.12.71	164	98,00,000
39.	एम.एफ.एल. मनाली	25.11.70	122	66,48,346
40.	एच.जेड.एल. अग्निगुन्डाला	15.12.71	40	21,41,718
41.	डी.आई.ओ.एम. दोनामल्लई	01.01.72	73	35,14,904
42.	के.आई.ओ.एम. किरिबुरू	24.04.70	113	47,94,841
43.	एम.आई.ओ.पी. मेघथाबोरु	21.04.72	133	51,91,724
44.	के.आई.ओ.सी.एल. कुदरामुख	15.01.77	313	1,60,23,464
45.	एस.ए.आई.एल. पोलनचा	01.11.82	54	31,23,135

1	2	3	4	5
46.	एन.एम.पी.टी. मंगलौर	15.04.80	165	82,23,594
47.	बी.एस.एल. बोकारो	02.11.69	1946	9,63,33,365
48.	बी.एस.पी. भिलाई	15.10.71	1915	7,46,60,958
49.	डी.एस.पी. दुर्गापुर	03.08.70	2012	8,55,12,782
50.	आर.एस.पी. राऊरकेला	08.11.71	1890	8,00,97,658
51.	टी.एस.पी. तुंगभद्र	05.09.72	40	17,90,451
52.	एस.एस.पी. सेलम	01.03.73	250	1,11,58,040
53.	एम.आर.एल. मनाली	15.02.73	231	1,03,25,032
54.	एच.जेड.एल. विजाग	14.11.74	163	65,53,906
55.	आई.टी.आई. पालघाट	19.02.76	82	41,04,931
56.	आर.एस.टी.पी.पी. रामागुन्डम	29.03.81	431	2,23,86,402
57.	एन.आर.एस.ए. बालानगर, हैदराबाद	03.09.85	85	46,41,500
58.	बी.एस.एच.ई. चम्बार	15.07.85	131	67,48,610
59.	एन.एफ.सी. हैदराबाद	24.07.87	393	1,93,40,031
60.	बी.एस.ओ. (एस/वाई) दुर्गापुर	01.07.87	29	11,33,061
61.	ओ.एन.जी.सी. मद्रास	28.08.87	76	43,24,865
62.	एम.पी.सी.एल. कोवुर	04.11.87	35	29,66,748
63.	के.एल.एम. जबलपुर	21.10.87	80	32,22,587
64.	बी.एच.ई.एल. हैदराबाद	12.04.88	443	1,87,48,331
65.	ए.जी.पी.पी. कोटा	30.12.88	153	78,63,168
66.	ए.जी.पी.पी. इटावा	07.12.88	201	1,05,40,905
67.	पी.जी.सी.आई.एल. मोंगा	01.07.89	61	26,34,233
68.	टी.एच.डी.सी. टेहरी	02.07.90	94	51,47,989
69.	ओ.एन.जी.सी. अहमदाबाद	28.06.91	270	1,27,37,574
70.	एच.जेड.एल. भीलवाड़ा	10.07.91	103	52,55,213
71.	एच.ई.पी. ऊड़ी (जम्मू और कश्मीर)	10.04.92	409	2,60,85,458
72.	बी.ओ.एम. बोलानी (आर.एस.पी.)	02.04.85	160	72,22,430
73.	आई.एफ.एफ.सी.ओ. आंवला	25.5.94	22	129,75,85,041
74.	एन.एन.पी. मैसूर	01.11.94	37	20,87,005
75.	एन.जे.पी.सी.एल. जाखरी	02.09.94	63	40,85,933
76.	जी.ए.आई.एल. इटावा (पाता)	10.05.95	25	17,69,141
77.	आई.आई.एफ.सी.ओ. फूलपुर	23.07.95	13	16,77,696
78.	एफ.सी.आई. देघाघाट	13.10.70	63	36,20,311
79.	एफ.सी.आई. गया	20.04.71	55	24,41,115
80.	एफ.सी.आई. मोकामा	13.10.70	70	39,34,790
81.	एफ.सी.आई. फुलवाड़ी शरीफ	20.04.71	38	28,44,406

1	2	3	4	5
82.	बी.एन.पी. देवास	03.02.72	286	1,83,14,942
83.	आई.जी.मिंट हैदराबाद	01.03.80	156	86,29,242
84.	टी.पी.टी. तूतीकोरन	16.09.71	203	1,07,58,128
85.	एम.ए.पी.पी. कलपक्कम	25.09.72	437	2,18,70,458
86.	वी.एस.एस.सी. थुम्बा	17.11.71	684	3,14,75,873
87.	ए.एल.के. नीमच	11.06.70	46	27,05,587
88.	जी.ओ.एफ. गाजीपुर	06.11.70	22 118	56,11,970
89.	एच.आर.पी. हल्दिया	21.01.70	172	94,96,751
90.	आई.डी.पी.एल. हैदराबाद (डब्ल्यू/डी)	–	–	–
91.	एम.सी.एफ. हसन	06.12.82	37	19,44,170
92.	एस.एच.ए.आर. सेन्टर	16.04.73	496	2,68,00,041
93.	आई.ओ.सी. बरौनी	20.09.73	374	1,61,28,283
94.	बी.के.पी.एल. बरौनी	01.01.82	23	10,49,518
95.	एस.पी.एम. हौशंगाबाद	15.06.75	369	1,73,68,679
96.	जी.ओ.एफ. नीमच	06.11.70	53	28,67,846
97.	एस.ए.सी. अहमदाबाद	08.04.76	105	53,37,034
98.	आई.ओ.सी. गोहाटी	14.01.77	331	2,03,34,273
99.	फ.बी.पी. फरक्का	03.02.77	580	2,65,85,262
100.	एच.डब्ल्यू.पी. तलचर	7.11.77	31	15,40,514
101.	बी.आर.एल. अहमदाबाद	04.08.76	35	18,10,245
102.	आई.एस.आर.ओ. बंगलौर	15.04.85	159	78,86,117
103.	आई.टी.आई. मन्कापुर	15.04.85	207	87,98,745
104.	के.एस.टी.पी.पी. केहलगांव	04.07.87	366	1,69,24,015
105.	पी.पी.एल. पाराद्वीप	11.03.80	149	76,10,262
106.	एम.डब्ल्यू.पी. मनुगुरू	14.12.67	235	1,07,44,946
107.	ओ.एन.जी.सी. नरसापुर	05.08.88	76	41,99,569
108.	पी.टी.पी.एस. पटरातू	17.05.89	338	1,11,30,000
109.	एन.टी.पी.सी. दादरी	12.02.85	328	1,10,06,071
110.	एस.सी.सी.एल. श्री रामपुर	06.05.91	1871	5,40,57,459
111.	ओ.एन.जी.सी. मेहयसाणा	17.06.91	333	1,44,14,844
112.	यू.टी.पी.एस. उकाई	23.07.92	270	81,29,095
113.	एन.एन.पी. सुलगोनी	27.12.92	42	22,58,281
114.	ए.पी.ई.पी. अलवाई	18.08.84	21	9,78,922
115.	आर.आई.एल. इन्डस्ट्रीज	05.11.95	117	20,00,000

1	2	3	4	5
116.	टी.टी.पी.एस. तलचर	3.6.95	35	45,41,913
117.	एफ.सी.आई. गोरखपुर	08.08.72	113	88,00,000
118.	एन.एफ.एल. भटिंडा	18.06.75	211	99,50,118
119.	एन.एफ.एल. पानीपत	08.03.76	202	1,13,14,024
120.	बी.एम.टी. श्रीनगर	16.12.71	97	30,86,941
121.	एच.आई.एल. दिल्ली	27.04.72	55	41,46,899
122.	आई.टी.आई. नैनी	11.10.71	227	1,09,87,109
123.	एम.ए.एम.सी. दुर्गापुर	20.09.70	250	1,20,00,000
124.	बी.ओ.जी.एल. दुर्गापुर	05.11.70	32	13,04,055
125.	टी.टी.पी.पी. टन्डा	10.04.85	216	61,49,229
126.	बी.पी.सी.एल. नैनी	09.11.74	101	59,32,382
127.	बी.एच.इ.एल. झांसी	29.09.75	165	73,60,322
128.	एलिमको कानपुर (डब्ल्यू/डी)	–	–	–
129.	बी.एच.इ.एन. हरिद्वार	28.12.75	536	2,55,29,886
130.	आई.ओ.सी. मथुरा	02.10.85	546	2,32,42,433
131.	आई.डी.पी.एल. ऋषिकेश	26.03.77	145	44,58,565
132.	एस.एस.टी.पी.एस. शक्तिनगर	30.07.79	425	2,19,46,171
133.	एच.जेड.एल. उदयपुर	17.02.80	132	62,37,341
134.	बी.एच.इ.एल. भोपाल	18.11.81	687	2,66,36,751
135.	आई.डी.पी.एल. गुड़गांव	01.06.81	45	19,73,037
136.	आर.डी.एम. उदयपुर	22.09.82	115	55,58,105
137.	पी.टी.पी.पी. परोच्छा	20.05.83	322	1,53,29,070
138.	ओ.टी.एच.पी.पी. ओबरा	16.04.89	686	2,17,51,603
139.	ए.टी.आर.पी. अनपारा	01.12.85	438	1,12,26,610
140.	एस.एच.इ.पी. सलाल	15.07.85	328	1,31,86,417
141.	आई.टी.आई. रायबरेली	18.01.85	185	67,74,849
142.	जेवर माईन्स	15.02.85	145	76,18,086
143.	एच.एम.टी. रानीबाग	10.12.84	94	41,01,943
144.	एन.टी.पी.सी. सिद्धी	16.12.85	425	2,01,34,785
145.	आई.ओ.सी. फरीदाबाद	10.08.85	51	25,55,830
146.	ओ.एन.जी.सी. देहरादून	10.10.86	148	74,86,797
147.	पी.टी.पी.एस. पंकी	15.06.84	285	1,50,59,877
148.	आर.एच.इ.पी. पिपरी (रीहैंड)	28.11.87	136	71,16,569
149.	एफ.जी.यू.टी.पी.पी. ऊंचाहार	30.11.87	438	2,05,67,032

1	2	3	4	5
150.	टी.एस.एल. नैनी	08.02.88	145	60,00,000
151.	डी.एच.इ.पी. दुलाहस्ती	01.12.91	562	3,31,07,054
152.	एल.पी.जी. गैल लकवा	04.08.93	55	25,66,416
153.	एफ.ए.सी.टी. (सी.डी.) कोचीन	21.04.70	162	1,43,11,964
154.	एच.एफ.सी.एल. बरौनी	08.06.78	147	72,90,664
155.	एफ.सी.आई. सिन्दरी (डब्ल्यू/डी)	12.01.72	313	1,67,00,000
156.	एफ.सी.आई. तलचर	13.03.72	135	87,00,000
157.	एच.एफ.सी. दुर्गापुर	02.02.72	156	86,58,133
158.	एफ.ए.सी.टी. (यू.डी.)	01.04.73	341	1,56,16,267
159.	एन.एफ.एल. नांगल	15.04.73	267	1,30,03,530
160.	पी. एंड डी. सिन्दरी (डब्ल्यू. डी.)	-	-	-
161.	बी.सी.सी.एल. झारिया	11.09.72	3700	24,05,97,682
162.	सी.सी.डब्ल्यू.ओ. धनबाद	21.04.72	288	1,37,84,885
163.	आर.सी.पी. राक्खा	15.12.71	84	33,08,631
164.	यू.सी.आई.एल. जादूगुंडा	19.05.72	155	79,63,037
165.	बी.आर.एल. रामगढ़	15.00.75	48	22,64,859
166.	पी.पी.टी. पारादीप	11.03.88	476	1,83,74,940
167.	एच.जेड.एल. टुडू	22.12.75	68	27,28,297
168.	एच.आई.एल. (यू.डी.एल.)	14.04.93	64	41,57,917
169.	आई.डी.पी.एल. मुजफ्फरपुर	15.06.89	29	3,00,000
170.	सी.टी.पी.एस. चन्द्रापुरी	17.02.92	332	1,76,02,769
171.	नैलको अन्गुल	01.05.83	546	2,40,43,350
172.	एच.जेड.एल. सरगी पल्ली	19.01.87	54	30,62,023
173.	एन.एफ.एल. विजयापुर	05.02.85	187	1,01,53,815
174.	बी.एल.एस.एम. भवनाथपुर	25.04.85	103	50,58,048
175.	आर.सी.एफ. बाम्बे	1.11.69	341	2,13,12,046
176.	डी.एम.पी. पन्ना	07.01.72	74	39,97,685
177.	डी.आई.पी. बचेली	10.01.73	136	67,98,666
178.	बी.आई.ओ.पी.-डी.इ.पी.-14 किरदुल	05.05.73	162	73,49,501
179.	सी.पी.टी. कलकत्ता	21.02.71	1245	6,47,94,925
180.	कोचीन एस/यार्ड	01.03.71	144	85,25,804
181.	सी.पी.टी. कोचीन	01.03.71	440	2,25,87,432
182.	एम.पी.टी. गोवा	03.03.71	256	1,20,85,407
183.	एम.पी.टी. मद्रास	31.08.72	716	3,44,50,805

1	2	3	4	5
184.	एम.डी.एल. मद्रास	15.09.72	31	13,85,126
185.	वी.पी.टी. विशाखापत्तनम	25.08.71	713	3,37,69,129
186.	एच.इ.सी. रांची	20.11.71	1004	–
187.	आई.ओ.सी. बड़ौदा	20.05.72	446	1,99,96,316
188.	एच.ओ.सी. रासायानी	08.04.73	189	87,93,325
189.	एच.ए.एल. पिम्परी	26.08.75	64	31,39,967
190.	ओ.एन.जी.सी. बाम्बे	21.02.78	552	2,82,21,025
200.	एस.ए.आई.एल./एच.एस.वाई. विजग	04.09.77	35	16,42,485
201.	एस.ए.आई.एल./इ.वाई. विजग	04.09.77	47	25,10,883
202.	एच.आई.एल. रासायानी	15.03.80	103	51,88,785
203.	एच.टी.पी.पी. हरदुआगंज	18.06.83	376	88,21,024
204.	वी.एस.पी. विशाखापत्तनम	10.08.83	925	5,43,72,904
205.	जे.एन.पी.टी. शिवा बाम्बे	01.12.84	231	1,11,55,069
206.	एम.डी.एल./इ. वाय-बाम्बे	17.09.84	203	95,93,394
207.	एल.आई.एल. थाने बाम्बे	16.01.85	85	44,47,308
208.	एम.डी.एल. एन.वाइ. बाम्बे	15.05.85	42	16,51,073
209.	आर.सी.एफ. थाल	04.07.75	155	85,77,991
210.	एच.पी.सी.एल.वी. आर-विजग	20.11.87	185	88,04,995
211.	एच.पी.सी.एल. बाम्बे	14.12.88	233	1,25,29,909
212.	जे.एल.एम. जग्गायापित	24.08.87	55	24,75,487
213.	आई.पी.सी.एल. निगोथाने	01.11.81	365	2,08,62,036
214.	बी.टी.पी.एस./डी.वी.एस. बोकारो	20.09.89	335	1,73,62,609
215.	के.जी.पी.पी./एन.टी.पी.सी. सूरत	10.08.89	150	69,99,953
216.	बी.पी.सी.एल. बाम्बे	30.03.90	200	1,05,60,976
217.	ओ.एन.जी.सी. अंकलेश्वर	25.06.91	176	94,27,024
218.	बी.डी.एल. कनचनबाग	04.03.93	151	77,46,365
219.	सी.एच.ए.एम.आर.ए. हायड्रो इलैक्ट्रो	31.03.94	86	47,40,347
220.	एन.टी.पी.सी./जे.जी.जी.पी.पी. झनूर	05.07.94	73	34,77,943
221.	एच.पी.सी.एल./बी.पी.	20.09.94	34	18,07,494
222.	के.पी.पी. सूरत	16.06.86	220	1,26,08,872
223.	एन.ए.पी.पी. नरौरा	16.05.85	298	1,78,30,969
224.	एस.सी.एल. मोहाली	08.06.78	112	64,41,835
225.	आई.पी.बी.एच.इ.एल. जगदीशपुर	20.10.86	61	22,65,540
226.	एन.एन.एल.सी.ओ. घमनजोदी	22.08.86	422	1,90,39,944

1.	2	3	4	5
227.	आर.ए.पी.एस. कोटा	10.02.88	477	2,67,43,084
228.	बी.डी.एल. कोट्टयम	10.02.88	185	92,62,285
229.	बी.डी.एल. भन्नूर	15.05.89	199	99,46,465
230.	ओ.एन.जी.सी. त्रिपुरा	19.02.90	192	1,70,74,197
231.	एल.पी.जी. टिकरीकलां	03.02.90	137	57,11,791
232.	नेशनल म्यूजियम	01.05.90	60	41,67,267
233.	एम.पी.टी. माजिया	11.07.93	108	82,38,532
234.	एन.टी.पी.सी. कैगा	03.09.91	229	1,42,08,604
235.	एन.पी.सी. काईगा	10.11.92	138	51.18,771
236.	बी.टी.एन. माईन्स	26.07.92	74	35,02,617
	योग		66522	320,07,79,559

मछुआरों को सहायता

558. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों की परम्परागत नौकाओं में मोटर लगाने के संबंध में कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1995 के दौरान इस योजना के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) केरल को इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि की सहायता दी जा रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी हां, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित समुद्र तटीय मात्स्यिकी विकास योजना के अंतर्गत चल रहे "परम्परागत नौकाओं के मोटरीकरण "नामक घटक के अंतर्गत राजसहायता इस प्रकार की जा रही है :-

> अंदर लगी (इन बोर्ड) मोटर की लागत का 50 प्रतिशत जो 12,000/- रुपये तक सीमित है और बाहर लगी (आउट बोर्ड) मोटर की लागत का 50 प्रतिशत जो 10,000/- रुपये तक सीमित है।

इस राजसहायता में केन्द्र और राज्य बराबर की हिस्सेदारी निभायेंगे। संघ शासित क्षेत्रों के मामले में पूरी राशि केन्द्र वहन करेगा।

(ग) 1995-96 के दौरान इस घटक के अंतर्गत 450 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1995-96 से अब तक इस घटक के अंतर्गत केरल सरकार को राजसहायता के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 99.12 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

आंध्र प्रदेश में यूरिया की कमी

559. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में यूरिया की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश को कुल कितना यूरिया आवंटित किया गया;

(ग) क्या यूरिया की कमी से खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यूरिया की मांग और पूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). निम्नलिखित सारणी वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 और खरीफ 1996 मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश में यूरिया का आवंटन, उपलब्धता और खपत दर्शाता हैं :-

(हजार मी. टन में)

	आवंटन	उपलब्धता	खपत
1993-94	1907.69	2051.08	1717.18
1994-95	2010.01	2034.82	1791.24
1995-96	2142.34	2213.88	1828.45
खरीफ 1996	1047.31	1026.40	991.38 (अनुमानित)

जैसा कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, यूरिया की उपलब्धता प्रत्येक वर्ष में खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।

(घ) यूरिया की मांग और आपूर्ति का अंतर आयात के जरिये पूरा किया जाता है। यूरिया के स्वदेशी उत्पादन में वर्तमान संयंत्रों को फिर से मरम्मत करके क्षमता में वृद्धि की जा रही है ताकि आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

राजस्थान में कल्याण योजनाएं

560. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान में कार्यान्वित हो रही कौन-कौन सी योजनाएं हैं;

(ख) वर्ष-वार इन योजनाओं के लिये कितनी धनराशि दी गई है साथ ही तत्संबंधी लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) इन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कितने व्यक्ति तथा परिवार लाभान्वित हुये हैं;

(घ) राजस्थान सरकार से प्राप्त कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है;

(च) राजस्थान में उन संस्थानों के क्या नाम है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान "कपार्ट" के अंतर्गत अनुदान दिया गया है; और

(छ) उनको कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वाहन पार्किंग

561. श्री रामसागर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा संसद भवन स्वागत कार्यालय के समीप स्थित केन्द्रीय भंडार के सामने वाहन पार्किंग की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष को वहां से अन्यत्र ले जाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). केन्द्रीय भंडार के सामने वाहनों को खड़ा करने पर कोई आम प्रतिबंध नहीं है। तथापि अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन के समय, सुरक्षा की दृष्टि से सीमित प्रतिबंध लगाया जाता है।

(ग) केन्द्रीय भंडार के निकट एक पुलिस बूथ है जिसका प्रयोग संसद सत्र चालू होने के समय मुख्यतया सुरक्षा के उद्देश्यों हेतु किया जाता है।

सुपर बाजार द्वारा दवाइयों की आपूर्ति

562. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अगस्त, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "बंगलिंग एट सुपर बाजार लेफ्ट सीजीएचएस काफर्स एम्पटी बाई क्रोर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुपर बाजार से केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों को अत्यधिक मूल्य पर दवाइयों की आपूर्ति का मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने की लेखे के समुचित रख-रखाव में विलंब न हो लेखा और खरीद विभाग को दुरूस्त बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। यह एक पुराना मामला है और 1989-90 से संबंधित है। मामले को सुपर बाजार को भेज दिया गया है।

(ख) से (घ). सुपर बाजार, दिल्ली ने सूचित किया है कि इस मामले की उनके सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

(ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि इस संबंध में कार्य को सुचारू बनाने के लिए वे अपने लेखाओं और क्रय का कम्प्यूटरीकरण कर रहे हैं।

राष्ट्रीय खाद्यान्न परिषद और राष्ट्रीय चीनी मूल्य निर्धारण बोर्ड

563. श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री नारायण अठावले :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खाद्यान्न परिषद और राष्ट्रीय चीनी मूल्य-निर्धारण बोर्ड स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों, कार्यों तथा उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निकायों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) नई दिल्ली में दिनांक 30.10.1996 को "भारत में खाद्यान्नों का गुण नियंत्रण और श्रेणीकरण प्रणाली" नामक विषय पर हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि एक राष्ट्रीय खाद्यान्न परिषद स्थापित की जाए। सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

राष्ट्रीय चीनी मूल्य निर्धारण बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

राजमार्ग डकैतियां तथा अन्य अपराध

564. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजमार्ग डकैतियां, वाहनों की चोरी तथा पड़ोसी देशों में सामान पहुंचाने के संबंध में सूचनाएं मिली हैं;

(ख) क्या सरकार से ऐसे अपराधों से निपटने के लिये एक प्रकोष्ठ गठित करने हेतु आग्रह किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच पड़ताल करना, उसका पता लगाना तथा अपराध की रोकथाम करना, मुख्य रूप से राज्य सरकारों का काम है। तथापि, सीमा पार से अपराधों से संबंधित मुद्दों पर केन्द्र सरकार भी पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत करती है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा निपटाए गये मामले

565. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गत दो वर्षों के दौरान अपराध-वार निपटाये गये मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से ऐसे कितने मामले हैं जिनके अभी तक आरोप पत्र दर्ज नहीं किये हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) आरोप पत्र दर्ज करने में मामला-वार विलंब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और संभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी

566. श्री सुशील चन्द्र : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस त्रासदी संबंधी मामलों को निपटाने के लिए भोपाल में कार्यरत क्षतिपूर्ति न्यायालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या पहले की तुलना में न्यायालयों की संख्या में कमी आई है; और

(ग) भोपाल शहर के 66 वार्डों के लिए अलग-अलग न्यायालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मत्रांलय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). जी, हां। अभी 37 न्यायालय काम कर रहे हैं। कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा बताया गया है कि अतिरिक्त न्यायालयों का गठन मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय से न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ग) चूंकि कुछ वार्डों में दावों के निपटान का कार्य पूरा हो गया है। उन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अन्य वार्डों से संबंधित कार्य भी आबंटित किया जा सकता है जहां पर न्यायालय गठित नहीं किए जा सके हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरण

567. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शीघ्र ही कोई पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकारण स्थापित करने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे न्यायाधिकरण की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) किन्हीं परिसंकटमय पदार्थों को हैंडल करते समय होने वाली किसी दुर्घटना से उत्पन्न क्षतियों के लिए कठोर दायिता निर्धारित करने और इस प्रकार की दुर्घटनाओं से उत्पन्न मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 अधिनियमित किया गया है ताकि व्यक्तियों, सम्पत्ति तथा पर्यावरण की क्षति तथा इससे संबंधित मामलों या आकस्मिकताओं के लिए राहत और मुआवजा दिया जा सके।

(ग) अधिकरण की स्थापना शीघ्र ही कर दी जाएगी।

सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

568. श्री सौम्य रंजन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की कौन-कौन सी बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं वानिकी मंजूरी के लिए लंबित पड़ी है; और

(ख) उन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत उड़ीसा की लंबित बड़ी, मझौली और लघु सिंचाई परियोजनाओं के नाम तथा उनकी स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। प्रस्ताव के संबंध में पूरा ब्यौरा प्राप्त होने पर अंतिम निर्णय लेने के लिए उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	धेनकनाल जिले में मंजोर एम आई पी	कार्रवाई की जा रही है।
2.	नयागढ़ जिले में बाघुआ एम आई पी	कार्रवाई की जा रही है।
3.	फुलबनी जिले में अमखोल नाला एम आई पी	कार्रवाई की जा रही है।
4.	गंजम जिले में डाबुका नाला एम आई पी	कार्रवाई की जा रही है।
5.	सुन्दरगढ़ जिले में बड़ागांव नाला एम आई पी	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
6.	अंगुल जिले में धरआगोथ सिंचाई परियोजना	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
7.	गंजम जिले में पिपलापनका बांध परियोजना	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

पूरन जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करना

569. श्री थामस हंसदा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरन जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के बारे में बिहार सरकार से सिफारिश प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). जी, हां। बिहार सरकार ने पूरन समुदाय को बिहार की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों से संबंधित अभिवेदनों तथा राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति, जिसने इस समुदाय की विशेषताओं के संबंध में आदिवासी अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट की जांच की थी, के विचारों पर विचार करने के पश्चात् की। इस समिति ने पूरल समुदाय को बड़िया के समान पाया था, जो बिहार राज्य के संबंध में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में पहले ही विनिर्दिष्ट है और जिसकी जनसंख्या 10,000 के करीब है।

गुजरात को खाद्यान्नों की आपूर्ति

570. श्री दिनशा पटेल : क्या **नागरिकपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात को 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान जारी किया गया चीनी, गेहूं तथा चावल का कोटा राज्य की आवश्यकता से काफी कम था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य की मांग को पूरा करने के लिये उक्त मदों का कोटा बढ़ाने के बारे में पत्र मिल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी, नहीं। वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (सितम्बर, 1996 तक) के दौरान गुजरात में खाद्यान्नों और चीनी के आवंटन/उठान की स्थिति इस प्रकार रही :—

(हजार मी.टन में)

वर्ष	गेहूं		चावल		चीनी	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1994-95	642.00	378.00	414.00	187.50	196.62	*
1995-96	835.50	424.90	409.00	208.60	206.13	*
1996-97 (सितं. 96 तक)	321.00	297.40	177.00	144.20	108.24	*

* उठान शत-प्रतिशत है।

इस प्रकार उठान/आवंटन की तुलना में बहुत कम है।

(ग) से (ङ). हाल ही में गुजरात सरकार ने अपने 19.9.96 के पत्र द्वारा गेहूं का आवंटन 53500 मी.टन से बढ़ाकर 70000 मी.टन और चावल का आवंटन 29500 मी.टन से बढ़ाकर 35000 मी.टन प्रतिमाह करने और सितंबर माह के लिए 20000 मी.टन अतिरिक्त गेहूं आवंटित करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने पुनः 16.11.96 को पत्र लिखकर गेहूं के आवंटन को बढ़कार 70000 मी. टन करने का अनुरोध किया है। इस प्रकार के पत्रों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आवंटन संबंधी अंतः विभागीय समिति की मासिक बैठकों में विचार किया जाता है। गुजरात सरकार के अनुरोधों पर 18.10.96 और 19.11.96 को हुई मासिक बैठकों में विचार किया गया था। दिसंबर, 1996 माह के लिए गेहूं का आवंटन बढ़ाकर 60000 मी.टन और चावल का 35000 मी.टन कर दिया गया था। जनवरी, 1997 माह के लिए गेहूं का आवंटन 60000 मी.टन से बढ़ाकर 65000 मी.टन कर दिया गया है।

खाद्य तेल का आयात

571. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995-96 और 1996-97 के दौरान खाद्य तेल का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खाद्य तेल का आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान खाद्य तेल का और भी आयात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सरकार द्वारा आयात किए गए खाद्य तेल की मात्रा तथा उसका वर्ष-वार केन्द्रीय निर्गम मूल्य नीचे दिया गया है :-

वर्ष	मात्रा (लाख मी.टन में)	मूल्य (रुपए करोड़ में)
1995-96	2.02	445.56
1996-97*	1.49	295.50

*(31.10.1996 तक)

(ग) और (घ). देश में खाद्य तेलों की आसानी से उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान खाद्य तेल आयात करने का सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राज्यों को और अधिकार देना

572. **डा. रमेश चंद तोमर :**
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को तथा विशेषरूप से जम्मू और कश्मीर को और ज्यादा अधिकार देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों को भी अधिक अधिकार देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). सरकार पहले ही यह कह चुकी है कि वह जम्मू और कश्मीर राज्य को अधिकतम स्वायत्तता देने के पक्ष में है। तथापि इस समय इस बारे में ब्यौरे बताना संभव या व्यावहारिक नहीं है।

सरकार, शक्तियों के हस्तांतरण और राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्राधिकार के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में हैं। अंतर-राज्यीय परिषद की 15 अक्तूबर, 1996 को हुई वित्तीय बैठक में परिषद ने, केन्द्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में विस्तृत कदम उठाने की आवश्यकता को मान्यता दी है और सरकारिया आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र राज्य संबंधी सुधार लाने के लिए न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में दिए गए वचन का अनुमोदन किया है।

[अनुवाद]

राज्यों को अधिक अधिकार दिया जाना

573. **श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक में केन्द्र सरकार की योजनाओं को समाप्त करने और राज्यों को अधिक शक्तियां अंतरित करने और निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर क्षेत्र विशेष की योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिये राज्यों को धन तथा उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान करने जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो हुई चर्चा की कार्य सूची का ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन मुद्दों पर सर्वसम्मति हो पायी;

(ग) जिन मुद्दों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया उनके संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) राज्यों को और शक्तियां दिये जाने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). अंतर-राज्यीय परिषद की 15.10.1996 को हुई दूसरी बैठक के लिए कार्यसूची निम्न प्रकार थी :—

(1) सरकारिया आयोग की 179 सिफारिशों पर विचार करना जिन पर अन्तर्राज्यीय परिषद की उप-समिति में मतैक्य था तथा संकल्पों को स्वीकार करना।

(2) केन्द्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सरकारिया आयोग की 44 सिफारिशें ।। सिफारिशें जिन पर उप समिति में किसी प्रकार का मतैक्य नहीं था तथा शिक्षा के क्षेत्र में केन्द राज्य संबंधों के बारे में एक सिफारिश की जांच के लिए कार्य पद्धति तय करना।

(3) अनुच्छेद 356 सहित आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित सरकारिया आयोग की सिफारिशों की जांच की कार्य पद्धति, तथा

(4) उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति।

अन्तर-राज्य परिषद की दूसरी बैठक में स्वीकृत सिफारिशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

अन्तर-राज्यीय परिषद द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उप-समिति द्वारा जिन 179 सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया था उन पर तथा इससे संबंधित अन्य किसी मामले पर सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने विचार/टिप्पणियां भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

(2) अन्तर्राज्यीय परिषद की एक स्थाई समिति गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

अन्तर-राज्य परिषद की 15.10.1996 को हुई दूसरी बैठक में स्वीकृत सिफारिशें

1. परिषद ने दूसरी बैठक आयोजित किए जाने का स्वागत किया तथा केन्द्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर काफी समय से लंबित पड़े विचार-विमर्श को शुरू करने के लिए प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को बधाई दी। इसने केन्द्र राज्य संबंधों के विकेन्द्रीयकरण के लिए व्यापक उपायों की आवश्यकता को मान्यता दी तथा सरकारिया आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में वचनबद्धता का पृष्ठांकन किया।

2. परिषद ने सिफारिश की कि एक परिषद के विचारार्थ रखे जाने वाले मामलों पर लगातार विचार करने एवं उन पर कार्रवाई करने के लिए परिषद की एक स्थाई समिति होनी चाहिए।

3. परिषद ने अपनी बैठकों में उप-समिति के कार्य का अवलोकन किया। उप-समिति द्वारा जिन 179 सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया, उन्हें मोटे तौर पर अनुमोदित किया गया तथा इन सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया। इसके साथ-साथ कुछ मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं तथा संबंधित अन्य किसी मुद्दे को एक माह के भीतर अन्तर-राज्यीय परिषद सचिवालय को भेजने के लिए स्वतंत्र होंगे ताकि उनके विचारों पर परिषद की स्थाई समिति द्वारा आगे विचार किया जा सके।

4. जैसा कि परिषद का गठन करने संबंधी अधिसूचना में प्रावधान है, परिषद की बैठकें एक वर्ष में तीन बार आयोजित की जाएंगी जैसा कि पहले अधिसूचित किया गया है।

5. स्थाई समिति, केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित सभी मामलों को अन्तर-राज्यीय परिषद के विचारार्थ रखने से पूर्व उनको प्रोसेस करेगी। यह विचार-विमर्श को निरन्तरता प्रदान करेगी और परिषद की सिफारिशों पर लिए गए फैसलों को कार्यान्वित करने का प्रबोधन भी करेगी।

6. पूर्व अनुभव और न्यायिक घोषणाओं के आधार पर, अनुच्छेद 356 को जारी रखने/संशोधन करने की और जांच किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसका दुरूपयोग रोका जा सके।

7. देश में वर्तमान राजकोषीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र में और राज्यों में तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को देखते हुए, केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों को पुनः जांच तथा उसको अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है ताकि विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

8. परिषद ने सिफारिश की है कि स्थायी समिति सरकारिया आयोग की सिफारिशों, विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय शक्तियों का राज्य सरकार को हस्तांतरण करने तथा संविधान के अनुच्छेद 356 में अपेक्षित परिवर्तन करने जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न की पुनरीक्षा करेगी और उसको अद्यतन बनाएगी। समिति को अपनी रिपोर्ट तीन माह के अंदर देनी होगी तथा उसके बाद परिषद उस पर तुरन्त विचार करेगी।

9. इस बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों और प्रस्तावों की भी स्थाई समिति के विचारार्थ भेजा जाएगा तथा वह परिषद को रिपोर्ट देगी।

10. स्थाई समिति यदि आवश्यक समझे, तो विशिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श करते समय विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों और

ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकती है ताकि उनके विचारों का लाभ उठाया जा सके।

11. संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के बाद, संसाधनों, शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का विकेन्द्रीकरण शहरी और ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं को किया जाना अति महत्वपूर्ण हो गया है। परिषद, इस संबंध में राज्यों से स्थानीय निकायों को समुचित हस्तांतरण किए जाने की सिफारिश करती है।

12. जहां भी जरूरी हो राज्यों के भीतर, क्षेत्रीय विकास बोर्डों और अन्य क्षेत्रीय विकास प्रबंधों को पूरी तरह, मजबूत किए जाने तथा उन्हें सम्पूर्ण वित्तीय और कार्यकारी अधिकार प्रदान करके सक्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है। इस प्रबंधों में और संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकारों को पूरी तरह शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

गाय के उत्पादों की बिक्री

574. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद कई गौ-उत्पाद जैसे टाफी, च्वींगम, फुटेलो तथा मेटाज बाजार में खुलेआम उपलब्ध हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निषेधात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

मृत्यु-दण्ड की समीक्षा

575. कुमारी उमा भारती :
श्री सत्यदेव सिंह :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मृत्युदण्ड की समीक्षा करने के लिये किसी आयोग की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

576. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **नागरिकपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं यथा खाद्यान्न, दालों, चीनी, फल, सब्जियों, खाद्य तेलों, दूध आदि की कीमतें पिछले छः महीनों के दौरान बहुत बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1996 को समाप्त हुए पिछले छः महीनों के दौरान कुछ बुनियादी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में हुए परिवर्तन नीचे दिए गए हैं :—

वस्तु	परिवर्तन (प्रतिशत)
अनाज	11.1
दालें	0.5
सब्जियां	21.8
फल	6.5
चीनी	0.8
दूध	2.0
खाद्य तेल	3.3

(ग) कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का कारण पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि मांग और पूर्ति के बीच अंतर तथा मौसम जन्य कारकों को ठहराया जा सकता है।

(घ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कतिपय दीर्घ कालिक उपायों के अलावा, खाद्य तेलों और दालों जैसी कम आपूर्ति वाली मदों के खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि इन मदों की समग्र उपलब्धता में वृद्धि की जा सके। कुछ वस्तुओं की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सहकारी स्टोरों के माध्यम से भी बाजार मूल्य से कम मूल्यों पर की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा जमाखोरों और चोर बाजारियों तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों में लिप्त

अन्य लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम आदि के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार

577. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने संसद सदस्यों ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, सह प्रशासक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को लिखित शिकायत की है;

(ख) भूतपूर्व अध्यक्ष के खिलाफ उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायालय की मानहानि के कितने मामले लंबित हैं;

(ग) इस संबंध में कितनी बार आयकर छापे मारे गये तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन भ्रष्ट अफसरों, जिनके खिलाफ अभियोग लगाए गये हैं, के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) गत वर्ष एक संसद सदस्य से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों वाली एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय में अवमानना के आठ मामले लंबित हैं जिनमें उक्त अधिकारी को प्रतिवादी के रूप में नामजद किया गया है। तथापि, उच्चतम न्यायालय में उनके खिलाफ अवमानना का कोई मामला लंबित नहीं बताया गया है।

(ग) इस अधिकारी के खिलाफ इस तरह का कोई छापा नहीं मारा गया था।

(घ) और (ङ). अधिकारी के खिलाफ लगाया गया कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है जिससे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

उत्तर प्रदेश पुलिस को वाहन

578. **श्री छत्रपाल सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश में कुल कितनी संख्या में विभिन्न प्रकार के वाहन उपलब्ध कराए गए तथा तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन को कम से कम एक वाहन (जीप) उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने पुलिस स्टेशन हैं जिन्हें अब तक एक जीप भी उपलब्ध नहीं कराई गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत पुलिस बलों के लिए वाहन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। तथापि, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" चूंकि राज्य के विषय हैं, अतः मुख्यतया यह उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार का कार्य है कि वह अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार खरीदे जाने वाले वाहनों की किस्म का निर्णय करें। केन्द्र सरकार द्वारा जिलों में पुलिस थानों को उपलब्ध कराए गए वाहनों की संख्या तथा किस्मों के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है।

पर्यावरण नीति

579. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए किसी पर्यावरण नीति की घोषणा की है या करने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रदूषण को पूर्णतः जड़ से समाप्त करने के लिए अभी तक जारी किए गए नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). सरकार ने 26 फरवरी, 1992 को प्रदूषण के उपशमन के लिए नीति विवरण की घोषणा की। नीति विवरण में पर्यावरणीय और विकास पहलुओं को शामिल करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव है। औद्योगिक प्रदूषकों को कम करने के लिए प्रदूषण उपशमन और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए निवारक पहलुओं पर बल दिया जाता है। निर्णय लेने में पर्यावरणीय निहितार्थों को सभी स्तरों पर शामिल करने का भी उद्देश्य है। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित के लिए कदम उठाए गए हैं :-

1. स्रोत पर प्रदूषण निवारण,
2. बेहतर उपलब्ध व्यवहार्य तकनीकी समाधानों को प्रोत्साहन, उनका विकास और लागू करना,
3. यह सुनिश्चित करना कि प्रदूषण फैलाने वाला प्रदूषण और नियंत्रण व्यवस्थाओं का भुगतान करें।
4. अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों और नदी भागों पर फोकस सुरक्षा, तथा
5. निर्णय लेने में जनता को शामिल करना,

(ग) प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब तक जारी किए गए बड़े नियमों और विनियमों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :—

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975
3. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
4. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकरण नियम, 1978
5. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
6. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1982
7. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संघ (शामिल प्रदेश) नियम, 1983
8. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986
9. पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986
10. परिसंकटमय पदार्थ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989
11. परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भंडारण तथा आपात नियमावली, 1989, तथा
12. परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से जन्में जीवों या सेलों के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात तथा भंडारण नियमावली, 1989

[अनुवाद]

प्रतिबंधित विषैले अपशिष्ट पदार्थ

580. **डा. ए.के. पटेल :**
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्री काशीराम राणा :
श्री छीतूभाई गामीत :
श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिबंधित विषैले अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन करने वाले कुछ देश तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां "बासल कन्वैन्शन" की सूची में सम्मिलित खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को पुनः परिभाषित करवाने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस प्रयास को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा

581. **श्री सुरेश प्रभु :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने पर सस्कार द्वारा कुल कितने वार्षिक व्यय किया जा रहा है; और

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और विशेष संरक्षा ग्रुप पर प्रति वर्ष कितना-कितना व्यय किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) विशिष्ट व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद और विशेष व संरक्षा ग्रुप द्वारा 1995-96 के दौरान वहन की गई कुल लागत लगभग 62.03 करोड़ रुपये है।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद और विशेष संरक्षा व्यय ग्रुप पर 1995-96 के दौरान खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	52.06 करोड़ रुपये
विशेष संरक्षा ग्रुप	32.89 करोड़ रुपये

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

582. **श्री पी. कोदंड रमैय्या :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों की रिक्तियों की स्थिति क्या है तथा किस तिथि से ये रिक्तियां खाली पड़ी है;

(ख) समय पर इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) ये अभी रिक्तियां कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) इन पदों को भरने के लिये क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग में कोई रिक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में रिक्तियां निम्नलिखित हैं :-

पद का नाम	कब से रिक्त है
अध्यक्ष	23.8.1996
सदस्य (समाज विज्ञानी)	23.8.1996
सदस्य (पिछड़े वर्गों से संबधित मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति)	18.8.1996
-वही-	15.9.1996
सदस्य सचिव	14.11.1996

(ख) इन पदों को भरने में कुछ विलंब रहा है क्योंकि यह मंत्रालय आयोग में योग्य तथा प्रतिबद्ध लोगों को नामांकित करने के लिए प्रयास कर रहा है।

(ग) इस संबंध में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

(घ) इन पदों को भरने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जा रहे हैं :-

(1) एक अध्ययन, जो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;

(2) एक समाज विज्ञानी;

(3) दो व्यक्ति, जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हैं; तथा

(4) एक सदस्य-सचिव, जो भारत सरकार के सचिव पद पर केन्द्र सरकार का अधिकारी है अथवा रहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बागवानी/मत्स्य पालन योजनाएं

583. श्री दत्ता मेघे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बागवानी, फलदार वृक्षों को लगाये जाने तथा मत्स्यन के संबंध में कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान अलग-अलग इन योजनाओं के लिये सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). योजनाओं के नाम तथा विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को दी गयी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

योजनाओं के नाम एवं महाराष्ट्र को दी गयी धनराशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	योजना का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
क. मात्स्यिकी				
1.	छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाह सुविधाएं प्रदान करना	675.00	1110.00	1167.02
2.	तटीय समुद्री मात्स्यिकी का विकास	175.44	268.65	0.95
3.	ताजे पानी में मछली पालन का विकास	शून्य	30.00	26.00
4.	समेकित खारापानी मत्स्य फार्म विकास	4.00	24.19	22.04
5.	समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम का प्रवर्तन	शून्य	10.00	148.00
6.	अन्तरादेशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी	5.47	1.31	2.50
7.	मछुआरों का कल्याण	शून्य	शून्य	25.00
ख. बागवानी				
1.	वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन का विकास	36.60	9.00	-
2.	औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास	शून्य	शून्य	0.75
3.	खुम्बी का विकास	23.00	29.50	शून्य
4.	काजू का विकास	99.77	144.18	343.26
5.	समशीतोष्ण, शुष्क तथा उष्ण कटिबंधीय फलों का विकास	82.80	136.55	165.00
6.	कन्द तथा मूल फसलों का विकास	14.00	0.55	शून्य
7.	मसालों का विकास	32.60	88.00	80.00
8.	सब्जियों का विकास	22.38	19.58	14.96

1	2	3	4	5
9.	कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग	595.31	1263.00	2117.25
10.	पान की बेल का विकास	3.13	4.53	1.08
ग. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद				
1.	प्लूरोटस खेती द्वारा भूसे का खाद्य तथा आहार में जैव रूपान्तरण	1.88	0.81	0.82
2.	ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों में आंइस्टर खुम्बी की खेती को लोकप्रिय बनाना	1.56	0.97	0.98
3.	कोंकण के लिए उपयुक्त बैंगन तथा टमाटर को बैक्टिरिया मुर्झान रोधी किस्मों का विकास	2.81	1.58	1.65
4.	सब्जी फसलों में वर्णसंकर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क परियोजना	7.32	6.34	3.37
5.	कोंकण की परिस्थितियों में औषधिय पौधों का मूल्यांकन	2.65	1.16	1.18
6.	कोकम (गार्सिनिया इण्डिका च्वाइसो) के सुधार संबंधी योजना	1.44	0.95	0.96
7.	महाराष्ट्र के मैदानों में रसभरी की बागवानी तकनीकों एवं आनुवांशिक सुधार का मानकीकरण	4.03	1.26	1.27
8.	शॉट होल बोरर मिली बग्स तथा रस चूसने वाले मॉथ के विशेष सन्दर्भ में अनार में कीट प्रबन्ध	0.68	0.69	0.71
9.	अनार के रस से मदिरा का निर्माण	4.15	1.16	1.17

[अनुवाद]

गंगा यमुना कार्य योजना

584. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री सौम्य रंजन :
श्री पिनाकी मिश्र :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदियों के विस्तार के लिए आठवीं योजना में गंगा-यमुना कार्य योजना के लिए कितना धनराशि आवंटित की गई;

(ख) दोनों योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना के बावजूद रासायनिक और अन्य कारखानों द्वारा जहरीले और रासायनिक अपशिष्ट अभी भी विभिन्न स्थानों पर नदी में गिराये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार गुणवत्ता और प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिये क्या तंत्र रखा गया है और कार्य योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) गंगा और यमुना की सफाई के लिये योजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है और इसकी कितनी लागत आयेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) आठवीं योजना में गंगा कार्य योजना के लिए 143.24 करोड़ रुपये और यमुना कार्य योजना में केन्द्र सरकार के 50 प्रतिशत हिस्से के लिए 100.03 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(ख) गंगा कार्य योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें पूरी धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई जबकि यमुना कार्य योजना की पूंजीगत लागत में केन्द्र एवं हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की संबंधित राज्य सरकारों के बीच बराबर की भागीदारी है। उत्तर-प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा के किनारे स्थित 25 बड़े शहरों तथा हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यमुना के किनारे स्थित 22 शहरों में प्रदूषण निवारण के कार्य शुरू किए गए हैं। कार्य योजना में सीवेज के अवरोधन, दिशा-परिवर्तन तथा उपचार एवं अल्प लागत शौचालय, शवदाहगृह एवं स्नान घाट के निर्माण कार्य शामिल हैं। घोर प्रदूषणकारी उद्योगों से होने वाले औद्योगिक प्रदूषण को वर्तमान पर्यावरण कानूनों के अन्तर्गत नियंत्रित करके निगरानी की जा रही है।

(ग) एवं (घ). गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत अभिनिर्धारित किए गए 68 घोर प्रदूषणकारी उद्योगों में से 55 उद्योगों ने बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित कर लिए हैं, 12 उद्योगों को बंद करा दिया गया है तथा

एक उद्योग ने निर्माणकार्य की प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है जिससे बहि:स्राव उपचार संयंत्र की जरूरत नहीं थी। यमुना के किनारे स्थित घोर प्रदूषणकारी उद्योगों की निगरानी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाती है। घरेलू एवं औद्योगिक बहि:स्राव के निस्तारण के कारण होने वाले प्रदूषण का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिमाह गंगा एवं यमुना नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। दोषी उद्योगों के विरूद्ध वर्तमान पर्यावरण कानूनों के अन्तर्गत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) गंगा कार्य योजना एवं यमुना कार्य योजना की अनुमानित लागत क्रमश: 462.04 करोड़ रु. तथा 479.56 करोड़ रु. है। इन कार्य योजनाओं के क्रमश: 31.3.1997 तथा 31.3.1999 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य रखा गया है।

तटीय विकास के लिए रियायत

585. श्री राम नाईक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को, इसकी तटीय क्षेत्र प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत मांगी गई तटीय विकास संबंधी रियायतों को देने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). भारत सरकार ने दिनांक 19.2.1991 की कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना का अनुमोदन किया है। ग्रेटर बम्बई तथा नई बम्बई का कोस्टल रेगुलेशन जोन-II के रूप में वर्गीकरण करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध की केन्द्र सरकार द्वारा जांच की गई थी। जांच के बाद महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कोस्टल रेगुलेशन जोन-II के रूप में प्रस्तावित क्षेत्र की पहचान तथा निर्धारण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने को कहा गया था।

गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि

586. श्री संतोष मोहन देव :
श्री सोहन वीर :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को गन्ना के उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री के आदेशों को क्रियान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कुछ राज्य सरकारें संसाधनों की कमी का सामना कर रही हैं तथा केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क से (छ). प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य में 900 करोड़ रुपये के लम्बित गन्ना मूल्य बकाया पर चिन्ता व्यक्त करते हुए 29.6.96 (तथा उसके बाद 13.7.96) को गन्ना मूल्य बकाया की स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि 900 करोड़ रुपये शेष बकाया के प्रति 31 जुलाई, 1996 तक 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाना चाहिए। उस समय से प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर अन्य सभी प्रयत्न तथा नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। फलस्वरूप 31.7.89 तक 456 करोड़ रुपये का कुल भुगतान किया गया।

उपर्युक्त भुगतान के लिए संसाधन निम्नांकित सहित अन्य कई माध्यमों से जुटाए गए हैं :—

(एक) रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार विद्यमान चीनी स्टाक का पुनर्मूल्यांकन।

(दो) भारत सरकार द्वारा लेवी चीनी मूल्य के अन्तर का भुगतान।

(तीन) 15.4.96 से 31.5.96 के दौरान प्राप्त उत्पादन पर 75 प्रतिशत खुली बिक्री कोटा।

(चार) 1.6.96 से 30.9.96 के दौरान प्राप्त उत्पादन पर 100 प्रतिशत खुली बिक्री कोटा।

(पांच) चीनी फैक्टियों द्वारा आन्तरिक संसाधनों का सृजन।

गन्ना बकाया की नवीनतम राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण पर देखी जा सकती है।

विवरण

30.9.96 तक गन्ना मूल्य का बकाया तथा 1995-96 मौसम के दौरान खरीदे गए गन्ने के लिए शेष बकाया, चुकाया गया मूल्य तथा देय गन्ना मूल्य की राज्यवार स्थिति दर्शानेवाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	30.9.96 तक 1995-96 के दौरान खरीदें गए गन्ने का कुल देय मूल्य	30.9.96 तक भुगतेय गन्ना मूल्य	30.9.96 तक देय शेष गन्ना मूल्य	कुल देय पर शेष देय मूल्य का %	30.9.96 तक गन्ना मूल्य बकाया अथवा नवीनतम उपलब्ध तारीख		मिलों की सं. सूचित	मिलों की सं. वर्तमान
पंजाब	19005.26	43544.83	5460.43	11.14	0.00	0.00	8	22
हरियाणा	35115.39	33981.94	1793.95	5.01	11.05	0.62	9	11
राजस्थान	2232.43	2031.81	200.62	8.99	0.00	0.00	1	3
प.उ.प्र.	112113.33	104338.43	8071.85	7.13	0.00	1.04	18	26
मध्य उ.प्र.	139241.20	129091.85	10146.45	7.29	0.00	177.01	26	46
पूर्वी उ.प्र.	62777.96	53185.16	9592.80	15.28	314.66	125.87	23	44
समस्त उ.प्र.	314432.59	286618.49	27814.10	8.85	314.66	303.92	67	116
मध्य प्रदेश	6775.07	4460.39	2314.68	34.16	0.25	0.61	3	9
द. गुजरात	63582.33	57759.23	5823.10	9.16	0.00	0.00	7	12
सौराष्ट्र	4902.92	4719.23	183.69	.75	3.55	0.00	3	6
समस्त गुजरात	68495.25	62478.46	6006.79	8.77	3.55	0.00	10	18
द. महाराष्ट्र	141866.78	141449.64	417.14	0.29	0.32	0.61	22	31
उ. महाराष्ट्र	38639.94	36829.43	1809.51	4.68	24.45	9.60	16	40
मध्य महाराष्ट्र	106295.70	105546.05	749.65	0.71	48.00	4.20	22	40
समस्त महाराष्ट्र	286801.42	283825.12	2976.30	1.04	72.77	14.41	60	111
उ. बिहार	27586.32	23333.44	4252.88	15.42	925.18	492.47	13	26
द. बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38	0	3
समस्त बिहार	27586.32	23333.44	4252.88	15.42	925.18	511.85	13	29
असम	439.15	429.49	9.66	2.20	0.00	0.92	1	3
आंध्र प्रदेश	48615.35	45264.18	3411.17	7.01	1.21	0.00	21	37
कर्नाटक	67458.92	60086.97	7371.95	10.93	1223.45	0.00	16	31
तमिलनाडु	96087.40	87369.73	8717.67	9.07	31.83	0.38	22	32
केरल	434.55	22.02	112.53	83.63	0.00	0.00	1	3
उड़ीसा	4249.68	4197.91	51.77	1.22	0.00	0.07	4	8
पश्चिम बंगाल	709.84	474.33	235.51	33.18	0.00	1.37	2	2
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1
पांडिचेरी	3948.44	3948.44	0.00	0.00	0.00	2.66	2	2
गोवा	1316.65	1316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1
समस्त भारत	1014113.91	943393.90	70730.01	6.97	2583.95	836.71	241	439

वनरोपण कार्यक्रम

587. श्री एन. डेनिस : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हमारे देश में वृहत स्तर पर वनरोपण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर नए कार्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने वानिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है जिनमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक घटक के रूप में वनीकरण शामिल है। विश्व बैंक की सहायता से वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

परियोजना का नाम	कुल लागत	परियोजना अवधि	वानिकी घटक सहित परियोजना के अंतर्गत शामिल कुल क्षेत्र (क्षेत्र हजार हेक्टेयर)
वानिकी विकास परियोजना, पश्चिम बंगाल	114.70	1992-93 से 1996-97	228
वानिकी सेक्टर परियोजना, महाराष्ट्र	431.51	1992-93 से 1997-98	369
आन्ध्र प्रदेश वानिकी परियोजना	353.92	1994-95 से 1999-2000	355
मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना	245.94	1995-96 से 1998-99	235

[हिन्दी]

अपशिष्ट पदार्थों के बारे में अनुसंधान

588. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार शराब के कारखानों के प्रदूषित अपशिष्ट पदार्थों के लिए जैव रसायनिक आक्सीजन मांग (बी ओ डी) की अधिकतम सीमा पहले की भांति 30 मिलिग्राम प्रति लीटर रहेगी परन्तु उत्तर प्रदेश के शराब के कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ पूरी तरह से परिष्करण करने के पश्चात भी मानक स्तर को पूरा नहीं करते;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इस आशय का अनुसंधान कराया जा रहा है कि उक्त अपशिष्ट किस हद तक सिंचाई के लिए उपयुक्त होंगे;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामों के कब तक मिल जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जैसा कि अधिसूचित किया गया है अप्रैल, 1996 में भूमिगत सतही जल में मद्य निर्माणशालाओं के निपटान के लिए बायोकैमिकल आक्सीजन डिमांड के मानक 30 मिग्रा. प्रतिलीटर है जैसा कि 1987 में अधिसूचित किया गया था। इससे पहले मद्य निर्माणशालाओं के बहिस्रावों को प्राथमिक रूप से शोधित करने के बाद सिंचाई प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की अनुमति थी। अन्तर्देशीय सतही तथा भूमिगत जल पर किन्हीं प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए अप्रैल, 1996 में जारी अधिसूचना के तहत इस उपबंध को वापस ले लिया गया है।

(ख से (घ). सिंचाई प्रयोजनों के लिए ऐसे बहिस्रावों का फसलों/भूमि/भूमिगत जल पर मद्यनिर्माणशाला के प्रभावों का पता लगाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को एक अनुसंधान परियोजना सौंपी गई है। निष्कर्षों की प्रतीक्षा है।

अधिप्राप्ति नीति

589. श्री सत्यदेव सिंह :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं का कम खराब को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्ति नीति की समीक्षा करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितना समय लगेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) सरकार की वसूली नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य, गुणवत्ता संबंधी विनिर्दिष्टियां, मिल मालिकों/व्यापारियों आदि पर लेवी लगाने जैसे

अनेक घटक हैं। यद्यपि न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के अधीन वसूली नीति में प्रमुख परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं है, इसलिए संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 1997-98 में विपणित की जाने वाली रबी फसल 1996-97 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 35/- रुपये बढ़ाकर 380/- रुपये प्रति क्विंटल से 415/-रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आशा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस आकर्षक वृद्धि से किसान गेहूं का अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

दलित इसाईयों के लिए आरक्षण

590. **श्री चीर सिंह महतो :**
श्री पी.सी. थामस :

क्या **कल्याण मंत्री** दलित इसाईयों के लिए आरक्षण के बारे में 25 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1796 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दलित इसाईयों को आरक्षण के लाभ देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति के व्यक्ति बारह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों को केन्द्रीय सूचियों में उनके शामिल होने के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू आरक्षण लाभों के लिए वर्तमान में पात्र हैं। ईसाई धर्म के परिवर्तित अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता प्रदान करने संबंधी मामला विचाराधीन है। इस प्रकार की मान्यता से वे अनुसूचित जातियों को लागू आरक्षण के पात्र होंगे।

केरल में दूध का उत्पादन

591. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की क्या करेंगे कि :

(क) क्या केरल में दूध की मांग और उत्पादन के बीच अंतर को देखते हुए राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय और विश्व बैंक की सहायता मांगने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ख). केरल राज्य को ऑपरेशन फ्लड-2 और 3 परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया था जिन्हें विश्व बैंक और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया गया था। इसके अलावा, एक उत्तरी केरल डेयरी परियोजना भी है जिसे स्विस विकास निगम की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

उच्च स्तरीय समीक्षा समिति

592. **डा. अरविन्द शर्मा :** क्या **गृह मंत्री** 30 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2124 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तरीय समीक्षा समिति ने अब तक उसके विचारार्थ विषयों के अनुरूप कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का आगामी गणतंत्र दिवस अथवा स्वतंत्रता दिवस से ये निर्णय लागू करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). पदम-पुरस्कार प्रदान करने संबंधी दिशा निर्देशों और कतिपय अन्य पहलुओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय पुनरीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है। मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई उचित समय पर की जाएगी।

गैर सरकारी संगठनों को अनुदान

593. **प्रो. रीता वर्मा :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान पांच लाख रुपए और दस लाख से अधिक के आवर्ती और गैर आवर्ती अनुदान के लिए आवेदन किया;

(ख) उपरोक्त में से उन संगठनों और संस्थानों के ब्यौरे क्या हैं जिनके आवेदन-पत्र नामंजूर किए गए; और

(ग) उनके आवेदन-पत्रों को नामंजूर किए जाने के क्या कारण थे तथा उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गन्ना विकास उपकर

594. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ना विकास उपकर 14 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वसूल किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) क्या इस राशि में से पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक मदों के लिए ऋण के रूप में दी गई राशि की वसूली कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान वसूल किए गए ऋण की कितनी राशि जमा की गई?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अधीन भारत में प्रत्येक चीनी फैक्ट्री द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर 14/- रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपकर एकत्रित किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान एकत्रित की गई राशि निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	एकत्रित की गई राशि
1993-94	165.47
1994-95	143.64
1995-96	172.40

(ग) और (घ). 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में वितरित किए गए ऋण की राशि निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वितरित की गई राशि
1993-94	115.28
1994-95	63.53
1995-96	55.06

1993-94, 1994-95 और 1995-96 के वर्षों के दौरान वसूली के बाद निधि में जमा कराई गई राशि निम्नानुसार है :—

(रुपयों में)

वर्ष	जोड़
1993-94	47,61,97,815
1994-95	48,18,00,561
1995-96	34,31,23,830

मध्य प्रदेश में सूखा

595. श्रीमती छविला अरविंद नेताम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में विशेषकर छत्तीसगढ़ में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राहत प्रदान करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां। प्राथमिक आकलन के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस राज्य के आठ जिलों के 21 तालुके सूखे की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य को सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत उपाय करने के लिये 1996-97 के लिये प्राकृतिक आपदा कोष से 51.08 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 28.73 करोड़ रुपये की आपदा राहत कोष की तीन किस्तें पहले ही जारी कर दी गयी हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका के बिजली और पानी के बिलों में हेराफेरी

596. श्री आई.डी. स्वामी :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नई दिल्ली नगर पालिका में बिजली और पानी के बिलों में हेरा-फेरी करने के बारे में कई करोड़ रुपये के घपलेबाजी से संबंधित घोटाले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध से कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इसमें दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या गत चार वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका के लेखों की लेखा परीक्षा कराई गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मबक्ल डार) : (क) से (च). अभी तक की गई जांच-पड़ताल के दौरान यह पता चला है कि बिजली पानी के बिलों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एन डी एम सी ने 1985 में एक ठेका, मेसर्स सॉफ्टवेयर कसल्टेन्ट्स इंडिया प्रा.लि. को दिया था। 1992 में इस फर्म को, उपभोक्ताओं से इन बिलों के संग्रहण का ठेका भी दे दिया गया।

2. इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1992 में संसद सौंध, किदवई नगर, पालिका भवन और गोल मार्केट में 4 काउंटर और बाद में बंगाली मार्केट, काका नगर, निर्माण भवन, पालिका केन्द्र में और भी केन्द्र खोले गए।

3. चूंकि बिजली और पानी के बिलों को तैयार करने और इनके संग्रहण का काम एक ही एजेंसी को सौंपा गया था इसलिए यह एजेंसी, उपभोक्ताओं से बिलों की पूरी राशि एकत्र करती थी, उन्हें कम्प्यूटरीकृत रसीदें जारी करती थी और साथ ही साथ इन रसीदों को प्रविष्टि कंप्यूटरों में करती थी। दैनिक संग्रहणों के उपरान्त इस एजेंसी के कुछ व्यक्ति, कम्प्यूटर में दर्ज संग्रहण प्रविष्टियों की प्रतिलिपि एक अलग कंप्यूटर फाइल में तैयार करते थे और तत्पश्चात, भिन्न-भिन्न उपभोक्ताओं से वास्तव में एकत्र की गई राशि को कम करके इस फाइल में संग्रहण प्रविष्टियों में यत्र-तत्र हेराफेरी कर देते थे। इस प्रकार वास्तविक संग्रहण विवरण में दर्शाई गई राशि जो संग्रहीत नकदों के साथ अगले दिन एन डी एम सी में जमा की जा रही थी, के बीच अन्तर की राशि का गबन किया जा रहा था।

4. वास्तविक संग्रहण को दर्शाने वाली कम्प्यूटर फाइल का उपयोग, उपभोक्ताओं को आगे के बिल जारी करने के लिए किया जाता था ताकि उपभोक्ताओं के बिलों में बकाया राशि न दिखाई दे। केवल प्राइवेट उपभोक्ताओं के बिलों में ही जोड़-तोड़ की जा रही थी।

5. यद्यपि जोड़-तोड़ युक्त विवरण, घटी हुई नकदी के साथ एन डी एम सी के रोकड़ अनुभाग में अगले दिन जमा करा दिया जाता था परन्तु वास्तविक संग्रहण को दर्शाने वाला विवरण एन डी एम सी के किराया अनुभाग में वर्ष की समाप्ति पर जमा कराया जाता था और एन डी एम सी के संबंधित अनुभागों द्वारा इन दोनों विवरणों का मिलान कभी नहीं किया जाता था। इससे इस एजेंसी को लम्बी अवधि तक धोखाधड़ी जारी रखने का प्रोत्साहन/सामर्थ्य प्राप्त हुआ।

6. अभी तक की गई जांच-पड़ताल से पता चलता है कि उपर्युक्त कार्यप्रणाली के द्वारा इस एजेंसी के मालिक ने मार्च 1996 से 27 सितम्बर, 1996 तक जबकि धोखाधड़ी का पता चला, लगभग 6 करोड़ रु. की राशि की हेराफेरी कर ली थी। थोड़ी-थोड़ी रकमों से शुरू करके बाद में यह हेराफेरी 30 लाख रु. प्रति माह तक पहुंची प्रतीत होती है। घोटाले की आगे की जांच अभी भी प्रगति पर है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एन डी एम सी से अनुरोध किया है कि धोखाधड़ी के द्वारा जोड़-तोड़ की गई पूरी राशि का पता लगाने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मदद के लिए वे एक विशेष लेखा परीक्षा कराएं।

7. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के लेखों की लेखा-परीक्षा, पंजाब नगर निगम अधिनियम 1911 के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन के परीक्षक स्थानीय निधि लेखा द्वारा करना अपेक्षित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समवर्ती लेखा परीक्षा पार्टी, वर्षों से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के विभिन्न विभागों/यूनिटों की लेखा-परीक्षा कर रही है। तथापि, उन्होंने वार्षिक लेखा-परिषद रिपोर्ट जारी नहीं की है जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के वार्षिक लेखा संबंध में अपेक्षित है। वर्ष 1985-86 के लिए, पिछली वार्षिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 1989 में जारी की गयी थी।

8. परीक्षक, स्थानीय निधि के अनुसार, वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने और जारी करने में विलम्ब का एक प्रमुख कारण, कर्मचारियों की कमी थी।

फल, सब्जियों तथा फूलों की कृषि करने वाले व्यक्तियों को सहायता

597. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फल, सब्जियों तथा फूलों की कृषि करने वालों को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि नहीं, तो इन वस्तुओं की कृषि करने वालों को उचित सहायता नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु व्यावसायिक सुविधाएं तथा सहायता प्रदान करने के लिए तथा विश्व में भारत की स्थिति में सुधार लाने के लिए ताकि देश को विदेशी राजस्व की आय में वृद्धि हो, सरकार की क्या योजना है;

(घ) विश्व बाजार में इन वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) इन वस्तुओं के क्षेत्र में विश्व के कौन-कौन से देश भारत के प्रतियोगी हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डयेरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). भारत सरकार बागवानी जिंसों के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ठोस सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाईयों को उदार ऋण के माध्यम से और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए भी समर्थन दिया जा रहा है। वायुयान भाड़ा, "ब्राण्ड" को बढ़ावा देने, प्रचार प्रसार, पैकेजिंग आदि के लिए भी राजसहायता दी जा रही है। जल्दी खराब हो जाने वाली जिंसों के रख-रखाव के लिए दिल्ली और मुम्बई पत्तनों पर उन्नत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

(ङ) फलों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा करने वाले देश है चिली, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, कोलाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और इजराइल, सब्जी के क्षेत्र में हैं चीन, तुर्की, थाईलैण्ड, फिलीपीन्स, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका तथा पुष्पकृषि के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धावाले देश है केन्या, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाबे और मोरक्को।

तटीय प्रबंध योजना

598. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यावरण मंत्रालय की तटीय प्रबंध योजना के अन्तर्गत तटीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप हो रही कठिनाईयों की जानकारी है;

(ख) क्या इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने केन्द्र सरकार को कोस्टल जोन प्रबंध योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाइयां, विशेषकर भूमिगत जल के निकालने के बारे में बालू की खुदाई तथा नदियों तथा बैक वाटर्स के लिए विकास रहित क्षेत्र के बारे में प्रतिवेदन दिया था।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए चुने हुए मुद्दों की छानबीन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

नदियों की सफाई

599. श्री ई. अहमद : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत नदियों की सफाई का काम शुरू किया है और इसमें क्या प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए चुनी गई नदियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में केरल की चलियार नदी को भी शामिल करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार ने देश के 10 राज्यों में 18 नदियों के अभिनिर्धारित 46 शहरों से प्रदूषण निवारण के कार्यों की लगभग 772 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, करने के लिए जुलाई, 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू की है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के विभिन्न संघटकों का राज्य-वार, शहरवार और नदीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). केरल की चलियार नदी को इस योजना में शामिल करने के बारे में माननीय संसद सदस्य श्री ई. अहमद से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। माननीय संसद सदस्य का यह मामला केरल सरकार के साथ उठाने का अनुरोध किया गया है। माननीय संसद सदस्य को सम्बोधित पत्र की प्रति केरल सरकार को प्रेषित की गई है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/नगर	नदी	कुल लागत भूमि लागत	राज्यों को अंशदान सहित
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश		5379.00	2669.500
	1. मंचरीयाल	गोदावरी		
	2. भद्राचलम्	गोदावरी		
	3. राजामुन्दरी	गोदावरी		
	4. रामागुन्डम	गोदावरी		
2.	बिहार		3222.03	1611.015
	5. रांची	सुबर्णरेखा		
	6. जमशेदपुर	सुबर्णरेखा		
	7. घाटशिला	सुबर्णरेखा		
3.	गुजरात		9869.89	4934.945
	8. अहमदाबाद	साबरमती		
4.	कर्नाटक		2699.79	1349.895
	9. शिमोगा	तुंग (कृष्णा)		
	10. हरिहरा	तुंगभद्रा (कृष्णा)		
	11. भद्रावती	भद्रा (कृष्णा)		
	12. देवनगरे	तुंगभद्रा (कृष्णा)		
	13. के.आर.नगर	कावेरी		
	14. कोल्लेगल	कावेरी		
	15.नानजनगुड	कावेरी		
	16. श्री रंगापटनम	कावेरी		
5.	मध्य प्रदेश		10659.47	5329.735
	17. इन्दौर	खान		
	18. उज्जैन	क्षिप्रा		
	19. बुरहानपुर	ताप्ती		
	20. मण्डीदीप	बेतवा		
	21. भोपाल	बेतवा		

1	2	3	4	5
	22. विदिशा	बेतवा		
	23. जबलपुर	नर्मदा		
	24. सोनी	वैनगंगा		
	25. छपरा	वैनगंगा		
	26. कैलारी	वैनगंगा		
	27. नागदा	चम्बल		
6.	महाराष्ट्र		11733.39	5866.695
	28. कराड	क्षिप्रा		
	29. सांगली	क्षिप्रा		
	30. नासिक	गोदावरी		
	31. नानदेड़	गोदावरी		
7.	उड़ीसा		2484.77	5866.695
	32. कटक	महानदी		
	33. तालचेर	ब्राह्मणी		
	34. चांदबाली	ब्राह्मणी		
	35. धर्मशाला	ब्राह्मणी		
8.	पंजाब		22937.61	11468.805
	36. लुधियाना	सतलुज		
	37. जालंधर	सतलुज		
	38. फगवाड़ा	सतलुज		
	39. फिल्लौर	सतलुज		
9.	राजस्थान		1393.68	696.840
	40. कोटा	चम्बल		
	41. केशोरायपट्टन	चम्बल		
10.	तमिलनाडु		3820.00	1910.000
	42. कुमारपलयल	कावेरी		
	43. भवानी	कावेरी		
	44. इरोड	कावेरी		
	45. त्रिची	कावेरी		
	46. पाली पलयम	कावेरी		
(क)		कुल :	74199.643	37099.81
(ख)	50:50 के आधार पर राज्य का हिस्सा	=	37099.81	
(ग)	स्थापना, अनुसंधान एवं विकास तथा निगरानी पर लागत व्यय का केवल 5% अतिरिक्त	=	3009.22	
(क) + (ख)	कुल अनुमानित लागत (74199.63 + 3009.22)	=	77208.85	
(घ)	केन्द्र का हिस्सा	=	40109.03	

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में अनियमितताएं

600. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इज्जत नगर, बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में विदेशी पत्रिकाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में शिकायतों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो किस तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, लखनऊ द्वारा आर.सी.22(ए)/95-के. जां. ब्यूरो/एल.के.ओ.-विदेशी पत्रिकाओं की खरीद की जांच की जा रही है। वर्ष 1987 से 1994 के दौरान विदेशी पत्रिकाओं की खरीद के लिए सबंद्ध रिकार्ड आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है। अनुवर्ती उत्तर के रूप में संबंधित केन्द्रीय जांच ब्यूरो कार्यालय ने हाल ही में सूचित किया है कि इस मामले की अभी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

गन्ना मूल्य नीति

601. श्री नारायण अठावले : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उत्पादक राज्यों में किसानों के पास गन्ने का भण्डार वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य काफी ऊंचा रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप चीनी मिलों को अर्थक्षम रखना कठिन हो गया है जबकि खाण्डसारी इकाईयां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से काफी कम मूल्य पर गन्ना खरीद रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार गन्ने का कितना भण्डार है तथा निर्धारित मूल्य/संशोधित किया गया मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को चीनी उत्पादक राज्य सरकारों/संघ/चीनी मिलों के महासंघ के तर्कसंगत/व्यावहारिक गन्ना मूल्य नीति तैयार करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) चीनी उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए गन्ना मूल्य/भण्डार के मामले को सुलझाने के लिए तैयार की गई व्यापक कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). 1994-95 के दौरान 2712 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था जबकि 1993-94 से 2297 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। अनुमान लगाया गया है कि 1995-96 के दौरान लगभग 2673 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है।

इस तथ्य के बावजूद कि गन्ना उत्पादकों को चीनी फैक्ट्रियों द्वारा अदा किए जाने वाले सांविधिक न्यूनतम मूल्य केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है। राज्य सरकारें भी अपने स्वयं के राज्य द्वारा सुझाए गए उन मूल्यों की घोषणा करती हैं जो संबंधित राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उन गन्ना उत्पादकों को भुगतान किए जाते हैं जो उन्हें गन्ने की आपूर्ति करते हैं। कई बार गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य बहुत ऊंचे होते हैं जो राज्य में चीनी उद्योग के लिए कठिनाइयां पैदा करते हैं। कुछ चीनी उत्पादक, राज्यों से संबंधित गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

(ग) से (च). गन्ना मूल्य नीति के संबंध में राज्य सरकारों दी नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मतों पर सरकार ने विचार किया है। इस प्रश्न पर फरवरी, 1994 में हुई राज्य सरकारों के चीनी मंत्रियों की बैठक में पहले-पहल विचार किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के चीनी मंत्री की अध्यक्षता में पांच प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु) के चीनी मंत्रियों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस समिति ने अप्रैल, 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण बोर्ड का गठन करने की सिफारिश की गई थी। इस बोर्ड के गठन संबंधी प्रश्न पर दिनांक 6.5.1995 को सभी चीनी उत्पादक राज्यों के चीनी मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावित बोर्ड का गठन करने से पहले सभी चीनी उत्पादक राज्यों के विस्तृत विचार प्राप्त किए जाएं। तदनुसार सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे इस संबंध में अपने विचार इस मंत्रालय को भेजें। महाराष्ट्र सरकार के विचार प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

कुछ राज्यों में गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों की रेंज.

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	50 से 61	66 से 70	70 से 74
बिहार	53.50 से 56.50	66 से 70	71 से 75
पंजाब	58 से 62	68 से 72	73 से 77
हरियाणा	56 से 60	66 से 76	70 से 75
राजस्थान	50 से 54	57 से 66	64 से 67
कर्नाटक	45 से 65	60 से 70	58 से 72

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पड़े पद

602. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). गृह मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों में आरक्षित रिक्तियों का बैकलॉग, अनुसूचित जाति के संदर्भ में 874 और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में 514 है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का बैकलॉग पूरा करने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 31.3.1997 को पूरा होगा।

अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

बस को लूटा जाना

603. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की दिल्ली से बागेश्वर (जिला-अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश) जा रही रात्रि सेवा बस को अक्तूबर, 1996 में लूटा गया था तथा बाद में पुलिस मुठभेड़ में लुटेरे मारे गए;

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली से उत्तर प्रदेश की विभिन्न स्थानों की रात्रि सेवा बसों में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए तथा पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

604. श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार वर्षा-सिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सहायता का उपयोग किए जाने से संतुष्ट हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का योजना का पुनर्निरीक्षण करने का विचार है तथा इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). गत पांच वर्षों के दौरान वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार निर्मुक्त और उपयोग की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

कुछ राज्यों में धनराशि का उपयोग सन्तोषजनक नहीं रहा है। राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के धीमे उपयोग में मुख्य अड़चनें कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा धनराशि की प्राप्ति में विलम्ब और क्रियान्वयन में कई विभागों का सम्मिलित होना है।

(घ) और (ङ). सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय पनधारा विकास नीति व कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रीय स्तर की समीक्षाओं के माध्यम से योजना की समीक्षा करती है और प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राज्यों को दिशा निर्देश जारी करती है।

विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान "वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत राज्यवार निर्मुक्त और उपयोग की गई धनराशि के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र	1991-92		92-93		93-94		94-95		95-96		कुल 1991-92 से 1995-96	
		निर्मुक्ति	व्यय	नि.	व्यय	नि.	व्यय	नि.	व्यय	नि.	व्यय	नि.	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1120.00	956.24	1238.00	876.31	1462.00	697.51	636.55	717.46	-	653.04	4456.55	3900.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.00	9.79	18.00	4.00	-	21.70	22.00	5.60	80.00	21.73	138.00	62.82
3.	असम	350.00	39.58	350.00	220.18	460.00	193.51	535.00	213.66	512.00	250.12	2207.00	917.05
4.	बिहार	780.00	2.47	130.86	32.25	-	100.26	435.00	41.10	-	116.36	1345.86	292.44
5.	गोवा	17.00	3.08	2.73	1.64	-	2.61	-	0.24	46.00	3.16	65.73	10.73
6.	गुजरात	1180.00	734.66	1180.00	510.34	1370.00	653.15	1073.94	744.69	-	1408.29	4803.94	4051.13
7.	हरियाणा	240.00	-	38.55	34.35	-	96.25	-	122.62	55.00	123.99	333.55	377.21
8.	हिमाचल प्रदेश	80.00	7.19	80.00	27.85	-	132.71	575.00	355.35	265.00	297.82	1000.00	820.92
9.	जम्मू और कश्मीर	60.00	7.81	60.00	67.02	192.00	46.02	-	153.79	118.00	114.31	430.00	388.95
10.	कर्नाटक	1420.00	916.79	1380.00	1803.29	3150.00	1854.19	1524.81	1795.23	476.00	1521.67	7950.81	7891.17
11.	केरल	300.00	415.30	300.00	300.00	1360.00	360.00	180.00	180.00	-	326.10	2140.00	1581.40
12.	मध्य प्रदेश	2600.00	681.41	980.05	1229.27	1900.00	1520.45	500.00	1977.22	1977.00	3703.84	7957.05	9112.19
13.	महाराष्ट्र	2590.00	444.09	742.67	2258.85	2000.00	2301.23	3100.00	4709.09	3290.00	3906.43	11722.67	13619.69
14.	मणिपुर	15.00	14.34	73.00	19.26	-	40.11	80.00	80.19	75.00	95.00	243.00	248.90
15.	मेघालय	25.00	14.05	28.00	43.75	100.00	-	-	-	55.00	26.67	208.00	84.47
16.	मिजोरम	10.00	7.85	66.00	21.26	398.00	144.75	319.77	376.96	-	240.76	793.77	791.58
17.	नागालैंड	25.00	24.01	28.00	30.94	306.00	75.45	250.00		-	488.50	609.00	618.90
18.	उड़ीसा	775.00	365.01	772.19	1283.33	1750.00	945.26	1250.00	1028.06	1580.00	1801.46	6127.19	2423.12
19.	पंजाब	95.00	78.35	120.00	65.43	120.00	165.39	115.00	-		77.36	450.00	586.53
20.	राजस्थान	1940.00	750.81	2350.00	1464.01	1900.00	2084.87	1900.00	2452.00	2855.00	3500.50	10945.00	10254.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	सिक्किम	25.96	25.95	70.00	39.71	108.00	71.82	110.00	79.90	10.00	78.71	323.96	296.09
22.	तमिलनाडु	508.11	123.41	84.89	681.17	1664.00	761.91	700.00	748.07	420.00	720.44	3377.00	3035.00
23.	त्रिपुरा	35.00	-	35.00	35.00	60.00	35.00	95.00	84.67	-	62.09	225.00	216.76
24.	उत्तर प्रदेश	1150.11	961.08	1300.00	1107.54	1450.00	1178.74	2295.00	2288.04	2215.00	2213.00	8410.00	7748.40
25.	पश्चिम बंगाल	540.00	23.24	91.24	163.30	-	256.96	400.00	414.94	1157.00	595.20	2188.20	1453.64
26.	दादर व नागर हवेली	0.47	0.08	0.50	-	10.00	-	-	1.94	-	0.59	10.97	2.61
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	25.00	3.92	21.00	23.20	50.00	32.14	96.00	59.26
	योग	15899.54	6607.28	11519.69	12320.05	19785.00	13745.78	16118.07	18594.01	15236.00	22379.27	78558.30	73646.39

[हिन्दी]

यूरिया घोटाला

605. श्री गंगा चरण राजपूत :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 133 करोड़ रुपए के यूरिया घोटाले की हो रही जांच की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) उन देशों और बैंकों के नाम क्या हैं जिनमें यह राशि जमा की गई है;

(ग) क्या सरकार इस राशि को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी विदेशी कंपनी ने 133 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी दी थी;

(च) यदि हां, तो कितनी राशि की बैंक गारंटी दी थी और क्या इस बैंक गारंटी को भुना लिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार ने उक्त कंपनी से अग्रिम राशि के लिए प्रतिभूति के रूप में किस तरह की प्रतिभूति ली थी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) 2 लाख मी. टन बोरीबन्द यूरिया की आपूर्ति हेतु मै. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन.एफ.एल.) द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्ध से संबन्धित मामले में अनियमितताओं की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। सी.बी.आई. भारत तथा विभिन्न अन्य देशों में भी जांच-पड़ताल कर रही है।

(ख) निहित धनराशि जिनेवा, स्वीटजरलैंड स्थित पिकटेट बैंक में मैं करसन लि. के खात में जमा की गई थी।

(ग) और (घ). जिनेवा स्थित पिकटेट बैंक में मैं. करसन लि. के खात तथा अन्य सम्बन्धित खातों में उपलब्ध धनराशि की निकासी पर रोक लगाने हेतु स्वीटजरलैंड सरकार से इस धनराशि को जब्त करके इसे भारत भेजने के लिये भी अनुरोध किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) मै. करसन लि. ने भारत से बाहर के किसी विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की बैंक गारंटी देने के बजाय यूरिया की अनुबन्धित मात्रा को पूरा न करने तथा आपूर्ति न करने के लिये प्रथम श्रेणी लायड इंशोरेंस कवर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था और अन्ततः वह उपलब्ध नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

पूर्व प्रधान मंत्री की सुरक्षा

606. श्री ए. सम्पथ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों को विशेष सुरक्षा ग्रुप की सुविधा दी गई है;

(ख) क्या पूर्व प्रधान मंत्रियों के संबंधियों को विशेष सुरक्षा ग्रुप की सुविधा मिल रही है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितने सुरक्षा कर्मी तैनात हैं; और

(घ) विशेष सुरक्षा ग्रुप को सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान कुल कितना व्यय किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) 29 अभिरक्षित व्यक्ति विशेष संरक्षा ग्रुप की सुरक्षा प्राप्त करने के पात्र हैं। विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा अभिरक्षित इन व्यक्तियों में से दो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं और उन्हें भारत आने पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार के 4 अभिरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जल्दी ही विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा अपने हाथ में ले ली जाएगी।

(ख) अधिनियम के अनुसार, केवल प्रधान मंत्री, भूतपूर्व प्रधान मंत्री और उनके परिवार के सदस्य जिसमें पत्नी/पति, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं, ही विशेष संरक्षा ग्रुप की सुरक्षा प्राप्त करने के पात्र हैं। कोई अन्य रिस्तेदार विशेष संरक्षा ग्रुप की सुरक्षा पाने का पात्र नहीं है।

(ग) विशेष संरक्षा ग्रुप की सुरक्षा प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की सक्रिय सुरखा ड्यूटी के लिए 1188 व्यक्ति तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1074 कार्मिक, तकनीकी, संचार, पर्यवेक्षण और अन्य सहायता सेवाओं में लगे हुए हैं।

(घ) 1994 से 1996 तक, विशेष संरक्षा ग्रुप की सुरक्षा प्रदान करने पर कुल निम्नलिखित खर्च हुआ है :—

1994-95	-	2404.87 लाख
1995-96	-	3289.56 लाख
1996-97 (अक्तूबर, 96 तक)	-	1715.93 लाख

पाकिस्तान को गेहूं और चावल का निर्यात

607. श्री तारीक अनवर : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने इस वर्ष खाद्यान्न की कठिन स्थिति से उबरने के लिए भारत सरकार से गेहूं, चावल और चीनी का निर्यात करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न की लागत और मात्रा सहित प्रस्ताव के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). भारत में पाकिस्तान के उच्चायोग ने भारत से गेहूं और चीनी का आयात करने में पाकिस्तान की इच्छा के संबंध में सूचित किया था और उन्होंने विनिर्दिष्टियों और अन्य ब्यौरे के संबंध में कुछेक पूछताछ की थी। लेकिन गेहूं, चावल अथवा चीनी की आपूर्ति के लिए उनसे कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है तथापि, चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 के उपाबंधों के अधीन चीनी का निर्यात करने के लिए मै. भारतीय चीनी और सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगम लि. एक एजेंसी ने पाकिस्तान सरकार के एक प्रतिष्ठान ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ पाकिस्तान द्वारा मांगी गई निविदाओं में भाग लिया था और उनके निविदाएं स्वीकार किए गए थे जिसके प्रति पाकिस्तान को 2.33 लाख टन चीनी सप्लाई की थी। इसके अलावा, मै. भारतीय चीनी और सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगम लि. द्वारा निजी व्यापारियों के साथ किए गए ठेके के प्रति उनके द्वारा अब तक 31,342 टन चीनी भी सप्लाई की गई है।

केरल में वोसम बोर्ड के लिए वन भूमि

608. प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सबरीमाला मंदिर के विकास हेतु वोसम बोर्ड को पर्याप्त वन भूमि दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). केरल राज्य सरकार सबरीमाला मन्दिर के तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए पाठन मथिट्टा जिले में 115.60 है. वन भूमि को उपयोग में लाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्तावित वन क्षेत्र पेरियार बाघ रिजर्व का एक भाग है। यद्यपि इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है, तथापि राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1995 में एक दूसरा प्रस्ताव भेजा था जिसमें इसी उद्देश्य के लिए 20 है. वन भूमि का उपयोग किया जाना था। प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच की गई थी और इस पर नोडल अधिकारी राज्य वन विभाग केरल के साथ मई, 1996 में चर्चा की गई थी। नोडल अधिकारी के साथ हुई चर्चा के अनुसार केरल राज्य सरकार के विचारार्थ कतिपय सुझाव दिए गए थे जिसमें मन्दिर में मुख्य परिसर में ट्रावणकोर दवस्तम बोर्ड के कब्जे वाले क्षेत्र के लिए एक मास्टर योजना तैयार करना शामिल है ताकि जीर्ण-शीर्ण ढांचों को बदलकर बहुमंजिले भवन बनाए जा सकें तथा पल्लनपाल्लि नीलांचल तथा राजनपाड़ा क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधाएं बनाने की सम्भावना का पता लगाया जा सके जिसे पौदरोपण के अन्तर्गत पहले ही लाया जा चुका है ताकि इस समय प्रस्तावित चक्याम क्षेत्र में पुरातन वनों को न काटा जाए। राज्य सरकार से पूर्ण ब्यौरों के अभाव में प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों को सहायता/ऋण

609. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान प्रत्येक राज्य को योजना-वार कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों ने राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है;

(ग) प्रत्येक राज्य के पास प्रयोग में नहीं लाई गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राशि का उपयोग नहीं होने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राजसहायता का भुगतान न किया जाना

610. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु एस.एम.पी. एककों को उर्वरकों पर राजसहायता मंजूर नहीं किए जाने और इसका भुगतान न किये जाने के कारण पश्चिम बंगाल का सरदार उर्वरक संयंत्र और अन्य एस.एस.पी. एकक बन्द हो गए हैं अथवा बन्द होने के कगार पर हैं और इसके परिणामस्वरूप सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राजसहायता का भुगतान करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). सिंगल सुपर फास्फेट (एस एस पी) सहित सभी फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्यों को 25.8.92 से नियंत्रणमक्त किया गया है। एस एस पी एककों के संबंध में जिसमें मैसर्स शारदा फर्टिलाइजर्स भी शामिल है, 25.8.92 से पहले के सभी स्वीकार्य दावों को निपटा दिया गया है तथा भुगतान कर दिया गया है।

नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरकों के संबंध में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विशेष रियायत योजना के तहत भुगतान राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित दावों के आधार पर किए जाते हैं। प्राप्त प्रमाणित दावों के अनुसार 1996-97 के दौरान मैसर्स शारदा फर्टिलाइजर्स को 6.99 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

वन्य जीव सप्ताह

611. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य जीव सप्ताह के दौरान क्या-क्या विशेष कार्यक्रम और योजनायें आरम्भ किये गये हैं;

(ख) क्या वन्य जीवों की संख्या संबंधी आंकड़ों की विशेषकर लुप्तप्राय प्रजातियों के संबंध में कोई तुलना की गयी थी और इन प्रजातियों के संरक्षण हेतु कोई योजना आरम्भ की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) वन्यजीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्तूबर से मनाया जाता है। पिछले वर्षों में वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर प्रधानमंत्री का संदेश व्यापक रूप से परिचालित किया गया। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे वन्यजीव जागरूकता बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करें और उनमें संबंधित विभागों, गैर-सरकारी संगठनों तथा युवाओं को शामिल करें। स्कूली बच्चों के द्वारा नजदीकी राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों तथा प्राणि-उद्यानों का समूह-वार दौरे और प्रकृति शिविर आयोजित किए गए। वन्यजीव संरक्षण के संदेश को संचार माध्यमों से प्रसारित किया गया। दिल्ली में इस मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय प्राणि उद्यान द्वारा मुख्य आयोजन किया गया जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध लेखन, क्ले तथा मास्क माडलिंग, वन्यजीव कार्टून, वन्यजीव क्विज, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता तथा वन्यजीव फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं आयोजत की गई।

(ख) और (ग). वन्य प्राणियों की प्रमुख प्रजातियों की गणना राज्यों द्वारा समय-समय पर की जाती है न कि विशेषतौर पर वन्यजीव सप्ताह के दौरान।

प्रमुख संकटापन्न प्रजातियों की पिछली दो गणनाओं के तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

क्र.सं.	प्रजातियों का नाम	वर्ष 1989	1993
1.	बाघ	4334	3750
2.	चीते	6763	6828
3.	हाथी	17635 (कम से कम)	22796 (कम से कम)
		24090 (अधिक से अधिक)	28346 (अधिक से अधिक)
4.	गैंडे	1591	1566(1995)
5.	शेर	284 (1990)	304 (1995)

इस मंत्रालय द्वारा वन्यजीव सप्ताह के दौरान यद्यपि कोई नई योजनाएं शुरू नहीं की गई, तथापि संरक्षण के लिए चलाई जा रही केन्द्र क्षेत्र की सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को जारी रखा गया।

[हिन्दी]

सिन्दरी उर्वरक संयंत्र में अनियमितताएं

612. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिन्दरी उर्वरक संयंत्र में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भारतीय उर्वरक श्रमिक संघ द्वारा सिंदरी उर्वरक संयंत्र के कार्यकरण की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के सिन्दरी एकक में वित्तीय अनियमितताओं के आरापों से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। यह पता लगाने के लिए उनकी जांच की जा रही थी कि क्या अगली जांच-पड़ताल के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है। कोई भी आरोप तथ्यों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वृद्ध नागरिकों पर हमले

613. **श्री गोरधन भाई जावीया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वृद्ध नागरिकों/दम्पत्तियों पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). 1.11.95 से 31.10.96 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में वृद्ध नागरिकों/दम्पत्तियों पर हमला किए जाने के 24 मामले सूचित दिए गए, जबकि 1.11.94 से 31.10.95 तक की समकालीन अवधि के दौरान इस प्रकार के 25 मामले सूचित किए गए थे। इस प्रकार के अपराधों के ब्यौरे निम्नप्रकार से है :—

अपराध शीर्ष	1.11.95 से 31.10.96		1.11.94 से 31.10.95	
	अकेला	दम्पत्ति	अकेला	दम्पत्ति
हत्या	11	2	16	5
डकैती	2	-	1	1
लूटपाट	6	-	1	-
आहत करना (गंभीर)	2	-	-	-
आपराधिक मानववध (भा.द.सं. की धारा 394 के अन्तर्गत)	1	-	-	-
आपराधिक मानववध का (भा.दं.सं. की धारा 304 के अन्तर्गत)	-	-	-	1

(ग) इस प्रकार के अपराधों को रोकने/कम करने के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं :—

(एक) वृद्ध नागरिक सुरक्षा संबंधी एक स्कीम प्रचलन में है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पुलिस स्टेशन में बीटवार और डिवीजन-वार वृद्ध नागरिकों की शिनाख्त की जाती है। पुलिस स्टेशनों का बीट स्टाफ इन वृद्ध नागरिकों के पास जाता है और किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सलाह देता है।

(दो) बीट और डिवीजन गश्त के दौरान वृद्ध नागरिकों के निवास स्थानों के आस-पास विशेष निगरानी रखी जाती है।

(तीन) वृद्ध नागरिकों द्वारा रखे गए नौकरों और अन्य कर्मचारियों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन किया जाता है।

(चार) क्षेत्र के चौकीदारों को इस वर्ग के व्यक्तियों के निवास स्थानों पर निगरानी रखने के लिए कहा जाता है।

श्रीलंका के नागरिकों का गैर-कानूनी प्रवेश

614. **श्री मोहन रावले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में, गैर कानूनी रूप से तथा वैध दस्तावेजों के बिना रह रहे श्रीलंका के कुछ नागरिकों का जुलाई 1996 में पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे किस प्रकार भारत आए;

(ग) क्या इन नागरिकों को अब श्रीलंका वापस भेज दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस ने 11 जुलाई, 1996 को 10 श्रीलंकाई नागरिकों को एक होटल से गिरफ्तार किया जहां वे बिना वैध यात्रा कागजातों के ठहरे हुए थे। जांच-पडताल के दौरान इस बात का पता चला कि वे श्रीलंका से कनाडा के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। वे मद्रास तक समुद्री जहाज से आए थे तथा मद्रास से दिल्ली हवाई जहाज से।

(ग) और (घ). जी नहीं, श्रीमान्। चूंकि सभी अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, इसलिए उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता है। तथापि, न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत सितम्बर/अक्तूबर, 1996 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उनके देश से बच कर निकल भागने को रोकने हेतु विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा उनके संबंध में लुक-आउट कार्ड्स खोले गए हैं।

पर्यावरण विकास योजनाएं

615. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कोष की सहायता से देश में वन्य जीव केन्द्रों में पर्यावरण विकास योजनाएं शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यावरण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वन्य जीव केन्द्रों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). विश्व पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) तथा अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ (आई डी ए) की सहायता से भारत पारि-विकास परियोजना, स्वीकृति के अंतिम चरण में है। इस परियोजना के अंतर्गत 7 वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र नामतः बक्सा राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल), गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात), नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान (कर्नाटक), पलामू राष्ट्रीय उद्यान (बिहार), पेंच राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश), पेरियार राष्ट्रीय उद्यान (केरल) तथा रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) शामिल हैं। 5 वर्ष की अवधि की इस परियोजना की कुल लागत 67 मिलियन अमरीकी डालर है। परियोजना में चयनित सुरक्षित क्षेत्रों में तथा उसके आसपास पारि-विकास कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाएगी ताकि इन क्षेत्रों पर मानव क्रियाकलापों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। इसके अलावा, आई.डी.ए. की सहायता से एक दूसरी पारि-विकास परियोजना ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान (हिमाचल प्रदेश) तथा कालाकड-मुण्डनथुरई टाइगर रिजर्व (तमिलनाडु) में कार्यान्वित की जा रही है। 5 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना की कुल लागत 5.3 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) परियोजना स्थलों का चयन जिस आधार पर किया गया है उसमें जैव विविधता की दृष्टि से इनका महत्व तथा आधार-भूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा इन परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की क्षमता को ध्यान में रखा गया है।

गेहूं और चावल के मूल्य

616. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :
श्री तरित वरण तोपदार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अच्छी फसल होने के बावजूद गेहूं और चावल के घरेलू मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा गेहूं और चावल के घरेलू मूल्य को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) खुले बाजार में गेहूं और चावल के मूल्यों में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

(1) 1996-97 के रबी और खरीफ मौसमों के लिए गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में आवधिक वृद्धि होना;

(2) पैट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि होने के कारण ढुलाई लागत में वृद्धि होना;

(3) 1995-96 में 3.1 मिलियन टन गेहूं का कम उत्पादन होना;

(4) कमी के महीनों में अधिक मूल्य की प्रत्याशा में ग्राम स्तर पर अधिशेष स्टाक को रोके रखना;

(5) अधिक मूल्यों की प्रत्याशा में निर्यातकों/व्यापारियों द्वारा स्टाक को रोके रखना।

(ख) खाद्यान्नों के उत्पादन स्तर और स्टाक पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक रखने के प्रयास किए जाते हैं ताकि खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। बाजार में तेजी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए गेहूं और चावल की खुली बिक्री की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में 1.2.94 के बाद वृद्धि नहीं की गई है।

कृषि उत्पाद समिति

617. श्री नीतीश कुमार :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं तथा कृषि क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति अपने रिपोर्ट कब तक सरकार को दे देगी तथा समिति को कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुझाव देने के अतिरिक्त सौंपे गए अन्य कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग देखभाल) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) समिति के अन्य सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) समिति से, इसके गठन की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा की जाती है। विचारार्थ विषयों के अनुसार समिति को कम उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय सुझाना है, जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ, कृषि के कम उत्पादन वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के मानदंड, अनुसंधान तथा विस्तार कार्यक्रम, कृषि उत्पाद के विपणन, इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

समिति के सदस्यों के नाम

1. डा. मुरली मनोहर जोशी
   लोक सभा सदस्य
2. श्री शत्रुध्न प्रसाद सिंह
   लोक सभा सदस्य
3. श्री चित्त बसु
   लोक सभा सदस्य
4. श्री महबूद जैहेदी
   लोक सभा सदस्य
5. श्री तारिक अनवर
   लोक सभा सदस्य
6. श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी
   लोक सभा सदस्य
7. श्री सोम पाल
   राज्य सभा सदस्य
8. श्री पराग चालीहा
   राज्य सभा सदस्य
9. श्री नरेन्द्र कुमार प्रधान
   राज्य सभा सदस्य
10. डा. दिवाकर झा (कृषि अर्थशास्त्र)
    डी.एल.एफ. कुतुब इन्क्लेव, गुड़गावं, हरियाणा
11. श्री गोरीपथ नरसिम्हा राजू यादव
    प्रतिनिधि गैर-सरकारी संगठन, गुटुर, जिला कृष्णा (आ.प्र.)
12. डा. अतुल अंजन (ग्रामीण हितों संबंधी प्रतिनिधि)
    ए-265, पंडारा रोड, नई दिल्ली
13. डा. एम.जी.के. मेनन
14. श्री जे. एन. एल. श्रीवास्तव
    अपर सचिव, कृषि व सहकारिता विभाग
15. डी.डी.सी. (फसल) भा.कृ.अ.प.
16. संयुक्त सचिव (फसल)
    कृषि व सहकारिता विभाग सदस्य सचिव

विमानपत्तन के लिए वन-भूमि

618. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने देवनहल्ली, कर्नाटक के समीप अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण के लिए वन विभाग की लगभग 1300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव के जांच करने के बाद वन भूमि पर किए जाने वाले मदवार कार्यों से संबंधित अनिवार्य ब्यौरा, ले आउट प्लान, परियोजना का लागत लाभ विश्लेषण आदि में कमी पाई गई। राज्य सरकार को 8.7.96 को लिखा गया था कि इन ब्यौरों को भेज दिया जाए। राज्य सरकार से पूरे ब्यौरों के अभाव में प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

कृषि व्यवसाय में महिलाओं को प्रशिक्षण देना

619. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि एवं अन्य सहायक व्यवसायों की आधुनिक तकनीकों के मामले में ग्रामीण महिलाओं को किस प्रकार की शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं;

(ख) यह प्रशिक्षण किन एजेन्सियों के माध्यम से दिया जा रहा है; और

(ग) बिहार और उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं के बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) (एक) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला किसानों को कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों दक्षता उन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(दो) सैद्धान्तिक जानकारी और उसके बाद व्यावहारिक प्रदर्शनों का आयोजन संस्थान स्तर पर या ग्राम स्तर पर किया जाता है।

(तीन) इनके पूरक के रूप में प्रशिक्षण केन्द्रों पर या कृषकों के खेतों पर प्रशिक्षकों के पर्यवेक्षण में व्यावहारिक कार्य कराया जाता है।

(ख) निम्नलिखित के जरिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है :-

- केन्द्रीय संस्थान अर्थात् सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र, ई.ई. आई., ए.टी.सी.।

- राज्य स्तरीय संस्थान, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्र, ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान/जोनल अनुसंधान केन्द्र/क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, एन.ए.आर.पी. केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालय।

(ग) भारत भर में, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित, महिला किसानों में ऐसे प्रशिक्षणों के लिये बहुत अधिक रूचि रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सूखा

620. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायबरेली और सुल्तानपुर निर्वाचन क्षेत्रों के समीप सभी जिलों को सूखा प्रभावित जिला घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) आठवीं योजना के दौरान अब तक राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा इन जिलों को सूखा (राहत कार्य) हेतु कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है तथा कुल कितने राजस्व तथा "आबपासी" को माफ किया गया है;

(ग) क्या लोगों की शिकायत पर किसी समिति का गठन किया गया था और छानबीन से यह पता चला है कि साधारण वर्षामापी को वृहत वर्षा मापी में बदल दिया गया है ताकि कम वर्षा को रिकार्ड किया जा सके;

(घ) क्या सरकार ने वर्षामापी यंत्र को बदलने के लिए उत्तरदायी दोषी व्यक्तियों का पता लगाने हेतु छानबीन का है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) राय बरेली और सुलतानपुर के क्षेत्रों तथा राय बरेली और सुलतानपुर के समीपस्थ जिलों में सूखा नहीं पड़ा था, अतः वर्तमान वर्ष में किसी भी जिले को सूखा प्रभावित जिला घोषित नहीं किया गया।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को सूखा राहत के लिए कोई सहायता नहीं दी है। केन्द्र सरकार नौंवे और दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को आबंटित आपदा राहत कोष के 75 प्रतिशत का अंशदान देती है। राज्य सरकार आपदा राहत कोष से सूखा राहत पर यथापेक्षित व्यय करती है। राज्य सरकार के पास कुल राजस्व और आबपासी को माफ करने के बारे में कोई सूचना नहीं होती।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

गन्ना उत्पादन

621. श्री सोहन वीर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान प्रत्येक राज्य में गन्ना उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में अनुमानतः गन्ने का कितना उत्पादन होने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). 1996-97 के दौरान राज्यवार लक्ष्य एवं संभावित उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय लक्ष्य एवं गन्ने का राज्यवार उत्पादन

(लाख टन)

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य	संभावित उत्पादन
1.	आंध्र प्रदेश	152	138.5
2.	असम	22	14.9
3.	बिहार	95	56.4
4.	गुजरात	120	12.0
5.	हरियाणा	95	90.0
6.	कर्नाटक	240	255.2
7.	केरल	7	5.0
8.	मध्य प्रदेश	22	28.5
9.	महाराष्ट्र	385	403.8
10.	उड़ीसा	55	15.7
11.	पंजाब	90	90.0
12.	राजस्थान	15	10.2
13.	तमिलनाडु	275	273.6
14.	उत्तर प्रदेश	1155	1198.3
15.	पश्चिम बंगाल	12	12.0
16.	अन्य	10	6.3
	अखिल भारत	2750	2718.6

[अनुवाद]

नारियल की उत्पादन लागत

622. श्री पी.सी. थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नारियल की उत्पादन लागत निर्धारित करने के लिए आंकड़े एकत्र करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल की उत्पादन लागत का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन वर्षों के दौरान लागत मूल्य का पता लगाने के लिए कौन-कौन से आंकड़ों का उपयोग किया गया तथा कौन से मापदंड अपनाए गए;

(ङ) क्या उत्पादन लागत के आधार पर समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था; और

(च) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए समर्थन मूल्य का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ङ). भारत में प्रमुख फसलों के उत्पादन की लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक योजना के अधीन संकलित उत्पादन की लागत के आंकड़ों का उपयोग कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह योजना केवल खेत में उगाई जाने वाली फसलों से संबंधित है तथा नारियल को बारहमासी फसल होने के कारण शामिल नहीं किया गया है। तथापि वर्ष 1997-98 से केरल में नारियल के उत्पादन की लागत पर विशेष अध्ययन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ मांग और पूर्ति, बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति, अंतः फसल मूल्य समानता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मूल्य स्थिति, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव व्यापार की शर्तों आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है।

(च) पिछले चार वर्षों के दौरान कोपरा के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है :-

(रु. प्रति क्विंटल)

वर्ष	मिलिंग कोपरा	बाल कोपरा
1993	2150	2360
1994	2530	2375
1995	2500	2725
1996	2500	2725

राष्ट्रीय कुक्कुट विकास बोर्ड

623. श्री शरत पटनायक : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में एक राष्ट्रीय कुक्कुट विकास बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कुक्कुट विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसका विवरण राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के अन्य विभागों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

अन्तर्राज्यीय परिषद

624. श्री चित्त बसु : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अक्तूबर में आयोजित अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक दिशानिर्देश तैयार किए जा चुके हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक बना लिया जायगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). 15.10.1996 को हुई अन्तर-राज्यीय परिषद की दूसरी बैठक में आपातकालीन प्रावधानों तथा अनुच्छेद 356 के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अन्तर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति अन्य के अलावा, अनुच्छेद 356 सहित आपातकालीन प्रावधानों की विस्तृत रूप से जांच करेगी तथा इसके गठन से तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस स्थायी समिति की रिपोर्ट पर अन्तर-राज्यीय परिषद की अगली बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा जिसके बाद परिषद के विचारों को आगे विचारण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकार को भेजा जाएगा। स्थायी समिति का गठन विचाराधीन है।

सुरक्षित वन क्षेत्र

625. श्री बादल चौधरी :
श्री बाजू बन रियान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने झुमिया तथा खेतिहर मजदूरों के पुनर्वास हेतु संरक्षित वन-क्षेत्रों तथा आरक्षित वन क्षेत्रों के एक हिस्से को अनारक्षित कराने हेतु प्रस्ताव भेजे थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). झुमिया तथा खेतिहर मजदूरों के पुनर्वास हेतु संरक्षित वनों के एक हिस्से को अनारक्षित करने हेतु त्रिपुरा सरकार से कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में लंबित नहीं है। तथापि, 1983 में आदिवासी झुमियों के पुनर्वास के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और तदनुसार भारत सरकार द्वारा 1977 में 67.70 हेक्टेयर वन भूमि को अनारक्षित करने की मंजूरी दे दी गई थी।

1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा

626. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984 के दंगों में मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को मुआवजे के रूप में 84.61 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया है;

(ख) यदि नहीं, तो मुआवजे की राशि को वितरित करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सभी दावों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका संख्या 1429/96 पर दि. 5 जुलाई, 1996 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि दिल्ली में 1984 में दंगों में मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं और परिवारों को अनुग्रह अनुदान अथवा क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो, का समायोजन करके 3.5 लाख रुपए की राशि (2 लाख रुपए तथा इस पर बने कुल 1.5 लाख रुपए के ब्याज सहित) अदा की जाए। उच्च न्यायालय ने आगे राज्य को आदेश दिया उपर्युक्त रूप से जमा हुई क्षतिपूर्ति राशि के संवितरण के लिए एक समिति गठित की जाए जोकि इन लोगों की उपयुक्त शिनाख्त के पश्चात् उन्हें चार महीने की अवधि के अंदर यह राशि प्रदान कर दे।

न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी है जोकि इस संबंध में प्रस्तुत सभी दावों की संवीक्षा करेगी।

चूंकि अनेक दावेदार दिल्ली से बाहर रह रहे थे और उन्होंने अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किए थे इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय से निवेदन किया कि वे अपने आदेश के कार्यान्वयन की समय सीमा बढ़ा दें। उच्च न्यायालय ने यह समय सीमा चार महीने अर्थात् 5.3.97 तक बढ़ा दी है। तदनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 30.11.1996 तक बढ़ा दी है।

वर्ली-बान्द्रा सम्पर्क परियोजना पर मूल्यांकन रिपोर्ट

627. श्री शरद पवार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ली-बान्द्रा सम्पर्क परियोजना के संबंध में पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में महाराष्ट्र से मूल्यांकन रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). बम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से वर्ली-बान्द्रा लिंक परियोजना के पहले चरण के निर्माण के लिए पर्यावरण निकासी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की जांच करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना 1991 के प्रावधानों को दृष्टि में रखते हुए जबतक एक व्यापक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं कर लिया जाता तब तक परियोजना के लिए पर्यावरण निकासी प्रदान करना संभव नहीं होगा। परियोजना प्रस्तावकों को इस बारे में सूचित कर दिया गया था।

(ग) परियोजना प्रस्तावक से पूरी सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के अंदर पर्यावरण निकासी के बारे में निर्णय लिया जाता है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या

628. श्री विजय गोयल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रियों, संसद सदस्यों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व संसद सदस्यों के नाम क्या क्या हैं जिनके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं;

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने मामलों की जांच की जा रही है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और भविष्य में जनप्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार से दूर रखने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में तूफान

629. श्री सिद्दय्या कोटा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जल क्षेत्रों में हाल में आए तूफान में कई मुछआरे तथा बड़ी संख्या में मछली पकड़ने वाली नावें खो गई हैं;

(ख) क्या सरकार सोमपेटा, काकीनाड़ा तथा नेल्लौर में आकाशवाणी के तीन रिले स्टेशन स्थापित करने जा रही है जिससे कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के दूरस्थ इलाकों के मछुआरों के लिए मौसम संबंधी समाचार प्रसारित किए जा सकें; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के समुद्रतटीय क्षेत्र, जिनमें सोमपेटा, काकीनाड़ा तथा नेल्लौर शामिल हैं, कटक, विजयवाड़ा तथा विशाखापत्तनम स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों तथा पुरी और बेहरामपुर स्थित एफ.एम. ट्रांसमीटरों के कवरेज जोन में आते हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी मिलों का कार्यकरण

630. श्री एस.पी. जायसवाल : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी चीनी मिलों को विशेषकर उत्तर प्रदेश को 1996 के नवम्बर माह से कार्य शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं;

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि इसके परिणामस्वरूप पिराई मौसम के दौरान चीनी मिलों का कार्य बाधित न हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 के अधीन चीनी वर्ष 1996-97 के लिए नियत दिन 3.10.1996 को अधिसूचित किया गया है।

(ख) से (घ). जी, हां। सभी चीनी उत्पादक राज्यों की सरकारों को निदेश दिए गए हैं कि वे इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित

गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि

631. श्री गुमान मल लोढा :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिल मालिकों के पास गन्ना उत्पादकों की गत पिराई मौसम की बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो सितंबर, 1996 के अंत तक राज्यवार कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) क्या प्रत्येक पिराई के मौसम के अंत में चीनी मिलों के पास अक्सर राशि बकाया रह जाती है;

(घ) यदि हां, तो सितंबर, 1993, सितंबर, 1994 तथा सितंबर, 1995 में अलग-अलग राज्यवार चीनी मिलों के पास कितनी राशि बकाया है; और

(ङ) उपरोक्त वर्ष के दौरान अलग-अलग चीनी मिलों को बेचे गए कुल गन्ने का क्या मूल्य है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). देश में स्थित चीनी मिलों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 1995-96 मौसम से संबंधित गन्ना मूल्य बकाया जो किसानों को दिया जाना था, 30 सितम्बर, 1996 को समस्त भारत के आधार पर 707.30 करोड़ रुपये था जो कुल देय राशि का 6.97 प्रतिशत था। 30 सितम्बर, 1996 तक उपर्युक्त गन्ना मूल्य बकाया की राज्यवार स्थिति दर्शानेवाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पेराई वर्ष के अंत तक बकाया की राशि विभिन्न बातों पर निर्भर करती है जैसे खरीदे गए गन्ने की मात्रा, गन्ने का मूल्य, मिल की वित्तीय स्थिति आदि।

(घ) और (ङ). 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 मौसम के 30 सितम्बर तक गन्ना मूल्य बकाया तथ खरीदे गए गन्ने का कुल देय गन्ना मूल्य संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

1995-96 मौसम के संबंध में 30.9.96 को बकाया गन्ना मूल्य का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	गन्ना मूल्य बकाया (रु. लाख में)
1	2	3
1.	पंजाब	5460.43
2.	हरियाणा	1793.95
3.	राजस्थान	200.62

1	2	3
4.	उत्तर प्रदेश	27814.10
5.	मध्य प्रदेश	2414.68
6.	गुजरात	6006.79
7.	महाराष्ट्र	2976.30
8.	बिहार	4252.88
9.	असम	9.66
10.	आंध्र प्रदेश	3411.17
11.	कर्नाटक	7371.65
12.	तमिलनाडु	8717.67
13.	केरल	112.53
14.	उड़ीसा	51.77
15.	पश्चिम बंगाल	235.51
16.	नागालैंड	0.00
17.	पांडिचेरी	0.00
18.	गोवा	0.00
	समस्त भारत	707330:01

विवरण-II

मौसम के 30 सितंबर को खरीदे गए गन्ने का कुल मूल्य तथा देय बकाया का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	1992-93 मौसम से संबंधित		1993-94 मौसम से संबंधित		1994-95 मौसम से संबंधित	
		खरीदे गए गन्ने के लिए देय कुल गन्ना मूल्य	देय गन्ना मूल्य का बकाया	खरीदे गए गन्ने के लिए देय कुल गन्ना मूल्य	देय गन्ना मूल्य का बकाया	खरीदे गए गन्ने के लिए देय कुल गन्ना मूल्य	देय गन्ना मूल्य का बकाया
1.	पंजाब	20985.94	87.74	20641.06	2.10	24370.16	39.89
2.	हरियाणा	16290.74	80.91	17247.91	[illegible]8.52	23434.32	192.62
3.	राजस्थान	988.57	0.87	855.38	2.02	1178.26	129.16
4.	उत्तर प्रदेश	128278.69	3081.45	153955.90	1993.38	240668.88	6680.46
5.	मध्य प्रदेश	2572.41	193.82	2085.25	47.83	3734.88	278.62
6.	गुजरात	31269.24	79.41	49807.88	63.40	45061.20	155.06
7.	महाराष्ट्र	123515.65	724.04	155798.77	828.13	253433.86	1079.83
8.	बिहार	15483.05	1892.47	15336.98	703.68	25296.35	2069.31
9.	असम	409.61	0.00	267.45	0.00	410.83	0.01
10.	आंध्र प्रदेश	23911.96	167.25	30724.23	799.74	50454.02	928.27
11.	कर्नाटक	38941.92	958.33	44993.45	1405.48	65769.39	3395.31
12.	तमिलनाडु	41804.73	379.97	57935.84	240.35	112204.20	3558.16
13.	केरल	190.54	9.01	107.88	44.23	279.68	0.71
14.	उड़ीसा	1518.07	0.08	1236.34	0.00	2658.20	0.00
15.	पश्चिम बंगाल	240.31	0.08	323.45	0.17	760.70	0.33
16.	नागालैंड	141.23	42.45	82.13	24.42	0.00	0.00
17.	पांडिचेरी	2012.52	0.01	2137.89	0.00	4027.13	1.18
18.	गोवा	638.55	0.00	452.74	0.00	1296.71	0.00
	समस्त भार	447193.73	7697.89	553990.43	6193.45	855038.77	18508.92

ग्रामीण कृषि विकास अधिकारियों को छात्रवृत्ति

632. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण कृषि विकास अधिकारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजने और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं; और

(घ) कृषि विज्ञान क्षेत्र में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए कितनी-कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) उच्च प्रशिक्षण की बी.एस.सी. (कृषि/बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.एस.सी. (कृषि)/एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) को डिग्री प्रदान करने संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की प्लान योजना 1978 से चल रही है।

(ग) जी हां। प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के कृषि/बागवानी/पशुपालन विभागों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को परिपत्र भेजे जाते हैं जिनमें यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने उम्मीदवारों का संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में चयन/नामांकन/प्रवेश करें।

(घ) (अ) बी.एस.सी. (कृषि)/बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/ को 400/- रुपये प्रति माह प्रति उम्मीदवार की दर से वजीफा तथा 750/- रुपये प्रति वर्ष प्रति उम्मीदवार की दर से पुस्तक अनुदान दिया जाता है।

(ब) एम.एस.सी. (कृषि)/एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/के लिये 500/- रुपये प्रति माह प्रति उम्मीदवार को दर से वजीफा तथा 1000/- रुपये प्रति वर्ष प्रति उम्मीदवार की दर से पुस्तक अनुदान दिया जाता है।

अमरनाथ यात्रा के समय हुई त्रासदी

633. श्री डी.पी. यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरनाथ त्रासदी की जांच का कार्य इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या अमरनाथ त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस धार्मिक यात्रा को सुरक्षित तथा सुखद बनाने के साथ पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च). अमरनाथ यात्रा त्रासदी की जांच-पड़ताल करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए उचित एवं पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने हेतु नियुक्त जांच अधिकारी, डा. नीतीश कुमार सेनगुप्ता को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है। सरकार ने जिला कलेक्टरों, जो दुखी परिजनों के लिए निकटतम सरकारी पदाधिकारी हैं, के माध्यम से मृतक तीर्थयात्रियों के परिजनों को अनुग्रहपूर्वक राहत का भुगतान करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को विस्तृत निर्देश दिए हैं।

[अनुवाद]

आई.सी.ए.आर. का कार्य-निष्पादन

634. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.सी.ए.आर. का वार्षिक बजट 800 करोड़ रुपये का है;

(ख) क्या इसके बावजूद कृषक समाज न तो परिषद के कार्य-निष्पादन से आश्वस्त है और न ही प्रभावित;

(ग) यदि हां, तो सरकार का देश के कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए परिषद के कार्यों का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ने इन प्रौद्योगिकियों से कृषक समुदाय को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है इसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है।

महाराष्ट्र में औषधि, रसायन और उर्वरक इकाइयों का कार्य-निष्पादन

635. श्री अनंत गुंदे : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र ने औषधि, रसायन और उर्वरकों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन गत 5-10 वर्षों से

धीरे-धीरे अपर्याप्त वित्तीय सहायता तथा सरकार की गलत नीतियों के परिणामस्वरूप गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उपक्रमवार कार्य-निष्पादन का ब्यौरा, निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्या था और निर्धारित मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया तथा कार्य-निष्पादन में गिरावट के क्या कारण थे;

(ग) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण/विस्तार/नई परियोजनाओं की स्थापना/विविधीकरण/उन्नयन के लिए क्या व्यापक कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(घ) प्रस्ताव को वर्तमान स्थिति तथा इसमें आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (एच.ए. एल.), पुणे, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड (आर सी एफ एल), मुंबई और महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एम ए पी एल) नागपुर का कार्य-निष्पादन पिछले 2-3 वर्षों में संतोषजनक नहीं रहा है। आर सी एफ एल ने अनेक विविधीकरण, स्तरोन्नयन विस्तार और विविधीकरण योजनाएं बनाई हैं जिसमें 400 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अनुसरण में एम ए पी एल ने उन उपायों के निर्धारण के लिए बी आई एफ आर को पत्र भेजा है जो कम्पनी के लिए अपनाए जाने हैं। एच ए एल ने पुनरूद्धार के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की है जिसमें बेहतर क्षमता उपयोग और विपणन प्रयास, उन्नत वस्तुसूची नियंत्रण पद्धति, शेष भूमि का विक्रय और जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना शामिल है।

तीस हजारी न्यायालय में अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था

636. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तीस हजारी न्यायालय, जो कि अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का केन्द्र रहा है, में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का पूर्णतया अभाव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एशिया की सबसे बड़ी निचली अदालतें, जिनमें प्रतिदिन करीब एक लाख व्यक्ति आते हैं, असामाजिक तत्वों और आतंकेवादियों के लिए "आसान लक्ष्य" बन गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब कभी कोई महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ किसी अदालत में पेश होता है, तो पुलिस उसी अदालत विशेष पर ध्यान केंद्रित करती है जबकि बाकी अपेक्षित रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). सामान्य कानून और व्यवस्था से निपटने के लिए तीस हजारी कोर्ट परिसर में 27 पुलिस कार्मिकों वाली एक पुलिस चौकी स्थापित है। वहां तैनात पुलिस कार्मिकों की लगातार निगरानी का ही परिणाम है कि न्यायालय परिसर में प्रतिदिन अनेक व्यक्तियों के आवागमन के बावजूद कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है।

(ग) और (घ). परिसर में स्थित किसी भी न्यायालय में जब भी किसी संरक्षित व्यक्ति को पेश होना होता है तो उक्त व्यक्ति की जान को खतरे की गंभीरता को देखते हुए, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाती है। तथापि, दूसरे न्यायालयें के लिए सामान्य सुरक्षा प्रबंधों की कीमत पर, ऐसा नहीं किया जाता है।

अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती

637. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के संबंध में बकाया देय की स्थिति पिछले पांच वर्षों से बदतर होती जा रही है और इसने गंभीर रूप धारण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष 30 अक्तूबर, 1996 तक राज्यवार बकाया देय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समस्या का हाल ही में उच्च स्तर पर समीक्षा की गई है और बकाया राशि की वसूली के लिए निर्णय ले लिया गया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई भर्ती का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केन्दीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों को कितनी अतिरिक्त श्रमशक्ति की आवश्यकता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की दरों में वृद्धि होने के कारण विभिन्न राज्यों से बकाया राशि में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा की जा रही है तथा राज्यों से बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) विवरण-II संलग्न है।

(ङ) सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 68.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत जिसे, 4-5 वर्षों में खर्च किया जाएगा, पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल की एक-एक बटालियन खड़ी करने हेतु स्वीकृति दी है।

विवरण-I

30.10.96 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि बताने वाला राज्य-वार विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सी.सु.बल	के.रि.पु.बल	के.ओ.सु.बल	भा.ति.सी.पु.	कुल
1.	असम	5.76	32.41	-	-	38.17
2.	आंध्र प्रदेश	5.21	23.67	0.12	0.69	29.69
3.	बिहार	-	-	-	0.08	0.08
4.	दिल्ली	-	53.15	60.07	-	113.22
5.	हरियाणा	0.05		-	-	0.05
6.	केरल	-	0.06	-	-	0.06
7.	कर्नाटक	-	-	0.07	-	0.07
8.	पंजाब	28.70	191.26	5.74	1.38	227.08
9.	राजस्थान	-	1.39	0.03	-	1.42
10.	तमिलनाडु	-	23.83	1.22	-	25.05
11.	उत्तर प्रदेश	0.04	43.63	4.13	0.42	48.22
12.	पश्चिम बंगाल	-	4.37	1.32	-	5.69
	कुल	39.76	373.77	72.70	2.57	488.80

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार भर्ती का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993	1994	1995
1	2	3	4	5
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस				
1.	असम	19		35
2.	आंध्र प्रदेश	-	18	208
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
4.	बिहार	30	-	10
5.	दिल्ली	08		79
6.	गुजरात	-	-	-
7.	गोवा	-	-	-
8.	हरियाणा	1	-	03
9.	हिमाचल प्रदेश	02	334	30
10.	जम्मू और कश्मीर	6	215	202
11.	केरल	-	-	04
12.	कर्नाटक	-	-	99
13.	महाराष्ट्र	-	-	17
14.	मध्य प्रदेश	1	-	-
15.	मणिपुर	9	-	-
16.	मेघालय	-	-	
17.	मिजोरम	-	-	-
18.	नागालैंड	-	-	-
19.	उड़ीसा	-	-	144
20.	पंजाब	128	-	661
21.	राजस्थान	-	-	60
22.	सिक्किम	-	-	-
23.	तमिलनाडु	-	-	35

1	2	3	4	5
24.	त्रिपुरा	20	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	69	515	134
26.	पश्चिम बंगाल	–	–	25
	कुल	293	1082	1746

सीमा सुरक्षा बल

1.	असम	209	323	189
2.	आंध्र प्रदेश	208	395	508
3.	अरुणाचल प्रदेश	23	–	06
4.	बिहार	786	584	487
5.	दिल्ली	170	67	97
6.	गुजरात	129	195	448
7.	गोवा	02	04	17
8.	हरियाणा	178	64	150
9.	हिमाचल प्रदेश	10	78	28
10.	जम्मू और कश्मीर	430	206	413
11.	केरल	139	183	209
12.	कर्नाटक	257	393	483
13.	महाराष्ट्र	89	297	732
14.	मध्य प्रदेश	138	334	543
15.	मणिपुर	22	25	29
16.	मेघालय	25	19	14
17.	मिजोरम	–	03	–
18.	नागालैंड	37	38	03
19.	उड़ीसा	198	210	262
20.	पंजाब	120	100	201
21.	राजस्थान	168	398	524
22.	सिक्किम	1	2	–
23.	तमिलनाडु	297	465	407
24.	त्रिपुरा	20	142	28
25.	उत्तर प्रदेश	455	1107	1034
26.	पश्चिम बंगाल	294	766	752
	कुल	4405	6458	7564

III. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

1.	असम	207	168	165
2.	आंध्र प्रदेश	865	412	158
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	–	–
4.	बिहार	501	830	317
5.	दिल्ली	71	146	100
6.	गुजरात	336	192	214
7.	गोवा	4	–	–
8.	हरियाणा	–	150	44
9.	हिमाचल प्रदेश	–	112	65
10.	जम्मू और कश्मीर	21	168	79
11.	केरल	–	113	153
12.	कर्नाटक	264	364	175
13.	महाराष्ट्र	645	401	428
14.	मध्य प्रदेश	623	466	228
15.	मणिपुर	73	24	92
16.	मेघालय	3	–	1
17.	मिजोरम	–	–	–
18.	नागालैंड	88	–	10
19.	उड़ीसा	297	385	97
20.	पंजाब		68	83
21.	राजस्थान	649	182	126
22.	सिक्किम	4	–	–
23.	तमिलनाडु	314	569	185
24.	त्रिपुरा	–	–	14
25.	उत्तर प्रदेश	187	682	364
26.	पश्चिम बंगाल	456	452	115
	कुल	5609	5885	3213

IV. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

1.	असम	50	200	100
2.	आंध्र प्रदेश	190	–	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	–	–
4.	बिहार	124	50	–
5.	दिल्ली	07	–	–
6.	गुजरात	208	150	–
7.	गोवा	–	–	–
8.	हरियाणा	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–

1	2	3	4	5
10.	जम्मू और कश्मीर	-	-	50
11.	केरल	-		-
12.	कर्नाटक	182	100	-
13.	महाराष्ट्र	687	-	-
14.	मध्य प्रदेश	482	300	-
15.	मणिपुर	15	-	-
16.	मेघालय	15	-	-
17.	मिजोरम	21	-	-
18.	नागालैंड	18	-	-
19.	उड़ीसा	109	100	-
20.	पंजाब	-	-	-
21.	राजस्थान	357	50	-
22.	सिक्किम	-	-	-
23.	तमिलनाडु	304	-	-
24.	त्रिपुरा	15	-	-
25.	उत्तर प्रदेश	171	-	
26.	पश्चिम बंगाल	249	250	-
	जोड़	3214	1200	150

खुली नीति

638. श्री संदीपान थोरात : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रा.दु.दि. बोर्ड द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सरकार की खुली नीति के बारे में की गई आलोचना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुली नीति के कारण नेशनल मिल्क ग्रिड पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, की गई सावधानियों/उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार डेयरी क्षेत्र तथा तिलहनों के क्षेत्र में खुली नीति में समुचित परिवर्तन/संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) जनहित में क्या नए कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख). आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी किए गए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन आदेश, 1992 के उपबंधों के तहत देश में डेयरी संयंत्रों को स्थापित करना पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण की मंजूरी देने पर निर्भर करता है। यह पंजीकरण अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित दुग्ध शैडों में विपणन योग्य अतिरिक्त दूध की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सभी डेयरियां चाहे वे भारतीय कंपनियों द्वारा अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित की गई हों, इस आदेश द्वारा शासित होती हैं। इस आदेश में सहकारी समितियों को तरजीह देने का प्रावधान है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। (क) तथा (ख). के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन

639. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :
श्री काशीराम राणा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान किन-किन खाद्यान्नों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम था;

(ख) उत्पादन खाद्यान्नवार कितना-कितना कम था; और

(ग) इसका सुरक्षित भण्डार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में जिन खाद्यान्नों का उत्पादन कम रहा, उनमें चावल, मोटे अनाज तथा दालें शामिल हैं।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान लक्ष्य, उत्पादन तथा लक्ष्य की तुलना में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन में आई कमी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

मिलियन मी.टन

फसल	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य की तुलना में वृद्धि/कमी
चावल	80.00	79.46	(-) 0.54
गेहूं	60.00	62.62	(+) 2.62
मोटे अनाज	36.50	29.95	(-) 6.55
दाल	15.50	12.97	(-) 2.53
कुल खाद्यान्न	192.00	185.00	(-) 7.00

(ग) 1 अक्तूबर, 1996 को खाद्यान्नों के स्टॉक की स्थिति, 1995 की इसी अवधि के दौरान 299.46 लाख टन की तुलना में 197.00 लाख टन थी।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

640. श्री विजय अन्नाजी मुडे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आजाद हिन्द फौज के सदस्यों या उनकी विधवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को इन स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत से बाहर कम से कम छः महीने की जेल/नजरबंदी की सजा भुगतने वाले भूतपूर्व आई.एन.ए. कार्मिक स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में सम्मान पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। उनकी विधवाएं जिन्होंने उसके बाद पुनर्विवाह नहीं किया है, भी उनके पतियों द्वारा भोगी गई यातनाओं के आधार पर परिवार पेंशन पाने की पात्र हैं। किसी आंदोलन में भाग लेने वालों की संख्या के बारे में अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, अभी तक उक्त योजना के अंतर्गत आने वाले भूतपूर्व आई.एन.ए. कार्मिकों तथा उनके पतियों/पत्नियों के संबंध में 22,044 मामलों में पेंशन प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

विकलांगों के लिए आरक्षण

641. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विकलांगों को आरक्षण देने संबंधी सरकार के वायदों की पुष्टि की है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित भारत सरकार में अब तक कितने विकलांगों की भर्ती की गई है; और

(ग) मानसिक रूप से विकलांग एवं व्याधियों से ग्रस्त कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग तथा लोक उद्यम विभाग से सूचना की प्रतीक्षा है।

(ग) यद्यपि मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी रोजगार कार्यालयों के वर्तमान रजिस्टरों में दर्ज विकलांगों सहित व्यक्तियों की संख्या के बारे में रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय से सूचना की प्रतीक्षा है।

रिफामाइसिन की कीमतें

642. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिफामाइसिन (क्षय रोधी औषधि) की कीमतों में कटौती की काफी पहले सिफारिश की गई थी जबकि इस संबंध में अंतिम निर्णय गत वर्ष के दौरान काफी बाद में लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपर्युक्त क्षय रोधी दवाइयों के निर्माता भी कई तरह की घपलेबाजी में लिप्त थे जिसके कारण सरकार को भारी राजस्व का घाटा हुआ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी गत वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे निर्माताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). प्रपुंज औषध रिफेम्पिसिन तथा उस पर आधारित सूत्रयोगों की कीमत कम करने में कोई अत्यधिक देरी नहीं हुई है क्योंकि इस अवधि के दौरान 1995-96 के लिए रिफेम्पिसिन नीति विचाराधीन थी जिसका रिफेम्पिसिन की कीमतों की घोषणा पर प्रभाव पड़ना था। रिफेम्पिसिन नीति पहले जून, 1995 में घोषित की गई थी और तदनुरूप प्रपुंज औषध रिफेम्पिसिन की कीमत 5695 रु. प्रति किलोग्राम से घटाकर 5220 रु. प्रति कि.ग्रा. की गई थी। इसके पश्चात् रिफेम्पिसिन सूत्रयोगों के पैकों की अधिकतम कीमतें 6.11.95 को कम की गई थी और पैकों से इतर की अधिकतम कीमतें क्रमशः 5.10.95 को कम की गई थी।

(घ) से (ङ). सरकार के नोटिस में अब तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

धन का दुरूपयोग

643. श्री ललित उरांव : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 से धनराशि के दुरूपयोग किये जाने के आधार पर बिहार सरकार की विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धन के दुरूपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत बिहार सरकार को निर्मुक्त अनुदान 1994-95 से रोक दी गई थी क्योंकि मई, 1994 में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत 1990-91 से 1993-94 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे से यह पता चला था कि 1989-90 से 1993-94 तक राज्य सरकार को निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता में से लगभग 70.50 करोड़ रुपए का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए इसे निर्मुक्त किया गया था। राज्य सरकार से लक्षित समूह के लिए कल्याण कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की समस्त राशि उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया था तथा यह सूचित किया गया था कि सिविल डिपोजिट में पड़े विशेष केन्द्रीय सहायता की समस्त राशि को निर्मुक्त और उपयोग होने, जिस उद्देश्य के लिए था, तक आगे और कोई निधियां निर्मुक्त नहीं की जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए बिहार सरकार को प्रदत्त निधियों को विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक से अनुरोध किया गया था।

सितंबर, 1996 में बिहार सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने सिविल डिपोजिट में पड़े विशेष केन्द्रीय सहायता की समस्त राशि को निर्मुक्त कर दिया है तथा 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97, 19.9.96 के दौरान उसका उपयोग कर लिया है। तथापि, यह देखा गया है कि 6.40 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार के पास बिना उपयोग के अभी भी पड़ी हुई है। इसी प्रकार, यह सूचना कि क्या सिविल डिपोजिट से निकाली गई निधियों का विशेष केन्द्रीय सहायता की दिशा निर्देशों के साथ विकासात्मक एजेंसियों द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई है, भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए राज्य सरकार से आगे निधियों के उपयोग पर स्पष्टीकरण/ब्यौरों की सूचना मांगी गई है ताकि इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सके।

(घ) और (ङ). उन गैर सरकारी संगठनों जिनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है और उन पर की गई कार्रवाई इस प्रकार हैं :—

पंडित बच्चन पांडेय महिला विकास संस्थान, गोपाल गंज के नाम जो अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान पा रहा है, द्वारा निधियों के दुरूपयोग के बारे में शिकायत की जांच संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई थी और यह पाया गया था कि इस संगठन को दिए गए अनुदान का दुर्विनियोग किया जा रहा है। इस संगठन के विरूद्ध मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरूपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत इसे दी गई निधियों के दुरूपयोग के बारे में प्राप्त एक अन्य शिकायत की जांच बिहार सरकार द्वारा की जा रही है।

2. दो संगठनों अर्थात् (1) हरिजन आदिवासी सेवा संस्थान, जिला पुर्णिया तथा (2) मेंटली रिटार्डेड एण्ड साइक्लोजिकल सफरर्स, पटना के विरूद्ध विकलांगों के कल्याण के लिए उन्हें दी गई निधियों के दुरूपयोग के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच करवाई गई थी तथा गैर सरकारी संगठनों से सरकारी अनुदान को ब्याज सहित वापस करने को कहा गया है।

3. वृद्धावस्था गृह चलाने के लिए इंदिरा गांधी समाज सेवाश्रम के नाम से एक संगठन को सहायता अनुदान 1995-96 की दूसरी किश्त से रोक दी गई थी क्योंकि सी.ए.पी.ए.आर.टी. ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ वृद्धावस्था गृह चलाने के संदर्भ में इस गैर सरकारी संगठन के विरूद्ध कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार तथा आपूर्तिकर्ताओं के बीच भुगतान शर्तें

644. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार तथा आपूर्तिकर्ताओं के बीच भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ख) आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान हेतु कितने बिल लंबित हैं और इन बिलों की कितनी धनराशि है तथा ये कब से लंबित हैं;

(ग) क्या सुपर बाजार भुगतान की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तथा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में अनुचित विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). सुपर बाजार, दिल्ली ने सूचित किया है कि वे सामान्यतः सप्लायरों को सहमत भुगतान शर्तों के अनुसार भुगतान कर रहे हैं जो अलग-अलग सप्लायरों के मामले में अलग-अलग हैं। भुगतान की अवधि आमतौर पर 3 दिन से 45 दिनों के बीच होती है। कभी-कभी सरकारी कार्यालयों तथा अन्य संगठनों से उधार बिक्री के मामले में भुगतान देरी से प्राप्त होने के कारण सप्लायरों को भुगतान विलंब से करना पड़ता है।

(ख) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 20.11.1996 की स्थिति के अनुसार सप्लायरों को भुगतान किए जाने वाले बिलों की कुल संख्या लगभग 2000 है जिनमें लगभग 8.00 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्निहित है। बिल प्राप्त करना, उस पर कार्रवाई करना और भुगतान करना एक अनवरत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भुगतान की शर्तों के अनुसार बिल एक दिन से लेकर 45

दिन तक लंबित रहते है। तथापि, सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों से वसूलियों में विलंब के कारण और/अथवा कार्रवाई के दौरान लगने वाली आपत्तियों के कारण कुछ बिलों के भुगतान में विलंब हो जाता है।

(ङ) सुपर बाजार द्वारा यह सूचित किया गया है कि वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने के लिए वे बिक्री में वृद्धि करने, उधार की बिक्री की प्रभावी वसूली के लिए कम्प्यूटरीकरण शुरू करने तथा कम लोकप्रिय ब्रांडों की छटंनी करने जैसे मालसूची नियंत्रण उपाय करने के प्रयास कर रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में गोदामों का निर्माण

645. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु गोदाम निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक अनुमति दिये जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु गोदामों के निर्माण के लिए केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर स्थायी वित्त समिति की 11 अक्तूबर, 1996 को हुई बैठक में विचार किया गया था।

(ग) समिति ने 5000 मी.टन की क्षमता वाले 16 गोदामों के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश को लगभग 124.20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया है। निधियां निर्मुक्त करने के लिए मंजूरी दिनांक 24 अक्तूबर, 1996 के पत्र संख्या 21/43/95-पी डी-1 के तहत पहले ही जारी की जा चुकी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार में बिक्री

646. श्री रामसागर : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा 1996 में अब तक सुपर बाजार की वार्षिक बिक्री कितनी थी;

(ख) सुपर बाजार के खातों का किस वर्ष तक लेखा परीक्षण कराया गया है;

(ग) लेखापरीक्षकों द्वारा उनके खातों में पाई गई खामियों/अनियमितताओं के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सुपर बाजार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन सालों के दौरान उनकी वार्षिक बिक्री इस प्रकार रही है :—

1993-94	115.20 करोड़ रुपए
1994-95	130.15 करोड़ रुपए
1995-96	136.54 करोड़ रूपए
1996-97	63.00 करोड़ रुपए
	(अप्रैल से सितम्बर, 1996 तक)

(ख) सुपर बाजार के 1995-96 तक के लेखाओं की लेखा परीक्षा की गई है।

(ग) सुपर बाजार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लेखा परीक्षकों द्वारा बताई गई मुख्य कमियां/अनियमितताएं निम्नवत हैं :-

(1) स्टॉक की कमी (2) स्टॉक के मूल्य नियंत्रण के बजाय मदवार नियंत्रण के बारे में सुझाव (3) विविध देनदारों पर पुराना बकाया देय (4) पंजीयक से ऋण सीमा के बारे में अनुमोदन न लेना (5) स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में रिकार्डों का रख-रखाव (6) पटेल नगर शाखा से संबंधित पार्टी द्वारा खरीदे गए माल के 11.78 लाख रुपए की देयताओं का भुगतान न किया जाना (7) बैंक समाधान।

(घ) सुपर बाजार प्रबंधन ने सूचित किया है कि उक्त सभी मदों के संबंध में उचित कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

गुजरात में चावल उत्पादक क्षेत्र

647. श्री एन.जे. राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषकर राज्य के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में चावल उत्पादक क्षेत्रों के नाम क्या-क्या है;

(ख) क्या राज्य में सरकार द्वारा कोई चावल अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) गुजरात में चावल उत्पादक क्षेत्र अहमदाबाद, बडोदरा, भडूच, वलसाड, डांग, गांधीनगर, खेड़ा, महसाना, पंचमहल, साबरकांठा, सूरत, जूनागढ़, तथ सुरेन्द्र नगर जिलों में हैं जिनमें से पंचमहल, वलसाड, सूरत, बडोदरा, भडूच तथा साबरकांठा विशेष रूप से राज्य के जनजातीय और पिछड़े हुए क्षेत्र हैं।

(ख) और (ग). वहां एक चावल अनुसंधान केन्द्र है जो गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के तहत नवसारी गांव में स्थित है। इस केन्द्र के लिए 1996-97 का वार्षिक प्लान बजट 7.00 लाख रुपये तथा आठवीं योजना का बजट 28.76 लाख रुपये है।

[अनुवाद]

गोल्ड प्लेटिंग यूरिया संयंत्रों के लिए जांच

648. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अक्तूबर, 1996 के नई दिल्ली के "दा फाइनैन्शियल एक्सप्रेस" में "यूरिया प्लांट्स अंडर इन्वैस्टीगेशन फार गोल्ड प्लेटिंग" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने गैस आधारित उर्वरक एककों के भुगतान पर रोक लगाने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) यूरिया संयंत्रों की स्थापित क्षमता के मूल्यांकन का प्रश्न बहुत समय से सरकार के विचाराधीन था। इस मुद्दे की गहराई से छानबीन के लिए एक तकनीकी समिति की नियुक्ति की गई है।

(ग) इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भोपाल गैस पीड़ितों को अंतरिम राहत

649. श्री सुशील चन्द्र : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों को दी जाने वाली 200 रुपए की मासिक अंतरिम सहायता की अवधि बढा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि से बढ़ाया गया है;

(ग) क्या एक लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को अंतरिम सहायता देने की अवधि भी इसी तरह बढ़ाई जायेगी जिस तरह से इसे उन पांच लाख व्यक्तियों के लिए पहले बढाया गया था जिनके संबंध में 1 मार्च, 1992 से अंतरिम सहायता देने का निर्णय पहले ही ले लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को अंतरिम सहायता देने की आखिरी तिथि क्या है?

रसायन और उर्वरक मत्रांलय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). जी, हां। इस अवधि को मई 1997 तक बढ़ा दिया गया है तथा इस सहायता को एक लाख अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए बढ़ाया गया है।

जनजाति के व्यक्तियों को तंग करना

650. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय व्यक्तियों द्वारा अपनी जाति संबंधी प्रमाण-पत्र के साथ-साथ माता पिता अथवा दादा दादी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र में हल्बा जनजाति के व्यक्तियों को अधिकारियों द्वारा अपने प्रमाण-पत्रों के साथ माता पिता और दादा दादी के जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारियों द्वारा तंग किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस अनिवार्यता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए केन्द्रीय सरकार के दिशा निर्देशों में उल्लेख है कि अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों को जारी करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारियों को उचित जांच करनी चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी जांच की जानी चाहिए कि क्या आवेदक और उसके माता-पिता वास्तव में दावा किए गए समुदाय से संबंधित हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक व्यक्तियों को ही ऐसे प्रमाण-पत्र जारी हों।

(ग) और (घ). महाराष्ट्र सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों को स्पष्ट करते हुए बताया है कि हलवा समुदाय से संबंध रखने का दावा करने वाले आवेदकों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र तभी जारी किए जाएंगे जब वे अपने पिता का प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य दस्तावेजी सबूत जो सक्षम प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करें। इस आशय को एक शिकायत प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 2.7.1996 तथा 31.7.1996 के स्पष्टीकरण जारी किए गए कि ऐसे आवेदकों को अपने माता-पिता के प्रमाण पत्रों तथा साथ ही दादा दादी के प्रमाण पत्रों के बिना अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएं।

पेट्रो-रसायन परियोजना में नए निवेश

651. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रो-रसायन लिमिटेड की अपनी परियोजनाओं में नया निवेश करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है जिसमें आई.पी.सी.एल. ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निवेश किया है; और

(ग) नवीं पंचवर्षीय योजना में आई.पी.सी.एल. द्वारा नई परियोजनाएं स्थापित करने तथा चालू इकाइयों के विस्तार करने के लिए क्या प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). 8वीं योजना अवधि में अनुमोदित नई और विस्तार परियोजनाओं में इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) द्वारा लगभग 4233 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। इस अनुमोदित राशि में से लगभग 2582 करोड़ रुपए 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में खर्च किए जाने की संभावना है और 1651 करोड़ रुपए की राशि 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जैसा कि 8वीं योजना अवधि के बाद प्रसारित अवधि में खर्च की जाएगी। उन परियोजनाओं, जिनमें आई.पी.सी.एल. द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश किया गया, के ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लागू करने के लिए आई.पी.सी.एल. के अन्य नए प्रस्ताव तैयारी के स्तर पर हैं।

विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित स्वीकृत लागत
1	2	3
1.	**गंधार काम्प्लेक्स**	
	डाउनस्ट्रीम उत्पादनों जैसे एच डी पी ई, एम ई जी, ई ओ, वी सी एम, पी वी सी और क्लोर अल्कली सहित 3 लाख टन प्रतिवर्ष इथाइलीन तैयार करने के लिए गैस क्रैकर।	3485
2.	**बड़ौदा काम्प्लेक्स**	
	(1) पॉलीप्रापिलीन	199
	(2) पॉलीबुटाडाइन रबड़	149
	(3) बुटाडाइन रिवैम्प	44
	(4) नैफ्था रिवैम्प	20
3.	**नागोथाणे काम्प्लेक्स**	
	(1) इथाइलीन एक्सपेंशन	86
	(2) एच डी पी ई विस्तार	250
	कुल	4233

[हिन्दी]

भारत-हालैण्ड परियोजना

652. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड के अधिकारियों का एक दल सितम्बर, 1996 में कानपुर में भारत-हालैण्ड परियोजना की पुनरीक्षा के लिए आया था;

(ख) यदि हां, तो भारत-हालैण्ड परियोजना के संबंध में दल की प्रतिक्रिया, दिए गए सुझाव तथा जानकारी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) एक संयुक्त पुनरीक्षण एवं निगरानी दल ने सितम्बर, 1996 में कानपुर का दौरा किया। इस दल ने कानपुर एवं मिर्जापुर में संस्थापन व क्रियान्वयन तथा सामुदायिक विकास परियोजना का पुनरीक्षण तथा भविष्य में कानपुर में गंगा कार्य योजना की सहायक परियोजना को तैयार करने के लिए धन दिए जाने का पुनरीक्षण किया था। उन्होंने स्थानीय नगर अधिकारियों तथा लखनऊ में उत्तर प्रदेश जल निगम अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया।

(ख) इस मिशन ने गंगा कार्य योजना चरण-II के अंतर्गत कानपुर दक्षिण गंगा कार्य योजना सहायता परियोजना के लिए 46 मिलियन डच गिल्डर मूल्य का एक प्रारूप पक्ष पत्र तैयार किया है।

(ग) बाद में यह प्रारूप पक्ष पत्र भारत में नीदरलैंड के दूतावास से प्राप्त हुआ था। इस मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मामूली सुझावों को शामिल करके इस प्रारूप पक्ष पत्र को दोनों सरकारों के बीच विनिमय के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया है ताकि परियोजना को शुरू किया जा सके।

[अनुवाद]

आई.एस.आई. चिन्ह वाली घटिया वस्तुएं

653. **प्रो. अजित कुमार मेहता :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मानक ब्यूरो को निर्माताओं द्वारा आई.एस.आई. चिन्ह धारण करने वाले घटिया वस्तुओं के विपणन के संबंध में प्रति माह शिकायतें प्राप्त होती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) सरकार ने निर्माताओं द्वारा घटिया वस्तुओं के विपणन को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). भारतीय मानक ब्यूरो को आई.एस.आई. चिन्हित उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में प्रतिमाह औसतन 8 से 9 शिकायतें प्राप्त होती हैं। 1 अप्रैल से 15 नवम्बर, 1996 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की गई जांच के दौरान यदि शिकायतें सही पायी जाती है तो संबंधित विनिर्माताओं के जरिए उन शिकायतों के निवारण की व्यवस्था की जाती है। किसी यूनिट को मानक चिन्ह के उपयोग हेतु लाइसेंस दिए जाने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आकस्मिक आविधिक निरीक्षणों के जरिए लाइसेंसधारी यूनिट पर निगरानी रखी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आई.एस.आई. चिन्हित उत्पादों की गुणवत्ता संगत भारतीय मानकों के अनुरूप बनी रहे, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बाजार से नमूनों की खरीद की जाती है और इनका ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में परीक्षण भी किया जाता है। यदि कोई फर्क/विसंगति पाई जाती है तो लाइसेंसधारी को उसके विनिर्माण और जांच की प्रक्रिया में सुधार लाने की सलाह दी जाती है, जिसके न करने पर लाइसेंसधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है जिसमें चिन्ह के प्रयोग पर रोक लगाना और उसका लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।

वैध भारतीय मानक ब्यूरो-लाइसेंस न रखने वाले संगठनों द्वारा निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं पर आई.एस.आई. चिन्ह के प्रयोग के संबंध में ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के उपबंधों, नियमों और विनियमों के अनुसार प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई की जाती है। प्रवर्तन संबंधी कार्य भी मॉनीटरिंग और समन्वयन हेतु ब्यूरो में अलग से प्रवर्तन विभाग कार्य कर रहा है।

विवरण

1 अप्रैल से 15 नवम्बर, 1996 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतें :—

(क)	प्राप्त शिकायतें	68
(ख)	सही पायी गई शिकायतें	36
(ग)	सही न पायी गई शिकायतें	22
(घ)	जांच के अधीन शिकायतों की संख्या	10

मसालों का उत्पादन

654. **श्री हरिन पाठक :**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार के मसालों का कुल कितना उत्पादन रहा?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) मसालों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मसाला विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित समेकित कार्यक्रम, जिसे आठवीं योजना के दौरान 125.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से क्रियान्वित किया जा रहा है, के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :-

1. अधिक उपज देने वाली किस्मों को गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री का उत्पादन तथा किसानों को उसका वितरण;
2. अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा उन्नत कृषि पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के खेतों पर क्षेत्र प्रदर्शन भू-खंडों की स्थापना।
3. मारक रोगों को मुकाबला करने के लिए समेकित पादप रक्षण उपायों को बड़े पैमाने पर अपनाना;
4. क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम तथा अनुत्पादक बगानों का पुनरूद्धार;
5. गैर-परंपरागत क्षेत्रों में मॉडल बगानों की स्थापना;
6. संगठित विपणन, उत्पाद विविधीकरण आदि को प्रोत्साहन; और
7. कृषक समुदाय को प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

(ख) आठवीं योजना के दौरान वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक उपलब्ध मसालों के उत्पादन का राज्य-वार कुल उत्पादन इस प्रकार हैं :-

(हजार मी.टन)

	राज्य	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	580	743	729
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	19	19
3.	असम	15	15	15
4.	बिहार	23	16	13
5.	गुजरात	209	143	220
6.	हरियाणा	13	11	12
7.	हिमाचल प्रदेश	2	1	11
8.	जम्मू और कश्मीर	1	1	1
9.	कर्नाटक	160	197	179
10.	केरल	113	111	115
11.	मध्य प्रदेश	143	155	177
12.	महाराष्ट्र	119	120	117
13.	मणिपुर	4	4	4
14.	मेघालय	44	45	57
15.	मिजोरम	11	13	13
16.	नागालैंड	5	2	3
17.	उड़ीसा	195	209	209
18.	पंजाब	20	17	18
19.	राजस्थान	293	316	249
20.	सिक्किम	23	7	7
21.	तमिलनाडु	158	212	161
22.	त्रिपुरा	5	6	6
23.	उत्तर प्रदेश	53	52	56
24.	पश्चिम बंगाल	79	78	84
25.	अन्य	4	7	1
	कुल	2289	2500	2466

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

655. डा. जयंत रंगपी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 50 में दिए गए निर्देश के बावजूद कुछ राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित ऐसे क्षेत्रों और राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संविधान के उक्त प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उद्देश्य दाण्डिक न्यायालयों की एक नई व्यवस्था हेतु प्रावधान करके, अखिल भारतीय आधार पर न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सुनिश्चित करने का है। संहिता की प्रयोज्यता का निर्धारण, संविधान के संगत उपबंधों के साथ पठित संहिता की धारा 1 द्वारा होता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के अभीष्ट वाली दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, निम्नलिखित राज्यों/क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है :-

1. आन्ध्र क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्र, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में तथा खम्माम जिले के तत्कालीन भद्राचलम और नूगर ताल्लुकों में हैं, जो पहले पूर्वी गोदावरी जिले में थे। तेलंगाना क्षेत्र में आदिलाबाद, वारंगल, महबूब और खम्माम जिलों में (भद्राचलम और नूगूर ताल्लुकों को छोड़कर);
2. अरुणाचल प्रदेश-पूरे राज्य में;
3. असम-करबी आंगलौंग और उत्तरी कछार नामक दोनों पर्वतीय जिलों में;
4. मेघालय-राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधी प्रावधान केवल शिलौंग के छावनी और "सामान्य" क्षेत्रों में लागू होते हैं;
5. मिजोरम - राज्य के आदिवासी इलाकों में। न्यायपालिका के चरणबद्ध पृथक्करण का काम अलग न्यायिक सेवा एवं न्यायालयों की अलग इमारतें बनाए जाने के द्वारा शुरू किया जा चुका है,
6. नागालैण्ड-पूरे राज्य में 5.7.94 को राज्य सरकार ने कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्णय लिया और इस निर्णय को लागू कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करना

656. श्री सुरेश प्रभु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मत्स्ययन हेतु जाने वाले मछुआरों के जान की रक्षा हेतु सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन्हें खतरों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). सरकार की नीति में विभिन्न उपयुक्त उपायों के जरिए मछुआरा समुदाय को मौसम तथा दुर्घटनाओं के प्रकोप से रक्षा करने पर विचार किया गया है उपर्युक्त नीतियों के अनुसरण में मछुआरा समुदाय के जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-

(I) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1985, 1987 में यथा संशोधित के अनुसार हर भारतीय मत्स्य नौका को भारत के किसी पत्तन या स्थान से समुद्र में जाने पर निम्नलिखित का होना आवश्यक है :-

- यदि नौका की लम्बाई 24 मीटर या इससे अधिक है और यह समीपस्थ क्षेत्र (कान्टीग्यूअसजोन) के बाहर चल रही है तो इसे स्किपर ग्रेड I का प्रमाण पत्र तथा मत्स्य नौका के मेट का प्रमाण पत्र,
- यदि नौका 24 मीटर या इससे अधिक लम्बी है और समीपस्थ क्षेत्र (कान्टीग्यूअस जोन) के भीतर चल रही है तो उसे स्किपर ग्रेड II का प्रमाणपत्र और मत्स्य नौका का मेट का प्रमाण पत्र,
- यदि नौका 24 मीटर से कम लम्बी है और यह कान्टीग्यूअस जोन के बाहर चल रही है तो इसके लिये स्किपर ग्रेड II और मत्स्य नौका के मेट का प्रमाण पत्र,
- यदि नौका 24 मीटर से कम लम्बी है और यह "कान्टीग्यूअस जोन" के भीतर चल रही है तो इसके लिये स्किनर ग्रेड-II का प्रमाण पत्र हो,
- यदि नौका 750 किलोवाट या इससे अधिक प्रणोदन शक्ति की है तो इसमें कम से कम एक मत्स्य नौका इन्जीनियर होगा जिसे मुख्य अभियंता कहा जायेगा और मत्स्य नौका चलाने वाला एक इंजन ड्राइवर होगा।
- यदि नौका की प्रणोदन शक्ति 350 किलो वाट या इससे अधिक लेकिन 750 किलोवाट से कम है तो इसमें कम से कम एक मत्स्य नौका इंजीनियर होगा जिसे मुख्य अभियंता कहा जायेगा।
- यदि नौका 350 किलोवाट से कम प्रणोदन शक्ति की है तो इसमें मत्स्य नौका चलाने वाला कम से कम एक इंजन ड्राइवर होगा जिसे प्रभारी अभियंता कहा जायेगा।

(II) समुद्र में चल रही या इसमें जाने वाली नौकाओं के लिये विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक उपकरणों और अग्नि शामक उपकरणों को रखना अनिवार्य बना दिया गया है।

(III) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एक सुस्थापित संगठन है जिसकी स्थापना चक्रवातों पर निगरानी रखने, उनका पता लगाने और उनकी दिशा और उनके बारे में भविष्यवाणी करने के लिये तथा समुद्र में यदि किसी चक्रवात की स्थिति पैदा होती है तो उसकी चेतावनी देने के लिये की गयी है।

गंगोत्री ग्लेशियर बैल्ट

657. श्री अमर पाल सिंह :
डा. मुरली मनोहर जोशी :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवंबर, 1996 में "द पॉयनियर" में पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षण में "पेरीनियल गंगोत्री टु पैरिश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गंगोत्री ग्लेशियर के क्षरण को कम होने को रोकने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यावरण संबंधी मंजूरी

658. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान करने की शक्ति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों को इस संबंध में क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति प्रत्यायोजन की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में और जनजातियों को शामिल करना

659. **श्री टी. गोपाल कृष्ण :**

डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ और जनजातियों को शामिल किए जाने के संबंध में प्राप्त अनुरोधों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रत्येक अनुरोध के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या विशाखापत्तनम जिले के सागर जाति के लोगों ने उक्त सूची में अपने नामों को शामिल किए जाने की मांग की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) वर्तमान वर्ष के दौरान कर्नाटक तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों से दो समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए सिफारिशें प्राप्त हुई है।

(ख) ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में उप्परा (सागर) समुदाय को सम्मिलित किए जाने के अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके इन अभिवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

नशे की लत से ग्रस्त लोग

660. **श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 की तुलना में 1994-95 में कल्याण केन्द्रों में कितने नशे की लत से ग्रस्त व्यक्तियों को दर्ज किया गया;

(ख) नशे के आदी व्यक्तियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) मद्य निषेध एवं नशीले पदार्थों पर रोक लगाने हेतु क्या नीति बनाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय रूप से सहायता प्रदान किए गए नशीली दवा निर्व्यसन/परामर्श/पुनर्वास केन्द्रों में दर्ज नशीली दवाओं के व्यसनियों की संख्या वर्ष 1986-87 में केन्द्रों में 1627 की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान 376 केन्द्रों में 3,12,118 थी।

(ख) इन वर्षों के दौरान निर्व्यसन/परामर्श केन्द्रों में दर्ज नशीली दवाओं के व्यसनियों की संख्या में वृद्धि का श्रेय अधिकांश रूप में केन्द्रों की संख्या में बहुआयामी वृद्धि तथा सरकार द्वारा कार्यान्वित मद्य निषेध तथा नशीली दवाओं के दुरूपयोग निवारण के उन कार्यक्रमों द्वारा उत्पन्न जागरूकता के सकारात्मक प्रभाव को जाता है जिन्होंने अनेक नशीली दवाओं के व्यसनियों को उपचार के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया है।

देश में नशीली दवाओं के दुरूपयोग की समस्या के विस्तार के संबंध में किसी राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अभाव में यह सिद्ध करना कठिन है कि देश में नशीली दवाओं के व्यसनियों में वृद्धि हो रही है। तथापि, शुरू किए गए विभिन्न अध्ययन नशीली दवाओं के दुरूपयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बताते हैं।

संगी साथियों के दबाव, उत्सुकता, औद्योगिकरण/शहरीकरण, बढ़ता तनाव, संयुक्त परिवार प्रथा की कमजोरी कुछ स्पष्ट कारण हैं, जिन्होंने व्यक्तियों को सामाजिक कुसमंजन तथा अलगाव जैसे मद्यपान तथा नशीली दवाओं के दुरूपयोग के प्रति संवेदनशील बना दिया है।

(ग) कल्याण मंत्रालय द्वारा 1985-86 से मद्यनिषेध तथा नशीली दवाओं के दुरूपयोग निवारण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें नशीली दवा जागरूकता, परामर्श तथा सहायता केन्द्र तथा निर्व्यसन व पुनर्वास केन्द्रों को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह मंत्रालय नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए जागरूकता सृजन, निवारक शिक्षा कार्यक्रमों तथा परामर्श, निर्व्यसन तथा पुनर्वास केन्द्रों के विस्तार करने को मजबूती प्रदान कर रहा है।

भारत पारिस्थितिकी परियोजना

661. **श्री विजय हाण्डिक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त प्रस्तावित भारत पारिस्थितिकी विकास परियोजना के अंतर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या विशेषज्ञों में इस परियोजना को आयोजना, इसका कार्यान्वयन और इसके उद्देश्यों के निर्धारण के बारे में कोई विवाद है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस विवाद के समाधान के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) विश्व बैंक ने 5 सितम्बर, 1996 को परियोजना के निधीयन को अनुमोदित किया है और 30 सितम्बर, 1996 को विश्व बैंक तथा भारत सरकार, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारों के बीच करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जहां पर परियोजना को कार्यान्वित किया जाना है।

(ख) और (ग). जी, हां। उठाए गए विवादों के ब्यौरे और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विशेषज्ञ दल द्वारा उठाए गए मुख्य विवाद निम्नवत् हैं :-

(1) जब वर्तमान निवेश का स्तर केवल 5-10 लाख प्रति क्षेत्र प्रति वर्ष हो तो लगभग 4-5 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति संरक्षित क्षेत्र के माडल व्यय को अपनाना।

(2) संरक्षित क्षेत्र के आसपास ऐसे उच्च निवेश से लोगों का एकत्रण अल्पनिवेश के क्षेत्रों से संरक्षित क्षेत्रों से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास होगा।

(3) 800 संरक्षित क्षेत्रों में से ऐसा व्यापक निवेश केवल 7 क्षेत्रों में किया जा रहा है। इससे अन्य क्षेत्रों की परिधि में रहने वाले लोगों में वंचित रहने की भावना उत्पन्न होगी जिससे उनमें अन्य संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण के प्रति भावशून्यता उत्पन्न होगी।

(4) उपस्कर, कार्यालय कार्य और अवसंरचना में इतने अधिक निवेश से संरक्षित क्षेत्रों के ढांचे में हम शहरी सुविधाएं पैदा कर रहे हैं जिससे संरक्षित क्षेत्र की प्रकृति और प्राकृति ढांचे का प्राचीन संतुलन बिगड़ जाएगा।

(5) कतिपय क्रियाकलाप विशेषकर वे क्रियाकलाप जिनका ध्येय परिधि में रहने वाले लोगों का आर्थिक दशा सुधारना हो, व्यापक रूप से ग्रामीण विकास की ओर प्रवृत्त हो जाती हैं।

सरकार इस कारण से इन बातों को विवादास्पद नहीं मानती कि 1983 में इस संबंध में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा नियुक्त कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर यह संकल्पना बनाई गई हैं। परियोजना में किए अथवा प्रस्तावित क्रियाकलाप राष्ट्रीय पारि-विकास स्कीम के लिए अनुमोदित ई एफ सी ज्ञापन में सूचीबद्ध गतिविधियों के अनुरूप हैं।

पारि-विकास के क्रियान्वयन हेतु सात संरक्षित क्षेत्र प्रायोगिक स्थल हैं जहां निवेश अत्यधिक प्रतीत होता है परन्तु वास्तविक व्यय 2000 रु. प्रति परिवार प्रति वर्ष निकलता है, जो कि परिधि में रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है।

अवसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ निर्माण और परामर्शी सेवाओं पर निवेश का प्रस्ताव प्रत्येक क्षेत्र की जरूरत के अनुसार है। इस माडल के सफल क्रियान्वयन से अधिक बाह्य वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है जिससे भविष्य हम और अधिक क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं।

बागवानी का विकास

662. **श्री के.पी. सिंह देव :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री नारायण अठावले :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार बागवानी के अंतर्गत राज्यवार अनुमानतः कितनी भूमि है और गत पांच वर्षों के दौरान बागवानी संबंधी भूमि, उत्पादन और निवेश में प्रतिशत वृद्धि सहित अनुमानित बागवानी उत्पाद का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार और राज्यवार बागवानी और पुष्प कृषि के विकास हेतु लागू की गयी परियोजनाओं का और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इनके अंतर्गत की गयी प्रगति की ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान राज्यवार और वर्षवार इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु और धनराशि मंजूर करने का है;

(ङ) यदि हां, तो उत्पादवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बागवानी उत्पादों के लिए फसल कटाई के उपरोक्त उन्नत अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु किये गये/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 30 जून, 1996 को स्थिति के अनुसार बागवानी के अंतर्गत अनुमानित भूमि की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बागवानी की मुख्य फसलों के क्षेत्र और उत्पादन संबंधी नवीनतम जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

वर्ष 1991-92 से 1993-94 के मध्य बागवानी फसलों की भूमि तथा उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

गत पांच वर्षों के दौरान बागवानी के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय स्तर पर दी गई राशि 520.94 करोड़ रुपये है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) विवरण-III संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार सहकारी समितियों, निगमित क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में शीतागार, पैकिंग व ग्रेडिंग केन्द्र, खुदरा दुकानों, यातायात वाहन आदि जैसी फसलोपरान्त बुनियादी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए धनराशि मुहैया कर रही है।

विवरण-I

बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन संबंधी जानकारी

क्षेत्र हैक्टयर में
उत्पादन मो.टन में

क्र.सं.	राज्यों का नाम	फल		सब्जियां	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	539925	6006030	154457	1420029
2.	अरुणाचल प्रदेश	24670	50266	17217	80117
3.	असम	100587	1166423	206257	1931874
4.	बिहार	295612	3711557	913970	13610198
5.	दिल्ली	922	9581	25334	463897
6.	गोवा	11200	100260	72	320
7.	गुजरात	117473	2251076	114500	1869900
8.	हरियाणा	16761	123300	75260	1155000
9.	हिमाचल प्रदेश	182304	325477	38325	537000
10.	जम्मू और कश्मीर	123923	867528	32900	353706
11.	कर्नाटक	242201	4196935	215293	4343088
12.	केरल	303123	1878572	243932	2789555
13.	मध्य प्रदेश	68256	1315210	181114	2551300
14.	महाराष्ट्र	372639	5776120	225492	2737625
15.	मणिपुर	21165	110000	4291	33000
16.	मेघालय	25435	236500	25436	238071
17.	मिजोरम	10211	43668	5635	45102
18.	नागालैंड	5867	55968	8664	107643
19.	उड़ीसा	201215	1490200	774978	7983536
20.	पंजाब	81766	727981	102500	1721379
21.	राजस्थान	20864	95005	67332	363164

1	2	3	4	5	6
22.	सिक्किम	8720	21557	7544	46911
23.	तमिलनाडु	179596	3620616	170922	4309043
24.	त्रिपुरा	46815	325550	31950	320850
25.	उत्तर प्रदेश (पहाड़ी)	179200	469511	84000	717850
	उत्तरी मैदान (मैदानी)	304847	3010529	624408	10359928
26.	पश्चिम बंगाल	134640	1458123	470300	4858500
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3716	16015	3307	18872
28.	चंड़ीगढ़	125	793	310	8720
29.	दादर व नगर हवेली	707	7100	1522	13565
30.	दमन व दीव	396	3375	48	869
31.	लक्षद्वीप	217	478	241	127
32.	पांडिचेरी	976	18151	2353	23379
	कुल	3626184	39478593	4829864	65094918

भारत में काजू का क्षेत्र व उत्पादन
(1994–95)

क्षेत्र : 000 हैक्टेयर
उत्पादन : 000 मी. टन

राज्य	क्षेत्र	उत्पादन
केरल	156.2	119.20
कर्नाटक	75.3	28.40
गोवा	47.5	10.96
महाराष्ट्र	58.2	24.96
तमिलनाडु	97.2	22.00
आंध्र प्रदेश	73.3	58.70
उड़ीसा	60.6	37.20
पश्चिम बंगाल	7.0	3.28
अन्य	1.9	0.30
योग	577.20	321.64

1994–95 के दौरान नारियल का राज्य–वार क्षेत्र व उत्पादन

	राज्य	क्षेत्र ('000 है.)	उत्पादन ('मिलियन गिरी)
1.	आंध्र प्रदेश	86.6	1181.4
2.	असम	17.3	116.5
3.	गोवा	24.6	118.0
4.	कर्नाटक	259.8	1345.4
5.	केरल	900.7	5303.0
6.	महाराष्ट्र	8.2	178.6
7.	उड़ीसा	38.4	219.5
8.	तमिलनाडु	272.8	3311.4
9.	त्रिपुरा	9.4	4.7
10.	पश्चिम बंगाल	21.6	274.4
11.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	24.4	85.4
12.	पांडिचेरी	2.1	31.8
13.	लक्षद्वीप	2.8	26.3
	अखिल भारत	1668.7	12196.4

विवरण–II

बागवानी सेक्टर में क्षेत्र व उत्पादन में वृद्धि

क्षेत्र : लाख हैक्टेयर
उत्पादन : लाख टन

जिन्स	1991–92		1993–94		प्रतिशत वृद्धि	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
फल	28.70*	286.3	39.40	394.7	37.3	37.9
सब्जियां	51.30	585.30	48.20	650.90	(–) 6.0	11.2
मसाले	20.05	19.00	23.23	23.77	15.9	25.1
नारियल	15.29	65.00*	16.32	79.95	6.7	23.0
(मिलियन गिरी)		(10,079)		(12335)		(22.4)
काजू	5.33	3.05	5.65	3.48	6.0	14.1
सुपारी	2.10	2.43	2.30	2.75	9.5	13.2
योग :	122.77	961.08	135.10	1155.55		

* 10043 मिलियन गिरी 6.5 मिलियन टन के बराबर

विवरण - III

बागवानी प्रभाग

1994-95 तक निधियों की निर्मुक्ति पर एजेंसीवार रिपोर्ट

(रुपये लाख में)

एजेंसी का नाम	1991-92			1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97				जोड उपयोग की गयी	जोड़
	अप्रयुक्त	निर्मुक्त	उपयोग की गयी	निर्मुक्त	उपयोग की गयी	निर्मुक्त	उपयोग की गयी	निर्मुक्त	उपयोग की गयी	निर्मुक्त	उपयोग की गयी	आवंटन	निर्मुक्त	उपयोग की गयी	निर्मुक्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आंध्र प्रदेश	6.50	166.65	145.32	260.41	167.55	606.50	203.90	860.59	227.52	466.08	815.04	1327.12	173.13		2539.66	1559.33	807.20
अरुणाचल प्रदेश	4.79	14.67	2.71	45.77	32.77	89.92	61.98	153.99	150.05	115.13	103.91	176.04	56.68		480.95	351.42	72.85
असम	1.45	22.74	13.55	48.75	30.51	81.01	14.50	62.03	73.25	39.26	46.10	86.86	11.93		267.17	178.01	77.23
बिहार	8.50	52.10	23.88	50.79	17.99	196.71	27.47	0.40	0.00	8.88		90.91	1.25		318.63	69.34	748.04
गोवा	0.78	18.23	14.77	39.59	38.35	108.45	37.28	178.01	109.08	140.44	120.06	242.61	101.25		586.75	319.54	165.96
गुजरात	8.34	221.15	214.33	431.21	250.43	203.29	232.80	347.03	94.26	54.45	101.02	432.08	.5		1265.97	892.84	372.63
हरियाणा	1.11	16.18	18.24	79.23	51.91	181.12	111.03	214.72	173.63	177.59	173.50	160.2	2		671.95	528.31	141.64
हिमाचल प्रदेश	0.00	132.75	0.00	150.51	18.29	181.80	123.96	109.96	22.55	26.75	136.14	155.58	13.5		615.27	300.94	300.83
जम्मू और कश्मीर	5.00	30.25	0.00	104.74	6.71	145.78	5.63	142.46	159.03	533.74	360.59	550.11	219.16		1181.13	531.96	430.01
कर्नाटक	1.74	112.81	117.10	422.54	379.16	771.78	491.53	1086.25	898.27	1485.29	1683.36	1186.01	187.57		4067.98	3569.42	310.99
केरल	3.23	522.97	447.83	857.37	877.88	1034.81	1067.94	2398.78	2013.90	1801.74	2200.41	2191.28	732.77		7391.67	6607.96	10.94
मध्य प्रदेश	0.78	120.83	110.05	203.91	192.67	312.31	184.91	419.28	279.67	497.09	229.13	578.15	13.9		1568.10	996.33	557.87
महाराष्ट्र	13.02	424.76	100.45	275.76	401.03	909.59	675.40	1694.89	1301.90	2722.30	2183.66	1764.15	218.82		6259.14	4662.44	1377.88
मणिपुर	5.49	11.17	1.50	25.06	13.46	41.13	32.22	117.13	65.69	162.69	97.97	123.36	8.94		371.61	210.84	151.83
मेघालय	0.00	11.17	5.02	19.04	10.13	41.86	10.22	74.88	39.50	48.92	62.20	57.11	10.8		203.67	127.07	65.80
मिजोरम	2.14	12.57	8.41	19.28	9.17	62.02	34.39	55.13	77.41	70.88	138.11	72.77	6.97		228.99	267.49	45.47
नागालैंड	0.00	8.88	1.02	23.40	7.58	35.99	31.68	61.37	61.87	101.29	104.71	54.28	8.58		239.51	206.86	24.07
उड़ीसा	10.43	46.04	22.28	62.52	35.90	278.00	64.29	298.57	183.79	386.47	289.89	396.22	79.03		1161.06	596.75	485.78
पंजाब	0.73	41.14	32.11	109.18	21.12	158.24	85.67	128.23	176.34	212.28	140.66	258.2	10		659.80	455.90	193.90
राजस्थान	0.00	92.74	40.00	140.15	87.02	137.09	56.11	206.12	89.11	147.92	245.00	243.41	16.18		740.20	517.74	206.78
तमिलनाडु	0.55	188.54	144.13	311.13	316.82	623.63	406.03	769.90	863.88	1222.41	948.46	924.32	168.6		3284.76	2679.32	436.84
त्रिपुरा	0.41	13.66	4.70	22.08	5.18	37.94	10.17	63.46	45.75	52.88	31.08	59.05	2.72		193.15	96.88	93.55
उत्तर प्रदेश	0.00	144.44	20.51	204.32	100.68	305.40	233.14	344.98	194.97	93.36	50.60	191.58	0		1092.50	699.90	492.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पश्चिम बंगाल	0.64	25.57	0.20	37.73	10.98	185.01	20.56	23.95	52.90	37.57	28.40	131.02	16.42		326.89	113.04	197.63
सिक्किम	0.00	6.62	6.86	23.98	26.18	62.23	9.58	131.41	61.13	49.28	115.11	67.12	6.78		280.30	218.86	54.66
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	14.83	8.41	24.14	16.25	39.41	9.99	56.16	14.01	30.73	19.27	41.15	7.88		173.15	67.93	97.34
चंडीगढ़	0.00	0.83	0.00	1.50	0.00	39.46	1.50	9.21	1.50	2.50		3.5	0		53.50	03.00	50.50
दादर व नगर हवेली	0.00	0.83	0.00	6.50	0.47	18.07	1.54	11.63	1.17	29.38		17.77	1.6		68.01	03.18	63.23
दमन व दीव	0.00	0.75	0.75	6.50	6.50	18.07	8.73	16.91		16.41		17.7	1.6		60.26	15.98	62.66
दिल्ली	0.00	2.65	1.59	11.17	3.66	50.99	10.16	13.66	4.72	37.00	9.50	35.56	0	3.5	134.47	33.13	104.84
लक्षद्वीप	0.00	0.25	0.00	5.00	0.00	17.94	0.00	12.69	0.00	19.25	45.97	22.68	3.6		58.73	45.92	9.16
पांडिचेरी		5.00		8.73	0.50	35.51	22.30	13.96	21.72	15.50	1.00	21.3	.5		79.20	45.52	33.18

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991

663. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 सितम्बर, 1997 में समाप्त हो रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह अधिनियम अलोकतांत्रिक और कठोर है जिसके कारण उपभोक्ताओं और व्यापारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं;

(ग) क्या सरकार को कुछ संसद सदस्यों तथा "फेडरेशन आफ आल इंडिया फूड ग्रेस डीलर्स एसोसिएशन" दिल्ली की ओर से इस अधिनियम की अवधि न बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 को निरस्त करने के लिए संसद सदस्यों और व्यापारिक समुदायों में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इन अभ्यावेदनों में यह कहा जाता है कि यह अधिनियम तब लागू किया गया था जब देश में खाद्यान्नों की नितांत कमी थी और चूंकि इस समय देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं है, अतः अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

(घ) और (ङ). आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम इसलिए लागू किया गया था कि राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालयों में मामलों का तेजी से निपटान सुनिश्चित कर सकें और साथ ही अपराधियों के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्रवाई भी कर सकें। इसको आगे जारी रखने अथवा न रखने के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करके यथा समय निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिल

664. श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितनी सहकारी चीनी मिलें चल रही हैं और इनमें से कितनी मिलों की आर्थिक स्थिति अच्छी है;

(ख) इनमें से कितनी चीनी मिलों पर सरकारी ऋण बकाया है;

(ग) चीनी मिलों द्वारा विभिन्न स्थानों पर गन्ने का अलग अलग अलग मूल्य देने के क्या कारण हैं जबकि इन स्थानों पर गन्ने के उत्पादन पर समान लागत आती है;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी स्थानों पर सभी गन्ना उत्पादकों को समान कीमत का भुगतान सुनिश्चित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) महाराष्ट्र राज्य में सहकारी क्षेत्र में 106 संस्थापित चीनी फैक्टियां हैं जिसमें से 104 मिलें 1995-96 (अक्तूबर, 1995 से सितम्बर, 1996 तक) मौसम के दौरान कार्यरत थीं। केन्द्र सरकार चीनी मिलों की वित्तीय सुदृढ़ता से संबंधित कोई आंकड़े नहीं रखती।

(ख) देश में स्थित सभी चीनी मिलों में से केवल एक चीनी मिल जो महाराष्ट्र (जीजामाता एस.एस.के. लि. साखरनगर, जि. बुल्डाना) है, के पास केन्द्र सरकार का ऋण बकाया है।

(ग) केन्द्र सरकार प्रत्येक चीनी मौसम से संबंधित क्षेत्रवार सांविधिक न्यूनतम देय गन्ना मूल्य अधिसूचित करती है।

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में घोटाला

665. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में करोड़ों रुपये के गबन के घोटाले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या पालिका के कार्यकरण का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अन्य कितने विभागों में ऐसी स्थितियां हैं;

(घ) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को सैकड़ों ऐसी दुकानें हैं जिन्हें नियमित किया जाना है तथा इनमें से नई दुकानों से मासिक लाइसेंस शुल्क भी नहीं लिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करने का कोई प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने हाल ही में, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 33 के अंतर्गत, एक मुख्य लेखा-परीक्षक की नियुक्ति की है। मुख्य लेखा परीक्षक की परिषद के लेखों की जांच और लेखा परीक्षा करने की सांविधिक जिम्मेवारी है, जिसके लिए लेखा संबंधी सभी रिकार्डों और पत्राचार को देख सकता है।

(ख) और (ङ). नई दिल्ली नगर पालिका परिषद बाजारों में दुकानों का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। नियमित करने का प्रश्न केवल सभी पैदा होता है जबकि आवंटी बदल जाए, आदि। इस प्रकार के सभी मामलों में यह सुनिश्चित करने के बाद ही आवंटन नियमित किया जाता है कि आवेदक निर्धारित मानदण्डों को पूरा करता है। इस प्रकार के मामलों के बड़ी संख्या में लंबित होने के बारे में कोई सूचना नहीं है। जो लाइसेंसी/लाईसेंस धारक की गयी मांग के अनुसार मासिक लाईसेंस फीस की अदायगी नहीं करते हैं उन्हें नोटिस जारी किए जाते हैं और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम के तहत अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

विवरण

अभी तक की गई जांच पड़ताल के दौरान यह पता चला है कि बिजली/पानी के बिलों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एन डी एम सी ने 1985 में एक ठेका, मेसर्स साफ्टवेयर कंसलटेन्टस इंडिया प्रा. लि. को दिया था। 1992 में इस फर्म को, उपभोक्ताओं से इन बिलों के संग्रहण का ठेका भी दे दिया गया।

2. इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1992 में संसद सौध किदवई नगर पालिका भवन और गोल मार्किट में 4 काउंटर और बाद में बंगाली मार्केट, काका नगर, निर्माण भवन, पालिका केन्द्र में और भी केन्द्र खोले गए।

3. चूंकि बिजली और पानी के बिलों को तैयार करने और इनके संग्रहण का काम एक ही एजेंसी को सौंपा गया था इसलिए यह एजेंसी, उपभोक्ताओं से बिलों की पूरी राशि एकत्र करती थी, उन्हें कम्प्यूटरीकृत रसीदें जारी करती थी और साथ ही इन रसीदों की प्रविष्टि कांप्यूटरों में करती थी। दैनिक संग्रहणों के उपरान्त इस एजेंसी के कुछ व्यक्ति, कम्प्यूटर में दर्ज दैनिक संग्रहण प्रविष्टियों की प्रतिलिपि एक अलग कांप्यूटर फाइल में तैयार करते थे और तत्पश्चात् भिन्न-भिन्न उपभोक्ताओं से वास्तव में एकत्र की गई राशि को कम करके इस फाइल में संग्रहण प्रविष्टियों में यत्र-तत्र हेराफेरी कर देते थे। इस प्रकार वास्तविक संग्रहण विवरण में दर्शाई गई राशि जो संग्रहीत नकदी के साथ अगले दिन एन डी एम सी में जमा की जा रही थी, के बीच अंतर की राशि का गबन किया जा रहा था।

4. वास्तविक संग्रहण को दर्शाने वाली कंप्यूटर फाइल का उपयोग, उपभोक्ताओं को आगे बिल जारी करने के लिए किया जाता था ताकि उपभोक्ताओं के बिलों में बकाया राशि न दिखाई दे। केवल प्राइवेट उपभोक्ताओं के बिलों में ही जोड़-तोड़ की जा रही थी।

5. यद्यपि जोड़-तोड़ युक्त विवरण, घटी हुई नकदी के साथ एन डी एम सी के रोकड़ अनुभाग में अगले दिन जमा करा दिया जाता था परन्तु वास्तविक संग्रहण को दर्शाने वाला विवरण एन डी एम सी के किराया अनुभाग में वर्ष की समाप्ति पर जमा कराया था और एन डी एस सी के संबंधित अनुभागों द्वारा इन दोनों विवरणों का मिलान कभी नहीं किया जाता था। इससे इस एजेंसी को लम्बी अवधि तक धोखाधड़ी जारी रखने का प्रोत्साहन/सामर्थ्य प्राप्त हुई।

6. अभी तक की गई जांच पड़ताल से पता चलता है कि उपर्युक्त कार्यप्रणाली के द्वारा इस एजेंसी के मालिक ने मार्च, 1996 से 27 सितम्बर, 1996 तक जबकि धोखाधड़ी का पता चला, लगभग 6 करोड़ रु. की राशि की हेराफेरी कर ली थी। थोड़ी थोड़ी रकमों में शुरू करके बाद में यह हेराफेरी 30 लाख रु. प्रति माह तक पहुंची प्रतीत होती है। घोटाले की आगे की जांच अभी भी प्रगति पर है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एन डी एम सी से अनुरोध किया है कि धोखाधड़ी के द्वारा जोड़ तोड़ की गई पूरी राशि का पता लगाने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मदद के लिए वे एक विशेष लेखा परीक्षा कराएं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

666. श्री दत्ता मेघे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) आठवीं योजना के दौरान कृषि विकास के लिए विभिन्न प्लान योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को अब तक 342 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है।

(ख) किसान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार, लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या आंकना कठिन है।

[अनुवाद]

आई.टी.बी.पी. के पास आधुनिक हथियारों की कमी

667. श्री जी.वेंकट स्वामी :

श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई. टी.बी.पी.) के महानिदेशक के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है

जिसमें उनहोंने परोक्ष युद्ध की स्थिति का सामना कर रहे अर्द्धसैनिक बलों को देश के संवेदनशील इलाकों में आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने में विलंब के प्रति चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उनसे प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उन प्रस्तावों की स्थिति क्या है; और

(ग) इस पर कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). अर्द्धसैनिक बलों में शस्त्र भंडार का उन्नीकरण, एक सतत प्रक्रिया है और अर्द्ध सैनिक बलों के मुखियाओं तथा केन्द्र सरकार के बीच ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार बातचीत होती है। इन बलों को नवीनतम शस्त्रों से सज्जित करने के प्रस्तावों पर आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जाता है और ऐसे प्रस्तावों पर शीघ्रता से निर्णय लिए जाते हैं बशर्ते कि ये शस्त्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध हों और इनकी खरीद के लिए धन भी। साथ ही ऐसे भंडार की तकनीकी संभाव्यता पर विचार किया जाता है।

यूरिया की आपूर्ति

668. श्री संतोष मोहन देव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यानुसार 52 प्रतिशत यूरिया की आपूर्ति कर दी है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक आपूर्ति की गयी यूरिया की राज्यवार स्थिति क्या है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी मात्रा में यूरिया की आपूर्ति की जाएगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). यूरिया की मांग का मूल्यांकन वर्ष के दौरान प्रत्येक फसल मौसम अर्थात् खरीफ और रबी के आरंभ में किया जाता है। खरीफ, 96 तथा रबी 96-97 (अक्तबूर, 96 तक) के दौरान ई सी ए आबंटन की तुलना में यूरिया का राज्यवार ई सी ए आबंटन तथा उपलबधता संलग्न विवरण में दी गई है। शेष मात्रा की आपूर्ति रबी 96-97 की बाकी अवधि के दौरान दी जाएगी।

विवरण

(आंकड़े 000 मी.टन)

क्र.सं.	नाम	खरोफ 1996		रबी 1996-97		
		ई.सी.ए. आबंटन	उपलब्धता	ई.सी.ए. आबंटन	31.10.96 की उपलब्धता	रबी 96-97 के दौरान शेषपूर्ति
1.	आंध्र प्रदेश	1047.31	1026.18	1119.69	322.28	797.41
2.	कर्नाटक	569.94	547.10	397.43	123.40	274.03
3.	तमिलनाडु	403.82	356.61	543.95	164.51	379.44
4.	गुजरात	605.00	565.12	611.74	110.53	501.21
5.	मध्य प्रदेश	557.20	566.57	566.21	144.24	421.97
6.	महाराष्ट्र	1158.85	1093.07	638.77	212.65	426.12
7.	राजस्थान	495.00	476.15	715.00	173.47	541.53
8.	हरियाणा	537.90	545.80	737.00	179.97	557.03
9.	पंजाब	998.51	963.58	1046.14	248.32	797.82
10.	उत्तर प्रदेश	2194.50	2198.71	2768.51	620.55	2147.96
11.	बिहार	725.36	761.52	714.63	185.40	529.23
12.	उड़ीसा	364.00	277.18	187.20	88.20	99.00
13.	पश्चिम बंगाल	469.52	424.62	661.36	158.13	503.23
14.	आसाम+एन ई स्टेट	111.50	99.18	99.17	17.43	81.74
15.	अन्य	209.32	168.60	176.28	29.75	146.53
	जोड़	10447.73	10069.99	10983.08	2778.83	8204.25

ई.सी.ए.-आवश्यक वस्तु अधिनियम

विकास गतिविधियां संबंधी कार्यक्रम

669. श्री एन. डेनिस : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण को प्रभावित किए बिना विकास गतिविधियां चलाने के लिए कोई कार्यक्रम अपनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). सरकार पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों सहित बड़ी विकासात्मक गतिविधियों को मंजूरी देती है।

[हिन्दी]

वन्य क्षेत्र

670. श्री शिवराज सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन भूमि के अंतर्गत और क्षेत्र लाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछली बार इस प्रकार का सर्वेक्षण कब किया गया था?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण 1981 से दो वर्षों में एक बार उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करके देश के वन क्षेत्र के मूल्यांकन का कार्य करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1991-93 की अवधि का पिछला मूल्यांकन किया गया है और "द स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1995" के रूप में 1996 में प्रकाशित किया है। किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

(क्षेत्र : वर्ग कि.मी.)

क्र.सं.	मूल्यांकन वर्ष	उपग्रह आंकड़ों की अवधि	वन्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
1.	1987	1981-83	642.041	19.52
2.	1989	1985-87	640.134	19.47
3.	1991	1987-89	639.182	19.44
4.	1993	1989-91	640.107	19.47
5.	1995	1991-93	369.600	19.46

नई सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

671. श्री सत्यदेव सिंह :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
कुमारी उमा भारती :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपराधियों पर नजर रखने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक नई सूचना प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा; और

(घ) इसे कब तक लागू किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). अपराधों, अपराधियों और सम्पत्तियों के बारे में सूचना एकत्र करने, उसका भण्डारण करने तथा उसके प्रसार के लिए सरकार ने अपराध का पता लगाने के उद्देश्य से त्वरित जवाबी सेवा के रूप में एक कम्प्यूटर नेटवर्क, नामतः अपराध-अपराधी सूचना सेवा, का गठन किया है। 570 जिला मुख्यालयों (जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो), 32 राज्य/संघ शासित राजधानियों (राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो) और राष्ट्रीय राजधानी (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो) में कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना पर अब तक, लगभग 27.92 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सभी कम्प्यूटर प्रणालियों में प्रचालन प्रणाली को लोड कर दिया गया है। कम्प्यूटर कार्य कर रहे हैं। डैटाबेस सृजन करने का कार्य भी शुरू हो चुका है।

[अनुवाद]

बंगलादेश में घुसपैठ

672. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भारी संख्या में बंगलादेशी घुसपैठिए पहुंच गए हैं;

(ख) क्या उड़ीसा की उत्तरोत्तर सरकारों ने ऐसी गंभीर समस्या पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बंगलादेशियों द्वारा घुसपैठ को रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) भारत में बंगलादेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में,

सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें बनाना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना, भूमि तथा तटीय-दोनों सीमाओं पर गश्त तेज करना, सीमा सड़कों तथा बाड़ का निर्माण करने के कार्यक्रम को तेज करना, सीमा निगरानी बुर्जों की संख्या में वृद्धि करना, तथा निगरानी उपकरण उपलब्ध कराना, इत्यादि शामिल हैं। इस मामले को विभिन्न अवसरों पर बंगलादेश सरकार के साथ भी उठाया गया है। इन उपायों की प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप में की जाती है।

[हिन्दी]

वृद्धों के लिए आवास

673. **प्रो. रीता वर्मा :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान बिहार में किन-किन स्थानों पर वृद्ध व्यक्तियों के लिए कितने आवास बनाए गए हैं;

(ख) इससे कितने व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है; और

(ग) इस कार्य के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान किन-किन स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया गया?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) कल्याण मंत्रालय वयोवृद्धों के गृहों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान नहीं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मृदा संरक्षण अभियान

674. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री मोहन रावले :
श्री नीतीश कुमार :
श्री संदीपान थोरात :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि उत्पादन दर बढ़ाने की दृष्टि से मृदा परीक्षण के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, इस संबंध में क्या नीति तैयार की गई है और प्रत्येक राज्य में कितने मृदा परीक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) पूरे देश में उक्त योजना को कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) इसके कार्यान्वयन पर अनुमानतः कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ). सरकार ने बहुत पहले ही "उर्वरकों का संतुलित और समेकित उपयोग" नामक योजना के अधीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना को बढ़ावा देने का निर्णय लिया था, जिसमें अपने संबंधित राज्यों में प्रत्येक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए 8.65 लाख रुपये तक राज्य सरकारों को सहायता देने का घटक शामिल किया गया था। सरकार ने राज्य सरकारों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से मृदा परीक्षण पर फ्रंट लाइन प्रदर्शन आधारित फसल अनुक्रिया प्रणाली शुरू करने के लिए एक नया घटक लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत 33 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया।

[अनुवाद]

उड़ीसा में वर्षा

675. **श्री भक्त चरण दास :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में विशेषकर कालाहांडी एवं नौपाडा जिलों में बहुत कम वर्षा के कारण 75 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य सहित उपरोक्त अवधि के दौरान इन जिलों में वर्षा संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राकृतिक आपदा राहत कोष से विशेषकर इन जिलों के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता आबंटित की गई और वास्तव में इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि जारी की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान खरीफ धान के अंतर्गत 39.96 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से 16.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की फसलें वर्षा कम होने के कारण भिन्न-भिन्न परिमाण में प्रभावित हुई है जिसमें से 9.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में तो 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई। कालाहांडी जिले में 2201 में से 98 गांवों में और नौपाड़ा जिले में 659 गांवों में से 68 गांवों में 75 प्रतिशत से अधिक फसल हानि हुई है।

(ग) 1996-97 के दौरान उड़ीसा को आपदा राहत कोष से 49.01 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जिसमें केन्द्र का हिस्सा 36.76 करोड़ रुपये तथा राज्य का हिस्सा 12.52 करोड़ रुपये है। वर्तमान सूखे की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने 36.76 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा अग्रिम रूप से जारी कर दिया है जिसमें 9.19 करोड़ रुपये की चौथी किश्त भी शामिल है। प्रधान मंत्री के दौरे के बाद गरीबी का शमन करने और रोजगार का सृजन करने के उद्देश्य से 30.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। राज्य में सूखे की स्थिति तथा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय टीम ने उक्त राज्य का दौरा भी किया।

[हिन्दी]

लघु राज्यों का सृजन

676. श्रीमती छविला अरविन्द नेताम :
श्री नारायण अठावले :
श्री तारीक अनवर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु राज्यों के सृजन के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से राज्य विचाराधीन हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). सरकार, शक्तियों के हस्तांतरण और राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्राधिकार के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में है। छोटे राज्यों के गठन के लिए कोई नीति नहीं बनायी गयी है।

[अनुवाद]

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद किया जाना

677. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अगस्त, 1996 को उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को एक माह के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक ऐसे प्राधिकरण का गठन करने का निदेश दिया था जिसे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने, जुर्माना लगाने और मुआवजा देने के बारे में आदेश देने की शक्तियां प्राप्त हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यायालय के निदेश के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी, हां। उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका संख्या 1991 का 914-वल्लौर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ तथा अन्यों, में दिनांक 28 अगस्त, 1996 की धारा (3) के तहत एक प्राधिकरण गठित करेगी और तमिलनाडु राज्य में चर्मशोधक कारखानों तथा अन्य प्रदूषक उद्योगों द्वारा उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए उक्त प्राधिकरण को सभी आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगी। यह प्राधिकरण उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करेगा और इसके वरीयता प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में सुविज्ञता वाले अन्य सदस्य भी हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। केन्द्रीय सरकार पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश देने और धारा 3 की उपधारा 2 के खंड (5), (6), (7), (8), (9), (10), और (12) में उल्लिखित मामलों में उपाय करने के लिए उक्त प्राधिकरण को शक्तियां प्रदान करेगी। उच्चतम न्यायालय में केन्द्रीय सरकार को 30 सितम्बर, 1996 से पूर्व प्राधिकरण को गठित करने का निर्देश दिया था।

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सरकार ने 30 सितम्बर, 1996 को तमिलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकीय क्षति (निवारण तथा प्रतिपूर्ति भुगतान) प्राधिकरण गठित किया है। 12 अक्तूबर, 1996 को यथा अधिसूचित प्राधिकरण का गठन निम्नवत है :-

1. न्यायमूर्ति श्री पी. भास्करन (मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश)	अध्यक्ष
2. सचिव, तमिलनाडु सरकार, पर्यावरण विभाग	सदस्य
3. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
4. डा. बी.बी. सुन्दरेसन, (पूर्व उप-कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय)	सदस्य सचिव

बचत तथा राहत योजना

678. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री मुछआरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित बचत तथा राहत योजना को जारी रखने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं। कृषि मंत्रालय ने इसे जारी रखने की सिफारिश की है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बागवानी का विकास

679. **श्री नारायण अठावले** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बागवानी संबंधी उत्पादों के काफी मात्रा में निर्यात की संभावना के मद्देनजर नौवीं योजना में बागवानी विकास के लिए विशेष कार्य योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य विशेषकर महाराष्ट्र और गोवा में केन्द्रीय परियोजना/योजना हेतु प्रस्तावित परिव्यय क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा योजनावार परिव्यय सूचित किए जाने के बाद ही राज्यवार और योजनावार परिव्यय को अंतिम रूप दिया जाता है।

[हिन्दी]

भारत में विदेशी नागरिक

680. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी नागरिक वैध पासपोर्ट के बिना भारत में रह रहे हैं; और

(ख) इन लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और ये लोग कितने समय से यहां रह रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के तहत केन्द्र सरकार की शक्तियां, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को, संविधान के अनुच्छेद 258/239 के अधीन उनसे पूर्व विचार विमर्श करके उन्हें सौंपी गई हैं। इन अधिनियमों के तहत विदेशियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई संबंधी आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। अवैध घुसपैठियों की समस्या का सरकार को जानकारी है तथा समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सुग्राही बनाया गया है तथा उनसे भारत में अवैध रूप से ठहरे हुए विदेशी नागरिकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उनको स्वदेश लौटाने के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु अनुरोध किया गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

681. **श्री बची सिंह रावत "बच्चदा"** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुल कितने कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या उपरोक्त केन्द्रों में तकनीकी और गैर-तकनीकी सुविधाएं पूर्णतः उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ये केन्द्र सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में दो कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, जो टिहरी गढ़वाल जिला के रानीचौरी तथा दूसरा पिथौरागढ़ जिला के पिथौरागढ़ में स्थित हैं, ये केन्द्र पंतनगर स्थित गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और गैर-तकनीकी स्टाफ की सहायता से इन केन्द्रों के कार्यकलापों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्य पिछड़े वर्गों से अभ्यावेदन

682. **श्री मंगा चरण राजपूत** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारें नौकरियों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण नीति का समानरूप से अनुपालन कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन की जा रही आरक्षण नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को विभिन्न आयोगों में भी उचित आरक्षण दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिसम्बर, 1995 तक उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में है।

(ग) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के उपबंध के अनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, धारा 2(ग) के उन व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उपबंध हैं जिन्हें पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्यों का नाम	आरक्षण का प्रतिशत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25
2.	असम	15
3.	अरुणाचल प्रदेश	–
4.	बिहार	26
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	27
7.	हरियाणा	27
8.	हिमाचल प्रदेश	20
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	कर्नाटक	32
11.	केरल	40
12.	मध्य प्रदेश	14
13.	महाराष्ट्र	32
14.	मणिपुर	–
15.	मेघालय	–
16.	मिजोरम	–
17.	नागालैंड	–
18.	उड़ीसा	27
19.	पंजाब	5
20.	राजस्थान	22
21.	सिक्किम	21
22.	तमिलनाडु	50
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तर प्रदेश	27
25.	पश्चिम बंगाल	5
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–
27.	चंडीगढ़	27
28.	दादर व नगर हवेली	5
29.	दिल्ली	27
30.	दमन व द्वीव	27
31.	लक्षद्वीप	–
32.	पांडिचेरी	27

[अनुवाद]

प्याज उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करना

683. श्री तारीक अनवर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में खरीददारी के अभाव में हजारों टन प्याज सड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्याज की खेती में भारी निवेश करने वाले किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). प्याज उत्पादकों का लाभ विपणन संबंधी घटकों द्वारा अधिशासित होता हैं। जब भी बाजार में कीमतों में गिरावट आती है, भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये मण्डी हस्तक्षेप योजना चलाती है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों के अनुरोध पर पूर्व निर्धारित कीमत पर किसी विनिर्दिष्ट मात्रा में सरकार जिंसों को खरीदती है। जब तक विपणन मूल्य में सुधार नहीं आ जाता है यह खरीद चलती रहती है। हाल ही में गोवा, कर्नाटक में प्याज उत्पादकों के मामले में किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वानिकी परियोजनाएं

684. श्री दादा बापूराव परांजपे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में सामाजिक वानिकी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें गांवों में किस हद तक किस प्रकार की सहायता मांगी जाती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में वानिकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) इन परियोजनाओं के क्रियान्वन के लिए मुख्य जोर विभिन्न गतिविधियों में लोगों की सहभागिता पर दिया जाता है। नियोजन, क्रियान्वयन, संरक्षण और लाभ हिस्सेदारी प्रक्रिया में सहभागिता के लिए ग्राम वन समितियां गठित की गई हैं।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उत्पादन

685. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस शताब्दी के अंत तक खाद्यान्न उत्पादन के चालीस करोड़ टन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य योजना पर कितनी लागत आएगी इस योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

यूरिया और डी.ए.पी. का आयात

686. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष, अक्तूबर, 1996 तक यूरिया तथा डी.ए.पी. का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार भिन्न-भिन्न पत्तनों से गंतव्य स्थानों तक आयातित यूरिया तथा डी.ए.पी. पहुंचाने के लिए ठेकेदारों को प्रतिटन कितनी राशि दी गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1996 तक 13.57 लाख यूरिया तथा 3.97 लाख टन डी ए पी का आयात किया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बन्दरगाहों से आयातित यूरिया गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए ठेकेदारों को प्रति टन दी गई भारित औसत धनराशि इस प्रकार है :-

वर्ष	धनराशि (रु./टन)
1993-94	910
1994-95	1081
1995-96	1090

इन वर्षों के दौरान आयातित डी ए पी के लिए भुगतान किए गए प्रबंध प्रभार उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि डी ए पी के आयात 17.9.1992 से असरणीबद्ध कर दिए गए हैं।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958

687. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 का विस्तृत अध्ययन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त अधिनियम, के कुछ प्रावधानों के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो आयोग द्वारा उक्त सिफारिशों के बारे में रिपोर्ट कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्पष्टतया इस विषय पर प्राप्त याचिका के आधार पर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की विस्तृत जांच करने का फैसला किया है। आयोग ने विस्तृत जांच/सिफारिशों के लिए संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियां मांगी है।

(ख) इस आयोग को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) आयोग ने इस अधिनियम की विस्तृत जांच शुरू की है और जांच पूरी होने के बाद ही रिपोर्ट/सिफारिश दी जा सकती है।

सीमा पर अवैध गतिविधियां

688. **श्री गोरधन भाई जावीया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और राजस्थान से लगे भारत-पाक सीमा पर गत दो वर्षों के दौरान अवैध गतिविधियों के लिए कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ख) क्या सरकार को इन क्षेत्रों में हाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आई.एस.आई.) की बढ़ी गतिविधियों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई आश्वासन दिया गया है; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों को अर्द्ध सैनिक बलों की उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त कम्पनियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) गुजरात तथा राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर अवैध गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :-

	1995	1996 (18 नवम्बर, 90 तक)
राजस्थान	1662	903
गुजरात	72	226

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) समय-समय पर आंकलन किया जा रहा है तथा आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) स्थिति को कारगरता के साथ सामना करने के लिए 1994-95 के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 5 अतिरिक्त बटालियनें खड़ी की गई तथा राजस्थान एवं गुजरात सीमा पर तैनात कर दी गई।

कृषि उत्पाद हेतु समर्थन मूल्य

689. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-96 की अवधि के लिए फसल-वार विभिन्न कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्यों पर वृद्धि दर क्या रही है;

(ख) उक्त अवधि में नारियल के समर्थन मूल्य की वृद्धि दर क्या रही है;

(ग) क्या अन्य कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में वृद्धि होने पर नारियल के समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). वर्ष 1992-93 से 1996-97 की अवधि के लिए विभिन्न कृषि जिन्सों जिनमें खोपरा भी शामिल है के फसलवार न्यूनतम समर्थन मूल्य व उनमें की गई वृद्धि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). कृषि लागत व मूल्य आयोग ने 1996 मौसम के लिए खोपरा हेतु मूल्य नीति संबंधी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि मिलिंग खोपरा और बॉल खोपरा दोनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किए जाने चाहिए और उत्पादकों को उचित मूल्य समर्थन दिया जाना चाहिए, जो कि 1996 मौसम में अधिकतम विपणन की अवधि के दौरान केन्द्र और राज्य की नामित एजेंसियों द्वारा खोपरा के मंडी हस्तक्षेप/खुले बाजार की खरीद के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन खोपरा उत्पादकों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1995 के लिए खोपरा के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् अच्छी औसत क्वालिटी के बॉल खोपरा के लिए 27215 रु. प्रति क्विंटल और अच्छी औसत क्वालिटी के मिलिंग खोपरा के लिए 2500 रु. प्रति क्विंटल की दर पर खरीद जारी रखने का निर्णय लिया है।

विवरण

कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य के संबंध में विवरण
न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रु. प्रति क्विंटल)

ग्रेड	किस्म	गुणवत्ता	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8
धान			270 (17.4)	310 (14.8)	340 (9.7)	360 (5.9)	380 (5.6)
मूल्य विचन, फाइन तथा एस.एफ			10.00	20.00	20.00	15.00	15.00-20.00
ज्वार			240 (17.1)	260 (8.3)	280 (7.7)	360 (7.1)	310 (3.3)
बाजरा			240 (17.1)	260 (8.3)	280 (7.7)	300 (7.1)	310 (3.3)
मक्का			245 (16.7)	265 (8.2)	290 (9.4)	310 (6.9)	320 (3.2)
रागी			240 (17.1)	260 (8.3)	280 (7.7)	300 (7.1)	310 (3.3)
गेहूं			330@ (20.0)	350 (6.1)	360 (2.9)	380 (5.6)	415 (9.2)
जौ			260 (23.8)	275 (5.8)	285 (3.6)	295 (3.5)	305 (3.4)
तर (अरहर)			640 (17.4)	700 (9.4)	760 (8.6)	800 (5.3)	840 (5.0)
मूंग			640 (17.4)	700 (9.4)	760 (8.6)	800 (5.3)	840 (5.0)
उड़द			640 (17.4)	700 (9.4)	760 (8.6)	800 (5.3)	840 (5.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
चना			600 (20.0)	640 (6.7)	670 (4.7)	700 (4.5)	740 (5.7)
छिलका युक्त मूंगफली			750 (16.3)	800 (6.7)	660 (7.5)	900 (4.7)	920 (2.2)
सोयाबीन	काला		475 (20.3)	525 (10.5)	570 (8.6)	600 (5.3)	620 (3.3)
	पीला		525 (18.0)	580 (10.5)	650 (12.1)	680 (4.6)	700 (2.9)
सूरजमुखी बीज			800 (19.4)	850 (6.3)	900 (5.9)	950 (5.6)	960 (1.1)
तोरिया तथा सरसों			760 (13.4)	810 (6.6)	830 (2.5)	860 (3.6)	890 (3.5)
तोरिया			725 (12.4)	780 (7.6)	800 (2.6)	825 (3.1)	
कुसुम			720 (12.5)	760 (5.6)	780 (2.6)	800 (2.6)	830 (3.8)
कपास			800 (15.1)	900 (12.5)	1000 (11.1)	1150 (15.0)	1180 (2.6)
			950 (13.1)	1050 (10.5)	1200 (14.3)	1350 (12.5)	1380 (2.2)
जूट			400+ (6.7)	450+ (12.5)	470+ (4.4)	490+ (4.3)	510+ (4.1)
गन्ना #			31.00 (19.2)	34.50 (11.3)	39.10 (13.3)	42.50 (8.7)	
तम्बाकू (वी एफ सी.)	काली मृदा		16.00 (8.5)	18.00 (12.5)	18.50 (2.8)	19.00 (2.7)	19.00 (-)
(रु. प्रति कि)	हल्की मृदा		17.50 (19.4)	20.00 (14.3)	21.00 (5.0)	21.50 (2.4)	22.00 (2.3)
कोपरा	मिलिंग		N.A.	2150 $	2350 $ (9.3)	2500 $ (6.4)	2500 $ (-)
	बाल		N.A.	2350 $	2575 $ (9.6)	2725 $ (5.8)	2725 $ (-)
सीसमम						850	870 (2.4)
राम तिल						700	720 (2.9)

(इस स्तर में प्रति 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर प्रीमियम के अनुपात में 8.5 प्रतिशत की आधारभूत वसूली

+ नोगांव असम में

N.A. घोषित नहीं

ा-तेज

@ (25.00 रुपये के प्रति-क्विंटल बोनस सहित)

$ (क्रमशः कलेण्डर वर्ष के लिए)

नोट : 1 कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं।

2. 1991-92 के आंकड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

चीनी पर उपकर

690. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक चीनी पर उपकर के रूप में कितनी राशिं वसूल की गई है और इसमें से कितनी राशि चीनी विकास कोष में दी गई है;

(ख) क्या इससे धन वितरित भी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्यवार कितनी चीनी मिलों को इस कोष से ऋण दिया गया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी राशि वितरित की गई है; और

(ङ) इस संबंध में अभी तक कितनी आवेदन लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथ नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद निषाद) : (क) चीनी पर उपकर के रूप में एकत्रित की गई कुल राशि (अगस्त, 1996 तक) 1871.50 करोड़ रुपए थी और 1656.00 करोड़ रुपए की राशि चीनी विकास निधि में अंतरित की गई है।

(ख) जी, हां। सितम्बर, 1996 तक 890.66 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

(ग) और (घ). संलग्न विवरण के अनुसार।

(ङ) चीनी मिलों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण आज तक आधुनिकीकरण के ऋण के लिए 14 आवेदन पत्र और गन्ने के विकास के लिए ऋण हेतु 34 आवेदन पत्र लंबित पड़े हुए हैं।

विवरण

1994-95 तथा 1995-96 के दौरान चीनी मिलों की संख्या तथा निधि से अग्रिम ऋण को दर्शानेवाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	1994-95		1995-96 (लाख रुपये में)	
		मिलों की सं.	राशि	मिलों की सं.	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	2	63.77	1	45.36
2.	बिहार	1	387.00	3	543.60
3.	गुजरात	-	-	1	305.88
4.	गोवा	-	-	1	23.72
5.	हरियाणा	-	-	2	125.73
6.	कर्नाटक	-	-	1	455.00
7.	महाराष्ट्र	13	2319.39	7	1120.266
8.	उड़ीसा	2	463.64	-	-
9.	पंजाब	1	96.36	1	43.47
10.	तमिलनाडु	5	1007.56	1	25.96
11.	उत्तर प्रदेश	6	2015.01	8	2817.13
	कुल	30	6352.73	26	5506.116

[अनुवाद]

उपभोक्ता कल्याण निधि

691. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने, उनके लिए सेवा और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के कार्य में लगे स्वैच्छिक संगठनों की सहायता के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत किन-किन उपभोक्ता संरक्षण संगठनों को सहायता दी गई और इन्हें किस तरह से सहायता दी गई;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और इन संगठनों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या राज्य में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को अनुदान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी, हां। उपभोक्ता कल्याण कोष को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के संशोधित उपबंधों के तहत वर्ष 1992 में स्थापित किया गया जिसका समग्र उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण को सवंर्धन और संरक्षण देना और देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत बनाना है।

(ग) कोई भी एजेंसी/संगठन, उपभोक्ताओं, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ग्राम/मंडल/समिति स्तर की सरकारी समितियां, जो तीन वर्षों से उपभोक्ता कल्याण से संबंधित क्रियाकलापों से जुड़ी हुई हैं तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत पंजीकृत हैं, उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में यथापरिभाषित कोई उद्योग जो पांच वर्षों से कम्हीं ऐसे व्यवहार्य और उपयोगी अनुसंधान कार्यों में लगा हुआ है, जिनसे आम खपत के उत्पादों के लिए मानक चिह्न के निर्धारण में उल्लेखनीय योगदान मिला है या मिलने की संभावना है, राज्य सरकारें आदि, जैसा कि नियमों में प्रावधान किया गया है, भी उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं।

(घ) ऐसे संगठनों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च). राजस्थान से प्राप्त हुए कुल प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(छ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता के लिए बड़ी संख्या में प्राप्त प्रोजेक्टों को देखते हुए बताना कठिन है कि इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी। ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि प्राप्त आवेदनों को उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	स्वीकृत राशि (रु. में)	स्वीकृति की तारीख	अनुदान का उद्देश्य
1.	राजस्थान महिला कल्याण मंडल आनन्दपुरा, टोपदारा, अजमेर-305001	68400.00	08.11.94	कार्यशालाएं, शिविर, कठपुतली शो आयोजित करने और प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए
2.	प्राचीन कठपुतली कला संस्थान बी-55, इन्द्रपुरी, लालकोठी, योजना, जयपुर।	67050.00	08.11.94	120 कठपुतली शो आयोजित करने के लिए
3.	कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसाइटी, जयपुर	436500.00	08.11.94	उपभोक्ता दिशा निर्देशिकाएं, प्रशिक्षण, मैनुअल, अध्ययन/रिपोर्ट आदि प्रकाशित करने के लिए
4.	अजमेर जिला ग्रामीण उपभोक्ता समिति, मसूबा, अजमेर	155250.00	31.05.95	उपभोक्ता जागरण शिविर आयोजित करने और साहित्य छापने के लिए
5.	गांधी नवयुवक मंडल, बमन बरोदा, गंगानगर सिटी, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर।	27000.00	17.11.95	उपभोक्ता शिविर आयोजित करने के लिए
6.	राजस्थान महिला प्रशिक्षण, उद्यम एण्ड विकास संस्थान, जयपुर।	18000.00	17.11.95	उपभोक्ता शिविर आयोजित करने के लिए
7.	मारूति सेवा समिति उपभोक्ता मंच, 57, लोहा बाजार, उदयपुर।	45000.00	30.09.96	प्रतियोगिताएं प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित करने के लिए
8.	बांसवाड़ा सहकारी उपभोक्ता लोक भंडार लिमिटेड, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट	67500.00	30.09.96	श्रव्य दृश्य और मुद्रण सामग्री तैयार करने और जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए
9.	कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसाइटी (सी.यू.टी.एस.), जयपुर	498600.00	30.09.96	अनुसंधान प्रलेखन और संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देशों से परामर्श करने के लिए

कर्नाटक को खाद्यान्नों की आपूर्ति

692. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की औसत मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक मात्रा की तुलना में गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की औसतन कितनी मात्रा स्वीकृत की जा रही है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोटा बढ़ाए जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा कोटा बढ़ाए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). 1995-96 और 1996-97 के वर्षों में कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और अन्य खाद्यान्नों का मासिक औसत आवंटन और उठान निम्नानुसार था :-

(हजार टन में)

	वर्ष	प्रतिमाह औसत आवंटन	प्रति माह औसत उठान
गेहूं	1995-96	30.00	18.29
	1996-97	29.55	21.75*
चावल	1995-96	120.26	78.58
	1996-97	120.70	84.87*

*सितम्बर, 1996 तक

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में अपने गेहूं के मासिक कोटे को 30,000 टन से बढ़ाकर 50,000 टन करने का अनुरोध किया है। राज्यों को आवंटन करने वाली अंतरमंत्रालयीय समिति को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

693. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कुनारूकम कोट्टायाम में कृषि केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, नहीं। फिर भी, केरल कृषि विश्वविद्यालय के नियंत्रण में कुनारूकम, कोट्टायम में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार सिद्धांत रूप से तैयार की गई है।

(ग) नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने योजना आयोग से अतिरिक्त कोष की सिफारिश की है। इसलिए, कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए उचित समय बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

पशु प्रजनन परियोजनाएं

694. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बछड़ों की संख्या में वृद्धि करने संबंधी योजना जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष संकर नस्ल के बछड़े पैदा किए जाते हैं, की वर्तमान स्थिति क्या है और इस योजना की उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) इस योजना पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ग) देश में चल रही पशु प्रजनन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, तथा ये कहां-कहां स्थित हैं और इनकी उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन परियोजनाओं का कोई मूल्यांकन किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) "हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विकास" नामक योजना, जिसके तहत पशुओं के आनुवांशिक उन्नयन के उद्देश्य से हिमित वीर्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गई है, सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई है। यह अनुमान है कि प्रति वर्ष 31.96 मिलियन कृत्रिम गर्भाधान किए जाते हैं।

(ख) 1995-96 के दौरान वार्षिक व्यय 528.96 लाख रुपये था तथा छठी पंचवर्षीय योजना में योजना के आरंभ से कुल व्यय 4144.36 लाख रुपये है।

(ग) पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत 7 केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म हैं। इनका विवरण इस प्रकार हैं :-

फार्म का नाम/स्थान	राज्य	पशुओं की नस्ल/प्रकार
1. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर	राजस्थान	थारपरकर
2. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म,-चिकित्सा जिला सम्बलपुर	उड़ीसा	रेड सिंधी, वर्ण संकर
3. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड सूरत	गुजरात	सुरती भैंस
4. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, अलामाधी मद्रास	तमिलनाडु	मुर्राह भैंस
5. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, अंवेशनगर लखीमपुर खीरी	उत्तर प्रदेश	हॉल्सटिन फ्रिजियन वर्ण-संकर
6. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, हैस्सरपट्टा बंगलौर नार्थ	कर्नाटक	हॉल्सटिन फ्रिजियन
7. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सिमिलीगुड़ा कोरापुट	उड़ीसा	जर्सी

इन फार्मों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक कुल 1659 सांड बछड़े पैदा किए हैं।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मों द्वारा सांड उत्पाद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा उपलब्धियों का नियमित रूप से मॉनीटर और समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

अवैध प्रवासी अधिकरणों द्वारा अवधारण अधिनियम, 1983

695. श्री चित्त बसु :
श्री पी.आर. दास मुंशी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अवैध प्रवासी अधिकरणों द्वारा अवधारण अधिनियम, 1983 का निरसन/संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो संशोधन/परिवर्तन किये जाने का आधार तथा स्वरूप क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान। इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

विशेष कार्य बल

696. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
कुमारी उमा भारती :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में एक "कार्य बल" का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कार्य बल द्वारा कितनी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सिफारिशों पर कार्यवाही आरंभ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). दिल्ली के उप-राज्यपाल, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस का अधीक्षण और नियंत्रण है, ने 6 सितम्बर, 1996 को पुलिस आयुक्त के नियंत्रणाधीन, घृणित अपराधों, भूमि हड़पने, सम्पत्ति से बेदखल करने जैसे गंभीर अपराधों के मामलों की जांच करने तथा इस संबंध में सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ तथा भ्रष्ट कार्यों की जांच के प्रयोजनार्थ, एक "स्पेशल टास्क फोर्स" का गठन किया है। अतः यह बल अनिवार्यतः एक जांच-पड़ताल करने वाला निकाय है। इसने अभी तक गांव नसीर पुर में ग्राम सभा की जमीन की कथित अवैध बिक्री के एक मामले की जांच का कार्य हाथ में लिया है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य

697. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1996-97 के खरीफ मौसम के लिए धान की तीन किस्मों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिए अन्य खाद्यान्नों जैसे गेहूं इत्यादि के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). वर्ष 1996-97 में प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं पूर्व वर्ष की तुलना में की गयी वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	1995-96 की तुलना में 1996-97 में की गई वृद्धि	
1	2	3	4	5
1.	धान	सामान्य	380	20
		फाइन	396	20
		सुपर फाइन	415	20
2.	मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा और रागी)		310	10
3.	मक्का		320	10
4.	गेहूं		415	35
5.	जौ		305	10
6.	चना		740	40
7.	अरहर		848	40
8.	मूंग		840	40
9.	उड़द		848	40
10.	गन्ना			
11.	कपास	एफ-414/एच-777	1180	30
		एच-4	1380	30
12.	छिलेक सहित मूंगफली		920	20
13.	पटसन टीडी-5 ग्रेड		510	20
14.	रेपसीड सरसों		890	30
15.	सूरजमुखी बीज		960	10
16.	सोयाबीन	काली	620	20
		पीली	700	20
17.	कुसुम		830	30
18.	तोरिया			
19.	तम्बाकू (वीएफसी)		19.00	-
	काली मृदा (एफ-2 ग्रेड) (रुपये प्रति क्विंटल)			
	हल्की मृदा (एल-2 ग्रेड)		22.00	0.50
20.	खोपरा	मिलिंग	2500	-
	(कैलेण्डर वर्ष)	गोला	2725	-
21.	तिल		870	20
22.	रामतिल		720	20

धान की खरीद

698. श्री डी.पी. यादव : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू खरीफ मौसम के दौरान धान की श्रेणी निर्धारित करने संबंधी नीति में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अक्तूबर, 1996 तक गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में धान की कुल कितनी खरीद की गई है; और,

(घ) चालू वर्ष के दौरान धान की खरीद, यदि कोई की गई है, में कमी के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 1996-97 में 31.10.1996 तक केन्द्रीय पूल के लिए 47.27 लाख टन धान की वसूली की गई है जबकि पिछले मौसम की इसी अवधि के दौरान 47.21 लाख टन धान की वसूली की गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिपाहियों की भर्ती

699. श्री अशोक प्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खुर्जा संसदीय क्षेत्र के किन-किन स्थानों पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पुलिस बलों में सिपाहियों की भर्ती की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार खुर्जा संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों को केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती के संबंध में प्राथमिकता देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) शून्य।

(ख) से (घ). केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में कान्स्टेबलों की भर्ती राज्य स्तरीय आधार पर की जाती है, न कि निर्वाचन क्षेत्र-वार। विभिन्न राज्यों के जनसंख्या अनुपात के अनुसार उन्हें वार्षिक रिक्तियां आवंटित की जाती है तथा विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भर्ती रैलियों के केन्द्रों का चयन किया जाता है। खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

[अनुवाद]

कांस्टेबल पद को समाप्त किया जाना

700. श्री जी.एम. कुंटूरकर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कांस्टेबल पद को समाप्त करते हुए उपनिरीक्षक पद को सबसे निचला पद बनाए रखने हेतु पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख श्री जे.एफ. रिबैरो द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है।

प्रधान मंत्री की सुरक्षा

701. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विशेष सुरक्षा ग्रुप अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि प्रधान मंत्री तथा उनके परिवार के निकटतम सदस्यों को इस विशेष रूप की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जा सके;

(ख) यदि हां, तो पूर्व प्रधान मंत्रियों को दी गई इस विशेष सुरक्षा ग्रुप व्यवस्था के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष सुरक्षा ग्रुप अधिनियम में संशोधन करने की वांछनीयता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). विशेष संरक्षा ग्रुप कवर, मौजूदा प्रधान मंत्री तथा उनके परिवार के निकटतम सदस्यों तक सीमित रखने के लिए विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय योजनाओं का निष्पादन

702. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आम तौर पर और विशेष रूप से शुष्क भूमि क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों को बेहतर ऋण सुविधाएं और अन्य प्रोत्साहन एवं आदान संबंधी समर्थन प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लाभार्थ तैयार की गई केन्द्र सरकार की योजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गयी हैं। इन योजनाओं से किसानों को, जिनमें छोटे और सीमांत किसान भी आते हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से मदद मिलती है। राज्य सरकारों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि इन योजनाओं का लाभ कृषक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिलाया जाए। विचार विमर्श, समीक्षा बैठकों, फील्ड दौरों आदि के दौरान इन अनुदेशों को दोहराया जाता है। बहरहाल, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसानों का चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। चूंकि छोटे और सीमांत किसानों को मिलने वाला लाभ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अतः इस संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा दे पाना मुश्किल है।

जहां तक ऋण का संबंध है, सहकारी साख संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए योजनाएं शुरू की गयी हैं, ताकि किसानों को आदानों आदि की खरीद के लिए अधिक ऋण संवितरित किया जा सके। किसानों के लाभार्थ नकद ऋण सीमा के रूप में लचीली ऋण व्यवस्था भी लागू की गयी है।

विकलांग व्यक्तियों हेतु रियायतें

703. श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बधिर बालकों के लिए विशेष रियायत की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विकलांगता/समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के उपबंधों में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो अधिनियम में संशोधन कब तक कर दिये जायेंगे?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्य सरकारी तथा पब्लिक स्कूलों, सहायता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त न करने वाले दोनों, में विकलांगता से ग्रस्त बच्चों के दाखिले को सुनिश्चित करने की मांग से मुख्य रूप से संबंधित है। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन सुझाया गया है।

(ग) फिलहाल नहीं। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा सहायक यंत्र तथा उपकरणों को निःशुल्क/कम दर के साथ श्रवण विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाने के प्रयोजन के लिए पहले ही अनुदान दिया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ करना

704. श्री संदीपान थोरात : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ बनाने और वानिकीकरण, वन संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सतत् संवाद हेतु एक प्रणाली के गठन के संबंध में कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और इस समस्या से निपटने के लिए कार्यवाही योजना तैयार करने के लिए सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों और राज्य के पर्यावरण सचिवों की बैठक बुलाई गई थी;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिए इस संबंध में तैयार की गई लघु और दीर्घावधि नीतियों और कार्यवाही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किन-किन परियोजनाओं के लिए धन मुहैयार कराया गया है अथवा मुहैया कराने का प्रस्ताव है और इस संबंध में इस परियोजना की वर्तमान स्थिति/उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). जी, हां। राज्य प्रदूषण विभाग/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार "प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता" नामक चालू स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वित्तीय सहायता विशिष्ट अध्ययनों/परियोजना प्रस्तावों, प्रयोगशालाओं के लिए उपस्कर उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा एकत्रित 75 प्रतिशत जल उपस्कर की प्रतिपूर्ति भी प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को उपलब्ध किया जाता है।

17-18 सितम्बर, 1996 को नई दिल्ली में राज्य सरकारों/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के प्रतिनिधियों के साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अन्तःवार्ता बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान जिन कुछ पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी वे निम्नवत हैं :-

1. मझौले और लघु उद्योगों में अपशिष्ट न्यूनीकरण।
2. परिसंकटमय अपशिष्ट न्यूनीकरण।
3. परिसकंटमय रसायनों का सख्त प्रभाव और हथालन के बारे में स्थल पर और स्थल बाह्य आपात योजना।
4. औद्योगिक एस्टेटों के नियोजन और प्रबंधन में पर्यावरणीय निहितार्थ।
5. नान कनफोर्मिंग क्षेत्रों से उद्योगों को हटाकर चुने गए औद्योगिक स्थलों में ले जाना।
6. पर्यावरणीय विवरण।
7. साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना।
8. अति प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषक उद्योगों के स्थल नियतन पर प्रतिबंध।
9. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का सुदृढ़ीकरण।
10. उद्योगों के स्थल नियतन के लिए जोनिंग एटलस।
11. 17 श्रेणियों के अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण और देशी उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई।
12. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना।
13. अस्पताल अपशिष्टों सहित नगर पालिका और परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन।

यद्यपि वनीकरण आदि के बारे में राज्य सरकारों के साथ बातचीत की कोई औपचारिक कार्यविधि नहीं है, तथापि विशिष्ट मुद्दों पर संबंधित राज्य सरकार के विभागों/अभिकरणों के साथ बैठकें आयोजित की जाती है। पांच राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा पांच राज्यों के वन सचिव राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि विकास बोर्ड के सदस्य है जो बोर्ड की बैठकों में भाग लेते हैं।

(ङ) द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निधीयन अभिकरणों द्वारा उपलब्ध की जा रही विदेशी सहायता से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ किया जा रहा है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रदूषण नियंत्रण और निवारण परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात,

महाराष्ट्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक राज्य के बोर्ड आते हैं। उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्डों का निधीनयन नार्वेतियाई सहायता से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य बोर्डों की निधीनयन डच सहायता से किया जा रहा है। केरल को नीदरलैंड्स सहायता, पश्चिम बंगाल को जापानी सहायता; आंध्र प्रदेश को आस्ट्रेलियायी सहायता तथा दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, असम के राज्य बोर्डों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जर्मन सहायता कार्यक्रम के तहत सुदृढ़ किया जा रहा है।

पूर्णकालिक राज्यपाल

705. **प्रो. पी.जे. कुरियन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पूर्णकालिक राज्यपालों की नियुक्ति नहीं की गई है;

(ख) क्या केरल में पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल, गोवा के राज्यपाल का कार्यभार, हरियाणा के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार तथा कर्नाटक के राज्यपाल, केरल के राज्यपाल का कार्यभार संभाल रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के अधीन एक ही व्यक्ति को दो या इससे अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

भ्रूण संबंधी अनुसंधान कार्यक्रम

706. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने विभिन्न संस्थानों में भ्रूण अंतरण संबंधी अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किए गए थे;

(ख) क्या उक्त अनुसंधान कार्यक्रम अभिकरण से व्यावहारिक रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य संगठनों द्वारा दी गई धनराशि सहित इस कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई; और

(घ) कितने भ्रूण विकसित किसानों को दिए गए?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

707. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया** :
श्री काशीराम राणा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी उद्योग के लिए लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने से किसानों को क्या-क्या लाभ होंगे और सरकारी खजाने में कितनी वृद्धि होगी?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त करने संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है।

सामुदायिक वन प्रबंधन

708. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित गैर-सरकारी संगठन द्वारा लगाए गए अनुमान के आधार पर संरक्षित क्षेत्रों में सामुदायिक वन प्रबंधन की अवधारणा में विश्व बैंक ने रूचि दिखलाई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधारणा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता/बिना सहायता के देश के विभिन्न भागों में सामुदायिक वन प्रबंधन को व्यवहार में लाने हेतु तथा इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) विश्व बैंक की सलाह पर रूरल लिटिगेशन एण्ड एन्टाइटलमेंट केन्द्र (आर.एल.ई.के.) देहरादून ने इस विषय पर अपने द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट विचार के लिए मंत्रालय को भेजी है।

(ख) और (ग). यह विचाराधारा संयुक्त वन प्रबंध के उन दृष्टिकोणों तथा पारि-विकास के उन प्रयासों का लगभग मिला-जुला रूप है जो क्रमशः विभिन्न वन क्षेत्रों तथा वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्रों में पहले से ही अमल में हैं। तथापि, सुझाई गई कार्यनीति का सुरक्षित क्षेत्रों में क्रियान्वयन केवल वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के कानूनी प्रावधानों के ढांचे में ही हो सकता है।

उड़ीसा में कल्याणकारी योजनाएं

709. श्री सौम्य रंजन : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्धार के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये योजनाएं कब से शुरू की गई हैं;

(ग) क्या सरकार इन योजनाओं की प्रगति की निगरानी कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). उड़ीसा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान की कल्याण की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उनका कार्यान्वयन कब से किया जा रहा है वह संलग्न विवरण में दिया गया है।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उत्थान की कोई अलग से विशिष्ट योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) और (घ). योजना की आवधिक रूप से और योजना की अवधि के समाप्त होने से पूर्व समीक्षा की जाती है। योजना की पुनः राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों और लक्ष्य समूहों की आवधिक बैठकों में समीक्षा की जाती है और बैठकों के दौरान किये गये निर्णयों की सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाये जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	ये योजनाएं किस समय कार्यान्वित हुई
1	2	3
1.	एस.सी.ए. से एस.सी.पी.	1980
2.	अनुसचित जाति विकास निगम को सहायता	1978-79
3.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त एवं विकास निगम	1989-90
4.	सफाई कर्मचारियों और उन पर आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास	1991-92
5.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	1994-95
6.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे अभिभावकों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां	1977-78
7.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	1978-79
8.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल	1961-62
9.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल	1989-90
10.	कोचिंग और सम्बद्ध योजनाएं	1961-62
11.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की मैरिट का उन्नयन	1987-88
12.	पी.सी.आर. अत्याचार अधिनियम का कार्यान्वयन	1980-81
13.	अनुसूचित जाति के स्वयं सेवी संगठनों को सहायता	1979-80
14.	अनुसूचित जाति के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण	1950-51
15.	डा. अम्बेडकर शताब्दी	1990-91
16.	आदिवासी उपयोग के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1990-91
17.	अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1979-80
18.	लघुवन उत्पाद कार्यों के लिए राज्य आदिवासी विकास निगम को सहायता अनुदान	1992-93
19.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के होस्टल	1961-62
20.	अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के होस्टल	1989-90
21.	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय	1990-91

1	2	3
22.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	1992-93
23.	आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की साक्षरता विकास के लिए कम साक्षरता क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसर	1993-94
24.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण :-	
	(क) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान तथा अनुसंधान फैलोशिप के लिए पुरस्कार	1950-51
	(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय अथवा अन्तरराज्यीय किस्म की समर्थन परियोजनाएं	1950-51
25.	ट्राइफेड में निवेश	1987-88
26.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	1987-88
27.	ट्राइफेड को सहायता अनुदान	1987-88
28.	तेल तथा तिलहनों का विकास	1987-88

सुपर बाजार में माल सूची

710. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र विभाग सहित सुपर बाजार की माल सूची बिक्री की तुलना में अधिक बड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले बारह महीनों में माहवार और प्रभाग वार बिक्री और माल सूची का ब्यौरा क्या है; और

(घ) माल सूची को 15 दिन की आवश्यकता तक के लिए रखने और अव्यवहार्य प्रभागों को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) (ख) और (घ). सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वे अपने वस्त्र विभाग की माल सूची की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं। इस विभाग की माल सूची जो अक्तूबर, 1995 में 64.84 लाख रु. थी, को सितम्बर, 1996 में कम करके 50.84 लाख रु. तक कर दिया गया है।

(ग) सुपर बाजार के विभिन्न विभागों में अक्तूबर, 1995 से सितम्बर, 1996 की अवधि में माल सूची का ब्यौरा दर्शाने वाले एक विवरण I और II संलग्न हैं।

विवरण-I

अक्तूबर, 95 से सितम्बर, 96 तक सुपर बाजार, दिल्ली की विभागवार बिक्री/मालसूची

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	विभाग	अक्तूबर, 95		नवम्बर, 95		दिसम्बर, 95		जनवरी, 96		फरवरी, 96		मार्च, 96	
		बिक्री	मालसूची	बिक्री	मालसूची	बिक्री	मालसूची	बिक्री	मालसूची	बिक्री	मालसूची	बिक्री	मालसूची
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	किराना/प्रसाधन	683.12	739.37	671.97	752.90	733.62	740.47	656.19	690.10	656.45	697.40	673.86	588.66
2.	वस्त्र	7.99	64.84	10.28	64.34	29.33	57.60	11.64	49.03	7.29	49.68	11.24	52.48
3.	घरेलू	33.76	66.82	34.83	62.46	34.60	66.52	32.88	61.33	25.94	57.47	63.06	47.68
4.	घड़ी	4.20	11.41	3.13	13.23	1.91	10.55	2.55	10.42	3.82	9.32	2.84	8.08
5.	हथकरघा	12.66	12.32	15.36	12.01	17.06	12.17	13.00	11.85	10.67	14.30	33.62	16.57
6.	पुस्तकें/लेखन सामग्री	68.11	60.68	68.32	61.81	68.82	56.62	68.14	52.12	66.65	87.21	104.36	67.02
7.	कार्यालय/ऑटोमैशन	57.09	16.74	73.03	21.33	60.71	36.79	54.28	20.06	102.28	2.70	297.72	81.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	खेल/खिलौने	1.73	4.37	0.99	3.88	1.00	3.40	1.30	2.52	2.29	4.60	4.57	4.06
9.	जूता	11.99	25.05	12.62	26.25	12.51	23.87	12.62	23.86	13.36	22.60	15.26	20.90
10.	आर.एम.जी.एस.	9.75	22.71	25.21	20.11	32.04	18.98	19.95	20.36	11.09	23.87	8.89	20.24
11.	औषधि	103.03	107.01	97.72	120.47	99.03	113.36	88.17	105.86	87.04	107.73	99.09	102.47
12.	साईकिल	8.77	6.89	10.92	9.92	13.48	9.55	8.85	12.03	10.36	9.08	16.15	7.46
13.	हाईवेयर/रंगरोगन	3.27	6.08	19.18	6.70	5.42	6.80	7.68	6.17	4.70	6.33	16.36	6.04
14.	फल/सब्जी	7.52	1.58	6.74	1.05	7.27	0.47	5.50	0.24	5.38	0.28	5.31	0.17
15.	फर्नीचर	77.52	-	74.36	-	122.98	-	84.15	-	108.49	-	277.16	-
16.	मोमबत्ती	4.57	1.01	0.27	0.95	0.15	0.81	0.13	0.73	0.09	0.82	0.28	0.80
17.	पटाखे	8.73	1.13	0.01	1.20	-	8.82	-	8.69	-	8.69	0.15	8.36

विवरण–II

क्र.सं.	विभाग	अप्रैल, 96		मई, 96		जून, 95		जुलाई, 96		अगस्त, 96		सितंबर, 96	
		बिक्री	मालसूची	बिक्री	मालसूची	बिक्री	मालसूची	बिक्री	मालसूची	बिक्री	मालसूची	बिक्री	मालसूची
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	किराना प्रावधान	625.18	697.45	648.84	724.84	663.36	716.81	681.61	738.09	732.65	638.46	711.65	581.26
2.	कपड़ा	6.57	49.96	18.33	45.16	13.65	49.09	13.87	47.76	9.77	49.86	7.78	50.84
3.	घरेलू	31.00	55.67	54.93	61.02	45.06	62.01	37.48	51.05	29.50	48.72	29.03	24.80
4.	घड़ा	4.85	8.20	3.31	7.60	1.31	6.94	1.64	7.89	1.66	7.62	1.75	5.93
5.	हथकरघा	11.14	18.54	14.22	19.34	13.69	24.10	16.02	21.38	13.74	17.36	15.30	27.47
6.	पुस्तकें/ लेखन सामग्री	63.30	71.47	64.21	70.72	47.86	67.44	86.08	58.31	81.00	67.06	72.09	52.70
7.	कार्यालय/ ऑटोमेशन	27.83	71.89	46.11	79.26	80.23	14.78	74.38	9.60	39.24	5.57	59.83	5.59
8.	खेल/खिलौने	1.02	4.37	0.99	4.24	0.90	3.15	0.71	3.97	1.17	3.65	0.62	3.05
9.	जूता	8.92	19.88	13.77	14.23	10.43	14.67	11.63	14.53	11.21	13.38	11.07	11.40
10.	आर.एम.जी.एस.	2.55	22.25	8.35	17.93	14.44	7.30	62.80 (*)	39.34	5.31(*)	29.77	8.82	12.42
11.	औषधी	79.39	97.42	91.12	109.70	87.06	114.51	87.92	107.02	90.13	119.06	86.59	106.22
12.	साइकिल	5.59	6.29	8.77	8.25	8.97	8.77	10.39	10.61	8.76	8.59	13.02	5.65
13.	हाईवेयर/रंगरोगन	3.47	3.74	2.78	5.73	2.33	6.36	2.34	5.88	2.35	6.53	1.49	6.75
14.	फल एवं सब्जी	5.19	0.09	5.43	0.25	4.46	1.13	2.67	1.13	2.36	1.20	3.03	0.67
15.	फर्नीचर	30.88	-	48.66	-	55.67	-	61.72	-	55.21	-	50.46	-
16.	मोमबत्ती	0.02	0.81	0.04	0.77	0.02	0.69	0.05	0.64	0.02	0.24	0.05	0.12
17.	पटाखे	-	8.36	-	8.36	-	8.36	-	8.36	-	8.36	-	8.36

*सुपुर्दगी बिक्री के कारण

वन भूमि का आबंटन

711. **श्री रामसागर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** वन भूमि के आंबटन के बारे में 30.7.1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2072 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) पट्टे/करार के आधार पर वनोकरण के लिए निजी व्यक्तियों/औद्योगिक घरानों को कोई वन भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी

712. **श्री सुशील चन्द्र : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुआवजे के लिए दर्ज छः लाख दावों में से कितने दावे निपटाए गए हैं और इनमें से कितने मामले लंबित हैं एवं इन लंबित मामलों को कब तक निपटाया जाएगा;

(ख) क्या भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित कुछ दावे लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए हैं जबकि केन्द्रीय कानून में दावों को निपटाने के लिए लोक अदालतों के गठन का कोई उपबंध नहीं है;

(ग) क्या इन सभी बातों को देखते हुए सभी मामलों पर पुनः विचार किया जाएगा;

(घ) क्या केन्द्रीय अधिनियम में नए दावों को निपटाने के लिए कोई उपबंध है जबकि लोक अदालतों द्वारा दावा संबंधी किसी नए मामले को आमंत्रित नहीं किया गया है और अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो नए दावों को आमंत्रित करने का कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) कल्याण आयुक्त, जो कि उच्च न्यायालय के कार्यरत जज हैं के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मुआवजा दावों के लगभग 4 लाख मामले भोपाल गैस दुर्घटना (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अन्तर्गत स्थापित अदालतों द्वारा निपटाए गए हैं और लगभग 1.20 लाख अन्य मामले मार्च, 1997 तक निपटा दिए जाने की आशा है तथा शेष मामलों पर अधिनिर्णय प्रक्रिया उसके बाद शुरू की जाएगी।

(ख) और (ग). कल्याण आयुक्त ने सूचित किया है कि चूंकि यह अधिनियम लोक अदालतों के फोरम के माध्यम से दावा मामलों पर निर्णय को प्रतिबंधित नहीं करता इसलिए केवल वे मामले ही लोक अदालतों के माध्यम से निपटाने के लिए जाते हैं जिनके लिए दावेदार अपनी सहमति देते हैं।

(घ) और (ङ). उन पीड़ितों जिन्होंने अपने दावे नहीं किए थे, से नए दावे मांगने के लिए अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कल्याण आयुक्त द्वारा निकट भविष्य में अधिसूचना जारी किए जाने की आशा है।

अंतर-राज्य परिषद्

713. **श्री ललित उरांव : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंतर-राज्य परिषद् के पुनर्गठन के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघीय प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग द्वारा दिए गए मार्ग-निर्देश का अनुपालन किया जाएगा;

(ग) क्या केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय और शासकीय संबंधों एवं राज्यपालों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). अंतर-राज्यीय परिषद् के पुनर्गठन को कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 15 अक्तूबर, 1996 को आयोजित अन्तर-राज्यीय परिषद् की दूसरी बैठक में परिषद् ने सिफारिश की कि सतत् परामर्श के लिए और परिषद् के विचार-विमर्श हेतु मुद्दों को प्रोसेस करने के लिए इस परिषद की एक स्थाई समिति होनी चाहिए। स्थाई समिति निम्नलिखित पर विचार करेगी :—

(क) 15 अक्तूबर, 1996 को हुई अन्तर-राज्यीय परिषद् की दूसरी बैठक के दौरान कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा व्यक्त आपत्तियों को देखते हुए उप समिति द्वारा अन्तिम रूप दी गई 179 सिफारिशों सहित केन्द्र-राज्य संबंधों से सम्बद्ध किसी मसले पर राज्य सरकारों के विचारों पर;

(ख) पिछले अनुभव और न्यायिक निर्णयों के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 को जारी रखने/संशोधित करने के मुद्दे की जांच करना; और

(ग) सरकारिया आयोग की सिफारिशों, खासतौर से केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को वित्तीय शक्तियों के अन्तरण के महत्वपूर्ण प्रश्न की समीक्षा करना और इन सिफारिशों को अद्यतन बनाना।

स्थाई समिति को अपनी रिपोर्ट, तीन महीने के अन्दर देनी होगी और इस पर, परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। अन्तर-राज्यीय परिषद की सिफारिशों को तत्पश्चात्, विचार किए जाने और अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु सरकार के पास भेजा जाएगा।

[अनुवाद]

अनाज/दालों का उत्पादन

714. श्री सुरेश प्रभु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार अनाज और दालों का प्रति एकड़ कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या यह उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1994-95 में अनाज एवं दालों की राज्यवार पैदावार दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) अनाज (धान सहित) और दालों की तुलनात्मक पैदावार इस प्रकार है :—

(किलोग्राम/हैक्टेयर)

	भारत 94-95	विश्व 1994
अनाज	2168	2830
दालें	609	847

(ग) देश में अनाज तथा दालों की विश्व स्तर की तुलना में कम पैदावार मृदा के प्रकार/उर्वरता में भिन्नता, विभिन्न आदानों का अनुप्रयोग, खेती के तरीके, प्रौद्योगिकी में उन्नति, कृषि मौसमीय परिस्थितियों आदि के कारण हुई है।

(घ) खाद्यान्नों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार मूल्य तथा मंडी सहायता प्रदान करने के अलावा विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है।

विवरण

1994-95 में अनाज तथा दालों की प्रति हैक्टेयर राज्यवार पैदावार

राज्य	अनाज*	दालें
आंध्र प्रदेश	2169	402
असम	1340	546
बिहार	1561	833
गुजरात	1432	675
हरियाणा	2947	1064
हिमाचल प्रदेश	1477	**
जम्मू और कश्मीर	1680	**
कर्नाटक	1398	382
केरल	1898	1435
मध्य प्रदेश	1224	714
महाराष्ट्र	989	472
उड़ीसा	1392	576
पंजाब	3734	878
राजस्थान	1046	546
तमिलनाडु	2625	399
उत्तर प्रदेश	2094	858
पश्चिम बंगाल	2168	630
अखिल भारत	1763	609

* चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज की पैदावार भी शामिल है।

** फसल अमहत्वपूर्ण होने के कारण प्रति हैक्टेयर पैदावार की गणना नहीं की गई है।

[हिन्दी]

चीनी निर्यात का गैर-सरणीकरण

715. श्री अमर पाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
श्री कचरु भाऊ राउत :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के निर्यात के गैर-सरणीकरण करने के सरकार के निर्णय से व्यापार और उद्योग को लाभ होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके परिणामस्वरूप चीनी के निर्यात में कितनी वृद्धि होगी;

(घ) क्या कुछ चीनी मिलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). चीनी निर्यात का असरणीकरण करने का निर्णय किया गया है। 1995-96 मौसम से भारत एक प्रमुख चीनी निर्यातक हो गया है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीनी निर्यात का असरणीकरण करना आवश्यक है।

(ग) चीनी निर्यात की मात्रा में वृद्धि करना संभव नहीं है क्योंकि भावी अंतर्राष्ट्रीय चीनी मूल्य सहित बहुत से तथ्य निर्यात संबंधी निर्णयों को निर्धारित करते हैं।

(घ) और (ङ). चीनी उद्योग के एक शीर्ष निकाय भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन ने दिनांक 19.9.1996 के पत्र द्वारा सरकार से निर्यात का असरणीकरण करने के अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है क्योंकि उनके विचार में सरकार द्वारा कल्पित उद्देश्यों क उस समय तक प्राप्त होने की संभावना नहीं है। जब तक चीनी को दोहरी मूल्य नीति जारी है।

(च) फिलहाल, दोहरे मूल्य निर्धारण तंत्र सहित चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति जारी रहेगी।

[अनुवाद]

खुले बाजार में खाद्यान्नों की बिक्री

716. डा. कृपासिन्धु भोई :
श्री डी.पी. यादव :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों को खुले बाजार में बेचने के मार्गनिर्देशों में संशोधन किया है,

(ख) यदि हां, तो संशोधित मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मार्गनिर्देशों को संशोधित करने का मुख्य ध्येय क्या है;

(घ) क्या खुले बाजार में इन खाद्यान्नों की बिक्री के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). सरकार खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केवल गेहूं और चावल बेचती है। गेहूं की उचित और समान खुली बिक्री सुनिश्चित करने की दृष्टि से गेहूं की खुली बिक्री से संबंधित संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे और इन्हें 1.9.96 से लागू किया गया था। इनमें (क) क्षेत्र के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (ख) निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अथवा उनका प्रतिनिधि और (ग) संयुक्त प्रबंधक (लेखा) को मिलाकर बनाई गई तीन सदस्यीय समिति द्वारा इच्छुक खरीदारों की उचित पहचान करके खरीदारों का चयन करना शामिल है। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रति संलग्न है। पिछले त्यौहार मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रचालन आधार पर कुछ परिवर्तन किए गए थे।

(घ) और (ङ). खुले बाजार की बिक्री योजना के अधीन गेहूं और चावल की खरीददारी में राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों को तरजीह दी जाती है जैसाकि संलग्न विवरण में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा (4) में देखा जा सकता है।

विवरण

गेहूं की बिक्री के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत (1.9.96 से प्रभावी)

मासिक सीमा सरकार द्वारा रिलीज की जानी है	(1)	वर्तमान यह शर्त कि "किसी राज्य में एक माह में खुली बिक्री उस राज्य में पिछले चार माह में की गई खुली बिक्री के औसत से अधिक नहीं होगी और कि किसी राज्य में इस सीमा से अधिक किसी भी बिक्री के लिए प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम से विशिष्ट रूप से मंजूरी लेनी होगी", अब यह हटा ली गई है। गेहूं की बिक्री की माहवार सीमा खाद्य प्रापण और वितरण विभाग द्वारा तय की जाएगी और यह जारी रहनी चाहिए।
राज्यवार आवंटन प्रबंध निदेशक द्वारा चिन्हित किए जाने हैं	(2)	सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं की आवश्यकताएं अलग रखने के बाद खुली बिक्री की जाएगी। प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम स्टाक की उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात् राज्यवार सीमा के बारे में सूचित करेंगे।

प्रतिमाह प्रति खरीदार बिक्री की सीमा

(3) **प्रति खरीदार प्रति सप्ताह** भारतीय खाद्य निगम के 5000 टन क्षमता और 5000 टन से अधिक क्षमता के गोदामों से खुली बिक्री के लिए क्रमशः 200 टन और 1000 टन खाद्यान्नों की वर्तमान उच्चतम सीमा की **बजाय प्रति खरीदार प्रति माह** 100 टन (एक सौ टन) और 200 टन (दो सौ टन) की सीमा निर्धारित की जाए। तथापि, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य में कैप भण्डारण में रखे गेहूं के लिए कोई यात्रा संबंधी सीमा नहीं होगी लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित की गई मासिक सीमा पार नहीं की जाएगी।

फर्जी बिक्री से बचने के लिए खरीदारों की पहचान करना

(4) फर्जी नामों से की जाने वाली बिक्री को न्यूनतम करने के लिए इच्छुक खरीदार अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु बिक्रीकर, आय-कर, शापिंग एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट, पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे पहचान संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। बिक्री में राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों को तरजीह दी जाएगी।

निर्यात के डाइवर्जन को रोकना

(5) वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श दिया जाएगा कि खुले बाजार की बिक्री योजना के अधीन बेची गई गेहूं की किसी भी मात्रा का निर्यात न हो।

खुले भण्डारण में रखे गेहूं के निपटान में तेजी लाने के लिए कैप भण्डारण को बिक्री केन्द्रों में शामिल किया गया

(6) भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर खुली बिक्री को केवल 173 भारतीय खाद्य निगम जिला मुख्यालयों के गोदामों तक सीमित कर दिया गया है। तथापि, प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम के अनुरोध पर मंत्रालय ने निम्नलिखित छूट के लिए सहमति प्रदान कर दी है :—

(क) कैप भण्डारण से भी गेहूं की खुली बिक्री की जा सकती है।

(ख) यदि भारतीय खाद्य निगम जिला मुख्यालय में भारतीय खाद्य निगम का कोई गोदाम नहीं है तो जोनल प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम के संबंधित जिले में दूसरे गोदाम की पहचान कर सकते हैं। यह पहचान इसके रेलवे स्टेशन/राजमार्ग के निकट स्थित होने के आधार पर की जाएगी। परन्तु ऐसा गोदाम भारतीय खाद्य निगम जिला मुख्यालय में स्थित मुख्य डिपो (यदि कोई हो) के अतिरिक्त नहीं होगा।

आबंटियों और मात्रा के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना होगा

(7) आवेदक (कों)/इच्छुक खरीदार(रों) को दी जाने वाली गेहूं की मात्रा सहित खरीदारों के नाम का निर्णय करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसमें (क) क्षेत्र के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (ख) निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अथवा उनका प्रतिनिधि और (ग) संयुक्त प्रबंधक (लेखा) शामिल होंगे। इस प्रयोजन के लिए जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक इच्छुक खरीदारों से इच्छित मात्रा के लिए 10 प्रतिशत बयाना राशि सहित आवेदन लिए जाएंगे। संबंधित जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि इच्छुक खरीदारों के आवेदनों की उनके कार्यालय में रखे रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है। ये आवेदन समिति के विचारार्थ वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम को भेजे जाएंगे। तत्पश्चात् आवेदनों सहित समिति की सिफारिशें महीने

		को 15 तारीख तक जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम को भेजी जाएंगी जो प्रत्येक माह 15 तारीख तक खरीदारों के लिए अंतिम रूप से निर्मुक्ति आदेश जारी करेंगे। खरीदारों को सुपुर्दगी की तारीख को लागू मूल्य के अनुसार सम्पूर्ण राशि (बयाना राशि समायोजित करने के पश्चात्) जमा करनी होगी।
सूचना पट्ट पर खरीदारों के नाम दर्शाकर पारदर्शिता	(8)	जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय में विशिष्ट रूप से एक सूचना पट्ट रखा जाना चाहिए जिसमें **आवंटियों की सूची** सहित बिक्री के लिए उपलब्ध अनंतिम मात्रा, कुल उपलब्ध स्टाक और खुली बिक्री की दरें स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। आवंटियों की सूची संबंधित वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम और निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति के कार्यालयों में भी विशिष्ट रूप से दर्शायी जानी चाहिए।
	(9)	कठिनाइयों और परेशानियों में कमी करने के लिए खरीदारों को यह परामर्श दिया जाना चाहिए कि वे उन निकटतम डिपुओं से स्टाक उठाएं जहां गेहूं का स्टाक उपलब्ध हो।
प्रथम आमद-प्रथम निर्गत	(10)	भारतीय खाद्य निगम को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों/भंडारणों में रखे खाद्यान्नों के संबंध में **प्रथम आमद-प्रथम निर्गत** की नीति कठोरता से लागू करनी चाहिए।

राष्ट्रीय पार्कों को अनाधिसूचित करना

717. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 अक्तूबर, 1996 को "एशियन एज" में प्रकाशित समाचार के अनुसार संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन तथा औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो पशुओं के जीवन के खतरे को ध्यान में रखते हुए पार्क तथा अभयारण्यों को अनाधिसूचित करने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) संरक्षक क्षेत्रों में अवैध उत्खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। कुछ मामलों में प्रस्तुत ऐसी परियोजनाओं के प्रस्तावों को नामंजूर किया गया है और अन्य मामलों में पहले दी गई अनुमति को वापिस ले लिया गया है।

(ख) राज्य सरकारें संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित इस आशय के संकल्प के पश्चात् ही राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26-क (3) के अन्तर्गत शक्ति सम्पन्न हैं।

पत्रकारों पर हमला

718. प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री सत्यदेव सिंह :
कुमारी उमा भारती :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में बसपा नेताओं ने कुछ पत्रकारों पर हमला किया और उनकी पिटाई की;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पत्रकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मक़बूल डार) : (क) से (घ). 25 अक्तूबर, 1996 को श्री कांशीराम, संसद सदस्य के निवास पर हुई बताई गई घटना के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने थाना तुगलक रोड, नई दिल्ली में दो आपराधिक मामले दर्ज किए हैं, एक मामला मीडिया के एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के आधार पर और दूसरा सुश्री मायावती के सुरक्षा-इंचार्ज की शिकायत के आधार पर।

भारतीय प्रेस परिषद ने 25 अक्तूबर, 1996 की घटना की जांच हेतु एक विशेष तथ्यान्वेषण जांच-समिति गठित की है, लेकिन बाद में मीडिया वालों द्वारा की गई आपत्तियों के मद्देनजर परिषद ने आगे जांच न करने का निर्णय लिया है।

गुजरात में वाणिज्यिक प्रशिक्षण केन्द्र

719. श्री हरिन पाठक : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगारों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए वाणिज्यिक प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात में तीन वाणिज्यिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मंजूरी दे दी है जबकि राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग डेढ़ करोड़ के करीब है; और

(घ) गुजरात में ऐसे और केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ). गुजरात सरकार ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए विशेषरूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की कोई योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के व्यावसायिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की अनेक योजनाएं हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगार आदिवासी युवकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की योजना का शुभारम्भ 1992-93 में कल्याण मंत्रालय ने गुजरात सरकार की सहायता स्वीकृत की, जो कि क्रमशः 1992-93, 1994-95 और 1996-97 क्रमशः दो, पांच और तीन केन्द्रों के लिए थी। जो कि गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर थी।

(ख) श्रम मंत्रालय के अंतर्गत एक कोचिंग एवं मार्गदर्शन केन्द्र की सूरत में स्थापना की गई जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों, नौकरी पाने वालों को आशुलिपि और टाइपिंग में प्रशिक्षण देने के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन देता है। ये व्यावसायिक केन्द्र नहीं है।

कल्याण कार्यक्रम

720. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जुलाई, 1996 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र शासन को अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन निर्देशों का अनुपालन करना शुरू कर दिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सराकारों/संघ राज्य क्षेत्र शासन के कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, इस मंत्रालय ने सभी मुख्य मंत्रियों को साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कमजोर तथा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए शामिल विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में उनके विचारित दृष्टिकोण तथा टिप्पणियों के लिए पत्र जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

होमगार्ड कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

721. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर (उत्तर प्रदेश) के होमगार्ड कर्मचारियों को पिछले तीन माह अर्थात जुलाई, 1996 से वेतन/दिहाड़ी का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

722. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी शुरूआत के बाद पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के अन्तर्गत शामिल की गई जनसंख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश भर में इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्कीम प्रधान मंत्री द्वारा 1.1.92 से शुरू की गई थी जिसमें मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, अभिज्ञात पहाड़ी क्षेत्र एवं समन्वित आदिवासी विकास परियोजना खण्डों, जिनकी संख्या 1775 थी, सभी को शामिल किया गया था। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल राज्यों के नाम और खण्डों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ). अतिरिक्त उचित दर दुकानों, अतिरिक्त राशन कार्डों, जाली कार्डों को समाप्त करने, भण्डारण क्षमता के सृजन, दरवाजे पर सुपुर्दगी स्कीम के तहत शामिल की जाने वाली उचित दर दुकानों, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्र में उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता, समितियों की संख्या के लक्ष्यों तथा इन लक्ष्यों में से प्रत्येक के प्रति 31.10.96 की स्थिति के अनुसार की गई प्रगति के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण II, III, IV तथा V में दिए गए है।

(ङ) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु संचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केंद्र सरकार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकें आयोजित करती है। बैठकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सुझावों और उपायों पर चर्चा की जाती है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए गोदामों के निर्माण और मोबाइल वैनों/ट्रकों की खरीद हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण-I

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाए गए खण्डों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सुनिश्चित रोजगार स्कीम/ संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाए गए खंडों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	155
2.	अरुणाचल प्रदेश	56
3.	असम	142
4.	बिहार	266
5.	गोवा	-
6.	गुजरात	131
7.	हरियाणा	44
8.	हिमाचल प्रदेश	19
9.	जम्मू और कश्मीर	80
10.	कर्नाटक	119
11.	केरल	21
12.	मध्य प्रदेश	297
13.	महाराष्ट्र	171
14.	मणिपुर	22
15.	मेघालय	32
16.	मिजोरम	20
17.	नागालैंड	28
18.	उड़ीसा	175
19.	पंजाब	-
20.	राजस्थान	172
21.	सिक्किम	04
22.	तमिलनाडु	89
23.	त्रिपुरा	19
24.	उत्तर प्रदेश	248
25.	पश्चिम बंगाल	128
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	02
27.	चंडीगढ़	-
28.	दादर व नगर हवेली	01
29.	दमन व द्वीव	01
30.	दिल्ली	-
31.	लक्षद्वीप	05
32.	पांडिचेरी	-
	जोड़	2446

विवरण-II

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली 31.10.96 तक क्रियान्वयन की प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अतिरिक्त उचित दर दुकान प्रस्तावित	अतिरिक्त उचित दर दुकान खोली गई	अतिरिक्त राशन कार्ड प्रस्तावित	अतिरिक्त राशन कार्ड जारी किए गए	अलग किए गए जाली राशन कार्ड
1.	आंध्र प्रदेश	316	362	शून्य	650000	59144
2.	अरुणाचल प्रदेश	155	293	18310	13713	10513
3.	असम	311	385	362578	12973	100383
4.	बिहार	1090	2469	296885	298885	1176361
5.	गुजरात	97	416	शून्य	351523	85946
6.	हरियाणा	387	412	शून्य	1279538	35193
7.	हिमाचल प्रदेश	2	18	शून्य	1794	99
8.	जम्मू और कश्मीर	123	260	21900	9400	शून्य
9.	कर्नाटक	403	1231	634199	933385	125003
10.	केरल	शून्य	1201	शून्य	75493	8389
11.	मध्य प्रदेश	1274	1276	476930	2955000	737058
12.	महाराष्ट्र	2588	3395	350000	456000	120000
13.	मणिपुर	24	74	54449	65890	शून्य
14.	मेघालय	16	426	193000	14758	9210
15.	मिजोरम	23	99	3288	5784	10812
16.	नागालैंड	20	24	3000	शून्य	शून्य
17.	उड़ीसा	608	1362	शून्य	576407	24990
18.	राजस्थान	718	1079	106667	386839	76046
19.	सिक्किम	400	2	शून्य	30000	207
20.	तमिलनाडु	11	12	3000	194886	470150
21.	त्रिपुरा	25	33	शून्य	18075	6110
22.	उत्तर प्रदेश	1141	3628	76255	841144	160970
23.	पश्चिम बंगाल	826	69	47437	101496	63224
24.	अंडमान व निकोबार	12	22	शून्य	369	16696
25.	दादर व नगर हवेली	2	14	1000	5608	145
26.	दमन व दीव	3	1	शून्य	562	शून्य
27.	लक्षद्वीप	5	2	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	10580	18564	2675898	9279522	4376652

विवरण–III

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली 31.10.96 तक क्रियान्वयन की प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अतिरिक्त भंडारण क्षमता (मी. टन में)			गोदामों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1991-92 से मंजूर की गई वित्तीय सहायता	
		लक्ष्य	किराए पर	सृजित	राशि (लाख रु. में)	क्षमता (मी.टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	115000	शून्य	124.20	5000
2.	अरुणाचल प्रदेश	11050	शून्य	4350	27.70	800
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य		
4.	बिहार	22400	शून्य	8600	106.40	9000
5.	गुजरात	शून्य	14865	शून्य	212.42	9500
6.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य		
7.	हिमाचल प्रदेश	2250	2000	1300		
8.	जम्मू और कश्मीर	7400	5450	1100	528.82	13950
9.	कर्नाटक	12200	4375	9800	132.00	8200
10.	केरल	60000	शून्य	शून्य	41.50	2000
11.	मध्य प्रदेश	136500	241670	11000	522.88	32000
12.	महाराष्ट्र	40000	17000	6000	206.16	10442
13.	मणिपुर	2350	शून्य	शून्य	194.79	5000
14.	मेघालय	15200	शून्य	500	40.00	2000
15.	मिजोरम	8000	शून्य	2060	183.71	7200
16.	नागालैंड	1250	7340	शून्य	25.00	600
17.	उड़ीसा	14500	13000	शून्य	208.00	1300
18.	राजस्थान	26550	शून्य	25550	175.66	14400
19.	सिक्किम	3600	शून्य	शून्य	64.50	2600
20.	तमिलनाडु	2800	शून्य	शून्य	50.00	2480
21.	त्रिपुरा	1400	425	शून्य	30.00	1250
22.	उत्तर प्रदेश	37700	37716	शून्य	162.00	5400
23.	पश्चिम बंगाल	4400	शून्य	शून्य	96.46	6000
24.	अंडमान व निकोबार	1650	शून्य	शून्य	46.00	1000
25.	दादर व नगर हवेली	500	शून्य	शून्य		
26.	दमन व द्वीव	शून्य	शून्य	शून्य		
27.	लक्षद्वीप	1700	शून्य	1200	7.50	500
	योग :	413400	458841	71460	3185.70	152322

विवरण-I

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली 31.10.96 तक क्रियान्वयन की प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभिज्ञात क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की कुल संख्या	दरवाजे तक सुपुर्दगी स्कीम के तहत लाई गई उचित दर दुकानों की संख्या	1991-92 से वैनों की खरीद के लिए मंजूर की गई वित्तीय सहायता	
				राशि (लाख रु. में)	वैनों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	8233	8233	188.00	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	919	919	120.00	25
3.	असम	4117	4117		
4.	बिहार	9402	1854	40.00	10
5.	गुजरात	4738	776	-	
6.	हरियाणा	2074	2074	65.00	20
7.	हिमाचल प्रदेश	171	64	240.00	41
8.	जम्मू और कश्मीर	642	10	265.90	52
9.	कर्नाटक	8174	8135	73.00	22
10.	केरल	1530	1515	122.50	34
11.	मध्य प्रदेश	7238	7238	280.00	70
12.	महाराष्ट्र	13755	2500	470.00	117
13.	मणिपुर	604	604	120.00	30
14.	मेघालय	3839	शून्य	26.00	7
15.	मिजोरम	955	180	88.00	22
16.	नागालैंड	269	शून्य	24.00	6
17.	उड़ीसा	9432	शून्य	260.00	71
18.	राजस्थान	9257	9234	264.00	69
19.	सिक्किम	253	54	16.23	4
20.	तमिलनाडु	2259	2259	76.00	19
21.	त्रिपुरा	514	शून्य	68.00	15
22.	उत्तर प्रदेश	10310	3681	100.00	25
23.	पश्चिम बंगाल	3840	शून्य	100.00	25
24.	अंडमान व निकोबार	67	67	20.00	5
25.	दादर व नगर हवेली	73	शून्य	-	
26.	दमन व द्वीव	71	शून्य	-	-
27.	लक्षद्वीप	35	35	4.00	1
	योग	102771	53549	3030.63	721

विवरण-V

संपुष्ट सार्वजनिक विवरण प्रणाली 31.10.96 तक क्रियान्वयन की प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभिज्ञात क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की कुल सं.	उचित दर दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समितियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	8233	प्रत्येक उचित दर दुकान के लिए खाद्य संबंधी परामर्शदात्री समितियां गठित
2.	अरुणाचल प्रदेश	919	सूचित किया है कि उचित दर दुकान स्तर की 551 समितियां गठित की गई।
3.	असम	4117	4117 कार्य कर रही है।
4.	बिहार	9402	उचित दर दुकान स्तर की सभी समितियां गठित की गई हैं।
5.	गुजरात	4738	उचित दर दुकान स्तर की 4133 समितियां गठित की गई हैं।
6.	हरियाणा	2074	उचित दर दुकान स्तर की सभी समितियां गठित की गई हैं।
7.	हिमाचल प्रदेश	171	उचित दर दुकान स्तर की 171 समितियों के कार्य करने की सूचना प्राप्त हुई है।
8.	जम्मू व कश्मीर	642	पंचायत स्तर पर गठित
9.	कर्नाटक	8174	7937 उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियां गठित
10.	केरल	1530	सभी पंचायतों में गठित
11.	मध्य प्रदेश	7238	18 जिला और 154 खंड स्तरीय समितियां गठित
12.	महाराष्ट्र	13755	ग्राम स्तर की समितियां गठित
13.	मणिपुर	604	417 उचित स्तर दुकान स्तर की समितियां कार्य कर रही हैं।
14.	मेघालय	3839	3074 उचित दर दुकान स्तर की समितियां कार्य कर रही हैं।
15.	मिजोरम	955	अभी सूचित किया है कि केवल 329 समितियां कार्य कर रही हैं।
16.	नागालैंड	269	130 गठित हैं और कार्य कर रही हैं।
17.	उड़ीसा	9432	8904 समितियां गठित है।
18.	राजस्थान	9257	9234 उचित दर दुकान स्तरीय समितियां गठित हैं।
19.	सिक्किम	253	ग्राम पंचायत और जिला स्तरीय समितियां गठित हैं।
20.	तमिलनाडु	2259	सभी उचित दर दुकान स्तरीय समितियां गठित हैं।
21.	त्रिपुरा	514	उप-डिविजन स्तर की समितियां कार्य कर रही है। उचित दर दुकान स्तर की समितियां गठित की जा रही हैं।
22.	उत्तर प्रदेश	10310	5300 उचित दर दुकान स्तर की समितियां गठित हैं।
23.	पश्चिम बंगाल	3840	पंचायत, खंड और जिला स्तर की समितियां कार्य कर रही हैं।
24.	अंडमान व निकोबार	67	8 जोनल समितियां गठित हैं और कार्य कर रही हैं।
25.	दादरा व नगर हवेली	73	65 उचित दर दुकान स्तर की और 10 पंचायत स्तर की समितियां गठित हैं।
26.	दमण व दीव	71	8 उचित दर दुकान स्तरीय समितियां कार्य कर रही हैं।
27.	लक्षद्वीप	35	10 उचित दर दुकान स्तर की समितियां कार्य कर रही हैं।
	कुल :	102771	जो 35 उचित दर दुकानों पर निगरानी रखती है।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण हेतु सहायता

723. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने औद्योगिक और पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार को सहायता देने हेतु कोई योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजन हेतु कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है और मदवार ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत दिल्ली सरकार ने यह राशि व्यय की; और

(घ) इस संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). औद्योगिक और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को सहायता देने के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है। तथापि, दिल्ली सरकार (पर्यावरण विभाग/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) को औद्योगिक और पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को पर्यावरण विभाग के तकनीकी सेल के कर्मचारियों के वेतन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विशिष्ट अध्ययनों/परियोजना प्रस्तावों/प्रयोगशाला आदि के लिए उपकरण/इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार के पास जमा कुल राशि में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को जल उपकर के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

(ग) और (घ). दिल्ली में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार को दी गई सहायता राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(राशि रुपयों में)

	स्कीम का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	**प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता**			
	(क) कर्मचारियों का वेतन	7,00,000	4,00,000	8,00,000
	(ख) स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए	2,50,000		-
	(ग) प्रदूषण जागरूकता और सहायता केन्द्र की स्थापना			25,000
2.	जल उपकर की प्रतिपूर्ति	1,80,42,080	56,39,033	25,38,754

चावल उत्पादन हेतु अनुसंधान कार्य

724. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चावल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) तथा आई. आर.आर.आई. को चावल के संबंध में अनुसंधान करने का कार्य सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन दो प्रमुख संस्थानों द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थानों द्वारा शताब्दी के अंत तक चावल के उत्पादन के बारे में लगाये गए अनुमान का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) देश में चावल उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) को अनुसंधान करने की जिम्मेवारी है। भा.कृ.अ.प. के मुख्य चावल अनुसंधान संस्थान ये हैं—केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई.) कटक और धान अनुसंधान निदेशालय (डी.आर.आर.) हैदराबाद। इसके अलावा भी चावल पर अनुसंधान भा.कृ.अ.प. के अनेक संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में किया जाता है।

भा.कृ.अ.प. के अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई. आर.आर.आई.) फिलीपीन्स के साथ चावल पर अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग देने के लिए एक समझौता किया है। इस सहयोग अनुसंधान के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों में वैज्ञानिक सूचना, जननद्रव्य (जर्मप्लाज्म) और प्रजनन सामग्री एवं प्रकाशित साहित्य का आदान-प्रदान करना तथा सहयोगी जननद्रव्य मूल्यांकन एवं अनुसंधान परीक्षण करना आदि शामिल है।

(ख) भारत में चावल सुधार कार्यक्रम में भा.कृ.अ.प. तथा अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का सहयोगी अनुसंधान कार्यकलाप काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान

जो सहयोगी अनुसंधान किए गए हैं उनमें ये शामिल हैं—(1) बारानी पद्धति पर नीति संबंधी और व्यावहारिक अनुसंधान के लिए संघ; (2) गहरे जल में चावल उत्पादन के लिए जननद्रव्य में (जंमप्लाज्म) सुधार; (3) पूर्वी भारत में बारानी चावल उत्पादन का विकास; (4) उपराऊ चावल अनुसंधान संघ, (5) उष्ण कटिबंधीय संकर चावल प्रौद्योगिकी, (6) धान गेहूं पद्धति की उत्पादकता और उसमें स्थिरता लाना; (7) सघन चावल पद्धति की उत्पादकता में गिरावट; (8) चावल उत्पादन और उसकी पद्धति का विश्लेषण; (9) नर और मादा का विश्लेषण और (10) जैव-प्रौद्योगिकी।

(ग) भारत के चावल अनुसंधान कार्यक्रम में सन् 2000 के अन्त तक देश में 98 से 100 मिलियन टन स्वच्छ चावल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

725. श्री भीमराव विष्णु जी वडाडे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित राज्य सरकारों की अनुमति के बिना विभिन्न राज्यों में कुछ कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे केन्द्रों को अप्राधिकृत घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए संबद्ध राज्य के प्रतिनिधि को कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए स्थान की उपयुक्तता का पता लगाने में स्थानीय प्रबन्ध समितियों की बैठकों में तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए कर्मचारियों की भर्ती आदि जैसे कार्यों से संबद्ध किया जाता है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न किया जाना

726. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय सम्बन्धी संसदीय स्थाई समिति ने यह पाया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न किया जाना, अपराध स्थल पर पुलिस का विलम्ब से पहुंचना तथा आम नागरिकों को परेशान करना आदि के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितने मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से मना किया, अपराध स्थल पर पुलिस कितनी बार विलम्ब से पहुंची तथा नागरिकों को कितनी बार परेशान किया गया;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) दिल्ली में 1996 के दौरान कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई तथा इन मामलों का ब्यौरा क्या है, जिनके आधार पर ये दर्ज की गई तथा पुलिस थानावार कितनी प्राथमिकियां हल की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) गृह मामलों से संबद्ध संसद की विभागीय स्थाई समिति, जिसके समक्ष दिल्ली के पुलिस आयुक्त अगस्त, 1996 में उपस्थित हुए थे, ने यह टिप्पणी की थी कि पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं।

(ख) 1-11-95 से 31-10-96 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को प्र.सू.रि. दर्ज करने से इंकार करने संबंधी 26 शिकायतें, अपराध के स्थान पर पुलिस कार्मिकों के विलम्ब से पहुंचने बारे में एक शिकायत तथा नागरिकों को परेशान करने संबंधी 143 शिकायतें, प्राप्त हुई।

(ग) ऐसे मामलों जिनमें ऐसी शिकायतों में लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए, दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ उचित प्रशासनिक/विभागीय कार्रवाई की गई या शुरू की गई।

(घ) संलग्न विवरण में अपेक्षित सूचना, जिला-वार, दी गई है।

विवरण

अपराध शीर्ष	उत्तर मामले		उत्तर पश्चिम मामले		केन्द्रीय मामले		नई दिल्ली मामले		पूर्वी मामले मामले		उत्तर पूर्व	
	सू.	हल	सू.	हल	सू.	हल	सू.	हल	सू.	हल	सू.	हल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. डकैती	-	-	2	1	-	-	-	-	2	2	2	2
2. हत्या	30	23	92	68	35	25	7	3	40	27	56	44
3. हत्या का प्रयास	26	25	92	87	32	30	13	12	21	21	83	75
4. लूटपाट	74	67	70	54	51	46	18	13	27	23	61	39
5. छीना-झपटी	40	31	93	30	21	14	23	17	32	29	36	17
6. दंगे	27	26	17	17	11	10	10	7	11	11	19	19
7. आहत	189	166	362	313	131	123	45	37	204	180	297	277
8. सेंधमारी	115	49	365	135	79	38	63	14	204	84	227	90
9. चोरी	1778	525	2157	488	1233	371	1397	210	964	352	794	256
10. अन्य भा.द.सं.	2801	2092	3150	3136	1917	1534	1461	886	1298	937	2045	1580
11. कुल भा.दं.सं.	5080	3004	6370	3329	3510	2189	3037	1199	2803	1666	3620	2399
12. स्थानीय व विशेष कानून	1169	1159	2559	2539	1628	1617	193	183	958	952	1048	1042

कुल जोड़

अपराध शीर्ष	दक्षिण मामले		दक्षिण पश्चिम मामले		पश्चिम मामले		इं.गां.आं. मामले		दिल्ली रेलवे पुलिस मामले		जोड़ मामले	
	सू.	हल	सू.	हल	सू.	हल	सू.	हल	सू.	हल	सू.	हल
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. डकैती	8	5	3	2	1	1	1	1	6	6	25	20
2. हत्या	70	42	38	31	70	63	-	-	8	3	446	329
3. हत्या का प्रयास	67	55	33	30	65	63	-		1	1	433	399

	1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4.	लूटपाट	102	70	40	27	29	26	-	-	20	16	492	381
5.	छीना-झपटी	90	51	35	14	69	55	-	-	22	13	461	271
6.	दंगे	50	42	54	45	5	4	-	-	2		206	181
7.	आहत	268	219	164	142	361	344	2	2	8	5	2031	1808
8.	सेंधमारी	475	123	265	78	214	97	-				2007	706
9.	चोरी	4444	846	1403	301	1922	524	80	19	618	131	16760	4023
10.	अन्य भा.द.सं.	4288	2834	2516	1875	4015	3288	474	449	194	143	24160	17759
11.	कुल भा.द.सं.	9882	4287	4551	2545	6751	4465	557	471	879	323	47021	25877
12.	स्थानीय व विशेष कानून	1050	1007	518	498	2598	2544	24	24	227	224	11984	11800
	कुल जोड़											59005	37677

नोट : इसके अलावा, स्वापक और अपराध निवारण प्रकोष्ठ ने संदर्भाधीन अवधि के दौरान 11 मामले हल कर लिए। इसी तरह, विशेष कार्य बल द्वारा अक्तूबर, 1996 में एक मामला दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

727. **श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रशासनिक आदेश से सृजित राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को एक सांविधिक प्राधिकरण का दर्जा प्राप्त नहीं है और क्या यह केवल रसायन और पेट्रो रसायन (डी.सी.एण्ड पी.) का एक संबद्ध विभाग है और औद्योगिक लागत और मूल्य निर्धारण ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) बड़ी मात्रा में औषधियों के मूल्य निर्धारण की निगरानी करता रहेगा;

(ख) यदि हां, तो नई औषधि नीति के अनुसार राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को मूल्य निर्धारण के संबंध में स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण का दर्जा न दिए जाने के औचित्य के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इसमें शीघ्र ही काम शुरू हो जाए;

(घ) मूल्य निर्धारण संशोधन और उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिए कुल कितने मामले लंबित हैं; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों का तुरन्त निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). 1994 में यथा संशोधित औषध नीति 1986 के अधीन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का सृजन किया गया है। संशोधनों में एनपीपीए को सांविधिक निकाय बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। नई औषध नीति में यथा उल्लिखित एनपीपीए स्वतंत्र निकाय होगा। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बीआईसीपी) केवल सिफारिश करने वाला निकाय है और यह औषधियों के मूल्यों का मानीटरिंग नहीं करता।

(घ) से (ङ). देश में निर्मित प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों का मूल्य निर्धारण/पुनरीक्षण डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के तहत किया जाता है तथा मूल्यों को समय-समय पर सरकारी राज्य में प्रकाशित किया जाता है जो एक सतत प्रक्रिया है।

लखूभाई पाठक मामला सुनवाई हेतु स्थान

728. **श्री राम नाईक :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली आयुक्त पुलिस ने 30 सितम्बर, 1996 को अगले दिन उच्चतम न्यायालय में लखूभाई मुकदमे का स्थान बदलने का आग्रह करने का निर्णय किया;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय ने पुलिस आयुक्त को उक्त कार्रवाई के लिए अपनी सहमति दे दी थी; और

(ग) यदि नहीं, तो गृह मंत्रालय जो दिल्ली पुलिस को नियंत्रित करता है को उपेक्षा करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाना

729. **श्री संतोष मोहन देव :**
श्री जी.एम. कुट्टूकर :
श्री सुरेश प्रभु :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के कार्य को टाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों का दृष्टिकोण पता किया गया था;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं तथा किन-किन राज्यों के दृष्टिकोण को कार्यक्रम में शामिल किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी, हां। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त 1996 को राष्ट्र को सम्बोधित अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि गरीब परिवारों को हर महीने 10 कि.ग्रा. अनाज सामान्य मूल्य से आधे मूल्य पर प्रदान किया जाएगा। इस स्कीम को 2 अक्तूबर 1996 को गांधी जयन्ती से कार्य रूप में परिणत होना था। तथापि, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में चुनावों को देखते हुए यह स्कीम आस्थगित कर दी गई।

(ग) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के मामले पर बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के संबंध में 4-5 जुलाई 1996 के दौरान आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। मुख्य मंत्रियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित करने के प्रश्न पर आगे विचार करने के लिए 7 अगस्त, 1996 को राज्य खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

(घ) 7 अगस्त, 1996 को आयोजित राज्य खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों को राजसहायता प्राप्त अनाजों के

प्रावधान का सर्वसम्मति से समर्थन किया और यह सिफारिश की कि सरकार इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को यथा शीघ्र लागू करे।

(ङ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

भूख से मृत्यु

730. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में भूखमरी की समस्या तथा इसके फलस्वरूप वहां हाल के महीनों में लोगों की मृत्यु की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में इस तरह की घटनाएं बार-बार होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वहां सूखा/भूखमरी के लिए केन्द्र सरकार से उपलब्ध कराई गई सहायता भूखमरी का सामना कर रहे लोगों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). हालांकि उड़ीसा सरकार ने दक्षिण पश्चिम मानसून, 1996 के दौरान कम वर्षा के कारण राज्य के अनेक भागों में विभिन्न स्तरों पर सूखे की स्थितियां होने की सूचना दी है, किन्तु भुखमरी से मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) चूंकि यह राज्य अपने फसल उत्पादन के लिए वर्षा पर निभर रहता है, खराब मानसून से फसलें चौपट हो जाती हैं और परिणामस्वरूप सूखा पड़ता है।

(घ) जी नहीं। लक्ष्यों को वांछित स्तर तक प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित मानिटरिंग और समीक्षा की जा रही है।

(ङ) और (च). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

समान खरीद नीति

731. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समान खरीद नीति न होने के कारण विभिन्न कृषि उत्पादों की विभिन्न राज्यों में पृथक-पृथक श्रेणियों के अंतर्गत रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी, नहीं। सरकार एक समान वसूली नीति का अनुसरण कर रही है। प्रमुख कृषि जिंस के लिए नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में एक समान रूप से लागू हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्नों की वसूली के लिए निर्धारित विनिर्दिष्टियां भी पूरे देश में एक समान है।

(ग) से (ङ). धान की पी.आर.-106 किस्म को उत्तम के बजाय बढ़िया मानने के संबंध में पंजाब सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि इस धान को उत्तम किस्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है फिर भी यदि कुछ मामलों में धान की निम्न समूहों का सम्मिश्रण इसकी निर्धारित सीमा से अधिक हो तो उसे बढ़िया माना जाए।

[अनुवाद]

हथियारों की तस्करी

732. **श्री भक्त चरण दास :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1996 के दौरान भारी मात्रा में तस्करी के हथियार जब्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) देश में इस प्रकार हथियारों की तस्करी को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं उत्पादन

733. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान गेहूं उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गेहूं उत्पादन को बढ़ाने के लिए और कृषि भूमि पर गेहूं की फसल उगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) रबी 1996-97 के दौरान गेहूं उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिन क्षेत्रों पर मुख्य जोर दिया गया है वे इस प्रकार हैं :—

(1) निवेश की दक्षता बढ़ाने और उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में समय पर बुआई (मध्य नवम्बर) पर विशेष बल देना।

(2) रोग से प्रभावित पुरानी किस्मों के स्थान पर नई सुधरी किस्में उगाना। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एच.डी. 2329 के स्थान पर पी.बी.डब्ल्यू. 343, डब्ल्यू.एच. 542 व यू.पी. 2338 को, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में एच.यू.डब्ल्यू.234, सोनालिका और एन.यू.डब्ल्यू. 206 के स्थान पर सोनाली, के. 8804, वैशाली, के. 9006 और के. 8962 किस्मों को उगाने के प्रयास किये जाएंगे।

(3) पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में निर्यात की दृष्टि से उत्कृष्ट ड्यूरम किस्म के गेहूं की खेती को प्रोत्साहित करना। इस उद्देश्य से उपयुक्त किस्में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पी.डी.डब्ल्यू. 215, पी.डी. डब्ल्यू 233 और डब्ल्यू.एच-896 हैं, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए राज 1555 और एचआई.8381 अच्छी हैं।

(4) गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अन्य उपायों में शामिल हैं : (I) पंजाब और हरियाणा में चावल-गेहूं प्रणाली के अंतर्गत हल्की मिट्टियों में 25 कि.ग्रा./हैक्टर मिट्टियों में 25 कि.ग्रा./हैक्टर की दर से जिंक सल्फैट और 10 टन प्रति हैक्टर की दर से गोबर की खाद का प्रयोग करना; (II) धान की कटाई के तत्काल बाद गेहूं की बुआई सुनिश्चित करने और उत्पादन कीमत को कम करने के लिए पंतगनगर द्वारा विकसित शून्य जुताई वाली बुआई प्रणाली को लोकप्रिय बनाना; (III) पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर की उत्पादकता को जारी रखने के साथ फैलेरिस माइनर से ग्रस्त विभिन्न खेतों में इस खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए धान-गेहूं के एक-दो फसल चक्रों के बाद इस प्रणाली की एकरसता को समाप्त करने के लिए सूरजमुखी, चना, मटर, आलू, रबी वाली मक्का, बरसीम आदि की खेती को प्रोत्साहन देना।

(ग) और (घ). जी, नहीं। गेहूं उत्पादन के अंतर्गत और अधिक भूमि को लाने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है पर गेहूं के उत्पादन को बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सरकारी रिकार्डों में पुलिस द्वारा हेर-फेर

734. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1996 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "पुलिस ओफेसियल्स फज्ड रिकार्ड्स, टुक बूटी होम, एलीजेज इनफोरमर, सी.बी.आई.टू. ग्रोब बंगलोय बाय कोप्स इन 7 ईयर ओल्ड नारकोटिक्स केस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.बी.आई ने इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या इस प्रकार के मामले विगत काल में भी हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान। तथापि, एक सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट आदि द्वारा की गयी जांच की पहली रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मामले पर गहराई से विचार करने के बाद, केन्द्रीय जांच ब्यूरो का यह मत है कि अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि जिस पुलिस अधिकारी ने जब्ती की थी उसकी मृत्यु हो चुकी है, अतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आगे जांच करने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है।

(घ) से (च). केन्द्रीय जांच ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उनके ध्यान में इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

735. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार "महिलाओं", बच्चों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के अत्याचार की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) बलात्कार, नंगा करके पीटे जाने की शिकार महिलाओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में अब कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). वर्ष 1995 के दौरान महिलाओं, बच्चों तथा

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस संबंध में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1994 के दौरान बलात्कार के आरोप में 18880 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

विवरण

वर्ष 1995 के दौरान महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के साथ हुई अपराधों की वारदातें।

क्र.सं.	राज्य का नाम	महिलाएं				
		जोड़	बलात्कार	बच्चे	अ.जा.	अ.जन.जाति
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	9810	34	75	1764	165
2.	अरुणाचल प्रदेश	81	24	3	0	2
3.	असम	1706	567	10	0	0
4.	बिहार	1042	351	29	221	35
5.	गोवा	147	20	9	6	0
6.	गुजरात	4906	248	231	91724	486
7.	हरियाणा	1993	256	18	82	0
8.	हिमाचल प्रदेश	758	110	21	82	5
9.	जम्मू और कश्मीर	812	122	1	25	8
10.	कर्नाटक	5761	262	24	1171	96
11.	केरल	31	244	15	696	185
12.	मध्य प्रदेश	14883	3023	232	3979	1690
13.	महाराष्ट्र	15378	1332	498	1622	505
14.	मणिपुर	97	10	1	1	2
15.	मेघालय	44	16	1	2	2
16.	मिजोरम	100	39	0	0	0
17.	नागालैंड	14	12	0	0	0
18.	उड़ीसा	1722	515	18	329	143
19.	पंजाब	593	91	14	8	4
20.	राजस्थान	7740	874	34	4111	1456
21.	सिक्किम	49	3	0	33	40
22.	तमिलनाडु	7818	241	7	1293	40
	त्रिपुरा	255	74	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	15411	1800	106	14205	105
	पश्चिम बंगाल	6384	787	165	11	0

1	2	3	4	5	6	7
संघ शासित क्षेत्र						
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	24	5	0	0	0
27.	चंडीगढ़	70	5	5	0	0
28.	दादर व नगर हवेली	15	1	0	0	3
29.	दमन व दीव	1	1	0	2	1
30.	दिल्ली	2288	335	69	6	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	52	2	5	24	0
	कुल	102085	12204	1592	31387	5023

वन्य पशुओं द्वारा मनुष्यों को मारा जाना

736. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य पशुओं की हत्या किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मामलों में मारे व्यक्तियों के आश्रितों को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(क) और (ग). जब कभी किसी प्रौढ़ व्यक्ति अथवा नाबालिग को वन्यजीव जन्तु मार जाते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उनके आश्रितों को क्रमशः 10,000 रुपए और 5,000 रुपए की सहायता देती है। यह मंत्रालय भी बाघ परियोजना और हाथी परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत इस प्रयोजन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जंगली भैंसों का लुप्तप्राय होना

737. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बस्तर (मध्य प्रदेश) में पाए जाने वाले जंगली भैंसों की दुर्लभ प्रजाति लुप्तप्राय होने के कगार पर है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जंगली भैंसे की संकटापन्न प्रजाति बस्तर, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं जो लुप्त-प्राय होने के कगार पर नहीं हैं।

(ख) जंगली भैंसे को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है जिससे इसको इसका शिकार करने और वाणिज्यिक शोषण के प्रति पूर्ण कानूनी सुरक्षा मिलती है। मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, भैरामगढ़ अभयारण्य और पामेड अभयारण्य में इस प्रजाति तथा इसके वासस्थल को सुरक्षा की जाती है जहां पर 1996 की गणना के अनुसार जंगली भैंसों की आबादी 225 है।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी घुसपैठिए

738. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने चुनाव के मौके पर हिजबुल मुजाहिदीन के कई कट्टर आतंकवादियों को गिरफ्तार कर और बड़ी मात्रा में शस्त्र बरामद कर तथा पाकिस्तानी घुसपैठियों के एक दल को नाकाम कर जम्मू और काश्मीर में विधान सभा चुनावों के दौरान गड़बड़ी फैलाने के पाकिस्तान के प्रयास को विफल कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो जम्मू और काश्मीर में अगस्त सितम्बर, 1996 के दौरान पाक सेनाओं और आतंकवादियों द्वारा किए गए इसी प्रकार के अन्य प्रयासों का क्या ब्यौरा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). यह सच है कि पाकिस्तान और इसके पिट्ठू उग्रवादी ग्रुपों ने जम्मू एवं कश्मीर में विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने और इसमें गड़बड़ी करने क उद्देश्य से राज्य में सशस्त्र आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के प्रयासों सहित हर संभव प्रयास किए। ऐसे इरादों को विफल करने के लिए सेना के किसी खास अभियान का नाम लेना व्यवहार्य नहीं है। राज्य सरकार और समस्त सुरक्षा बलों एवं एजेंसियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मनसूबों को सफल न होने दिया जाए, समन्वित प्रबंध एवं लगातार प्रयास किए। परिणामतः राज्य में विधान सभा चुनाव आमतौर पर शांतिपूर्वक संपन्न हो गए।

अगस्त-सितम्बर, 1996 की अवधि में 265 उग्रवादी मारे गए, 164 गिरफ्तार किए गए और अन्य के साथ-साथ इन उग्रवादियों से 422 राइफलों, 184 पिस्तौलों, 768 हथगोलों सहित बड़ी मात्रा में हथियार और काफी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ एवं गोली बारूद बरामद किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय/मंच

739. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों/मचों की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार उक्त न्यायालयों/मचों की स्थापना हेतु राज्यों को कोई सहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु राजस्थान को कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी, हां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राजस्थान में राज्य स्तर पर एक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और जिला स्तर पर 32 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ). केंद्र सरकार उपभोक्ता न्यायालयों/मंचों की स्थापना करने के लिए राज्यों को कोई सहायता नहीं देती है। तथापि, केंन्द्र सरकार ने उपभोक्ता न्यायालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक बार के अनुदान की मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत राजस्थान राज्य को अब तक 1.69 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

मछुआरों को सहायता

740. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंद धंधे वाले महीनों के दौरान मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने मछुआरों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सभी समुद्री मछुआरों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत सह राहत घटक में, जिसे 1991-92 के दौरान लागू किया गया, वर्ष के चार महीनों के दौरान मानसून/मौसम न होने से जब मछली नहीं पकड़ी जाती तब सक्रिय समुद्री मछुआरों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। यह योजना 31 मार्च, 1996 तक कार्यान्वित की गयी और इसके विस्तार पर विचार किया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत सह राहत घटक के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना में 6.60 लाख समुद्री मछुआरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। इसकी तुलना में 1995-96 तक 8.71 लाख मछुआरों को कवर कर लिए जाने की आशा थी।

(घ) यह योजना 1995-96 तक केवल 7 समुद्र तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही थी।

[हिन्दी]

सरकारी काम-काज में अंग्रेजी भाषण

741. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहा है जबकि हम सरकारी कामकाज में अभी भी अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग करते हैं;

(ख) क्या सरकारी कामकाज में बहुत लम्बे समय से राजभाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और उच्चतम न्यायालय ने भी विधायी भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाया है और संघ लोक सेवा आयोग ने अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर रखा है;

(ग) क्या यह केवल राजभाषा हिन्दी का ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं का अपमान नहीं है;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की राजभाषा हिन्दी है तथा अंग्रेजी गौण भाषा है लेकिन वास्तव में हिन्दी अनुवाद की भाषा बन कर ही रह गई है; और

(ङ) क्या विश्व में कोई ऐसा अन्य स्वतंत्र राष्ट्र है जहां स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी विदेशी भाषा का प्रयोग हो रहा है और जहां बारह स्वदेशी भाषाओं और पांच अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं का एक साथ उपयोग किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती का आयोजन किसी भी देशवासी के लिए गौरव की बात है। इसे राजभाषा के मुद्दे के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा।

(ख) निःसंदेह सरकारी कामकाज में अभी भी अंग्रेजी की प्रधानता बनी हुई है तथापि सरकार के निरंतर प्रयास से सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। उच्चतम न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग को प्रारम्भ करने के संबंध में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के पांचवे खण्ड के कुछ दूरगामी सिफारिशें की गई हैं जिन पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित करने के संबंध में कार्रवाई चल रही है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधिकांश परीक्षाओं में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है।

(ग) और (घ). भारतीय संविधान के अनुसार देश की राजभाषा हिन्दी है। भारत सरकार राजभाषा हिन्दी के विकास के प्रति सजग है एवं इसके सरकारी कामकाज में उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए प्रयत्नशील है। संक्रमण काल में अनुवाद का सहारा लेना एक प्रकार की विवशता है।

(ङ) भाषा की दृष्टि से अलग-अलग देशों की परिस्थितियां भी एक समान नहीं होतीं। अतः इस संबंध में किसी देश की दूसरे देश से तुलना करना सार्थक नहीं कहा जा सकता।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन वृद्धि दर

742. डा.टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों की तुलना में मौजूदा कृषि उत्पादन वृद्धि कितनी है;

(ख) क्या हरित क्रांति की अवधि और कृषि के लिए समर्थन मूल्य योजना लागू होने की अवधि के बाद उत्पादन वृद्धि दर में काफी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह बात भी ध्यान में आई है कि उत्पादकता वृद्धि दर में सुधार होने पर उत्पादन वृद्धि दर में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो उत्पादन वृद्धि दर में ऐसी कमी आने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मूल्य नीति के साथ किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे अपर्याप्त आदानों के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार हैं, के इस्तेमाल के संबंध में शिक्षा और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से समुचित नीति नहीं बनाई गई है;

(च) क्या कृषि विस्तार सेवाएं भी अपर्याप्त हैं; और

(छ) यदि हां, तो कृषि विकास दर में सुधार लाने के लिए क्या उपाय शुरू किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) कृषि उत्पादन सूचकांक में विगत वर्ष हुआ परिवर्तन, 1994-95 तथा 1995-96 में क्रमशः +0.5 प्रतिशत तथा +3.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान -0.8 प्रतिशत था।

(ख) से (घ). हरित क्रान्ति के बाद की अवधि (1967-68 से 1994-95), जो लगभग मूल्य समर्थन पश्चात् की अवधि के समय थी, के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 2.87 प्रतिशत थी। इस अवधि में उत्पादकता की वार्षिक वृद्धि दर 2.02 प्रतिशत रही। 1995-96 के दौरान वृद्धि में कमी खराब मौसम तथा उर्वरकों के कम तथा असन्तुलित उपयोग के कारण हुई।

(ङ) से (छ). कृषि मूल्य नीति को कारगर बनाने के लिए, मूल्य समर्थन के साथ-साथ अन्य उपाय भी किए गए हैं जिनमें पैदावार बढ़ाने वाले विभिन्न आदानों की पर्याप्त सप्लाई तथा आधुनिक प्रौद्योगिक अपनाने में किसानों को शिक्षित करने के लिए कारगर विस्तार सेवाएं शामिल हैं। पिछले वर्षों में विस्तार सेवाओं में वृद्धि की गई है। इस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन की वृद्धि दर में सुधार करने के लिए विभिन्न फसल उत्पादनोन्मुखी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रसायन

743. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मौन्ट्रियल प्रोटोकाल के तहत सृजित बहुपक्षीय कोष के अंतर्गत ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रसायनों के न प्रयोग किए जाने हेतु कुल स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है तथा अनुमानतः इस पर कितनी लागत आएगी;

(ख) चालू परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक प्रगति कितनी हुई है;

(ग) स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य के लिए प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने और धनराशि जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सी एफ सी) के उत्पादन एवं ओ डी एस का उपयोग करने वाले एककों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाने हेतु समुचित कानून की दिशा में पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). मांट्रियल प्राटाकाल के अंतर्गत सृजित बहुपक्षीय कोष परियोजना आधार पर निधियां मंजूर करता है। बहुपक्षीय कोष द्वारा सुविधा की जा रही है और उन्हें परियोजनाओं के निष्पादन के लिए संबंधित उद्योग को सीधे वितरित किया जाता है।

दी जा रही सहायता भारत सरकार के माध्यम से नहीं दी जाती है। भारत सरकार परियोजनाओं की छानबीन करती है और सहायता के पात्र परियोजनाओं की संस्तुति को अंतिम अनुमोदन के लिए बहुपक्षीय कोष को करती है। गत तीन वर्षों के दौरान फोम, रेफ्रिजिरेशन, एरोसोल, हेलान्स तथा साल्वेंट सेक्टरों के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए ओजोन क्षयकारी पदार्थों का नियंत्रित तरीके से समाप्त करने के लिए 29.75 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से भारत के लिए एक सौ छः परियोजनाएं मंजूर की गई थी तथा तीन परियोजनाएं, जिनकी निधियन के लिए सिफारिश की गई थी, अंतिम अनुमोदन के लिए बहुपक्षीय कोष के पास लंबित है।

आरंभ में कार्यान्वयन एजेंसियों, उद्योगों तथा सरकार के बीच कतिपय औपचारिकताओं के अनुपालन के कारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन धीमा था। अतः इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

(घ) और (ङ). पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अलग नियम तैयार किए जा रहे हैं।

डेरी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां

744. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एन.डी.आर.आई.) में गत तीन वर्षों के दौरान विकसित की गई पशु प्रजनन और डेयरी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से कितनी प्रौद्योगिकियों किसानों और उद्यमियों द्वारा अपनाई गई हैं और इनके अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उर्वरक का मूल्य

745. श्री अशोक प्रधान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी उत्तरी प्रदेश के किसान उर्वरकों में मूल्य वृद्धि से अत्यधिक प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्यों में अचानक वृद्धि के कारण उभरने वाले संकट से किसानों की रक्षा हेतु उन्हें सहायता करने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ). अगस्त 1992 में फास्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों को नियंत्रण मुक्त किये जाने के तत्काल बाद डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. पर प्रति टन 1000/- रु. एस.एस.पी. पर प्रति टन 340/- रुपये और विभिन्न ग्रेड के मिश्रणों पर प्रतिटन 435-999 रु. की रिआयत दी गयी थी, ताकि कीमतों में होने वाली बढ़ोत्तरी के प्रभाव को कम किया जा सके। यह महसूस करते हुए कि यह रिआयत नहीं थी सरकार ने 3.7.96 से रिआयत को स्वदेशी डी.ए.पी. पर प्रति टन 1000/- रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया, आयातित डी.ए.पी. पर भी प्रति टन 1500/- रुपये की रिआयत दी गयी, जिस पर 1993-94 के दौरान रिआयत बन्द कर दी गयी थी, एम.ओ.पी. पर प्रतिटन 1000/- रुपये की रिआयत को बढ़ाकर 1500/- रुपये प्रतिटन कर दिया गया, मिश्रणों के विभिन्न ग्रेडों के लिए 435-999 रु. की सीमा को बढ़ाकर 1604-2633 रुपये कर दिया और प्रति टन एस.एस.पी. पर 340 रु. की रिआयत को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिटन कर दिया।

[अनुवाद]

मानसिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति

746. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानसिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्तियों के माता पिता के लिए राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम की स्थापना कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). विकलांग पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति तैयार की जा रही है।

(ग) और (घ). विकलांग व्यक्तियों के लाभ/आर्थिक पुनर्वास के लिए आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों तथा स्व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम का प्रचालन में लाने के लिए कार्यवाई प्रगति पर है। मानसिक मंदता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास

स्थापित करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इस न्यास का मुख्य कार्य मानसिक मंदता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल तथा पुनर्वास का प्रबंध करना, ऐसी देखभाल में लगे हुए संगठनों को सहायता तथा मदद प्रदान करना इस उद्देश्य के लिए वसीयत में मिली सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना होगा।

उड़ीसा के लिए नई परियोजनाएं

747. श्री सौम्य रंजन : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की कुछ कल्याणकारी परियोजनाएं केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें से प्रत्येक में अनुमानतः कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक को स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (घ), जी, हां। दो परियोजनाएं हैं, अर्थात (1) अरभाझार्भल समुदाय लिफ्ट सिंचाई परियोजना, 1994-95 तथा (2) अंगुल जिले में जामार्दिनी से राष्ट्रीय राजमार्ग 6 रोड तक लोक निर्माण विभाग को सड़क का सुधार कार्य।

वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उनके दिनांक 13.3.96 के पत्र के तहत आदिवासी उपयोजना के लिए अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता में से अरभाझार्भल लिफ्ट सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 627.82 लाख रुपए की राशि मांगी गई थी। इसके अतिरिक्त, अंगुल जिले में जामार्दिनी से राष्ट्रीय राजमार्ग 6 रोड तक लोक निर्माण विभाग को सड़क के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 124.50 लाख रुपए की राशि मांगी गई है। दोनों प्रस्ताव क्रमशः 13.3.96 तथा 15.6.96 से लम्बित हैं।

(ग) तथा (घ), हाल ही में सरकार ने आदिवासी उपयोजना के लिए अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुदान को जारी न करने का निर्णय लिया है और इसलिए इन परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस द्वारा की गई छानबीन

748. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा 1996 के दौरान पुलिस थानावार कितनी छानबीन की गई;

(ख) कितने मामलों में पुलिस ने छानबीन और जब्ती के दौरान उस स्थान के निष्पक्ष साक्षियों को सहयोजित नहीं किया;

(ग) क्या जांच अधिकारी अपने तैनाती के थाने के क्षेत्र से अलग क्षेत्र में छानबीन और जब्ती कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अन्तर्गत वह ऐसा कर सकता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ), सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्यों में खनन हेतु लाइसेंस दिया जाना

749. श्री सुशील चन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्यों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में खनन हेतु लाइसेंस दिए गए हैं/दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों के नाम क्या हैं, जहां ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख), सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों के पत्र

750. श्री रामसागर : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान सुपर बाजार के मामले में संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने पत्रों के उत्तर सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिए गए हैं और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इन पत्रों के उत्तर कब तक दिए जाने की संभावना है और

(घ) भविष्य में इस संबंध में विलम्ब न हो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख), वर्ष 1996 के दौरान संसद सदस्यों से सुपर बाजार, दिल्ली के मामले में संबोधित 14 (चौदह) पत्र प्राप्त हुए।

(ग) और (घ). सुपर बाजार को इस संबंध में उत्तर शीघ्र भेजने के लिए स्मरण पत्र भेजा गया है और उनसे सामग्री प्राप्त होते ही संसद सदस्यों को उत्तर भेज दिए जाएंगे।

कृषि संबंधी निर्यात

751. डा. कृपासिन्धु भोई :
श्री राजीव प्रताप रूडी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि संबंधी निर्यात में सुधार लाने के लिए निर्धारित 1000 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में से केवल 400 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों/कार्य योजना का क्या ब्यौरा है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं। सरकार राज्य सरकारों को कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कोई सहायता नहीं देती।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). कृषि निर्यात में सुधार के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं है, बहरहाल उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है।

(ङ) कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जैसे निरीक्षण प्रक्रिया का सरलीकरण, कुछ मदों से गुणवत्ता प्रतिबन्ध हटाना, रियायती ऋण अन्तरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए उत्पाद विकास, शत-प्रतिशत उत्पादनोन्मुखी इकाइयों/कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों संबंधी योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लाभ में विस्तार, विनिर्दिष्ट गंतव्यों के लिए चुनिन्दा पुष्पोत्पाद/बागवानी/ताजी सब्जियों के हवाई भाड़े पर राज सहायता, विमान पत्तनों पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों को वित्तीय सहायता, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में सहभागिता, क्रेता विक्रेता बैठकें कराना, मंडी विकास अभियान आयोजित करना, पैकेजिंग तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण में सुधार, घरेलू एवं निर्यात मंडियों में विपणन, रखरखाव, प्रसंस्करण तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना।

गोद लिए बच्चों का बेचा जाना

752. **प्रो. अजीत कुमार मेहता** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार से वसुन्धरा नामक एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा गोद लेने की आड़ में बच्चों के बेचे जाने के मामले में कथित रूप से लिप्त होने के बारे में रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). इस मंत्रालय को कटक के वरिष्ठ नागरिकों तथा उड़ीसा सरकार के विधायकों से अनेक शिकायतें तथा आरोप प्राप्त हुए हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि संगठन वसुन्धरा अन्य बातों के साथ-साथ, दुर्भाग्यपूर्ण, कार्यकलापों में शामिल हैं जो दत्तक ग्रहण के नाम पर बच्चों के बेचने से संबंधित हैं। राज्य महिला आयोग ने भी वसुन्धरा सहित उड़ीसा में नियोजन एजेंसियों के कार्यकलापों की जांच के लिए भी मांग की थी। सरकार ने भारत सरकार के अधीन उपयुक्त प्राधिकारियों से इस संगठन के कार्यकलापों की जांच करने और एक रिपोर्ट भेजने के लिए सम्पर्क किया है, जिसकी प्रतीक्षा है। राज्य सरकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया है। तथापि, उनको इस मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से सूचित किया गया है।

मानसून का देरी से आगमन

753. **श्री हरिन पाठक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देरी से मानसून आने के कारण खरीफ फसल विशेष रूप से मुख्य फसलों जैसे बाजरा, ज्वार तथा उड़द एवं मूंग की दालें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक फसलें प्रभावित हुई हैं;

(ग) क्या सूखे के कारण पश्चिमी महाराष्ट्र विशेष रूप से औरंगाबाद में नासिक, अहमदनगर तथा पुणे जिले में भी फसल प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक फसलें प्रभावित हुई हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सूखे के कारण प्रारम्भ में फसलों का वृद्धि तथा विकास कुछ हद तक प्रभावित हुआ था, किन्तु मौसम अनुकूल हो जाने पर फसलों में सुधार हुआ। पिछले खरीफ मौसम की तुलना में उत्पादन बेहतर होने की संभावना है।

[हिन्दी]

अन्तर्राज्यीय परिषद

754. **श्री एम.जे. राठवा :**
श्री संतोष मोहन देव :
श्री प्रमोद महाजन :
श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री डी.पी. यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय परिषदों की अब तक हुई बैठकों तथा इनमें दिये गये सुझावों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) मुख्य मंत्रियों के विचाराधीन सुझावों/अनुरोधों सहित उन सुझावों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत कर दिया गया है;

(ग) इन सुझावों/अनुरोधों के कार्यान्वियन के बारे में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकारिया आयोग द्वारा केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में की गई सिफारिशों की समीक्षा करने के संबंध में कोई उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है;

(च) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (छ). अन्तर-राज्यीय परिषद की अब तक दो बैठकें हुई हैं। पहली बैठक 10 अक्तूबर, 1990 को तथा दूसरी बैठक 15 अक्तूबर, 1996 को हुई थी। इस परिषद ने अपनी पहली बैठक में केन्द्र-राज्य-संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारिशों की जांच तथा केन्द्र-राज्य-संबंधों के व्यापक पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया था। उप-समिति की रिपोर्ट पर अन्तर राज्यीय परिषद की अगली बैठक में विचार किया जाना था।

अन्तर-राज्यीय परिषद ने अपनी दूसरी बैठक में उप-समिति के कार्यों, विशेष रूप से इसके द्वारा अन्तिम रूप दी गई 179 सिफारिशों को देखा। जहां इसमें उप-समिति की सिफारिशों को मोटे तौर पर अनुमोदित किया वहीं इसने यह निर्णय भी लिया कि मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार, उप-समिति द्वारा अन्तिम रूप दी गई 179 सिफारिशों सहित किसी भी संबद्ध मामले पर अपने विचार, अन्तर-राज्यीय परिषद के सचिवालय को भेज सकती है ताकि गठित की जाने वाली प्रस्तावित स्थाई समिति द्वारा उन पर आगे विचार किया जा सके। स्थाई समिति का गठन विचाराधीन है।

स्थाई समिति, सरकारिया आयोग की सिफारिशों, विशेष रूप से केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण करने तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में आवश्यक परिवर्तनों की जांच करने जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी समीक्षा करेगा और उसको अद्यतन बनाएगी। इस समिति को अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर देनी होगी तथा इसके बाद परिषद उस पर विचार करेगी। अन्तर-राज्यीय परिषद की सिफारिशें विचारार्थ और अन्तिम निर्णय लेने सरकार को भेजी जाएगी।

एक स्थाई समिति गठित करने के संबंध में अन्तर-राज्यीय परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है।

वृद्धों की पेंशन का गबन

755. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर विकास प्रखंड के गांव केगा में निर्धन दलितों के वृद्धों को पेंशन के गबन की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में जांच करना स्वीकार किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ). सरकार को राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अन्तर्गत उ.प्र. सरकार तथा इसलिए कानपुर जिले के कल्याणपुर विकास खण्ड के केगा गांव को वयोवृद्ध पेंशन के रूप में प्रदान की गई धनराशि के गबन की किसी घटना की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम द्वारा धनराशि का दुरूपयोग

756. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को 1 जुलाई, 1996 से आज की तारीख तक कुछ माननीय संसद सदस्यों द्वारा राजधानी दिल्ली में अपराध की घटनाओं में वृद्धि के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने तथा दिल्ली नगर निगम को केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित की गयी धनराशि का दुरूपयोग करने तथा दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा तथा-कथित अनियमितता बरते जाने के संबंध में सुझाव, अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इसी प्रकार के सुझाव अथवा अभ्यावेदन दिल्ली के कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा भी प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराये जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है अथवा करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्राकृतिक विपदाओं के लिए सहायता

757. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री मंगा चरण राजपूत :
श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को 1996-97 के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए यथा बाढ़, सूखा, तूफान तथा ओला वृष्टि के लिए कितनी धनराशि का आंवटन किया गया है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए आज की तारीख तक प्रत्येक राज्य के लिए वास्तविक रूप से कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या कई राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से 1996-97 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विशेष सहायता प्रदान करने के लिए अथवा सहायता की राशि बढ़ाने के लिए आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ङ). प्राकृतिक आपदाओं के समय 1996-97 के दौरान राहत और पुनर्वास संबंधी उपायों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को आपदा राहत कोष से आंवटन, उसमें से निर्मुक्त की गई धनराशि और राज्यों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विरल गम्भीरता वाली आपदाओं के मामले में राज्य सरकारों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से आपदा राहत निधि के अतिरिक्त धन प्रदान किया जाता है। 1996-97 के दौरान बाढ़ के लिए असम को राष्ट्रीय अपादा राहत कोष से 21.00 करोड़ रुपये अतिरिक्त सहायता के तौर पर मुहैया किए गए हैं। इस कोष से अरुणाचल प्रदेश को 3.00 करोड़ रुपये और बिहार को 7.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम राज्यों के अनुरोध पर इस समय विचार किया जा रहा है। अन्य राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि आपदा इतनी गम्भीर किस्म की नहीं की कि किसी प्रकार की अतिरिक्त सहायता दी जाये।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक आपदा राहत कोष	केन्द्रीय अंग	निर्मुक्त किया केन्द्रीय अंग	अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	124.19	93.14	93.140	2819.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.04	5.28	3.960	110.53
3.	असम	50.01	37.51	28.133	415.51
4.	बिहार	51.96	38.97	29.228	168.92
5.	गोवा	1.07	0.80	0.600	
6.	गुजरात	139.60	104.70	104.700	282 00
7.	हरियाणा	25.05	18.79	18.790	43.36
8.	हिमाचल प्रदेश	26.95	20.21	15.158	458.37
9.	जम्मू और कश्मीर	19.71	14.78	14.780	273.97
10.	कर्नाटक	41.85	31.39	23.543	
11.	केरल	55.40	41.55	41.550	312.83
12.	मध्य प्रदेश	51.00	38.31	28.733	55.00

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	68.20	51.15	38.363	
14.	मणिपुर	2.48	1.86	1.400	
15.	मेघालय	2.79	2.09	1.568	-
16.	मिजोरम	1.27	0.95	0.712	
17.	नागालैंड	1.71	1.28	0.960	
18.	उड़ीसा	49.01	36.76	36.760	585.80
19.	पंजाब	54.15	40.61	30.458	
20.	राजस्थान	179.04	134.28	134.280	321.00
21.	सिक्किम	4.71	3.53	3.530	43.92
22.	तमिलनाडु	59.35	44.51	33.383	-
23.	त्रिपुरा	4.49	3.37	2.528	
24.	उत्तर प्रदेश	125.12	93.84	70.380	429.79
25.	पश्चिम बंगाल	51.32	38.49	38.490	309.00

कृषि भूमि

758. श्री सुरेश प्रभु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी कृषि योग्य भूमि पर खेती की जा रही है;

(ख) कितनी और भूमि पर खेती की जा सकती है;

(ग) ऐसी भूमि पर कृषि न हो पाने के कारण कितना घाटा हुआ है; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भू-उपयोग सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 1992-93 (अद्यतन उपलब्ध) में कुल कृष्य भूमि 166.07 मिलियन हैक्टेयर थी जो वर्ष 1950-51 के 146.87 मिलियन हैक्टेयर कृष्य भूमि से 19.20 मिलियन हैक्टेयर अधिक थी।

(ख) उपलब्ध कृष्य बंजर भूमि (146 मिलियन है.) में ऐसी क्षमता है जिसे खेती के अधीन लाया जा सकता है।

(ग) ऐसी भूमि पर खेती न करने से हुए नुकसान के बारे में कभी मूल्यांकन नहीं किया गया।

(घ) कृष्य बंजर भूमि के सुधार तथा वनरोपण और संरक्षण के कार्यक्रम के जरिए और अधिक क्षेत्र को खेती के अधीन लाने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रही है।

जेल के कैदी को कथित रूप से अंग-भंग करना

759. श्री जय प्रकाश (हरदोई) **:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तूबर, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "थ्री तिहाड़ इनमेट्स हैक्ड आफ सेल मेट्स थम्ब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या तीन कैदियों ने 7 अक्तूबर, 1996 की रात को अपने सेल में रहने वाले एक अन्य कैदी का कथित रूप से अंगूठा काट दिया था तथा उसे शौचालय में बहा दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). तीन अभियुक्त संवासियों द्वारा प्रारम्भ में यह दावा किया गया बताया जाता है कि दोनों ही कटे हुए अंगूठे टायलेट में बहा दिए गए थे परन्तु बाद में एक कटा अंगूठा, जेल की चारदीवारी के परिसर क्षेत्र के बाहर से बरामद किया गया। तीनों अभियुक्त संवासियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है। जेल प्राधिकारियों ने दो जेल अधिकारियों को कर्तव्य में तथाकथित लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया है और निलंबित किए गए दोनों अधिकारियों सहित कुल 5 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है।

कृषि क्षेत्र हेतु नई तकनीक

760. श्री संतोष मोहन देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के किसानों को उनकी आय में वृद्धि हेतु उनके उत्पादन को बढ़ाने और अपने उत्पादों की बिक्री का अवसर प्रदान करने हेतु उन्हें प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि वैज्ञानिकों से छोटे उत्पादकों की उत्पादकता, उत्पादन और आय में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उचित प्रौद्योगिकी ईजाद करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1996 तथा उसके पश्चात कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी को कहां तक उन्नत बनाया जाएगा?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). ...निकों के साथ हमारी बैठकों में वैज्ञानिकों द्वारा ... प्रौद्योगिकी विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है जिसको आगे ... अनुकूल परीक्षणों के माध्यम से मूल्यांकित और परिष्कृत किया जाता है ताकि छोटे किसानों सहित कृषि समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ङ) प्रौद्योगिकी उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है जो अनुवर्ती जानकारी और किसी इलाके/क्षेत्र की स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित होती है।

कृषि क्षेत्र में गैर–सरकारी निवेश

761. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में अधिक मात्रा में गैर-सरकारी निवेश की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). कृषि में गैर-सरकारी निवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वास्तव में सरकार आधारभूत सुविधाओं में सुधार एंव ऋण सहायता तथा अनुकूल मूल्य तथा व्यापार वातावरण के सृजन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश को बढ़ावा दे रही है।

ड्रिप सिंचाई योजना

762. श्री भक्त चरण दास : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान ड्रिप सिंचाई योजना के लिए उड़ीसा को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने आंबटन में वृद्धि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या धनराशि के उपयोग के बारे में उड़ीसा से कोई रिपोर्ट मांगी गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इस राज्य को आबंटित धनराशि क्रमशः 249 लाख रु. और 80.25 लाख रुपये थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां।

(च) राज्य के लिये कोई अतिरिक्त धनराशि आबंटित नहीं की गई।

लातूर भूकम्प पीड़ित

763. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1996 के "स्टेट्स मैन" में "मनी फोर लातूर विक्टिम्स साइफन्ड आफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को भारतीय और विदेशी दाताओं द्वारा दानस्वरूप दी गयी कुल धनराशि की जानकारी है;

(ग) क्या पुनर्वास संबंधी कार्य अभी भी बदतर स्थिति में है और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार कोई ठोस उपाय करने में असफल हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रियां है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। महाराष्ट्र आपातिक भूकम्प पुनर्वास कार्यक्रम का कार्यान्वयन चरणवार रूप से किया जा रहा है, जिसमें रिपोटिंग, मानिटरिंग और लेखांकन हेतु सुस्थापित प्रविधियां अपनाई जा रही हैं। राज्य सरकार के उच्चतम स्तरों पर इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। विश्व बैंक भी कार्यक्रम की प्रगति और अपने ऋण के उपयोग का नियमित मूल्यांकन करता है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

गैर-जमानती वारंट

764. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित न्यायालयों द्वारा 1996 के दौरान कितने गैर-जमानती वारंट जारी किए गए;

(ख) गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के परिणामस्वरूप कितने लोग गिरफ्तार किए गए; और

(ग) कितने मामलों में उच्चतम न्यायालयों ने स्थगन आदेश जारी किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

765. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का भण्डारण तथा वितरण ग्राम पंचायत तथा खण्ड स्तर पर किया जाता है;

(ख) क्या पर्याप्त भण्डारण, सुविधा के अभाव में पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को आवश्यक वस्तुओं यथा मिट्टी का तेल, चीनी आदि के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केवल छः वस्तुएं अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और शोफ्ट कोक देश भर में फैली लगभग 4.37 लाख उचित दर दुकानों के माध्यम से जारी की जाती है जिनका संचालन सहकारी समितियों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों अथवा निजी खुदरा व्यापारियों द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर इन वस्तुओं का ढुलान और भण्डारण भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम तथा तेल कम्पनियों द्वारा किया जाता है और उसके बाद समूचे राज्य में भण्डारण/ढुलाई/वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के लिए महीनों इन्तजार करना पड़ता है।

ओजोन परत का क्षरण

766. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कतिपय गैसें छोड़ने से उद्योगों द्वारा ओजोन परत के क्षरण के कारण त्वचा के कैंसर तथा मोतियाबिंद की बीमारियों के बढ़ते खतरों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी की रिपोर्ट की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) ओजोन क्षीणकारी पदार्थों को समाप्त करने के लिए बहुपक्षीय कोष से प्रौद्योगिकी अन्तरण के साथ-साथ वृद्धिकारी लागतों के घटक निधियन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए व्यापक चहुंमुखी सलाह के पश्चात एक कन्ट्री कार्यक्रम तैयार किया गया था। ओजोन परत की सुरक्षा की आवश्यकता संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए गए हैं और उद्योगों द्वारा ओजोन क्षीणकारी पदार्थों को समाप्त करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन दिए गए हैं।

[अनुवाद]

घुसपैठ

767. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर में हाल ही के विधान सभा चुनावों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने उग्रवाद को भड़काने, उग्रवादियों के प्रवेश कराने तथा हथियारों की तस्करी सहित सीमा तथा राज्य से लगी नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी की;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी, हां।

(ख) 07 से 30 सितम्बर, 1996 तक की अवधि, जब जम्मू व कश्मीर राज्य में विधान सभा चुनाव हुए थे, के दौरान पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा जम्मू व कश्मीर में नियंत्रण रेखा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर की गई अकारण गोली-बारी की 184 घटनाएं हुई।

(ग) पाकिस्तानी सेनाएं, जम्मू व कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियत्रंण रेखा के साथ साथ अकारण और रूक-रूक कर गोली-बारी करती रहती हैं ताकि उग्रवादियों को सीमा के पार से घुसपैठ कराई जा सके। भारतीय सेनाएं ऐसी गोली-बारी का जवाब देती हैं तथा पाकिस्तानी सेनाओं के नापाक इरादों को विफल करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं।

नारियल का प्रति हैक्टेयर उत्पादन

768. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौद्योगिकी मिशन में किन-किन तिलहनों को शामिल किया गया है; और

(ख) देश में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में नारियल और पाम आयल उत्पादकता और प्रति हैक्टेयर उत्पादन कितना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत आने वाले तिलहनों में मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, अरण्ड, रामतिल, रेपसीड तथा सरसों, अलसी और कुसुस शामिल हैं। इनके अलावा आयल पाम को भी शामिल कर लिया गया है।

(ख) नारियल और आयल पाम का प्रति हेक्टेयर उत्पादन/उत्पादकता इस प्रकार है :

राज्य	नारियल उत्पादन/ उत्पादकता नग/हेक्टेयर	आयल पाम उत्पादन/ उत्पादकता ताजे फलों के गुच्छे मीटरी टन/हे.
आंध्र प्रदेश	13642	4.00
कर्नाटक	5179	3-4
केरल	5888	5.85
तमिलनाडु	12139	बागान अभी प्ररोही अवस्था में है।

ताजे फलों के गुच्छों से चौथे वर्ष के बाद तेल प्राप्त होता है और रोपण के आठवें वर्ष के बाद तेल का उत्पादन स्थिर हो जाता है।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग

769. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय में कोई राजभाषा विभाग है जिसके लिए माननीय गृह मंत्री के पास समय नहीं है परिणामस्वरूप किसी भी मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन समय से नहीं हो पाता है और यदि इसका पुनर्गठन कर भी दिया जाता है तो इसकी बैठक वर्ष में चार बार नहीं होती है;

(ख) क्या गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की भी बैठक वर्ष में चार बार नहीं हुई है;

(ग) क्या गत 23-24 वर्षों के दौरान कोई भी विभाग, यहां तक कि अपवादस्वरूप भी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सफल नहीं रहा है;

(घ) क्या राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, अंग्रेजी रोमन भाषा में कार्य करने की सुविधा प्रदान करने वाले दर्जनों उपकरण लगाए गए हैं और अन्य द्विभाषी उपकरणों की बातें तो की जाती हैं लेकिन यह नहीं पता कि इनका कौन प्रयोग करेगा तथा क्यों, कहां, कैसे और किसके लिए इनका प्रयोग किया जाएगा, जब कि सभी फाइलें अंग्रेजी/रोमन भाषा में तैयार की जाती हैं;

(ङ) क्या सभी मंत्रालय हिन्दी भाषी राज्यों को अपने पत्र अंग्रेजी में भेजते हैं और इन राज्यों को अपनी योजनाएं और बजट भी अंग्रेजी भाषा में भेजने के लिए विवश किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) गृह मंत्रालय के अन्य विभागों की तरह राजभाषा विभाग का कार्य माननीय गृह मंत्री जी द्वारा निष्पादित किया जाता है। हिन्दी सलाहकार समितियों का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष होता है। कार्यकाल की समाप्ति पर इनका पुनर्गठन किया जाता है। संबंधित मंत्रालय द्वारा इनकी वर्ष में चार बैठकें करवानी अपेक्षित हैं। बैठकें समय पर करवाने के लिए मंत्रालयों को समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं।

(ख) वर्ष 1995 में गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दो बैठकें हुई।

(ग) वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विभिन्न मदों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। कुछ मदों के संबंध में लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और जिन मदों के संबंध में लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं उनके लिए भारत सरकार के विभाग प्रयत्नशील हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को ये आदेश है कि कार्यालयों में खरीदे जाने वाले सभी इलैक्ट्रानिक उपकरणों में रोमन के साथ-साथ देवनागरी लिपि के प्रयोग की सुविधा हो। जहां कहीं इन आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है संबंधित कार्यालय को इनके अनुपालन के लिए लिखा जाता है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग आवश्यक होता है।

(ङ) और (च). योजनाएं व बजट प्रस्ताव द्विभाषी रूप से तैयार किए जाते हैं। किसी मंत्रालय द्वारा किसी हिन्दी भाषी राज्य सरकार को इनसे संबंधित सूचनाएं केवल अंग्रेजी में भेजने के लिए विवश करने संबंधी कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

770. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों से कारागारों के संबंध में संसदीय विधान को अधिकृत करने के लिए अपने-अपने राज्यों में आवश्यक संकल्प पारित करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि, हां, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में किन-किन मुख्य मुद्दों का उल्लेख किया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर गौर किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर विचार करने के लिए राज्यों के गृह मंत्रियों की एक बैठक बुलाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो यह बैठक कब तक होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने, आयोग द्वारा गठित कोर ग्रुप द्वारा तैयार किए गए आदर्श कारागार विधेयक की प्रति 29.8.1996 को इस अनुरोध के साथ राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को भेजी थी कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि "कारागार" संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II का विवरण है और संसद को इस संबंध में तब तक विधायन बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है, जब तक कि राज्यों द्वारा सौंप गए के अनुच्छेद 252 के तहत कार्रवाई नहीं की जाती, अतः जनहित में कारागारों के संबंध में संसदीय विधान को प्राधिकृत करने के लिए राज्यों द्वारा आवश्यक संकल्प पारित किया जाना चाहिए।

(ग) से (ङ). सरकार को इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से 21.11.96 को ही पत्र प्राप्त हुआ। मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

गरीब व्यक्तियों को ऋण

771. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग निगम द्वारा कितने गरीब व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया गया;

(ख) वित्तीय वर्ष 1995-96 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि ऋण के रूप में बांटी गई; और

(ग) क्या गरीब व्यक्तियों द्वारा वास्तव में उन्हीं चीजों को खरीदने में धनराशि का उपयोग किया गया जिसके लिए यह धनराशि दी गई थी?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). वर्ष 1995-96 तथा वर्तमान वर्ष के दौरान वितरित की गई ऋण की राशि तथा लाभान्वित गरीब व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:-

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष	वितरित किया गया ऋण (लाख रुपए में)	लाभान्वित व्यक्ति
1995-96	2335.92	10071
1996-97 (20.11.96 तक)	1380.79	698

2. अनुसूचित जाति विकास निगम :

वर्ष	वितरित किया गया ऋण (लाख रुपए में)	लाभान्वित व्यक्ति
1995-96	54202.30	393930
1996-97	(आंकड़े केवल वर्ष 1997-98 के दौरान उपलब्ध होंगे।	

(ग) जी, हां।

[अनुवाद]

वृद्ध व्यक्तियों के लिए योजना

772. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार विश्व वृद्ध दिवस के अवसर पर कौन-सी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करेगी;

(ख) क्या नि:सहाय वृद्ध व्यक्तियों को आवास और यात्रा सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो नि:सहाय वृद्धाओं को ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बेरोजगार विकलांग युवाओं को रोजगार

773. श्री हरिन पाठक : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग और सामान्य युवकों में बेरोजगारों का प्रतिशत कितना है;

(ख) विकलांग युवकों को लाभप्रद रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या विकलांगों को दी जाने वाली परिलब्धियां सामान्य श्रेणी के युवकों को दी जा रही परिलब्धियों से कम है;

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या विकलांगों के संबंधियों के लिए विशेष लाभ "विशेष" अधिकार या रियायतें देने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार रोजगार कार्यालयों वर्तमान रजिस्टर में 3,66,91,500 व्यक्तियों में से 32,91,700 को 31.11.1994 तक रोजगार प्रदान किया जा चुका है। विकलांग

व्यक्तियों के लिए अनुरूप संख्या क्रमशः 3,40,304 तथा 52,859 है। विकलांग तथा सामान्य व्यक्तियों में बेरोजगारी की संबंधित प्रतिशतता 84.47 तथा 91.03 है।

(ख) विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार देने के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ). कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए भिन्न दरें निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) और (च). केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही ऐसी रियायतों का संक्षिप्त ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

(1) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार, प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों के लिए रिक्त पदों का उतना आरक्षण करेगी जो प्रत्येक विकलांगता के लिए अभिज्ञात पदों में निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए तीन प्रतिशत से कम न हो:- (1) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि; (2) श्रवण विकलांगता; (3) गति विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात। इस अधिनियम के प्रभावी होने से पहले भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाते रहे हैं जिनमें से शारीरिक, श्रवण तथा अस्थि विकलांगता प्रत्येक के लिए केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" के पदों में एक प्रतिशत आरक्षण किया जाता रहा है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी इसी प्रकार के आरक्षण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट तथा चिकित्सा मानदंडों में रियायत भी प्राप्त है।

(2) विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए अनन्य रूप से 41 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 47 विशेष विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है।

(3) विकलांगों की शेष क्षमता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण का प्रबंध करने तथा उन्हें रोजगार में लगाने के लिए सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(4) निम्नलिखित के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है :-

(क) बेन्डिंग स्टॉलों, क्योस्कों एवं छोटे दुकानों का आबंटन;

(ख) भिन्नात्मक ब्याज दर योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से नाम मात्र के ब्याज दरों पर ऋण;

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का आबंटन;

(घ) पेट्रोल पम्पों, मिट्टी तेल के डिपोओं इत्यादि के वितरण में आरक्षण।

विवरण-II

विकलागों के संबंधियों/मार्गरक्षियों को रियायतें

1. यात्रा रियायत :

रेल यात्रा : नेत्रहीन/अस्थि विकलांग तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ जा रहे मार्गरक्षी मूल किराए में 75 प्रतिशत रियायत के लिए पात्र हैं। यह विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायत के अतिरिक्त है।

2. शिक्षण भत्ता :

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के शारीरिक रूप से विकलांग तथा मानसिक रूप से मंद बच्चों के संबंध में ट्यूशन फीस की अदायगी 50 लाख रुपए बढ़ा दी गई है।

3. आय कर में छूट :

विकलांग व्यक्तियों के आश्रितों के चिकित्सा उपचार के संबंध में कटौती वह निर्धारित अपनी आय में से 20,000/- रुपए की कटौती के लिए पात्र है, जिसने स्थायी विकलांगता (जिसमें अंधापन/मानसिक मंदता शामिल है) से पीड़ित सामान्य कार्य के लिए विकलांग आश्रित की क्षमता को घटाने के प्रभाव वाले किसी विकलांग आश्रित, के चिकित्सा उपचार (परिचर्या सहित) के लिए व्यय किया है।

जेल सजाओं के विकल्पों का पता लगाना

774. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 13 नवम्बर, 1992 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जेल सजा के विकल्पों का पता लगाने की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि यहां, तो क्या सरकार ने उस समय जेल सजा के विकल्पों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). जी, हां। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को "कारावास" के विकल्प की खोज सहित जेल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में सुधार करने के बारे में सलाह देती रही है। सरकार, कारावास के बदले में विभिन्न विकल्पों जैसे कि सामुदायिक सेवा का प्रावधान करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा-53 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव पर विधि आयोग से भी बातचीत कर रही है।

बागवानी, मत्स्यपालन इत्यादि के लिये केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाएं

775. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक गुजरात में विशेषकर जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बागवानी, फल,

वृक्षारोपण, मत्स्यन आदि के क्षेत्र में कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गयी हैं;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं हेतु अलग-अलग कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसी प्रकार के अन्य अनुसंधान संस्थान ने इन क्षेत्रों के लिए किसी नई तकनीकी की खोज की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जनता को जागरूक बनाने और इन क्षेत्रों में योजनाएं शुरू करने को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). योजनाओं के नाम तथा विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार को दी गयी सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). फल, औषधीय और सुगन्धि वाले पौधों आदि के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गयी है। खजूर और केले की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का बहुलीकरण करने और किसानों में उनका संवितरण करने के लिए चयन किया गया है जिससे कि इनकी उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। बेर, अनार, खजूर, आंवला आदि की उन्नत किस्मों का विकास किया गया है और उनका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। केन्द्रीय बागवानी प्रयोग केन्द्र, गोधरा द्वारा गुजरात की शुष्क जमीनों और अर्धशुल्क परिस्थितियों में फल वाले पौधों के रोपण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन किया गया है साथ ही साथ इन मृदाओं के लिए उपयुक्त बागवानी-चारागाह प्रणाली के माध्यम से अवक्रमित भूमि के विकास की प्रौद्योगिकी विकसित की गयी है। गुजरात के लिए उपयुक्त विधियों के पैकेज के साथ-साथ बड़ी संख्या में औषधीय पौधों की किस्में पैदा की गयी हैं।

2. केला, नीबू, आम आदि तथा कुछ सब्जी फसलों के लिए बागवानी फसलों से संबंधित ड्रिप सिंचाई के प्रयोग के स्तर में सुधार किया गया है। इसी प्रकार गैर-मौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए "ग्रीन हाउस" के प्रयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है।

3. मात्स्यिकी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप अपनाये गये हैं:-

(एक) नर्मदा के विभिन्न जलाशयों का विस्तृत अध्ययन कराया गया है और नदी के परिवर्तनशील पारिस्थितिक प्रणाली में मछलियों के संरक्षण का प्रबन्ध करने के लिए कार्यनीति तैयार की गयी।

(दो) सौराष्ट्र तट की आयात किस्म की मछलियों की संसाधन पूर्व प्रक्रियाओं और प्रशीतर भण्डारण गुणों का विकास किया गया है जिससे कि घरेलू और निर्यात बाजार में मछलियों के उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी लायी जा सके।

(तीन) गुजरात तट के वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समुद्री मत्स्य संसाधनों की संख्या गति का विस्तृत मूल्यांकन करने के पश्चात समुद्री मत्स्य भण्डार का अनुकूलतम दोहन करने के लिए प्रबन्धात्मक रणनीति विकसित की गयी।

(चार) केन्द्र सरकार प्रदर्शन, प्रशिक्षण और विधियों के पैकेज का प्रचार-प्रसार करने के लिए सहायता दे रही है ताकि नई प्रौद्योगिकीयों का प्रसार हो सके।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य को दी गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	केन्द्रीय सहायता निर्मित		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
क.	**मात्स्यिकी**			
1.	लघु मात्स्यिकी बन्दरगाह	109.635	189.89	291.68
2.	ताजा जल कृषि	17.00	17.00	-
3.	समेकित खारा पानी मत्स्य फार्म विकास	36.16	6.06	6.00
4.	तटीय समुद्री मात्स्यिकी विकास	233.00	361.76	323.24
5.	मछुआरा कल्याण	-	-	67.02
6.	अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन का सुदृढ़ीकरण	-	11.00	-
7.	अन्तर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी	2.18	3.50	4.00
8.	प्रशिक्षण एंव विस्तार	-	-	1.00

1	2	3	4	5
ख.	**बागवानी**			
1.	वाणिज्यिक पुष्प कृषि का विकास	1.00	0.68	1.50
2.	औषधिक एंव सुगन्धयुक्त पौधों का विकास	-		1.05
3.	उष्ण, शुष्क तथा समशीतोष्ण तालाबों का विकास	60.72	40.00	-
4.	मसालों का विकास	20.46	22.00	37.05
5.	सब्जियों का विकास	12.99	03.13	08.80
6.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	103.12	280.00	-
7.	पान-बेल का विकास		01.25	01.25

सुपर बाजार में लेखा-जोखा प्रणाली

776. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार ने विकेन्द्रीकृत लेखा-जोखा प्रणाली की उपयोगिता का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकेन्द्रीकृत लेखा-जोखा प्रणाली से पूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान लेने की समस्या हल होने की अपेक्षा और बढ़ी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या पुरानी प्रणाली को पुनः आरंभ करने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). सुपर बाजार द्वारा यह सूचित किया गया है कि बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण, बिक्री पर निगरानी रखने, व्यय में कमी लाने और सप्लायरों को समय पर भुगतान करने के लिए लेखा प्रणाली का विकेन्द्रीकरण किया गया था। इससे उनको इस दिशा में मदद मिली है।

(ग) सुपर बाजार ने अपने क्षेत्रीय वितरण केंद्रों, क्रय अनुभाग और भुगतान अनुभाग को बिलों पर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने के अनुदेश जारी किए हैं जिनके क्रियान्वयन की समीक्षा समय-समय पर सुपर बाजार के प्रबंधकों द्वारा की जाती है। सामान्यतः सुपर बाजार सप्लायरों को सहमत समयावधि के अनुसार भुगतान करता है।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि लेखाओं का कम्प्यूट्रीकरण करते समय लेखा प्रणाली की समीक्षा की जाएगी।

कृषि क्षेत्र को राजसहायता

777. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारत पर कृषि क्षेत्र में राजसहायता बंद करने के लिए लगातार दबाव बनाता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर विश्व बैंक के अध्यक्ष से भी बातचीत हुई जब वे हाल में भारत के दौरे पर आए थे;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) कृषि क्षेत्र में राजसहायता के प्रति विश्व बैंक का सामान्य दृष्टिकोण यह रहा है कि संसाधन संबंधी बाधाओं आदि के कारण वित्तीय संतुलन, घटते हुए निवेश पर जो प्रभाव पड़ा है, उसे देखते हुए राजसहायता को जारी रखने के लिए फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग). अध्यक्ष, विश्व बैंक और उनके दल के दौरे और कृषि मंत्री से मुलाकात के दौरान प्रसंगवश इस पहलू से संबंधित संदर्भ उपस्थित हुआ।

(घ) संसाधन विहीन गरीबों, छोटे और सीमान्त किसानों, जो किसान समुदाय की कुल संख्या के लगभग 80 प्रतिशत है, तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहुंचाकर उनकी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सभी प्रयास किये जाने ही चाहिए और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।

डेयरी और पशुपालन विकास संबंधी योजनाएं

778. श्री भक्त चरण दास : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में विदेशी सहायता से डेयरी और पशुपालन विकास हेतु योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक हासिल की गई उपलब्धियों को दर्शाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी विदेशी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) महोदय, पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय पशुधन उन्मूलन परियोजना, उत्तरी केरल डेयरी परियोजना तथा ऑपरेशन फ्लड नामक तीन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं लागू की हैं। इनमें से ऑपरेशन फ्लड पूरी हो चुकी है।

इसके अलावा निम्नलिखित राज्यों ने 12 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं लागू की हैं :

आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा सिक्किम।

(ख) और (ग). उन परियोजनाओं, जो विदेशी से प्राप्त सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा लागू की गई हैं तथा उनकी उपलब्धियों का विवरण I तथा II में दिया गया है। ऑपरेशन फ्लड तथा केरल के लिए उत्तरी केरल डेयरी परियोजना के तहत राज्यवार जारी विदेशी निधियों तथा उपलब्धियों का विवरण III और IV में दिया गया है। राष्ट्रीय पशुधन उन्मूलन परियोजना से संबंधित विवरण एकत्र किया जा रहा है तथा शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

विवरण-I

परियोजना का नाम	1994-95 के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता
स्विस सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
इण्डो स्विस परियोजना आंध्र प्रदेश	291.55 लाख रुपये
इण्डो स्विस परियोजना केरल	54.34 लाख रुपये
इण्डो स्विस परियोजना उड़ीसा	70.67 लाख रुपये
इण्डो स्विस परियोजना सिक्किम	30.69 लाख रुपये
पशुधन नीति संदर्श परियोजना	27.15 लाख रुपये
डेनिडा सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
पशुधन विकास परियोजना, कोरापुट, उड़ीसा	91.14 लाख रुपये
पशुधन विकास परियोजना, पुडुक्कोट्टई, तमिलनाडु	40.02 लाख रुपये
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
कृषि विकास परियोजना (पशुपालन घटक) राजस्थान	167.27 लाख रुपये
कृषि विकास परियोजना (पशुधन घटक) तमिलनाडु	877.38 लाख रुपये
यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
भेड़ विकास परियोजना, तमिलनाडु	19.06 लाख रुपये
खाद्य एवं कृषि संगठन सहायता प्राप्त परियोजना	
सिक्किम में टी.सी.पी. परियोजना	56.40 लाख रुपये

विवरण-II

स्विस सहायता प्राप्त परियोजनाएं

इण्डो स्विस परियोजना, आंध्र प्रदेश

(क) एक एन्ड्रोलॉजिकल प्रयोगशाला स्थापित की गई।

(ख) परियोजना ने राज्य के पशुपालन विभाग की चालू गतिविधियों को संपूरित किया।

(ग) परियोजना के अंतर्गत सामूहिक विस्तार प्रयास को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

इण्डो स्विस परियोजना, सिक्किम

(क) दुग्ध उत्पादन/विपणन/खपत आदि के संबंध में परियोजना की योजना के लिए आवश्यक सूचना को एकत्र करने का काम पूरा किया।

(ख) सेक्टर के संबंध में निम्नलिखित पायलट परियोजनाएं शुरू की गई :—

(क) पायलट मक्खन प्रसंस्करण एकक

(ख) किसानों को शामिल करते हुए सांड उत्पादन

इण्डो स्विस परियोजना, केरल

(क)	सहायता प्राप्त फार्मों की संख्या	: 4
(ख)	हिमित वीर्य का उत्पादन	: 26 लाख खुराकें प्रतिवर्ष
(ग)	हिमित वीर्य का वितरण	: 16 लाख खुराकें प्रतिवर्ष
(घ)	जनशक्ति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित स्टाफ	: 70
(ङ)	विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशों में प्रशिक्षित अधिकारी	: 7
(च)	राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन	: 3

इण्डो स्विस परियोजना, उड़ीसा

(क) विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।

(ख) परियोजना क्षेत्र में पशुपालन और डेयरी विकास गतिविधियों को जागरूकता पैदा की गई।

इण्डो स्विस परियोजना – राजस्थान

(क) 75 से 100 उत्कृष्ट नर बछड़े उपलब्ध कराने के लिए 300 प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या के साथ रामसर में एक आधार फार्म स्थापित किया गया था।

(ख) ग्राम्य स्तर पर बकरियों के निष्पादन पर अध्ययन आयोजित किए गए।

पशुधन नीति संदर्श परियोजना

(क) सम्पूर्ण क्षेत्र के परिस्थिति विश्लेषण पर अध्ययन पूरा किया गया।

(ख) अध्ययन के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

दानिदा द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना

पशुधन विकास परियोजना, कोरापुट (उड़ीसा)

(क) सामुदायिक भूमि पर चारे की खेती शुरू की गई।

(ख) घर के नजदीक कृत्रिम, गर्भाधान सेवाएं आरंभ की गई।

पशुधन विकास परियोजना, पुडुकोट्टई (तमिलनाडु)

(क) भेड़ों तथा बछड़ों को कृमि मुक्त करने, भेड़ तथा बकरी को जूं मुक्त करने और मुर्गियों के टीकाकरण जैसी पशुधन कृषकों की समस्याओं का सामना करने के लिए 314 सम्पर्क मजदूर युगलों को प्रशिक्षित किया गया।

(ख) 6643 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) 2 चलते-फिरते पशुचिकित्सा इकाइयां स्थापित की गई।

(घ) कार्यालय के कमरों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, हॉस्टल आदि के लिए भवन का निर्माण किया गया।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना

कृषि विकास परियोजना (पशुपालन घटक) - राजस्थान

(क) वर्ण संकरण/नृनिन्दा प्रजनन के द्वारा पशुओं के विकास के लिए 940 गोपाल एकक तथा 150 स्वैच्छिक युवाओं के एकक स्थापित किए गए।

(ख) गोपशु विकास में 9000 महिला कृषकों को प्रशिक्षित किया गया।

कृषि विकास परियोजना (पशुधन घटक), तमिलनाडु

(क) तमिलनाडु में हिमित वीर्य तथा तरल नाइट्रोजन के उत्पादन और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को उसके वितरण को मॉनीटर करने के लिए एक पशुधन कक्ष स्थापित किया गया था।

(ख) 10 अतिरिक्त हिमित वीर्य बैंकों को स्थापित किया गया।

(ग) घास बीजों, चारा फली बीजों, पौध आदि जैसे चारा आदानों को किसानों में निःशुल्क वितरित किया गया।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

भेड़ विकास परियोजना, तमिलनाडु

(क) परियोजना, प्रबंध कार्यालय, रोग जांच प्रयोगशाला, भेड़ शैड आदि को शामिल करते हुए बुनियादी सुविधाएं सृजित की गई।

(ख) परियोजना क्षेत्र में मेमना की मृत्युदर में कमी आयी तथा जनन क्षमता में वृद्धि हुई।

सिक्किम में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा सहायता प्राप्त टी. सी.पी. परियोजना

(क) क्षेत्र स्तर पर जमुनापारी बकरी प्रजनन केन्द्र की 5 यूनिटें स्थापित की गई थी।

(ख) कृषक स्तर पर कुक्कुट लेयर केन्द्र की 80 यूनिटें स्थापित की गई थी।

विवरण-III

ऑपरेशन फ्लड-3 परियोजनाओं के तहत राज्यवार जारी निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	संस्थान	वर्ष		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	* अंडमान निकोबार	0.44	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	994.78	426.11	457.86
3.	असम	0.21	0.09	0.00
4.	बिहार	191.73	191.39	104.35
5.	दिल्ली	89.27	341.84	1123.28
6.	गोवा	55.76	24.07	25.42
7.	गुजरात	14014.86	7958.09	6305.35
8.	हरियाणा	557.62	373.34	199.08
9.	हिमाचल प्रदेश	6.51	5.22	49.82
10.	कर्नाटक	1097.67	508.76	979.24
11.	केरल	327.09	240.25	401.10
12.	जम्मू और कश्मीर	4.02	0.02	2.09
13.	मध्य प्रदेश	46.64	(42.43)	461.22
14.	महाराष्ट्र	46.87	178.62	2339.12
15.	* मणिपुर	0.00	0.00	0.00
16.	* मिजोरम	0.44	0.00	0.00
17.	* नागालैंड	0.53	0.91	0.00
18.	उड़ीसा	45.56	68.69	137.75

1	2	3	4	5
19.	पांडिचेरी	13.01	0.85	34.23
20.	पंजाब	273.74	182.09	362.05
21.	राजस्थान	642.43	356.55	492.18
22.	* सिक्किम	0.72	0.07	0.10
23.	तमिलनाडु	1754.29	569.87	596.66
24.	* त्रिपुरा	0.60	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	1219.67	1861.67	2371.73
26.	पश्चिम बंगाल	1707.90	2658.61	1566.56

* ये राज्य ऑपरेशन फ्लड-3 में शामिल नहीं किए गए थे। तथापि, जनशक्ति के विकास, किसानों को शामिल करने के कार्यक्रम तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों पर कुछ व्यय वहन किया गया।

विवरण-IV

31.3.1996 तक विभिन्न राज्यों में ऑपरेशन फ्लड के कुछ महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	डी.सी.एस. (सं.)	कृषक सदस्य ('000)	दुग्ध** प्राप्ति (टी.के.जी.पी.डी.)	दुग्ध** विपणन (टी.एल.पी.(डी.)	सृजित डेयरी प्रसंस्करण क्षमता (टी.एल.पी.डी.)	सृजित दूध सुखाने की क्षमता (एम.टी.पी.) डी.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान निकोबार*			सूचित नहीं किया		5	-
2.	आंध्र प्रदेश	5311	714	585	620	2247	-
3.	असम	122	2	5	8	60	-
4.	बिहार	2722	135	155	175	586	12.50
5.	दिल्ली	-	-		1096	1150	-
6.	गोवा	155	16	23	49	75	60
7.	गुजरात	11430	1950	3157	1431	6660	393
8.	हरियाणा	2296	154	119	62	430	25
9.	हिमाचल प्रदेश	178	15	12	15	30	-
10.	जम्मू और कश्मीर			सूचित नहीं किया		10	-
11.	कर्नाटक	7193	1382	1206	1136	1805	34
12.	केरल	1415	366	321	322	525	10
13.	मध्य प्रदेश	4215	211	179	247	1030	30
14.	महाराष्ट्र	5807	1106	1896	1824	3940	-
15.	मणिपुर*		सूचित नहीं किया				
16.	मिजोरम*		सूचित नहीं किया				
17.	नागालैंड*	22	1	1	1	-	-
18.	उड़ीसा	1060	72	56	89	125	-
19.	पांडिचेरी	81	22	32	29	30	-
20.	पंजाब	6009	339	640	321	1410	99

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	राजस्थान	5128	370	420	232	1050	60
22.	सिक्किम*	122	4	5	5	15	
23.	तमिलनाडु	8158	1834	1369	1296	2421	70
24.	त्रिपुरा*	80	4	2	5	10	-
25.	उत्तर प्रदेश	9845	533	635	376	1140	60
26.	पश्चिम बंगाल	1395	85	123	601	1510	10
	कुल :	72744	9315	10941	9940	26264	989.50

डी.सी.एस. डेयरी सहकारी समिति, ** वर्ष 1995-96 का औसत

टी.के.जी.पी.डी. हजार किलोग्राम प्रतिदिन, टी.एल.पी.डी. -हजार लीटर प्रतिदिन, एम.टी.पी.डी. - मीटरी टन प्रतिदिन

* ये राज्य ऑपरेशन फ्लड-3 में शामिल नहीं किए गए थे। तथापि, जनशक्ति के विकास, किसानों को शामिल करने के कार्यक्रम तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों पर कुल व्यय वहन किया गया।

हवाई जहाजों द्वारा प्रदूषण

779. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 सितंबर, 1996 के "द इकोनामिक टाइम्स" में "एअरलाइंस वेक्सड बाई पोल्यूशन टेक्स मूव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न विमान कंपनियों के वायुयान वातावरण में प्रदूषण को बढ़ाने के लिए मुख्य कारक हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा वातावरण में वायुयानों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). जी, हां। प्रतीत होता है कि यह समाचार लंदन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार है। वायुयानों से उत्सर्जित होने वाली एग्जास्ट गैसों में मुख्य रूप से कार्बन मानोक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के आक्साइड्स हैं। वायुयानों के आवागमन को विनियमित करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार एअरलाइन्सों से निर्धारित उत्सर्जन और शोर मानकों का पालन करने की अपेक्षा है। वायुयानों से शोर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रक्रिया संहिता तैयार की गई है।

भारतीय खाद्य निगम

780. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम का गठन किन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था;

(ख) उन उद्देश्य की पूर्ति किस हद तक हो पायी है;

(ग) क्या एफ.सी.आई. गेहूं के उत्पादों तथा चावल के बाजार में बढ़ते मूल्यों को उपभोक्ताओं के हित में नियंत्रित करने के बजाए एक बिचौलिये के रूप में कार्य करता रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एफ.सी.आई. पूर्णरूप से उपभोक्ताओं की सेवा करने के लिए उन्मुख करने हेतु इसके कार्यकरण को सुचारू बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान तथा 1996 में आज तक एफ.सी.आई. में अधिकारियों द्वारा उनके कर्तव्यों को अनदेखा करने के कितने मामले पाये गये; और

(छ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) भारतीय खाद्य निगम को खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत भारत सरकार की राष्ट्रीय खाद्य नीति के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1965 में स्थापना की गई थी :

(1) किसानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रभावकारी मूल्य समर्थन परिचालनों हेतु;

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए देशभर में खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए; और

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालनात्मक/बफर स्टाक स्तर को संतोषजनक रूप से बनाए रखने के लिए।

(ख) जिस प्रयोजन के लिए निगम की स्थापना की गई थी उसे प्राप्त करने में सफलता की उपलब्धि आंकने के लिए इसके भौगोलिक प्रचालन, मूल्य समर्थन प्रचालनों और लेवी के अधीन वसूली करके बनाए गए स्टाक स्तर, लक्षित समूह के लिए खाद्य सुरक्षा स्कीम क्रियान्वित करने और इसी के साथ-साथ देश की समूची खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में समय समय पर अदा की गई भूमिका के रूप में इसके विकास का माइक्रोस्तर पर मूल्यांकन करना होगा।

निम्नलिखित आंकड़ों से निगम की गतिविधियों में हुई वृद्धि के स्वरूप का पता चलेगा :

(आंकड़े लाख टन में)

	1969-70	1995-96
	1	2
1. **वसूली**		
(क) चावल	29.43	99.95
(ख) गेहूं	23.87	123.26
2. **वितरण**		
(क) चावल	1.06	115.01
(ख) गेहूं	1.59	122.25
3. **भण्डारण गोदाम**		
क्षमता	47.90	264.10
4. **संचलन**		
भेजी गई मात्रा	61.00	202.53
5. **कारोबार**		
(करोड़ रुपयों में)	1265	25492
6. (क) क्षेत्रों की संख्या	14	19
(ख) जिलों की संख्या	104	173

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रभावकारी ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाता है।

(च) और (छ). भारतीय खाद्य निगम के जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में त्रुटियों के लिए दोषी पाए गए थे और जिन्हें दण्ड दिया गया था, उनकी संख्या निम्नानुसार हैं :-

दण्ड का स्वरूप	1993	1994	1995	1996 (सितम्बर, 96 तक)
(1) बरखास्तगी/पदच्युत, अनिवार्य सेवानिवृत्त	10	8	19	17
(2) पद (रैंक) में कमी	27	26	19	21
(3) समय वेतनमान में कमी	38	28	50	32
(4) वेतन वृद्धि को रोकना/ वेतन से कटौती	397	331	252	256
(5) पदोन्नति पर रोक	1	18	23	2
(6) निन्दा	190	164	91	109
	663	575	454	437

मैला ढोने वाले व्यक्ति

781. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के प्रथम छह महीनों में मैला ढोने वालों के युगों पुराने व्यवसाय से उनके उत्थान और पुनर्वास के मामले में क्या प्रगति हुई है और इस संबंध में पिछले वर्ष इसी अवधि के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) इस प्रक्रिया में सुलभ आंदोलन का क्या योगदान रहा है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों का भंडार

782. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की मांग विशेषकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु इसकी मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार है;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1996 के अंत तक केन्द्र तथा राज्य सरकारों की प्रत्येक एजेंसी के पास बफर स्टाक सहित गेहूं तथा चावल का कुल कितना भंडार उपलब्ध था;

(ग) क्या उक्त भंडार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है;

(घ) यदि हां, तो खाद्यान्न-वार तथा राज्य-वार इसकी मात्रा कितनी है; और

(ङ) उक्त भंडार में से गेहूं तथा चावल की कितनी मात्रा तीन वर्ष पुरानी है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। इस समय केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) 1.10.1996 की स्थिति के अनुसार सितम्बर, 1996 के अन्त में केन्द्रीय पुल में खाद्यान्नों का स्टाक 9.34 मिलियन टन चावल और 10.36 मिलियन टन गेहूं होने का अनुमान है। केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा रखे गए चावल और गेहूं के राज्यवार स्टाक को बताने वाले विवरण-I और विवरण-II संलग्न हैं। बफर स्टाक रखने के मानदण्डों के अनुसार सरकारी एजेंसियों द्वारा पहली अक्तूबर को रखे जाने वाले कुल न्यूनतम स्टाक और 1.10.1996 को वास्तविक स्टाक (अ.) स्थिति निम्नानुसार है :-

(मिलियन टन में)

	1.10.1996 को वास्तविक स्टाक	1.10.1996 को बफर मानदंड
चावल	9.34	6.00
गेहूं	10.36	10.60
जोड़	19.70	16.60

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) खाद्यान्नों के स्टाक के पुराना होने की स्थिति नीचे दी गई है :-

मिलियन टन में

	दो से तीन वर्ष पुराना	तीन वर्ष से अधिक पुराना
चावल	0.91	0.58
गेहूं	0.22	0.19

विवरण-I

1.10.1996 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास रखा खाद्यान्नों का राज्यवार स्टाक (अ)

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	484.11	34.34	0.00	518.45
2.	सं.प्र. (पीआ) विजाग	21.04	2.89	0.00	23.93
3.	असम	107.75	17.23	0.00	124.98
4.	बिहार	65.82	100.27	0.00	166.09
5.	दिल्ली	32.29	92.36	0.00	124.65
6.	गोवा	4.93	2.65	0.00	7.58
7.	गुजरात	185.94	405.37	0.00	591.34
8.	सं.प्र. (पी ओ) कांडला	20.54	6.69	0.00	27.23
9.	हरियाणा	210.12	240.61	0.00	450.73
10.	हिमाचल प्रदेश	2.66	16.43	0.00	19.09
11.	जम्मू और कश्मीर	20.52	15.89	0.00	36.41
12.	कर्नाटक	147.45	36.45	0.00	183.90

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	291.18	58.97	0.00	350.15
14.	मध्य प्रदेश	613.44	170.51	0.00	783.95
15.	महाराष्ट्र	362.26	392.47	0.00	754.73
16.	मणिपुर	0.96	0.11	0.00	1.07
17.	मेघालय	3.47	3.41	0.00	6.88
18.	मिजोरम	1.67	2.82	0.00	4.49
19.	नागालैंड	2.03	0.35	0.00	2.38
20.	उड़ीसा	77.52	35.81	0.00	113.33
21.	पंजाब	3084.09	1145.57	0.00	4229.66
22.	राजस्थान	332.67	331.64	0.00	664.31
23.	तमिलनाडु	355.54	83.92	0.00	439.46
24.	संयुक्त प्रबंधक (पीओ) मद्रास	7.39	0.63	0.00	8.02
25.	त्रिपुरा	3.29	3.67	0.00	6.96
26.	उत्तर प्रदेश	596.46	421.95	नगण्य	1018.41
27.	पश्चिम बंगाल	174.07	107.78	0.00	281.85
28.	सं.प्र. (पीओ) कलकत्ता	64.43	23.89	0.00	88.32
29.	चंडीगढ़	2.06	2.99	0.00	5.05
	मार्ग में स्टाक	210.90	240.31	0.00	451.21
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	7486.60	3997.98	0.00	11484.58

(अ) अनन्तिम

(नग.) 50 टन से कम

(स्रोत: भारतीय खाद्य निगम)

विवरण-II

दिनांक 1.10.1996 को स्थिति के अनुसार राज्य सरकार/राज्य एजेंसियों के पास रखे केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक को बताने वाला विवरण

(लाख टन में)

राज्य	चावल	गेहूं	जोड
मध्य प्रदेश	3.48	0.00	3.48
उत्तर प्रदेश	4.65	1.00	5.65
पंजाब	5.00	53.25	58.25
हरियाणा	5.00	9.37	14.37
जोड़	18.13	63.62	81.75

अपराध

783. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अगस्त, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "नब्बे प्रतिशत हत्यारे तो पकड़े ही नहीं जाते" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). "नब्बे प्रतिशत हत्यारे तो पकड़ में ही नहीं आते" शीर्षक से प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

यह समाचार, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित "भारत में अपराध 1994" नामक रिपोर्ट पर आधारित बताया जाता है। तथापि, इस समाचार में उक्त रिपोर्ट में निहित आंकड़ों का गलत अर्थ लगाया गया है। समाचार में गलती से "गिरफ्तारी दर" का तात्पर्य गिरफ्तार व्यक्तियों की प्रतिशतता से लगा लिया गया है। उक्त रिपोर्ट की शब्दार्थिका में "गिरफ्तार दर" शब्द को व्याख्या प्रति लाख (1,00,000) जनसंख्या पर गिरफ्तारियों की संख्या के रूप में की गई है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड और कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 753(अ), जो 31 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 31 अक्तूबर, 1996 से एक वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल से भारत में आयातित पोटैशियम क्लोराइड (पोटाश का म्यूरिएट) के लिए उर्वरक के विशिष्ट विवरण निर्धारित करने वाला आदेश है।

(दो) का.आ. 672 (अ), जो 1 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1996-97 के रबी मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्ड को उर्वरकों के स्वदेशी विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली उर्वरक की आपूर्ति दर्शायी गयी है।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या. एल.टी. 644/96]

(2) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड और कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या. एल.टी. 645/96]

भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के बीच वर्ष 1996-97 आदि के लिए समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं, श्री शीशराम ओला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या. एल.टी. 646/96]

(2) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या. एल.टी. 647/96]

(3) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या. एल.टी. 648/96]

[हिन्दी]

अपराह्न 12.01 $^{1}/_{4}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (1996-97) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा संबंधी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

अपराह्न 12.01 $^{1}/_{2}$ बजे

गृहकार्य संबंधी स्थायी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : महोदय, मैं कंपनी (संशोधन) विधेयक, 1996 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.02 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा 22 नवम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 22 नवम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम मद सं. 6 से 11 को एक साथ लेंगे।

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : शून्य काल के बारे में क्या निर्णय किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान हम इस बात पर सहमत हो गए थे कि शून्य काल नहीं होगा। श्री चतुरानन मिश्र वक्तव्य दीजिए।

अपराह्न 12.04 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

[अनुवाद]

अपराह्न 12.04 1/4 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं दिनांक 6-7 नवम्बर, 1996 को आन्ध्र प्रदेश में आए भयंकर चक्रवात से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा किए गए राहत एवं पुनर्वास उपायों के संबंध में एक वक्तव्य देने के लिए सदन की अनुमति चाहूंगा।

दिनांक 6 नवम्बर, 1996 को रात्रि 9.30 बजे, आन्ध्र प्रदेश तट पर काकीनाडा से 50 कि.मी. दक्षिण में तीव्रगामी हवाओं के साथ भयंकर चक्रवात आया। भारत मौसम विज्ञान विभाग इस चक्रवात पर नजर रखे हुए था एवं चक्रवात की संभावित दिशा एवं आक्रात स्थल के संबंध में विभाग ने राज्य सरकार को समय-समय पर चेतावनी भी दी थी और दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी इस चेतावनी का प्रसारण किया गया था। चक्रवातीय तूफान, जो प्रारम्भ में एक सामान्य स्तर का था, अल्प समय में ही एक तीव्रगामी हवाओं वाला गंभीर चक्रवातीय तूफान बन गया। आन्ध्र प्रदेश तट को पार करने के बाद यह तूफान पश्चिम उत्तर पश्चिमीय दिशा की तरफ बढ़ते हुए काफी धीमा होने लगा और 7 नवम्बर को ग्राम तक यह एक सामान्य निम्न दाब क्षेत्र बन गया और अंततः यह शान्त हो गया।

इस चक्रवात से आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी एवं पश्चिमी गोदावरी जिलों में भयंकर नुकसान एवं विनाश हुआ। 4 जिलों अर्थात पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा एवं खम्माम के कुल 96 मंडल प्रभावित हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अद्यतन सूचना के अनुसार कुल 971 लोगों की मृत्यु हुई जिसमें पूर्वी गोदावरी में 872, पश्चिमी गोदावरी में 98 तथा खम्माम जिले में एक की मृत्यु हुई। 1,77,150 लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से हटाकर 742 राहत शिविरों में ले जाया गया। सहायता एवं राहत कार्यों के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को रक्षा सेवाओं की सहायता भी उपलब्ध कराई गई। वायु सेना की सहायता से अगम्य क्षेत्रों में खाद्य सामग्री गिराई गई। रक्षा सेवाओं ने राज्य एवं प्रभावित लोगों की सहायता में अपना पूरा सहयोग दिया। सूचना के अनुसार 6.47 लाख मकानों को आंशिक या पूर्ण क्षति हुई। 935 चिकित्सा दल नियुक्त किए गए एवं 245 पशु चिकित्सा दलों को भी सेवा कार्य में लगाया गया। मृतकों के संबंधियों को 3.52 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रति मृतक की दर से 50,000/- रुपये सहायता उपलब्ध कराई गई है। प्रभावित लोगों में चावल एवं मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया है एवं मकानों की मरम्मत के लिए 29.79 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। 5.11 लाख हैक्टेयर के कुल फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अपनी पूरी प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय कर दिया है।

महोदय, प्रधानमंत्री ने स्वयं रविवार, 10 नवम्बर को अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रों का दौरा एवं हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं विशाखापटनम और राजामुंदरी की जनता के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी की। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे राहत एवं पुनर्वास उपाय जारी रखने के लिए राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से की चौथी किस्त अग्रिम रूप में पहले ही जारी कर दी थी। भारत सरकार स्थिति का ध्यानपूर्वक जायजा ले रही है तथा स्थिति की समीक्षा करने एवं राज्य सरकार को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 11 एवं 15 नवम्बर को कृषि मंत्रालय के आपातकालीन प्रबंध ग्रुप की बैठकों का आयोजन भी किया गया। कैबिनेट सचिव के अधीन सचिवों की समिति ने भी स्थिति की समीक्षा की और कैबिनेट ने आन्ध्र प्रदेश की जनता को तुरन्त राहत एवं

सहायता पहुंचाए जाने के मुद्दे पर विचार किया। विद्युत आपूर्ति एवं दूरसंचार को पुनः बहाल किए जाने संबंधी सारे प्रबंध कर लिए गए हैं। सौभाग्यवश, राष्ट्रीय राजमार्गों को नाम-मात्र की क्षति पहुंची थी और रेल संपर्क में कोई बाधा नहीं पहुंची। नारियल एवं अन्य बागवानी फसलों को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए दलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। गुणवत्ता नियमों में उदारता के साथ धान की खरीद के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। जन-वितरण प्रणाली के अंतर्गत तदर्थ आबंटन के रूप में 50,000 टन चावल जारी किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों के लिए 10,000 किलो लीटर मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 19 नवम्बर को मुझसे भेंट की तथा 2143 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया। मैंने उन्हें सभी संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। मैंने स्वयं 21 नवम्बर को पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जिन लोगों के घर और फसलों का नुकसान हुआ है, उनकी दुर्दशा हृदय विदारक थी। दौरा करने के बाद मैंने आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा हैदराबाद में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की तथा स्थिति और लोगों की सहायता देने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विचार-विमर्श किया। इस ज्ञापन के प्राप्त होने के बाद नुकसान का विस्तृत जायजा लेने के लिए केन्द्रीय दल शीघ्र ही राज्य में तैनात किया जायेगा।

चक्रवात से पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश के एक भाग यानम में जान माल को काफी क्षति पहुंची है। 18 लोगों के मरने के तथा 76 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। चक्रवात तथा वर्षा से 780 हैक्टेयर में धान और नारियल जलमग्न हो गया है तथा इससे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। पांडिचेरी सरकार ने प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से 68.00 करोड़ रुपये की सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। नुकसान का विस्तृत जायजा लेने के लिए यानम में एक केन्द्रीय दल तैनात किया जाएगा।

मैं सदन के सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि गंभीर प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को सहायता करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.10 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया व्यक्तव्य अधूरा है और यह बिल्कुल उत्साहवर्धक नहीं है। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश में पहले आये समुद्री तूफानों के संबंध में कई ब्यौरे छोड़ दिए हैं जो रायल सीमा क्षेत्र, नेल्लौर तथा प्रकाशम जिलों में आया था। इस वक्तव्य में "केन्द्र निकटता से निगरानी रख रहा है और सभी संभव सहायता प्रदान की जायेगी" जैसे खोखले शब्दों के अतिरिक्त इस बारे में कुछ नहीं है कि केन्द्र सरकार क्या करेगी। हम इन सामान्योक्तियों को सुनते-सुनते परेशान हो गये हैं।

पिछले समुद्री तूफान, जिसे अब चक्रवात कहा जाता है क्योंकि इसकी गति 200 कि.मी. प्रति घन्टा थी, तथा यह हाल में आया तूफान था।

वर्ष 1997 के समुद्री तूफान और कृष्णा जिले में ज्वारीय लहर के पश्चात, यह आन्ध्र प्रदेश में सर्वाधिक भयंकर था। आन्ध्र प्रदेश के तट पर 27-28 अगस्त, 1996 से आने वाला यह छठा समुद्री तूफान था। इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में छः समुद्री तूफान आये थे, उनमें से दो भंयकर थे। न केवल पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी के दो जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए, बल्कि कृष्णा और खम्माम जिले भी आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। किसानों को इस धक्के से उबरने में कम से कम बीस वर्ष लगेंगे।

मंत्री जी ने क्षति को केवल रूपरेखा दी हैं लेकिन यदि आप ब्यौरा देखेंगे तो क्षति बहुत अधिक प्रतीत होती है। यहां तक कि मौतों का भी उचित रूप से आकलन नहीं किया गया है। यद्यपि सरकारी आंकडे 997 लोगों के मरने और 925 लोगों के लापता होने के हैं, आंकड़े इससे कहीं अधिक होने चाहिए और अब तक कोई भी व्यक्तियों के मरने का आंकलन नहीं कर सका। नारियल के वृक्ष 30000 हैक्टेयर क्षेत्र में गिरे हैं। इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार नारियल का पेड़ गिरने पर, नये वृक्ष के लगने तथा फल देने में वर्षों लग जायेंगे। बागवानी फसलों को भी क्षति पंहुची है। अकेले नारियल की फसल को 300 करोड़ रुपये की क्षति हुई। यदि आप बागवानी को समग्र रूप से लें, तो कुल क्षति 4136 करोड़ रुपये थी। मंत्री जी ने कहा है कि लगभग 6.5 लाख मकान पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। फिर धान, गन्ना और अन्य फसलों को भी क्षति पहुंची है जो लगभग 400 करोड़ रुपये की है। फिर लघु सिंचाई टैंक, सड़क, जल-आपूर्ति प्रणाली भी काफी बड़े क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुए हैं। फिर, पशुओं, मुर्गों फार्मों को भी क्षति हुई है। हजारों मछली पकड़ने वाले पोत और जाल या तो गुम हो गये अथवा क्षतिग्रस्त हो गये। बुनकरों को अत्यधिक क्षति हुई क्योंकि उनके करघे बाढ़ के पानी में डूब गये। काफी बड़ी संख्या में ग्रामोद्योग, कारीगर तथा छोटे उद्योगों को अत्यधिक हानि हुई। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या उचित आकलन किया गया है अथवा नहीं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गये आंकड़ों, जो हमें अपर्याप्त लगते हैं। उन पर प्रधानमंत्री तथा कृषि मंत्री द्वारा शक किया जाता है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार के पास कौन सा तन्त्र था जब उन्होंने कहा कि 50 लाख नारियल के पेड़ों को क्षति हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री कहते हैं कि यह क्षति इतनी अधिक नहीं हो सकती। यदि 50 लाख वृक्ष नहीं है, तो फिर कितने वृक्ष हैं? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उचित

आकलन के अभाव में किस आधार पर प्रधानमंत्री राज्य सरकार द्वारा दिए गये आंकडों पर शक करते हैं।

जहां तक किए गये एहतियाती उपायों का संबंध है, मंत्री के वक्तव्य में कहा गया है कि मौसम विभाग द्वारा अग्रिम चेतावनी दी गई थी। यद्यपि कई बार रिकार्डों पर शक किया जाता है, कितने दिन पूर्व चेतावनी दी गई थी? तथ्य दर्शाते हैं कि कई मछुआरे, वास्तव में सैकड़ों अथवा हजारों, चेतावनी देने से पूर्व ही समुद्र में चले गये थे।

यद्यपि कई दिनों से समुद्री तूफान की आशा थी, उचित समय पर चेतावनी नहीं दी गई थी। यह प्रभावित लोगों को नहीं दी गई थी। आप अशिक्षित लोगों से यह आशा नहीं कर सकते कि वे सारा दिन रेडियो सुनते रहेंगे और इसका पता लगा लेंगे कि क्या होने जा रहा है। उनको सचेत करने के लिए कुछ तन्त्र होना चाहिए। या तो ग्राम सरपंच को इसके बारे में बताने के लिए कहा जा सकता था अथवा माईक के द्वारा इसकी घोषणा की जा सकती थी। मासूम मछुआरों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी। फिर सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है कि इसकी सूचना रेडियो तथा टेलीविजन पर निरन्तर दी गई थी। जिला प्रशासन की भी प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं थी, जैसाकि मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है, क्योंकि उनमें से कोई भी कई दिनों तक उस स्थान पर नहीं पहुंचा। स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचे, तब तक जिला अधिकारी वहां नहीं पहुंचे थे। कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही भी की गई और इसे भी न्यायोचित ठहराया जा सकता है। अब वे कहते हैं कि उन्होंने कई लाख लोगों को दूसरे स्थानों पर पहुंचाया है लेकिन रिकार्ड से यह पता नहीं लगता कि काफी व्यक्तियों को दूसरे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अन्यथा जीवन की हानि इतनी अधिक नहीं होती।

जहां तक राहत का संबंध है, यद्यपि राज्य सरकार ने अपना भरसक प्रयास किया, फिर भी संसाधन सीमित थे और राहत लोगों के पास समय पर नहीं पहुंच सका। यद्यपि चावल का वितरण आदि के रूप में कुछ किया गया था, इससे कहीं अधिक किया जा सकता था। उन लोगों की गिनती के बारे में शिकायतें थीं जिनको क्षति पहुंची। राहत पहुंचाने में राजनैतिक भेदभाव के बारे में शिकायतें थीं। यद्यपि कुछ चावल और मिट्टी का तेल प्रदान किया गया था और क्षतिग्रस्त मकानों के लिए कुछ धन भी प्रदान किया गया था, यह पर्याप्त नहीं है। लघु और सीमान्त किसानों को आदान राजसहायता के रूप में 1250 रुपये प्रति हैक्टेयर प्रदान किए गये थे। वह भी पर्याप्त नहीं है।

अब फसल ऋण के भुगतान समय में परिवर्तन किया गया है और नये ऋण मंजूर किए गये हैं। लेकिन फिर भी इस संबंध में शिकायतें हैं कि समय परिवर्तन की सूचना किसानों को नहीं दी गई है। दुकानदारों को भी काफी क्षति हुई है और उनको कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गई है। वे कहते हैं कि 125 करोड़ रुपये की धनराशि की केवल राहत प्रदान करने के लिए आवश्यकता है। लेकिन केन्द्र की सहायता बहुत सीमित रही है और राज्य सरकार का उत्तर इस अर्थ में पर्याप्त नहीं रहा है कि उन्हें धन नहीं मिला और स्वयं मुख्य मंत्री कहते रहे हैं कि केन्द्र राज्य के प्रति बहुत दयालु नहीं रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार की सहायता के लिए आने में केन्द्र की ओर से कुछ हिचक थी। यद्यपि मुख्यमंत्री ने बाद में अपने वक्तव्य को वापस ले लिया था, उन्होंने यहां तक कहा था कि केन्द्र का दृष्टिकोण बहुत कठोर तथा असहयोगपूर्ण था और उसका भी अब तक प्रदान की गई सहायता आंकडों से पता लगता है।

राज्य सरकार 1978 के द्वि-दिवसीय समुद्री तूफान के पश्चात तैयार की गई समुद्री तूफान आकस्मिकता कार्य योजना द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशों का अनुपालन करने में भी असमर्थ रही है। सरकार को लोगों को दूसरे स्थानों पर ले जाना चाहिए था: संवेदनशील क्षेत्रों में राहतकर्मियों को लगाने, राहत सामग्री प्रदान करना तथा निचले क्षेत्रों से लोगों को अन्य स्थानों पर ले जाने का कार्य किया जाना चाहिए था। लेकिन वर्ष 1977-78 में निर्धारित मार्गनिर्देशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा वह कार्य नहीं किया गया।

अब तक व्यय किया गया धन का जहां तक संबंध है, वर्ष 1996-97 के लिए आपदा राहत निधि के लिए वार्षिक कुल परिव्यय 124.19 करोड़ रुपये था जिसमें केन्द्र को 93.14 करोड़ रुपये देने हैं।

राज्य ने पहले कुछ अग्रिम धनराशि प्राप्त की है और अब केवल 100 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध है और भारत सरकार ने 21 करोड़ रुपये जारी किए हैं। कुल राशि केवल 121 करोड़ रुपये है। राज्य ने पहले ही 143 करोड़ रुपये व्यय कर दिए हैं और राहत कार्यों पर खर्च करने के लिए राज्य सरकार के पास कुछ भी नहीं बचा है।

प्रधानमंत्री ने एक स्थान पर कहा है कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है। मुझे नहीं पता कि राष्ट्रीय आपदा की परिभाषा क्या है और इसको 'राष्ट्रीय आपदा' परिभाषित करके राज्य को क्या लाभ होगा। इस शब्द का बहुत ही साधारण अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है कि 'इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए।' स्वयं प्रधानमंत्री ने यह कहा है। और, उनके दिल्ली वापस आने पर, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि 'राष्ट्रीय आपदा' कुछ नहीं है और यह शब्द गलती से प्रयोग हुआ है। अब, वे 'राष्ट्रीय विपत्ति' शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। लेकिन राज्य सरकार ने आपदा राहत निधि में से 2142 करोड़ रुपयों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया है।

लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि केन्द्र सरकार कितना ऋण देने जा रहीं है। अब तक उन्होंने 50 करोड़ रुपये दिए हैं जैसा कि माननीय मंत्री के व्यक्तव्य से पता लगता है, और कुछ नहीं। यह भी अग्रिम के रूप में। वे कहते हैं कि वे क्षतिग्रस्त नारियल के वृक्षों तथा अन्य चीजों को हटाने के लिए कुछ और भी दे रहे हैं। मेरे विचार से वे 50 करोड़ रुपये अथवा ऐसी ही धनराशि देंगे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह अनुदान होगा अथवा अग्रिम धनराशि। यह जो भी हो, केन्द्र को अनुदान के रूप में ही धनराशि देनी चाहिए न कि ऋण तथा अग्रिम धनराशि के रूप में। अन्यथा, राज्य ऋणों की अदायगी नहीं कर पायेंगे।

हाल ही में माननीय कृषि मंत्री जी ने स्वयं एक वक्तव्य में कहा है कि राज्य सरकार को कर्ज नहीं लेना चाहिये क्योंकि इससे उनकी वार्षिक योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिये, उनको कर्ज लेने के स्थान पर अन्य स्रोतों से साधन जुटाना चाहिये। मुझे जानकारी नहीं है कि अन्य स्रोतों से उनका क्या तात्पर्य है।

अब तक दान को पूर्णतः कर-मुक्त रखा गया है। केन्द्र सरकार का यह कदम सराहनीय है। अपितु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि वांछित दानराशि प्राप्त नहीं हो रही है। क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण हेतु जो लगभग 6.48 लाख है, इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को करीब 1042 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। नारियल विकास बोर्ड कार्य कर रहा है। मुझे इस बोर्ड का प्रयोजन मालूम नहीं है। यह बोर्ड नारियल उत्पादकों की सहायतार्थ नहीं आया है। बोर्ड ने अब तक उस क्षेत्र के निवासियों के पुनर्वास हेतु अथवा उत्पादकों की सहायतार्थ कुछ भी नहीं किया है।

माननीय प्रधान मंत्री ने 10 नवम्बर को अपने आन्ध्र प्रदेश के दौरे के दौरान कार्य-योजना का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि केन्द्र एक कार्य-योजना बना रहा है। उन्होंने कार्य-योजना का न तो ब्यौरा दिया था और न ही इसके प्रयोजन का उल्लेख किया था। जैसाकि मैंने उल्लेख किया था, मुख्य मंत्री और राज्य सरकार ने अपना असंतोष प्रकट किया था। मंत्रिमण्डल ने माननीय प्रधान मंत्री की प्रस्तावित योजना को एक संकल्प पारित करके अस्वीकार कर दिया है क्योंकि इससे राज्य को कोई लाभ नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के संबंध में दसवें वित्त आयोग ने कुछ प्रतिमान निर्धारित किये हैं। इन प्रतिमानों को अब बदलने की आवश्यकता है क्योंकि कोई भी राज्य सरकार ऐसी आपदा का सामना बिना केन्द्र सरकार की प्रचुर सहायता के अभाव में नहीं कर सकता है।

जहां तक अंतर्राष्ट्रीय सहायता का मामला है, विश्व बैंक राज्य की बहुत सहायता कर रहा है। उन्होंने अब तक न्यूनतम ब्याज दरों पर 380 करोड़ रुपये का कर्ज देने का वचन दिया है जिसको 40 वर्षों में वापस करना है। वे उस क्षेत्र की पुनर्वास और पुनर्निर्माण की आवश्यकता का अनुमान लगाने हेतु एक दल को भारत भेज रहे हैं। विश्व बैंक में 'इंडिया कन्ट्री' विभाग के प्रमुख, श्री हैन्ज वर्गिन ने बताया है कि वर्ष 1990 में 200 मिलियन डालर की तूफान क्षति हेतु सहायता का प्रभावकारी ढंग से उपयोग किया था। इसलिये, वे पुनः सहायता देने के लिये उत्साहित हैं।

वर्ष 1977-78 में भी राज्य सरकार ने सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया था। बाद के मुख्यमंत्रियों ने भी वर्ष 1990 में इस सहायता राशि का भरपूर उपयोग किया था। इसलिये, विश्व बैंक को राज्य को सहायता करने में कोई संकोच नहीं है। मेरा विश्वास है कि विश्व बैंक बहुत सहायता देने वाला है। केन्द्र को हर प्रकार से कर्ज पर गारंटी देनी चाहिये। केन्द्र के अनुरोध पर वे 1000 करोड़ रुपये तक दे सकते हैं। यह केन्द्र सरकार का दायित्व है और बातचीत की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकार पर नहीं छोड़ी जानी चाहिये। इस संबंध केन्द्र सरकार को भरपूर सहायता देनी चाहिये।

प्रभावित व्यक्तियों की सहायतार्थ स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत सहायता दे रही हैं। दुर्भाग्यवश, उन्हीं लाभार्थियों को यह सहायता सामग्री भी दी जा रही है। कुछेक व्यक्ति ही विभिन्न जगहों पर जाकर इन चीजों का लाभ उठा रहे हैं। इसकी उचित निगरानी नहीं हो पा रही है। हमने मुख्यमंत्री से गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सहायता की भी निगरानी करने का अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का एक दिन की वेतन-राशि का दान देने का कदम अत्यंत सराहनीय है। यह राशि 200 करोड़ रुपये के लगभग आयेगी। विभिन्न व्यक्तियों ने सहायता दी है जिसमें संसद सदस्य भी आते हैं जिन्होंने एक माह का वेतन दान दे दिया है। उनका यह कदम सराहनीय है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि लाभ अर्जित करने वाले सरकारी उपक्रमों को राज्य की बहुत सहायता करनी चाहिये। महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू-कश्मीर ने काफी सहायता उपलब्ध कराई है किन्तु अन्य राज्यों ने कुछ भी उल्लेखनीय नहीं किया है। पश्चिम बंगाल ने भी 2 करोड़ रुपये दिये हैं। अन्य राज्य सरकारें भी प्रभावित लोगों हेतु सहायता दे सकती हैं।

अब मैं वहां पर किये जाने वाले कार्यों के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम पूर्व में आए तूफानों के दौरान निर्माण किये गए तूफान आश्रय-स्थलों के संबंध में बोलना चाहता हूं। वर्तमान में इनका उपयोग नहीं हो रहा है और ये जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। बहुत थोड़ी राशि से इनका पुनर्निर्माण कर इन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिये, तुरन्त इनका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार, तटीय क्षेत्रों में संचार-तंत्र को बेहतर बनाया जाना चाहिये ताकि समय पर पूर्वसूचना दी जा सके। प्रभावित क्षेत्रों में फसल पद्धति बदली जा सकती है। उदाहरणार्थ, नारियल के वृक्षों के संबंध में सुझाव दिया गया था कि कम ऊंचाई वाले पेड़ों को लगाना चाहिये ताकि तूफान और चक्रवात के समय वृक्षों को कोई नुकसान न हो।

जैसा कि हम चर्चा करते रहते हैं, एक व्यापक फसल बीमा योजना होनी चाहिये। अब तक, किसानों को सहायता राशि आबंटित करने के दौरान कोई लाभ नहीं मिला है। मकानों के पुनर्निर्माण आदि के लिये सहायता दी जा रही है। किन्तु किसानों को नुकसान की भरपाई नहीं की जा रही है। इसके लिये, एक व्यापक फसल बीमा योजना की आवश्यकता है। हम निरंतर दोनों सदनों में काफी समय से फसल बीमा योजना की प्रयोजनार्थ गांव को इकाई मानने का अनुरोध करते आ रहे हैं, परन्तु अब तक इसे स्वीकार नहीं किया गया है। वास्तव में, किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर बीमा कराने अथवा फसलों का बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। जिस प्रकार से जीवन बीमा निगम प्रत्येक व्यक्ति का बीमा करता है, उसी प्रकार से प्रत्येक किसान को भी फसल का बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। इसी प्रकार, मछुआरों और बुनकरों के लिये भी व्यापक बीमा योजना होनी चाहिये।

प्रतिमानों का संदर्भ दिये बिना क्षतिग्रस्त नारियल के पेड़ों हेतु नए पौधों की आपूर्ति और आदानों के लिए उचित सहायता दी जानी

चाहिये। मेरा मानना है कि सिर्फ इस प्रयोजनार्थ 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अब तक क्षतिग्रस्त वृक्षों को हटान हेतु 50 करोड़ रुपये, वह भी विलम्ब से, दिये गये हैं।

जहां तक तटीय क्षेत्रों में मकानों का मामला है, मछुआरों के लिये भी पक्के मकान बनाए जाने चाहिये। हमने देख लिया है कि जहां कहीं भी पक्के मकान थे, जान का न्यूनतम नुकसान हुआ है। इसलिये, तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आवास निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिये।

अब भारतीय खाद्य निगम ने प्रभावित क्षेत्रों से बदरंग धान को खरीदने का निर्णय लिया है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुडप्पा और चित्तूर जिलों को भी, जो पूर्व में प्रभावित हुए थे, इस एफ.सी.आई. की योजना के तहत लाना चाहिये ताकि इन जिलों में उपलब्ध धान को भी वह खरीद सके। एफ.सी.आई. द्वारा 'ब्याल्ड' चावल को खरीद पर दी जा रही छूट पूरे राज्य में मिलनी चाहिये। जैसा कि मैंने चेतावनी देने के बारे में कहा था, तटीय क्षेत्रों में लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिये गांव के सरपंच को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये। आवास, उन्नत करघे और सूत के संबंध में केन्द्र को बुनकरों को उदार पैकेज देना चाहिये।

इन क्षेत्रों में पुनर्वास उपायों की निगरानी हेतु नारियल विकास बोर्ड को चुस्त बनाना चाहिये। सहायता-राशि के वितरण पर निगरानी रखने हेतु एक पैनल होना चाहिये। मुख्यमंत्री इससे सहमत हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी मुलाकात के दौरान राज्य स्तर पर एक पैनल के गठन का सुझाव दिया था ताकि सहायता राशि के वितरण पर निगरानी रखी जा सके और भेदभाव के आरोप सामने नहीं आए। यह तुरन्त किया जाना चाहिये।

पूर्व में गुन्तूर और विशाखापत्तनम में केन्द्रीय भण्डारगृहों का निर्माण करने का सुझाव दिया गया था ताकि तूफान अथवा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सामग्री पहुचाई जा सके। यह सुझाव पूर्व में दिया गया था। गुन्तूर और विशाखापत्तनम में दो भण्डारगृहों का निर्माण किया जाना चाहिये। यह कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ है।

एक सुझाव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के गठन के बारे में भी दिया गया था। यह 1990 में दिया गया था। परन्तु अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब, उपर्युक्त संस्थान को गठित करने का उपयुक्त समय आ गया है ताकि सभी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अनुसंधान किया जा सके और लोगों की कठिनाइयों को कम करने के बारे में एक व्यापक योजना तैयार की जा सके। आखिर पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय मंत्री जी ने उचित ही कहा है कि राज्य को कर्ज से कोई लाभ नहीं मिलेगा और राज्य ऋण-जाल में फंस जायेगा। आपने स्वयं कहा है कि इससे भविष्य की योजनाएं प्रभावित होंगी। इसलियें, केन्द्र को राज्य की सहायता करनी चाहिये और यदि आवश्यक हो, तो नियम भी बदले जाने चाहिये। यह कोई संविधान नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं हो सकते हैं। सरकार ने ये नियम बनाए हैं और सरकार ही इन नियमों में संशोधन कर सकती है और आपको राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु नियमों में संशोधन करने ही चाहिए। आन्ध्र-प्रदेश को और सहायता की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सदन के सभी सदस्य आन्ध्र-प्रदेश के लोगों की इस मांग का समर्थन करेंगे और उदारतापूर्वक राज्य की सहायता हेतु आगे आएंगे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। अभी मंत्री जी ने सदन में जो वक्तव्य दिया, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगी जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को बार-बार इस तूफान के संबंध में चेतावनी दी गई थी। इस संबंध में मुझे एक कहानी याद आ रही है यद्यपि हम यहां एक बहुत गम्भीर घटना पर चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है जिस पर यहां चर्चा करके हम तो मुक्त हो जाएंगे लेकिन जिन परिवारों के लोग इस घटना में मारे गए हैं, उनमें जो भी लोग बच होंगे, वे कम से कम अपने पूरे जीवन में इस घटना से मुक्त नहीं हो पाएंगे।

एक पति और पत्नी घर में सो रहे थे। उनके घर में एक चोर आ गया। पत्नी ने पति से कहा कि घर में चोर आया है-पति ने कहा कि मुझे मालूम है। फिर पत्नी ने कहा कि चोर ने दरवाजा तोड़ दिया - पति ने कहा कि वह भी मुझे मालूम है। फिर पत्नी ने कहा कि चोर चोरी कर रहा है - पति ने कहा कि वह भी मुझे मालूम है। फिर पत्नी ने कहा कि चोर चोरी करके चला भी गया - पति ने कहा कि वह भी मुझे मालूम है।

मुझे माननीय मंत्री जी यह पूछना है कि जब केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को तूफान की चेतावनी दे दी थी, वह कब दी थी और क्या राज्य सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि उसे यह वार्निंग मिल गई थी। घटना के कितनी देर पहले यह वार्निंग दी गई थी और किस प्रकार की सूचना दी गई थी?

उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश तथा देश के अन्य राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं पहले भी घटती रही हैं, 1978 में इससे भी बड़ी ह्यूमन ट्रेजिडी हुई थी और उस समय यह निर्णय लिया गया था कि आगे इस प्रकार की घटना न घटे इसलिए पहले से ऐसी घटनाओं की जानकारी ले ली जाएगी और लोगों को चेतावनी दे दी जाएगी। अभी उपेन्द्र जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि चेतावनी तो मिल जाती है लेकिन हमारा देश अमेरिका नहीं है जहां हर नाविक अपने साथ एक छोटा सा रेडियो लेकर चलता हो और उन्हें वैदर फोरकास्ट की जानकारी मिलती रहती हो। यहां तो लोगों को खाने को नहीं मिलता, हर नाविक कहां से आने पास रेडियो रख पाएगा? इसलिए खास तौर से कोस्टल एरियाज में, साइक्लोन प्रोन एरियाज में, कोस्टल बैल्ट में रहने वाले लोगों के लिए किस प्रकार ऐसी सूचना समय रहते पहुंचाई जा सके, क्योंकि 1978 में जब ऐसी ही त्रासदी हुई थी, उस समय भी विचार हुआ था लेकिन तब से लेकर आज तक क्या व्यवस्था बनी, ऐसी जानकारी भी मिलनी है कि केन्द्र सरकार ने

इसके लिए भारी राशि खर्च की थी ताकि ऐसी किसी भी आने वाली विपत्ति की तत्काल खबर कोस्टल बैल्ट में रहने वाले लोगों को मिल सके और उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके लेकिन वह व्यवस्था कहां बीच में लटक कर रह गई, उसका अंदाज इस समय नहीं है।

अभी मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि केन्द्र सरकार के कहने पर तूफान आया, तूफान के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, राज्य सरकार ने भी कोई इन्विटेशन कार्ड तूफान को नहीं भेजा कि आप आईए और डेढ़ हजार लोगों को लील जाईए। जब भी हमारे यहां कोई दुर्घटना घटती है, कोई रेल दुर्घटना हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है तो हमें पक्के तौर से पता ही नहीं चलता कि कितने लोग उसके शिकार हुए हैं क्योंकि संख्या धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। राज्य सरकार की संख्या अलग होती है, दुर्घटना-स्थल पर गए लोगों की संख्या कुछ दूसरी होती है और जो पत्रकार गण सूचना एकत्र करके लाते हैं, वे तीसरी संख्या बताते हैं। लगभग हर दुर्घटना के बाद ऐसी ही स्थिति समाने आती है, हर बार अलग प्रकार की संख्या बताई जाती है। आन्ध्र प्रदेश तूफान के बारे में कहा गया कि एक हजार से ज्यादा लोग मरे लेकिन हजार से कितने ज्यादा लोग मरे, उनकी संख्या 1300 थी या 1500 थी, किसी को पता नहीं है और भविष्य में भी पता नहीं लग पाएगा। इसलिये जब इतनी बड़ी दुर्घटना की जानकारी आपको हो चुकी थी तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर नाविक के पास रेडियो हो नहीं सकता लेकिन नगाड़े पीट कर उन्हें चेतावनी अवश्य दी जा सकती है। आप कह सकते हैं कि नगाड़े पीटने की प्रथा बहुत प्राचीन है, लेकिन पहले भी ऐसा ही होता रहा है और जब हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो नगाड़े पीटने की व्यवस्था को ही आगे भी चलाए रखें लेकिन हमें एक-न-एक दिन ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी पड़ेगी।

मेरा कहना है कि यहां पर सभी राजनैतिक दलों के सदस्य बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि हम इस प्रकार की घटनाओं के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए जो तैयारी करनी चाहिए, वह हम नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, लातूर की घटना घटी। अमरनाथ की घटना घटी। अभी कुछ दिन पहले दो विमान भारत के आकाश में आपस में टकराने के कारण भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें अनेक लोग मरे। उसमें स्वयंसेवी संस्थाएं सबसे पहले आई। यानी हमारे देश में न तो चेतावनी की व्यवस्था ठीक है और न ही घटना घटने के बाद उससे निपटने की व्यवस्था ठीक है। यह तो यही बात हो गई कि चोर आया, चोरी की, चला गया, वह लेटा रहा और पत्नी सूचना देती रही। यानी तूफान की सूचना दी गई, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि सूचना दी गई, तो कब दी गई? मैं सरकार से एग्जैक्ट टाइम और डेट जानना चाहती हूं?

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं होती है। जो डिस्सस्टर मैनेजमेंट होना चाहिए, वह नहीं होता है। अभी एयरक्रैश हुआ, उसमें स्वयंसेवी संस्थाएं और स्वयंसेवी संस्थाओं में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे पहले आया। जबकि प्रशासनिक व्यवस्था जिस प्रकार की होनी चाहिए वह नहीं हुई।

बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी जानकारी मिली है जैसा कि उपेन्द्र जी ने बताया कि इस तूफान से निपटने के लिए और सहायता कार्यों के लिए विश्व बैंक हमें 200 मिलियन डालर देने के लिए तैयार है। मेरा प्रस्ताव यह है कि यदि केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाने के लिए तैयार हैं, तो केन्द्र सरकार की क्या जरूरत है और वित्त मंत्रालय की क्या जरूरत है? यदि ऐसा ही हो, तो फिर राज्यों को सीधे विश्व बैंक से संबंध रखने के लिए स्वतंत्र कर दीजिए। फिर यहां केन्द्र में किसी सरकार और वित्त मंत्रालय की कोई आवश्यकता क्या है। फिर तो केन्द्रीय स्तर पर किसी फायनेंशयल मैनेजमेंट और वित्त मंत्रालय की कतई आवश्यकता नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खलील जिब्रान की कविता की एक लाइन केन्द्र सरकार के मंत्री श्री चतुरानन मिश्र को सुनाना चाहती हूं। हालांकि कविता बहुत बड़ी है—"वह राष्ट्र शर्म, धिक्कार, दया और ग्लानि का पात्र होता है जिस राष्ट्र को टुकड़ों में बंटा पाता हूं और हर टुकड़ा अपने को एक अलग राष्ट्र समझता है।" यदि आज आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है और उससे निपटने के लिए आप उसे विश्व बैंक से सहायता लेने की अनुमति देते हैं, तो कल कोई दूसरा राज्य इस प्रकार की सहायता लेने लग जाएगा। फिर केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्तर पर वित्त मंत्रालय की जरूरत क्या है। फिर तो केन्द्र सरकार की भी जरूरत नहीं है और न केन्द्रीय स्तर पर वित्त मंत्रालय की जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्रीय सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन है कि भीख का कटोरा लेकर दरवाजे-दरवाजे घूमना बन्द कीजिए। अगर आपके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, तो यह विपत्ति राष्ट्रीय शोक का विषय है, लेकिन अगर आप भीख का कटोरा लेकर घूमेंगे, तो यह राष्ट्रीय शर्म का विषय हो जाएगा कि हम इस विपत्ति से स्वयं निपटने में अक्षम हैं। इसलिए आप हमें 200 मिलियन डालर भीख में दें ताकि हम उससे निपट सकें। केन्द्रीय सरकार को चहिए कि राज्य सरकार के साथ बैठकर आपस में बातचीत करके इस गंभीर स्थिति से निपटने का रास्ता निकालें। अभी जैसा तय हुआ है केन्द्र सरकार राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपए और देगी। वह धन वह वेज एंड मीस में से देगी। यह कर्ज के रूप में देगी या अनुदान के रूप में देगी। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के समय केन्द्र सरकार को राज्य सरकार को कर्ज नहीं बल्कि अनुदान देना चाहिए क्योंकि यह क्षति राज्य की क्षति नहीं है। यह राष्ट्रीय क्षति है और जब राष्ट्रीय क्षति है, तो इससे राष्ट्रीय स्तर पर ही निपटा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना इस बारे में यह है जैसा अभी उपेन्द्र जी कह रहे थे कि अभी तक यह अंदाज ही नहीं है कि कितने नारियल के पेड़ नष्ट हुए हैं। कुछ का कहना है कि 50 लाख नारियल के पेड़

नष्ट हुए हैं। करीब पांच लाख एकड़ जमीन जो कृषि योग्य है, पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है जिसे व्यवस्थित करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जितनी भी साइक्लोनप्रोन कोस्टल बैल्ट है उसमें जो कृषि योग्य भूमि है उसके बीमे की व्यवस्था होनी चाहिए। जो नाविक जाते हैं, उनकी नाव की और उनके जीवन के लिए भी बीमे की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम यह मानते हैं कि हम भगवान महावीर के देश से हैं, महात्मा बुद्ध के देश से हैं। हम यह मानते हैं कि अहिन्सा, प्रेम, सत्य और करूणा का उपदेश देने वाले देश हैं और यह सही है कि भगवान महावीर हमारे यहां पैदा हुए, भगवान बुद्ध हमारे यहां पैदा हुए। इन्होंने अहिन्सा का, सत्य का, प्रेम का और करूणा का संदेश पूरे संसार को दिया है, लेकिन मैंने स्वयं देखा है कि अमरीका जैसे देश, जिनके बारे में कई बार आरोप लगते हैं वे सत्य, अहिंसा, प्रेम और करूणा के उपदेशक नहीं है, वहां पर अगर सड़क पर घायल कबूतर पड़ा हो, तो सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है और उस घायल कबूतर को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन मुझे यह लगता है कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का हमारा भारत देश अब मानवीय संवेदना से उतना भरा हुआ नहीं हैं।

इसलिए इस प्रकार की घटनायें हमारे देश में लगातार घटती हैं और हमें मालूम है कि वे घटनायें कहां-कहां पर घटती हैं और वे एरियाज कौन-कौन से हैं। जैसे लातूर में भूकम्प की घटना घटी लेकिन लातूर में भूकम्प की घटना घटती है और इस प्रकार की आवाजें धरती के नीचे से आ रही हैं, इसकी जानकारी पहले से थी और आस-पास के गांव के लोग इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। अभी उस एरिया से लगा हुआ जो हमारा मध्य प्रदेश का एरिया है, खण्डवा का हिस्सा है वहां पर जमीन के नीचे से इस प्रकार की आवाजें आती हैं और वहां के किसान लगातार बता रहे हैं कि हमें इस प्रकार की आवाजें आती हैं यानी कि हमें पक्का पता है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में अलग-अलग मौसम के अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग प्रभाव होते हैं। हम अनेकों राज्यों वाले देश हैं, हम कई प्रकार के मौसम वाले देश हैं। कई प्रकार का मौसम होना हमारे लिए गौरव की बात है लेकिन कई बार मौसम अपने साथ सुखद संदेश नहीं लाते। कई बार अलग-अलग प्रकार के मौसम अलग-अलग प्रकार की विपत्तियां भी हमारे लिए लाते हैं। हमें मालूम है कि किस मौसम में कौन से राज्य की कौन सी जगह पर किस प्रकार की विपत्ति आने की संभावना रहती है और जब वह विपत्ति आती है तो उसमें हजारों लोग मर जाते हैं, करोड़ों-अरबों रुपये की राशि की क्षति भी होती है लेकिन इसके बावजूद हमें सारी जानकारी होते हुए भी हमने पहले से उन विपत्तियों की चेतावनी नहीं दी। हमारे यहां आस-पास के कई देश ऐसे हैं जिनमें चौबीस घंटे वैदर फौर कॉस्ट के चैनल चलते हैं। वे लगातार बताते रहते हैं कि कहां पर किस प्रकार का मौसम आएगा और कहां पर किस प्रकार की विपत्ति आएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा प्रासंगिक हो सकती है लेकिन इस प्रसंग में यह रेलेवेण्ट नहीं रहेगी। हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम मिस वर्ल्ड जैसी प्रतियोगिताओं का तो आयोजन करते हैं लेकिन इस प्रकार की जो घटनायें घटती हैं जिसमें इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रैजडी होती है, उसमें क्या हम भारत का डैवलपमैंट आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं? क्या उसमें हम भारत का विकास नहीं बढ़ाना चाहते? क्या उसमें हम देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं के घटने से पहले ही हमें इसकी जानकारी हो जाये। कुछ घटनायें ऐसी होती हैं जैसे लातूर का भूकम्प। चलिये हम मान सकते हैं कि वह अचानक हुआ और अचानक इसको रोका नहीं जा सकता लेकिन साइक्लोन जितने भी आते हैं, इसका पता मौसम वैज्ञानिकों को हो जाता है। उसकी इंटेन्सिटी का पता लगे या न लगे लेकिन इस प्रकार का तूफान आने वाला है, इसका पता मौसम वैज्ञानिकों को हो जाता है। उसके बारे में तात्कालिक व्यवस्था इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उन जिलों का प्रशासन खासकर जो साइक्लोन प्रोन जिले होते हैं, जितने भी कोस्टल बैल्ट के साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और जो अथॉरिटीज है यानी क्लैक्टर और एस.डी.एम. हैं, क्या इस बात के लिए ट्रैंड होते हैं कि जब इस प्रकार की कोई विपत्ति आए तो वे उस विपत्ति से किस प्रकार से निपटें। क्या इस प्रकार उनको विशेष रूप से जब उस जिले में एप्वाइंट किया जाता है तो क्या यह जानकारी रखी जाती है कि इस प्रकार की विपत्ति आने पर वे उससे निपट पायेंगे या नहीं निपट पायेंगे। मुझे तो यह जानकारी मिली है कि जिस जिले में सबसे ज्यादा तूफान ईस्ट और वैस्ट गोदावरी जिले में घटना घटी है, उस जिले के कलैक्टर और एस.डी.एम. वहां पर मौजूद नहीं थे यानी उन्हें वैदर फोर कॉस्ट की जानकारी नहीं थी जबकि हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमें जानकारी थी। सैंटर गवर्नमेंट को जानकारी थी लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर को जानकारी नहीं थी तो उसको यह जानकारी क्यों नहीं थी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज होती हैं, जब ऐसे साइक्लोन प्रोन एरियाज में उन्हें एप्वाइंट किया जाता है तो यह जानकारी क्यों नहीं दी जाती है कि उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग है या नहीं।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यह पूछना चाहती हूं और मैं यह भी कहना चाहती हूं कि यह राष्ट्रीय शर्म का विषय होगा कि इस विपत्ति से निपटने के लिए हम हाथ में भीख का कटोरा लेकर 200 मिलियन डालर की भीख मांगें। श्री चतुरानन मिश्र जो, यह देश इस प्रकार की विपत्तियों से निपटने में सक्षम है। आए थोड़ा कम्युनिकेशन ठीक करिये। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का कम्युनिकेशन ठीक हो, फाइनेंसियल मैनेजमैंट हमारा ठीक हो और हमारे देश का प्रधान मंत्री और हमारे देश की सरकार अपनी कुर्सी बचाने की बजाय थोड़ा देश और गरीबों को बचाने में अगर ईमानदारी से अपना समय लगायें तो ठीक होगा। जो डेढ़ हजार लोग मर गये, हमें तो लगता है कि 1978 में 15 हजार मरे थे और 1978 में मरे हुए 15 हजार की तुलना में 1996 में मरे हुए डेढ़ हजार लोग कम पड़ते हैं। लेकिन जिसके घर में मृत्यु हो गयी है, उस विधवा स्त्री से पूछियेगा कि उसकी क्या स्थिति है। उस

बालक से पूछियेगा जो माता-पिता से हीन हो गया है कि उसकी क्या स्थिति है और उस मां से पूछियेगा जिसकी गोदी का लाल छिन गया हो कि उसको क्या स्थिति है? इसलिए इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार आगे क्या-क्या उपाय अपनायेगी, इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं। मुझे जानकारी मिली है कि 72 घंटे पहले जानकारी हो गया थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री चतुरानन मिश्र से पूछना चाहती हूं कि आपको केन्द्र सरकार को इसकी कब सूचना लगी और आपने राज्य सरकार को कब सूचना दी। मौसम वैज्ञानिकों को कब सूचना मिली और फिर राज्य की सरकार तक कब तक सूचना पहुंचाई गयी। इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट समय बताइये। दूसरा, राज्य सरकार को जो आप 50 करोड़ देने वाले हैं, क्या वह कर्ज के रूप में देंगे या अनुदान राशि के रूप में देंगे? तीसरा, जिसने भी साइक्लोन प्रोन कोस्टल बैल्ट एरियाज में नारियल की खेती करने वाले लोग हैं, हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं फिर एक अप्रासंगिक बात कहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पंजाब का आतंकवाद का समय याद है। उस समय भी मैंने देखा था कि गरीब लोग ज्यादा मरे थे। गरीब लोग ऊपर से भी मरते हैं और नीचे से भी मरते हैं। एक तो वे भगवान की तरफ से गरीबी की मार भुगतते हैं और दूसरे, जब भी हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो उसमें मजदूर ज्यादा मरते हैं, किसान ज्यादा मरते हैं, दलित तबके के लोग ज्यादा मरते हैं, गरीब तबके के लोग ज्यादा मरते हैं। अब जो तूफान आया है, उसमें भी गरीब तबके के लोग ज्यादा मरे हैं। यदि पचास लाख नारियल के पेड़ ही नष्ट हुए हैं तो उसपर कितने परिवार डिपैंड करते होंगे और उसकी वजह से वे कितने समय तक भुखमरी के शिकार होंगे। इसलिए आप मुझे बताएं कि वहां पर जितनी भी कृषि योग्य भूमि, नारियल के पेड़ और नाव चलाने वाले नाविक हैं, उनके लिए तत्काल बीमे की क्या व्यवस्था होगी? आपको सूचना कब मिल गई थी और कब आपने राज्य सरकार को सूचना दी थी? आप पचास करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में देंगे या कर्ज के रूप में देंगे? जो दो सौ मिलियन डालर की वर्ल्ड बैंक को चर्चा राज्य सरकार के साथ हुई है, उस भीख मांगने के बारे में केन्द्र सरकार की क्या राय है? क्या आप भी उस भीख के कटोरे के मामले में अपना हाथ नीचे लगाने के लिए तैयार हैं? हमें इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के.एस.आर. मूर्ति।

(व्यवधान)

श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था (अनन्तपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत महत्वपूर्ण मामले पर विचार कर रहे हैं। कृपया प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करें कि वे सदन में उपस्थित रहें। अन्यथा विचार-विमर्श का उपयोग ही क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से मंत्रीगण उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : प्रधानमंत्री जी को यहां होना चाहिए।

[अनुवाद]

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा) : क्या प्रधानमंत्री सदन में केवल तभी उपस्थित रहते हैं जब कर्नाटक राज्य के बारे में कोई विचार-विमर्श हो रहा हो।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : केवल कृषि मंत्री ही नहीं अन्य सभी मंत्री भी सदन में उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या वे सारे देश के प्रधानमंत्री हैं या केवल कर्नाटक राज्य के। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी भावनाएं उन तक पहुंचा दी जाएंगी। कृपया बैठ जाएं।

श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में रायलसीमा का उल्लेख नहीं किया।...**(व्यवधान)**

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री का इस सदन के प्रति और सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति कोई दायित्व नहीं है। क्या वह केवल कर्नाटक के बारे में ही चिन्ता करते हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुन्टूर) : मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में प्रकाशम और मेल्लोर जिलों का उल्लेख नहीं किया।

श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था : अपने वक्तव्य में मंत्री जी ने रायलसीमा का उल्लेख नहीं किया, न ही अनन्तपुर जिले का ही कोई उल्लेख किया है।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में प्रकाशम, मेल्लोर और कुडप्पा जिलों का कोई जिक्र नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया श्री पासवान की बात सुनिए वह इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : सरकार को देश का कोई फिक्र नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते?

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, यह विषय लिस्ट आफ बिजनेस में ग्यारहवें नम्बर पर था। उसके मुताबिक यह उम्मीद थी कि तीन बजे के बाद आएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी उनके साथ हैं और एक बजे उनके साथ लंच है। यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो प्रधानमंत्री का कुछ फर्ज बनता है ...**(व्यवधान)** पहले सुन तो लीजिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री राम विलास पासवान : यदि वह दुर्भाग्यपूर्ण है तो मैं क्या कर सकता हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ व्यस्त हैं। वह तीन बजे के बाद आएंगे। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी (सिद्दीपेट) : आन्ध्र प्रदेश पूरा बर्बाद हो गया। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : श्री येल्लैया नन्दी जी, आप तो सीनियर मैम्बर हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : समुद्री तूफान तो दो चरणों में आया परन्तु सरकार तो एक ही चरण की चर्चा कर रही है। तूफान पहली बार 19 अक्टूबर को आया, फिर 7 नवम्बर को मंत्री जी तो पहले बार आए तूफान के बारे में भी पूरी तरह अवगत नहीं है। आखिर बात क्या है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपका प्रश्न वह नहीं है। आपका प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री को हाऊस में रहना चाहिए। लीडर आफ दी हाऊस की हैसियत से हम भी यह महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री को रहना चाहिए।...**(व्यवधान)**

डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं हैं। सरकार को किसी मामले की जानकारी नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : एक देश का राष्ट्राध्यक्ष...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

दोनों मामलों पर एक साथ विचार होगा। मैं क्या कर सकता हूं ...**(व्यवधान)** मैं समझ पाने में असमर्थ हूं। सम्बद्ध मंत्री जी उपस्थित है। गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। सदन के नेता उपस्थित हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जब यह डिसकशन शुरू हुआ, उस वक्त अगर आप बोल देते तो हम डिसकशन को कल रखते, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास आज वक्त नहीं है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : यह सरकार उत्तर नहीं देती। इसको तो यह भी अन्दाजा नहीं कि चक्रवात से आन्ध्र-प्रदेश में कितना नुकसान हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के.एस.पी. मूर्ति को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : आप उस वक्त उठकर बोल देते तो मामला खत्म हो जाता।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको फोलिंग्स की कद्र करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से ठीक नहीं है, आपको फोलिंग्ज कन्वे कर दी जाएगी।

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हम डिस्कशन नहीं करना चाहते।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप किसी को तो बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री मूर्ति को बोलने दें ...**(व्यवधान)**

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश में चक्रवात दो बार आया...**(व्यवधान)** हम आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहते हैं...**(व्यवधान)** चक्रवात दो बार आया। वह तो

केवल दूसरी बार आए चक्रवात से परेशान हैं। पहले आए चक्रवात की बात तो वह भूल ही गए हैं.. **(व्यवधान)** क्या कुछ गड़बड़ हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर बोलना चाहते हैं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, सबको पता है कि यह राष्ट्रीय आपदा है। मेरे विचार से इस मसले पर हमारे विचार भिन्न नहीं होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि सबकी आपसी क्या समझ-बूझ है। परन्तु अगर सदस्यों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री जी को सदन में उपस्थित होना ही चाहिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है।

दूसरा आक्षेप यह है कि कृषि मंत्री जी ने पहले आए चक्रवात का अपने वक्तव्य में उल्लेख नहीं किया। इसे भी शामिल किया जा सकता है। यदि प्रधानमंत्री जी तीन बजे तक व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं। हम तीन बजे इस मसले को उठा सकते हैं, हम इस पर तीन बजे ही चर्चा करेंगे। हम हर बात पर झगड़ते ही क्यों रहें?...**(व्यवधान)** सदन में हर सदस्य खड़ा रहे, यह उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि सदन के नेता को कोई आपत्ति न हो, तो तीन बजे जब प्रधानमंत्री जी आएं तब हम इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। चर्चा शुरू करने से पूर्व ही कृषि मंत्री यदि पहले आए चक्रवात के विषय में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। मामला अपने आप सुलझ जाएगा। ...**(व्यवधान)**

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : वह मात्र चक्रवात नहीं था। प्रकाशम तथा अन्य जिलों में हवा के दबाव में कमी आ गई थी जिसके बाद वहां भारी वर्षा हुई।

मैं उन सब स्थानों पर गया था।

[हिन्दी]

श्री सनत मेहता : श्री चतुरानन जी, डिप्रेशन तो वहां लगता है। ...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : आप सुनिए।...**(व्यवधान)** ऐसा न हो जाए।...**(व्यवधान)** हमको जरा बोलने दीजिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

वह चक्रवात नहीं था। वहां हवा के दबाव में कमी थी, जिसके फलस्वरूप वहां भारी वर्षा हुई और इस कारण कटाव हो गए।

श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था : हवा के दबाव में कमी। वह क्या होता है?...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : अन्यथा आप शब्दकोष देख सकते हैं। परन्तु कहने का तात्पर्य यह नहीं ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से रिजर्व किए पानी का बांध टूट गया और एक्सेस फ्लड आया; इसलिए ज्यादा मछुआरे मारे गए और समुद्र किनारे रहने वाले लोग ज्यादा मारे गए। ...**(व्यवधान)** हमने सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। आप चाहें, तो एक बार नहीं, कई बार इस पर डिसकस कर सकते हैं, हम तैयार हैं।

[अनुवाद]

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : पहले आए चक्रवात के दौरान 400 लोग मारे गए। क्या आप इसकी पूरी तरह उपेक्षा करना चाहते हैं? क्या आपको 400 लोगों के जीवन की कोई फिक्र है?

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, मंत्री जी एक अनुपूरक वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं समझ सकता हूं। परन्तु आपको हवा के दाब में कमी आए और चक्रवात में अन्तर पता होना चाहिए।

श्री पी. उपेन्द्र : चक्रवात हमेशा हवा के दाब में कमी के बाद ही आता है।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं प्रकाशम जिले में गया था। मैं वहां से रिपोर्ट और अन्य सारे दस्तावेज लेकर आया था।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : नेल्लोर, कुडप्पा, कुरनूल गुण्टूर और अनन्तपुर जिलों का क्या हाल है। आपने अपने वक्तव्य में इन जिलों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की है। मैं चाहता हूं कि एक पूरक वक्तव्य इसमें अवश्य जोड़ा जाए।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : हजारों लोग डूब गए। मकानात तबाह हो गए, अब आप तकनीकी बातों को ले रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : भारी वर्षा और बाढ़ के परिणामस्वरूप पैदा हुई स्थिति को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए।

श्री पी. उपेन्द्र : आप अपने पूरक वक्तव्य में कृपया इसे भी शामिल कीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : यह ठीक नहीं। चक्रवात के फलस्वरूप 400 लोग मारे गए और करोड़ों रुपए की सम्पत्ति नष्ट हो गई ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय को तीन बजे डिसकस करेंगे। तब शायद प्रधानमंत्री भी आ सकें। दो बजे दूसरा बिजनैस आएगा।

अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.58 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2 बजकर 7 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है। जब आपने यह बात कही - जब तक प्राइम मिनिस्टिर नहीं आते, तब तक दूसरा एजेंडा हाथ में लिया जाएगा - उस समय मैं सदन में नहीं था। इन शब्दों में या इस प्रकार की रूलिंग आपने दी। उसके जो परिणाम होंगे, मैं उनके बारे में दो मिनट में आपनी बात कहना चाहता हूं। यदि यह हम करते हैं, तो बाद में नियम 377 के मामले हो जायेंगे और उसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद यह कान्स्टीट्यूशन बिल डि-लिमिटेशन से संबंधित है। इतना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल और सदन को इस प्रकार की जानकारी नहीं और अचानक उसके ऊपर चर्चा शुरू करें, इससे मुझे लगता है कि कठिनाई होगी। मैं अपने दल का चीफ-व्हीप हूं और मुझे अपने दल के सदस्यों के नाम देने होते हैं कि कौन पहले और फिर दूसरे सदस्य बोलेंगे। इस पर अधिक गंभीरता से विचार करना या चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कुछ रास्ता निकालना चाहिए और क्या रास्ता निकले, वह आपको देखना चाहिए। प्रधान मंत्री जो यहां नहीं हैं, चर्चा नहीं हो सकती है, इसलिए डि-लिमिटेशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करें, उसमें उस चर्चा का स्तर और सारी चर्चा ठीक नहीं रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि आप इस पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस स्थिति के बारे में फैसला नियम 377 के बाद सदन करे। पहले यह भी फैसला हो चुका है कि जीरो-आवर नहीं होगा। यह भी फैसला हो चुका है पहले कि जब प्रधान मंत्री आयें, तीन बजे तक उम्मीद है, सब करेंगे। आप इजाजत दें, तो जीरो-आवर पहले कर लें।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत हम अपराह्न 3.00 बजे तक शून्य काल रख सकते हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़े समय में नियम 377 हो जाएगा, फिर उसके बाद जीरो आवर कर लें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, यह उचित नहीं होगा। चर्चा जारी रखी जा सकता। प्रधानमंत्री जो तीन बजे तक आ ही रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति दिल्ली आए हुए हैं।

वह वहां व्यस्त हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह एग्री करें तो बात है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : अतः इस समय फिर से शून्यकाल प्रारम्भ करना उचित नहीं होगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, उनको तीन बजे कहा हुआ है। वह यहां मौजूदा नहीं है जिनको एतराज था कि जब तक पाइम मिनिस्टर नहीं आएंगे तब तक हम इस पर बहस नहीं चलने दें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, जिन लोगों ने आपत्ति की थी, वह तो यहां मौजूद नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, वे यहां नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : यह गल्त दृष्टान्त बन जाएगा। चाहे मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु यह गलत दृष्टान्त बन जाएगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, दोनों ही रोंग होंगे, कोई रास्ता तो बीच में से निकालना ही है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकरा) : परन्तु उन्होंने घोषणा की है कि चर्चा तीन बजे शुरू की जाएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : समस्या उन्होंने उठाई है। यह उचित है। विधेयक पर बहस शुरू की जा सकती है, इस पर

मतदान और शेष कार्य कल पूरे किए जा सकते हैं। इसमें क्या कठिनाई है?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तक बोलने वालों के नाम भी नहीं आए।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : कठिनाई यह है कि हमें विषय की महत्ता के अनुसार वक्ताओं को समय देना है। सुबह जब यह निर्णय लिया गया था कि चर्चा सारा दिन जारी रहेगी, तो भावतः तदनुसार ही वक्ताओं को समय दिया गया। यह समस्या आपके लिए भी रहेगी और मेरे लिए भी रहेगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इस स्थिति को समझ सकता हूं।

श्री राम नाईक : प्रश्न समस्या को समझने का नहीं, प्रश्न यह है कि कार्यवाही किस तरह चलाई जानी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपकी पार्टी के सदस्य इस तरह तैयार क्यों नहीं है जबकि आपने विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की सूचना से पहले अवगत करवा दिया था...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : हम केवल इस तरह बातें कर सकते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : वैसे तो यह विधेयक, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री राम नाईक : हम विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हैं। परन्तु जिन सदस्यों को हमने तैयार होकर आने को कहा था, वे सभा में उपस्थित नहीं हैं।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसे कार्य सूची में शामिल किया गया था। कुछ गड़बड़ आज सुबह हुई है। वह विषय कार्य-सूची में सम्मिलित था। अतः आपको इसकी तैयारी कल ही करके रखनी चाहिए थी।

श्री राम नाईक : नहीं, मैं आपकी तरह बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि यह सदन की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। हमें चर्चा के लिए तैयारी रहना ही चाहिए था। परन्तु जिस सदस्य को हमने पहले बोलने के लिए तैयार किया था वह सभा में नहीं हैं, क्योंकि सुबह यही निर्णय हुआ था।

श्री बसुदेव आचार्य : वह सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री राम नाईक : उन्हें सदन में होना चाहिए था।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी को बोलने दें।

श्री राम नाईक : पहले मंत्री जी बोल सकते हैं, फिर आप अन्य बातों पर विचार कर सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मंत्री जी को विधेयक पेश कर सकते हैं।

श्री राम नाईक : मंत्री जो विधेयक पेश कर सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : चर्चा जारी नहीं रखी जानी चाहिए।

श्री राम नाईक : चर्चा शुरू नहीं होनी चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरा कहना यह है कि सदन में आन्ध्र-प्रदेश में चक्रवात जैसे गम्भीर विषय पर आधी-अधूरी चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम संविधान संशोधन विधेयक जैसे गम्भीर विषय पर भी तुरन्त विचार करेंगे। हम 20 मिनट अथवा 30 मिनट के अन्तराल के पश्चात् पुनः इस विषय पर चर्चा करेंगे यह उचित भी नहीं होगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस मेटर को सीरियस मानते हुए उन्होंने कहा था कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तब तक हम इसे नहीं चलने देंगे। उसकी सीरियसनेस को और ज्यादा गहरा बताते हुए उन्होंने कहा था।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : प्रश्न यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा गम्भीरता प्रदान की गई है। प्रश्न यह था, अचानक, यह फैसला किया गया था कि...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब आर्गुमेंटस उनको दे दिए थे। यह भी कहा था कि उनके अलावा और भी मिनिस्टर्स यहां बैठे हैं। यह जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ही यहां हों लेकिन फिर भी उन्होंने इनसिस्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर के बगैर हम इसको नहीं चलने देंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आपने यह भी निर्णय दिया था कि आन्ध्र प्रदेश में आए समुद्री तूफान पर चर्चा सायं 3 बजे आरम्भ की जाएगी। अतः मंत्री विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री राम नाईक : मैं यह नहीं कहूंगा। लेकिन मंत्री जी भी उपस्थित नहीं हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे। इसे लिया जा सकता है। वह कहते हैं कि नियम 377 के अधीन मामले लिए जा सकते हैं। हमें नियम 377 के अन्तर्गत मामले लेने चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के बाद जो टाइम बचेगा उसमें क्या करेंगे?

श्री राम नाईक : देखिए, इस बिल पर विचार करना है और यहां मिनिस्टर भी मौजूद नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री भी यहां नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : सारा मामला यह है, कि इसकी घोषणा की गई थी। इसे किया जायेगा। अतः मंत्री...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : फिर हम इस पर भी बल देंगे कि केबीनेट मंत्री को वहां होना चाहिए। हमें सदन को इस तरह चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कृषि मंत्री यहां नहीं है। वाद-विवाद जारी नहीं रहेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : नियम 377 के पश्चात्, आप हमें कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की अनुमति प्रदान कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी वही चाहता हूं।

[हिन्दी]

मेरे पास जीरो ऑवर के नोटिस हैं लेकिन सुबह यह तय हुआ था कि आज जीरो ऑवर नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : वर्तमान स्थिति में, हमें इसको बदलना है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, नियम 377 के बाद जीरो ऑवर टेक अप कर लेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : हम इस स्थिति का सामना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माननीय अध्यक्ष ने सुबह यह बताया था कि कोई शून्य काल नहीं होगा और आप माननीय अध्यक्ष के निर्णय का बदल रह हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस स्थिति के कारण है।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : कृपया पहल नियम 377 के अंतर्गत मामला लीजिए और फिर शून्य काल। वह बेहतर होगा। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या प्रस्ताव करते हैं?

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : कृपया नियम 377 के अधीन मामले लीजिए। उसके पश्चात् तीन बजे तक शून्यकाल होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम नियम 377 के अधीन मामले ले रहे हैं।

अपराह्न 2.16 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश से पृथक कर नए छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है। मांग को ध्यान में रखते हुए पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को स्वीकृति हेतु मध्य प्रदेश से जिला बिलासपुर, रायपुर, राजनंद गांव, सरगुजा, बस्तर, शहडोल और दुर्ग जिलों को अलग कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने हेतु विधान सभा में सर्वसम्मति से संकल्प प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की अनुमति शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(दो) राजस्थान में एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : महोदय राजस्थान से इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेडीमेड गारमेंस्स, वस्त्र, कालीन तथा दरियां, कीमती पत्थर तथा जेवर, प्लास्टिक तथा हस्तकरघा, संगमरमर तथा ग्रेनाइट तथा हस्तशिल्प के निर्यात की अत्यधिक संभावना है। इस अत्यधिक निर्यात संभावना के बावजूद, देश के निर्यात में राज्य का अंशदान केवल 1.6 प्रतिशत है।

राजस्थान सरकार ने कई बार राज्य में एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित करने की मांग की है लेकिन किसी-न-किसी कारण से, राज्य सरकार के अनुरोध पर अब तक विचार नहीं किया गया। एक बार राज्य में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना हो जाने के पश्चात, उस राज्य से निर्यात बढ़ाने में यह काफी सहायक होगा। लघु तथा कुटीर उद्योग तथा इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रमुख तथा मध्यम उद्योगों को अपना व्यापार तथा उद्योग का संवर्द्धन करने में सहायता मिलेगी।

इसलिए, मैं यह मांग करती हूं कि बिना और विलम्ब किए राजस्थान के लिए एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना की जाये।

(तीन) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री एन.जे. राठवा (छोटा उदयपुर) : गुजरात राज्य के पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में सड़कों का निर्माण कराए जाने के लिए और खानों से खनिज पदार्थों को निकालने की अनुमति दिए

जाने के लिए एवं गोधरा जिला पंचमहल्स के छोटा उदयपुर, जिला बड़ोदरा में गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा हाइटेंशन-लोटेंशन लाइन स्थापित किए जाने के लिए गुजरात राज्य के रोड एवं बिल्डिंग विभाग, खान-खनिज विभाग एवं विद्युत विभाग ने केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कई प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन केन्द्र सरकार ने अब तक इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया तथा न ही कोई कार्यवाही की जिसके कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्य पूर्णतः ठप्प पड़े हुए हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास गुजरात सरकार के उपरोक्त विभागों से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अधीन स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु जो प्रस्ताव आए हैं, उनके सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेकर स्वीकृति प्रदान करें ताकि राज्य के उपर्युक्त क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यों में शीघ्रता आ सके।

[हिन्दी]

(चार) पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की आवश्यकता

श्री सुखदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जूट का मूल्य कुछ वर्ष पूर्व 15 से 22 रुपये प्रति कुन्तल था। लगभग दो माह से 600 रुपये से 750 रुपये प्रति कुन्तल मौजूदा स्थिति में बिक रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किशनगंज की आम सभा में कहा था कि जूट का मूल्य किसानों के हित में बढ़ाया जायेगा। मैं जानता हूं कि जूट को फसलों से ज्यादा मेहनत, पूंजी एवं समय लगता है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जूट का न्यूनतम मूल्य 1500 रुपये से 2000 रुपय प्रति कुन्तल करने की आवश्यकता है ताकि किसानों को लागत मूल्य वापस मिल सके।

[अनुवाद]

(पांच) असम में हाल में आई बाढ़ और वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री उथब बर्मन (बाटपेटा) : असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत खराब है। कई स्थानों पर राजमार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा यहां वहां काफी बड़े गढ्ढे हो गए हैं। काफी लम्बे समय से रखरखाव कार्य की उपेक्षा करने तथा हाल ही में हुई भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। असम में राष्ट्रीय राजमार्ग न केवल असम राज्य के बल्कि समस्त उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए सड़क द्वारा आने-जाने की जीवन रेखाएं हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की इस खराब हालत से समस्त क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उपरोक्त को देखते हुए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत में सुधार लाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर असम सरकार की मदद करे और इस तरह उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें।

(छह) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी तट के साथ मत्स्य पत्तन और मत्स्य उतराई केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस (नगरकोइल) : कन्याकुमारी जिले का अरब सागर का तट देश के मुख्य मछली उत्पादन केन्द्रों में से एक है। वहां काफी बड़ी संख्या में मछुआरे रहते हैं। वे पूर्णतया मछली पकड़ने पर निर्भर है। यह उनका परम्परागत तथा एकमात्र व्यवसाय है। अब, समुद्र के जल से बार-बार भूमि कटाव होने के कारण मछली उतारने तथा मछली पकड़ने वाली नौकाओं को ठहराने के प्राकृतिक स्थान या तो बह गये हैं या उन्हें काफी क्षति पहुंची है जिसके कारण वर्षा ऋतु में मछली पकड़ने के कार्य में कठिनाई होती है, इस तरह इन पांच महीनों में, अशान्त समुद्र, शक्तिशाली तरंगों और पवनों के कारण, वे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं को नहीं चला सकते। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में मछुआरों को संरक्षण भी दिया जा सकता है यदि कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी तट के साथ-साथ मछली पकड़ने के पत्तन तथा मछली उतारने के केन्द्र स्थापित किए जायें ताकि मछुआरे अपनी मछली पकड़ने की नौकाओं को वहां ठहरा सकें तथा उनका परिचालन कर सकें। लेकिन मछली पकड़ने के पत्तन तथा मछली उतारने के केन्द्र वहां स्थापित नहीं किए गये हैं। इसलिए, वे देश भर में अन्य राज्यों के तटीय गांव जाते हैं जहां उन्हें स्थानीय मछुआरों के कड़े प्रतिरोध, तंग करने तथा अपमान का सामना करना पड़ता है। इस तरह, उनका जीवित रहना खतरे में है।

मैं सरकार से तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी तट के साथ-साथ मछली पकड़ने के पत्तन तथा मछली उतारने के केन्द्र स्थापित करने के लिए तुरन्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(सात) उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, गाजियाबाद जनपद उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है, इस जनपद के गांवों में काफी समय से अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। गाजियाबाद में एक डा. अम्बेडकर छात्रावास खोलने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है, क्योंकि छात्रावास न होने के कारण यहां ग्रामीण क्षेत्रों से दूर-दराज के गांवों के लोगों को अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देने में कठिनाई आती है, जिसके कारण काफी बच्चे पूर्व शिक्षा बीच कर

देते हैं। दूर गांवों से रोज बसों से आने-जाने का किराया या फिर शहर में किराये पर कमरा लेकर रहने के लिये इन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है और ये लोग शहर में कमरे का किराया वहन नहीं कर पाते। जिसके कारण क्षेत्र में शिक्षा के प्रतिशत में बढोत्तरी नहीं हो पा रही है।

अत मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि गाजियाबाद में एक डा. अम्बेडकर छात्रावास खोलने की स्वीकृति तत्काल प्रदान करें।

[अनुवाद]

(आठ) उड़ीसा के धेनकनाल जिले में सूखे की समस्या से निपटने के लिए रैंगाली सिंचाई और ओ.ई.सी.एफ. से सहायता प्राप्त जल आपूर्ति परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, इस समय उड़ीसा राज्य भीषण सूखे की चपेट में है। उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रथम फसल कटाई रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 30 जिलों में से 12 जिलों को सूखा प्रभावित जिला घोषित कर दिया है। लेकिन कई और जिलों में भी भीषण सूखा है।

पश्चिम उड़ीसा में स्थिति बहुत सोचनीय है। जन-जातिय बहुल जिलों के लोग नौकरी की तलाश में पलायन कर पड़ौसी राज्यों में जा रहे हैं।

अविभाजित ढेंकानाल जिले में भी स्थिति बहुत चिन्ताजनक है क्योंकि वहां जिला गम्भीर सूखा की समस्या का सामना कर रहा है। ढेंकानाल क्षेत्र में कम वर्षा के कारण सितम्बर में स्थिति बदतर हो गई थी। वर्षा केवल 30 मिली मीटर थी। उस जिले में लगभग 50 प्रतिशत लोग खेती के लिए वर्षा पर निर्भर हैं। लेकिन कम वर्षा के कारण ठेंकानाल निर्वाचन क्षेत्र में किसान गम्भीर सूखा की समस्या का सामना कर रहे हैं। अतः सारे जिले तथा क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित किया जाना चाहिए। जब तक रेंगाली सिंचाई परियोजना को पूरा करने तथा समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि द्वारा ढेंकानाल में सहायता प्राप्त जल-आपूर्ति परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जाता तब तक सूखे की स्थिति को नियन्त्रण में लाना बहुत कठिन होगा। इसके साथ-साथ मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि सूखे से प्रभावित ढेंकानाल तथा अन्य जिलों के किए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाये ताकि वहां श्रम गहन कार्य तथा पेयजल की आपूर्ति के लिए परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर शुरू किया जा सके। ढेंकानाल जिले में सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अविलंब धनराशि मंजूर की जाये।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी। सुबह प्रश्नकाल में गन्ना मूल्यों के संदर्भ में कुछ सदस्यों ने अपनी बात उठाई थी जबकि वह प्रश्न चीनी मिलों से संबंधित था। उस समय भी माननीय खाद्य मंत्री सही जवाब नहीं दे पाए और जहां तक मेरी जानकारी है कि अकेले उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का साढ़े सात सौ करोड़ रुपए का बकाया शेष है और चीनी मिलें पूरे उत्तर प्रदेश में इस महीने के अंतिम सप्ताह में 22 तारीख को प्रारंभ हुई है और कुछ चीनी मिलें अभी भी शुरू नहीं हुई हैं। किसान को एक महीने का नुकसान हुआ कि उसका खेत खाली नहीं हुआ और दूसरी संभावना यह है कि चीनी मिल-मालिक भी अपनी चीनी मिलों को सही ढंग से चलाने के लिए टाल-मटोल कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। वह इस बात की गारंटी नहीं दे रहे हैं कि सारा गन्ना लिया जाएगा और वास्तव में ये सारी बातें सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण हो रहा हैं कि गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में खास तौर से बिल्कुल ऐसे परेशान हाल में है उसकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में बहुत खराब होने वाली है जबकि यह माना जाता था कि गन्ना एक कैश क्रॉप है। गन्ने का किसान को पैसा मिलता था, उससे उसकी समस्याएं हल हो जाती थीं। पर अब लागत बढ़ती जा रही है और गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार निश्चित रूप से उद्योगपतियों से मिली हुई है और उसे देश के किसानों की चिन्ता नहीं है। प्रधान मंत्री यद्यपि अपने आपको किसान का हितचिन्तक मानते हैं, पर उन्होंने भी इस समस्या का समाधान नहीं किया। वे उत्तर प्रदेश भी गए और उनके चुनावी वायदे करने के बाद भी किसान की समस्या ज्यों की त्यों रही।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि इस समस्या का एक निश्चित स्थायी हल ढूंढें। अगर इस वर्ष हमने समस्या का समाधान नहीं किया तो अगले साल चीनी मिलें भी नहीं चलेंगी और किसान को निश्चित रूप से इस बार अपना गन्ना जलाना पड़ेगा। सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस बार सारा का सारा गन्ना लिया जाएगा और पुराना बकाया जितना शेष है, इसी सत्र में उसका भुगतान किया जाएगा, नहीं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही कष्ट की बात होगी और यह बात जब से सरकार आई है, तब से हम लोग निरंतर उठा रहे हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि सरकार द्वारा इस पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश तय नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सरकार को इस मामले में निर्देश दें। एक सही जानकारी उत्तर प्रदेश के और देश के किसानों के सामने रखी जाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जिनके नोटिस आए हैं, मैं उनमें से ही बुलाऊंगा।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अत्यावश्यक विषय उठाना चाहता हूं। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में बहुत से लोगों के मकान ढहाए गए। वे लोग बेघर होकर सड़कों पर आ गए हैं।

आज 40 दिन से जन्तर मन्तर रोड पर वे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अब सबसे पहली बात तो मुझे सरकार से यह कहनी है कि दिल्ली सरकार को वह जमीन है, बहुत दिनों से वह सरकारी जमीन थी। उनके मकान बने हुए 20-30 साल हो गये हैं। जब मकान बन रहे थे उस वक्त सरकार को सोचना चाहिए था। जब जमीन उनकी थी, उनके सारे अफसरान मौजूद थे, सारे उनके विभाग काम कर रहे थे तो उसको क्यों नहीं रोका गया और वह इस तरह की बात हो रही है कि जमीन मालिक ने पहले वह जमीन सरकार के हाथ में बेच दिया और फिर 40 साल गुजर जाने के बाद सरकार ने कुछ नहीं किया, तो ऐसे गरीब लोगों को वही जमीन बेची। जिसका नतीजा यह हुआ कि जो गरीब लोगों ने ली थी उन्होंने मकान बना लिये और उसके बाद सरकार की नींद खुली। इस सरकार ने हजारों मकानों को ढहा दिया। हजारों लोग सड़कों पर चले आये और आज 40 दिन से लोग जन्तर मन्तर रोड पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं क्या सरकार यहां पर जवाब देगी कि जो लोग बैठे हुए हैं और मकान नहीं गिराये जायेंगे और जो मकान गिराये गये हैं उनको अलग से मुआवजा दिया जायेगा। वहां बहुत सी महिलायें, बच्चे और नौजवान सभी वहां हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं मेरा सरकार से निवेदन है कि जब सरकार कहती है कि वह गरीबों की सरकार है, हम ही गरीबों की रक्षा करेंगे तो आज जिनके मकान ढहाये गये हैं वे क्यों ढहाये गये हैं। ....**(व्यवधान)** दिल्ली की सरकार तो किसी काम की नहीं [illegible] का [illegible] है। तो मैं यह चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार जो कि गरीबों की सरकार होने का दावा करती है, तो इस दावे को इसी सदन में सत्यता की कसौटी पर जांचा जाए वह वास्तव में गरीबों की सरकार है या नहीं। अगर गरीबों की सरकार है तो वह ध्यान दे कि वह ऐसा नहीं करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी चीज को दोहराइये नहीं। किसी का नाम होगा तो बोलेंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) **:** उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री श्री पासवान जी 16 नवम्बर को अहमदाबाद गये थे।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं बोलिये, आपका नाम होगा तो बोलेंगे। ऐसे तो सब बोलना शुरू कर देंगे। कृपया बैठ जाइएं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) **:** उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी बात है। गरीब लोगों का 40 दिन से धरना चल रहा है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। नहीं, इसे रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) **:** आप सरकार को डाइरेक्टिव दीजिए।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका नाम दिया हुआ है? आप बैठ जाइये।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) **:** यस सर, हमने दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : लिस्ट में नहीं है।

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, 16 नवम्बर को रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान जी अहमदाबाद आये थे और उन्होंने वहां घोषणा की कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो आजकल मुंबई में है, प्रारंभ से मुंबई में है, वह अहमदाबाद ले जाया जायेगा। इस प्रकार की घोषणा उन्होंने 16 नवम्बर को की। मुंबई एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और औद्योगिक शहर है और वहां से इस प्रकार से हैडक्वार्टर उठाये जाने की खबर के बाद मुंबई में बड़ा असंतोष पैदा हुआ है और मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि व्यापारिक उद्योग को ख्याल में रखते हुए उन्हें इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। आवश्यकता हो तो अहमदाबाद के लिए नई डिवीजन या और कोई भी बात हो सकती है। लेकिन मुंबई से मुख्यालय हटाना बराबर नहीं होगा। साथ ही साथ हमारी मांग तो यह है कि उपनगरीय रेल के लिए नया जोन बनना चाहिए। वह तो नहीं हो रहा है और यहां से वैस्टर्न रेलवे का हैडक्वार्टर ले जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। मुंबई की जनता इसका डटकर विरोध करेगी और हमें भी इसके बारे में आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री मुंबई के एम.पीज. के साथ इसके बारे में चर्चा करें और बाद में कोई कदम उठायें, इस प्रकार की मैं मांग करता हूं और रेल मंत्री को यहां पर इसके संबंध में वक्तव्य देना चाहिए, यह भी मैं आग्रह करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) **:** उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप अवगत है, भारत राष्ट्रों के मध्य एक प्रतिष्ठित राष्ट्र है, यद्यपि इसके पास अपनी गरीबी की समस्या है, और यह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर विश्व शांति के संबंध में। कई देश इस संबंध में भारत की ओर नेतृत्व के लिए देखते है। लेकिन यह चिन्ता का विषय है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के किए हाल ही में हुए चुनाव में बहुत अपमानजनक हार का सामना किया। इससे हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा और सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और निश्चय ही उसके लिए भारत सरकार को इस संसद के माध्यम से राष्ट्र के लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

महोदय, विदेश मंत्रालय द्वारा इस विषय में हमें एक भिन्न प्रभाव दिया था कि जहां तक इस चुनाव का संबंध था, भारत बहुत अच्छी स्थिति में था। सी.टी.बी.टी. के संबंध में, भारत सरकार ने बहुत अच्छा रूख अपनाया और उसकी भी विभिन्न भागों में प्रतिक्रिया हुई। भारत सरकार, विशेषकर विदेश मंत्रालय, को इस चुनाव के आंकलन के बारे में बहुत सावधान होना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुआ। कूटनीतिक क्षेत्र में हम इतनी बुरी तरह असफल हुए कि भारत इस चुनाव में सफल नहीं हो सका: हम इस चुनाव में सफल ही नहीं हो सके बल्कि हमें विभिन्न राष्ट्रों से भी बहुत कम समर्थन मिला और निश्चय ही यह भारत जैसे राष्ट्र के लिए अपमानजनक है।

अतः, इसे हल्के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में इस तरह की स्थिति आई, इसके लिए कौन उत्तरदायी था, क्या कार्यवाही की जा रही है और अब इसको ओर भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया जाना चाहिए, विशेषकर संसद को। अतः, मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप भारत सरकार को यह निर्देश दें कि इस संबंध में एक विस्तृत व्यक्तव्य के साथ आगे आयें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री ने इस संबंध में एक पत्र लिखा है और वह इस विषय पर एक वक्तव्य देंगे। कार्य मंत्रणा समिति में भी इस पर चर्चा की गई थी और हम इस विषय पर यहां भी चर्चा कर सकते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इस पर चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा होगी।

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में रक्षा उत्पादन के 39 कारखाने कार्यरत हैं जिनमें लाखों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। विगत कुछ वर्षों से इन रक्षा-उत्पादन कारखानों में ओवरटाइम बंद कर दिया गया है जिसके कारण श्रमिकों की हालत बहुत खराब हो गई है। इन कारखानों में कुछ साहूकार कर्मचारी भी काम करते हैं जो प्रति माह 10 परसेंट, 12 परसेंट या 15 परसेंट ब्याज पर कर्मचारियों और श्रमिकों को पैसा उधार देते हैं। उनका पैसा वसूलने का तरीका बहुत खतरनाक है। तनख्वाह मिलने वाले दिन, जैसे ही मजदूर कारखाने के बाहर निकलता है, उससे रुपया छीन लिया जाता है। इसके कारण अनेक श्रमिक आत्महत्या कर चुके हैं। जबलपुर में पिछले एक महीने में ऐसी 5 आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं। सारे देश में साहूकार कर्मचारियों ने इसी प्रकार का माहौल चला रखा है।

मैं चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय इस स्थिति पर ध्यान दे और कोई ऐसी नीति निर्धारित करे ताकि साहूकार कर्मचारियों को कारखाने से बाहर किया जा सके और मजदूरों को आत्महत्या से बचाया जा सके। मेरा आपसे यही विशेष अनुरोध है।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश में, पिछले दिनों राजस्थान गोवर्धन नाले के टूटने से भारी बाढ़ आई थी, हरियाणा से भी उसमें पानी छोड़ा गया था जिसके कारण मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद जिलों में बड़ा कहर आया। राहत कार्य के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने लगभग 300 करोड़ रुपए की तात्कालिक एवं दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत की थी मगर आज तक केन्द्र सरकार ने उस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई धन नहीं दिया है और केवल एकमुश्त राहत के लिए आपदा कोष से दिए जाने वाले धन से उपाय करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार धनाभाव अनुभव करती है जिसके कारण अभी तक वहां तात्कालिक और दीर्घकालीन योजना पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। धनाभाव के कारण प्रभावित क्षेत्रों में राहत का कोई काम नहीं हो पाया है।

आगरा फतेहपुर-सीकरी मुख्य राजमार्ग पर महुआ गांव के निकट एक पुलिया टूटी पड़ी है जिसका निर्माण-कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है। उसके एस्टीमेट्स वहां भूतल परिवहन मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। यदि पुलिया का निर्माण अब तक करा दिया गया होता तो आज आगरा के ग्रामीण अंचलों में बाढ़ से भीषण तबाही न हुई होती क्योंकि उस पुलिया के कारण एक ओर पानी आगे नहीं जा सका जिससे सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। बाढ़ के कारण सारा राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे पर्यटकों और राहगीरों के आवागमन में बाधा आ रही है। वहां प्रतिदिन अनेकों दुर्घटनाएं हो रही हैं।

आगरा में बाढ़ के कारण अछनेरा नगर की भारी दुर्दशा हो गई है। नागरिक सेवाएं, व्यवस्थाएं और समस्त प्रणालियां भंग हो गई हैं। आगरा नगर में अतिवृष्टि के कारण जनजीवन को भारी हानि हुई है। सारा सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त है और पूरे नगर में गंदगी भर गई है। अभी तक कोई राहत उपाय नहीं किए गये हैं।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष आई बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने तथा तात्कालिक एवं दीर्घकालीन योजना को कार्यान्वित करने के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश शासन को इस परियोजना को समयबद्धता के साथ क्रियान्वित करने के निर्देश दे।

मैं इस अवसर पर यह भी जोड़ना चाहूंगा कि इसी सदन में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पूर्वी भारत एवं मथुरा, आगरा, राजस्थान आदि में जो अप्रत्याशित बाढ़ आई है, उसके अध्ययन के लिए, योजना आयोग के एक प्रतिनिधि के साथ एक दल भेजा जाएगा लेकिन अभी तक मथुरा और आगरा की बाढ़ की समस्या के अध्ययन के लिए कोई केन्द्रीय दल नहीं भेजा गया है।

मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि लोक सभा में की गई घोषणा के अनुरूप वे शीघ्र केन्द्रीय दल वहां भेजें ताकि दीर्घकालीन उपाय किए जा सकें। आज वहां स्थिति बहुत गम्भीर बनी हुई है।

श्री विजय गोयल (दिल्ली सदर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में आज लाखों मजदूरों का भविष्य अंधकारमय है। उन्हें सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के द्वारा दिल्ली के 168 औद्योगिक संस्थानों को 31 दिसम्बर तक बंद करने के आदेश दिए थे और उन्हें सलाह दी गई कि वे अपने यूनिट्स रीलोकेट या शिफ्ट करें। जब तक वे यूनिट्स रीलोकेट या शिफ्ट नहीं करते, एक साल तक लगातार इन मजदूरों की तनख्वाह जारी रहनी चाहिए। लेकिन मुझे खेद

के साथ कहना पड़ता है कि जिन औद्योगिक संस्थानों ने इस बात का वचन दिया था कि वे अपने यूनिट को रीलोकेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, अब वे अपने वचन से मुकर रहे हैं और अपने यूनिट को रीलोकेट या शिफ्ट करने नहीं जा रहे हैं। यह भी तय किया गया था कि इन औद्योगिक संस्थानों के पास जितनी भूमि दिल्ली में है, उसके 68 परसेंट हिस्से को सरकार रखेगी और शेष 32 परसेंट भूमि पर वे कौमर्शियल बिल्डिंग बना सकेंगे जिसके लिए उन्हें डेढ़ गुना एफ.आई.आर. ज्यादा दिया गया था। परन्तु यूनिट्स के रीलोकेट न होने के कारण, उनमें काम करने वाले मजदूर बेघरबार हो गए हैं। उन्हें इस बात की चिन्ता सता रही है कि अब उनकी रोजी-रोटी का क्या होगा?

आप जानते हैं कि भूमि का मामला केन्द्र सरकार के अधीन है। दिल्ली की सरकार और दिल्ली विधान सभा को टूटे-फूटे अधिकार दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस मामले पर यहां बयान दें। हम पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी से मिले थे परन्तु उनकी तरफ से आशाजनक उत्तर न आने के कारण इसमें दिक्कत आ रही है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, पूरी दिल्ली में बसी लगभग एक लाख यूनिट्स को पौल्यूशन के नाम पर कहा गया है कि वे अपने यूनिट्स दिल्ली के बाहर ले जाएं। बाहर ले जाने के लिए उन्हें भूमि देने की बात कही गई परन्तु अभी तक इस कार्य के लिए कोई भूमि एलॉट करके वितरित नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में मास्टर प्लान में चेंज करे। यदि मास्टर प्लान में चेंज नहीं किया जा सकता तो 30 नवम्बर से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसे वादी बनकर जाना चाहिए और वहां इस बात को रखा जाना चाहिए कि मजदूरों के भविष्य का क्या होगा।

मेरी खुद की सदर कांस्टीटूएंसी में 5 टैक्सटाइल मिल हैं—अयोध्या मिल, बिरला मिल, सिल्क मिल, स्वतंत्र भारत मिल और डी.सी.एम. और इन सभी मिलों के मजदूर पिछले काफी समय से आन्दोलन पर उतारू हैं और आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी मांग बहुत जायज है। यदि उनके भविष्य के बारे में विचार नहीं किया गया तो उससे बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। इसके अलावा हमारे यहां जो छोटी-छोटी यूनिट्स लगी थीं, उनमें से कुछ कन्फर्मिंग एरियाज में लगी थीं, कुछ नॉन-कन्फर्मिंग एरियाज में लगी थीं—जो यूनिट्स कन्फर्मिंग एरियाज में लगी थीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, फिर उन्हें क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तुरन्त एक समिति बनाकर मामले की समीक्षा करे और सदन में बयान दे कि इन मजदूरों के भविष्य का क्या होगा।

इनको एक बहुत बड़ा फायदा पहुंच रहा है। जो जमीन उनको खाली मिली उसकी आज बहुत बड़ी कीमत है। इससे इन संस्थानों को बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा और मजदूर बेघर हो जाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको तो इम्प्लीमेंट करना ही होगा। दूसरे यह बात भी कोई नहीं चाहेगा कि दिल्ली में प्रदूषण फैले। इसलिए जो एक लाख फैक्टियां दिल्ली में चल रही हैं या जो फैक्टियां छोटे-छोटे घरों में चल रही हैं उनको तो दिल्ली से बाहर भेजना ही पड़ेगा। इसलिए सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, दिल्ली में प्रदूषण भी न फैले और जो लोग फैक्टियों में काम करते हैं वे बेकार भी न हो जाएं। अतः सरकार को कोई टाइम निश्चित करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए।

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय, इस पर कोई स्टेटमेंट देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : हां देंगे।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं औरंगाबाद (बिहार) की उन 100 ग्राम पंचायतों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जिनमें आज अकाल की स्थिति हो गई है। बिहार का नाम इसलिए लिया क्योंकि एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है। बिहार में जो औरंगाबाद है वह पिछड़ा जिला है और हमारे यहां 100 पंचायतों में वर्षा न होने के कारण बिलकुल अकाल पड़ गया है। खेती बिलकुल सूख गई है। धान मर गया है। वहां पर लोग खाने के लिए दाने-दाने को तरस रहे हैं। दाने-दाने को मोहताज हैं। धान रोप दिया, लेकिन पानी नहीं मिला जिसके कारण धान मर गया।

अभी मंत्री जी उड़ीसा के बारे में बहुत चिन्ता व्यक्त कर रहे थे और बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे जिले की 100 पंचायतों में सूखा पड़ गया है। चूंकि ऐसी पंचायतों के लिए, ऐसे गांवों के लिए सरकार की कोई विस्तृत और वृहद् योजना नहीं होता है। इसलिए वे उपेक्षित रह जाते हैं। अतः मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने इस बारे में लिखकर भी दिया है। यहां भी मैं मांग करना चाहता हूं कि उनको अकाल पीड़ित घोषित किया जाए और उनकी मालगुजारी माफ की जाए तथा उन पंचायतों में राहत कार्य चलाए जाएं।

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने क्षेत्र की जो मुख्य समस्या है उसके बारे में सदन के माध्यम से देश का ध्यान आकर्षित कराने का अवसर प्रदान किया है। मेरे यहां भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक निर्णय हुआ है जिसमें तमाम औद्योगिक संस्थान या तो बन्द कर दिए गए हैं या बन्द कराए जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक दूसरा पहलू भी है। जब यह चीज हमारे यहां थोपी जा रही थी तो उस समय यह भी कहा था कि वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में हमारे क्षेत्र को यानी आगरा, फिरोजाबाद, एटा और मथुरा को 24 घंटे बिजली दी जाएगी और सभी संस्थानों को बिना रूकावट के गैस सप्लाई की जाएगी, लेकिन आज तक एक भी कारखाने को गैस की सप्लाई प्रारंभ नहीं हुई है और 24 घंटे बिजली की बात तो छोड़िए, मेरे अपने निवास स्थान, फिरोजाबाद, जहां सर्वाधिक कारखाने हैं, वहां बिना किसी के सहयोग के चलते हैं। बिना विदेशी सहायता के चलते हैं। सरकार ने आज तक कोई सहायता की हो तो बतायें। वहां 24-24 दिन बिजली नहीं आती, 24 घंटे की बात को तो छोड़िये।

मेरा आपके माध्यम से एक नम्र निवेदन है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का यह नियम आदेश लागू करते हैं कि कारखाने बंद हों तो जो दूसरा भाग है कि गैस की सप्लाई नियमित हो और बिजली 24 घंटे आये, वह इसको भी लागू करें क्योंकि जब तक यह लागू नहीं होगा तब तक जो लाखों मजदूर वहां बेरोजगार हो गये हैं उनको थोड़ी बहुत जो आशा बंधी थी, गैस पर आधारित उद्योग के माध्यम से, वह भी पूरी नहीं होगी। मैं यहां पर खड़े होकर एक उदाहरण दे रहा हूं। अकेले फिरोजाबाद में लाखों मजदूर वहां पर बेरोजगार हुए हैं बाकी जो फाउंडरी, साड़ी उद्योग या दूसरे उद्योग हैं, वे तो अलग हैं। इसलिए सरकार तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करे और वहां हर 10-20 किलोमीटर के एरिया में छोटे-छोटे बिजली के स्टेशन स्थापित करे, कारखानों तक गैस अतिशीघ्र पहुंचायें, यह मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है।

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आज की सभी अखबारों में जो न्यूज सुर्खियों में है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं—बिहार का चारा घोटाला। आजकल तो आये दिन अखबारों में घोटालों के अलावा कोई और खबर ही नहीं छपती। राजनीति में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग या उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। कुछ बेनकाब हो चुके हैं और कुछ अभी नकाब ओड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि जो अभी नकाब ओड़े हुए लोग हैं उनको भी बेनकाब करने का काम करें। मेरा एक सुझाव है कि सरकार सी.बी.आई. के द्वारा वर्तमान मंत्रियों, भूतपूर्व मंत्रियों, राज्यपालों तथा जितने भी आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारी हैं, जितने भी न्यायधीश हैं, उनकी सम्पत्ति की जांच कराई जाये कि वे सम्पत्ति कहां से आई है, उसका वे ब्यौरा दें। यह जांच सी.बी.आई. करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं रही है।*... एक भूतपूर्व न्यायाधीश फरा कानून में पकड़े गये हैं। जब न्यायाधीश भ्रष्टाचार से अछूते नहीं रहे, आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारी पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वे इसलिए लिप्त हैं क्योंकि हमारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जब देश का नेता रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार करेगा तो अधिकारियों को हम भ्रष्टाचार से नहीं रोक पायेंगे। यह गंभीर मामला है और इस पर सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकार को भी विचार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सी.बी.आई. के माध्यम से कितने भ्रष्ट नेताओं को बेनकाब कर चुकी है। लेकिन हमारी सरकार ने आज तक एक भी भ्रष्ट मंत्री को नहीं पकड़ा है। एक भी भ्रष्ट अधिकारी को नहीं पकड़ा है। इसका क्या कारण है? क्या देश में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? क्या इस समय भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? इस समय भी भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार क्यों मौन साधे हुए है। हमारे माननीय मंत्री श्री राम विलास पासवान जी यहां बैठे हुए हैं। रेलवे जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। उस विभाग में भी भ्रष्टाचार होगा। वे बतायें कि अभी तक कितने मामले पकड़े गये हैं, कितने अधिकारियों को सजा दी गयी है।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

हमारे जैना ही यहां बैठे हुए हैं। क्या कारण है कि मंत्रियों को अपने विभागों में एक भी अधिकारी भ्रष्ट नजर नहीं आता? क्या वे एक टारगैट फिक्स नहीं कर सकते कि इतने भ्रष्ट अधिकारियों को हम प्रतिदिन पकड़ेंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे?

चूंकि भ्रष्टाचार को दूर करने का संकल्प लेना है इसलिए सबको प्रयास करना होगा। देश की जनता के सामने यह अहम् मुद्दा बन गया है। अब हम लोग खादी पहनकर बाहर निकलते हैं तो लोग ताना कसते हैं कि वह देखो सुखराम जा रहा है। एक समय था जब खादी सम्मान का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन अब उसको इस तरह अपमानित होना पड़ रहा है। इसलिए इस महत्वपूर्ण मामले पर सदन को और सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आप बताएं कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। लोकपाल विधेयक आ रहा है। उसमें भी किसी न्यायाधीश को शामिल नहीं किया जा रहा है। आज जिलों में न्याय बिक रहा है, अमीर लोग खरीद रहे हैं और गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। अकेले सुप्रीम कोर्ट बची है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आपके कुछ शब्द मेरे नोटिस में लाए गए हैं। मैं उनको देखना चाहूंगा।

श्री गंगा चरण राजपूत : मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई उत्तर मिले।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले चार सालों से पाकिस्तान ने किसी भी सिख को जो कश्मीर का रहने वाला है, वीजा नहीं दिया। विशेषकर वहां पर ननकाना साहिब में हमारे सिख तीर्थ यात्री जाते हैं, उसके लिए उन्होंने जब एप्लाई किया तो पाकिस्तान ने यह कहकर कि यह कश्मीर को बिलांग करते हैं और वह एक विवादग्रस्त क्षेत्र है, इसलिए उनको इजाजत नहीं दी। हालांकि पिछले तीस सालों से यहां के लोग बाकायदा ननकाना साहिब जा रहे थे। लेकिन जब से इंसर्जेंसी चालू हुई है, वे किसी भी सिख तीर्थ यात्री को ननकाना साहिब जाने के लिए एलाऊ नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे धार्मिक स्थानों पर हमारे लोगों को विजिट करने की अनुमति नहीं दे रहा है, इस पर केन्द्रीय सरकार क्या सोचती है और क्यों नहीं इसको इंटर्नेशनल फोरम द्वारा हल कराती कि कम से कम जो हमारे सिख तीर्थ यात्री हैं, उनको वहां जाने की अनुमति मिले।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात पर प्रसन्नता है कि यद्यपि हमारे प्रधान मंत्री बहुत व्यस्त हैं, फिर भी उन्होंने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। यही नहीं, उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को 6100 करोड़ रुपये अथवा इसी प्रकार का एक विशेष पैकेज दिया है। हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि हम बराक घाटी से हैं। हमें रेल बजट में हमारे रेल मंत्री द्वारा एक रेल लाइन के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला है।

लेकिन जब हम हाल ही में प्रधान मंत्री से मिले थे, तो मुझे आशा थी वे इसको ठीक करेंगे। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री के एक वक्तव्य ने असम के भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों में काफी अप्रसन्नता और भ्रम के साथ-साथ भय भी, उत्पन्न किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि वह आई.एम.डी.टी. अधिनियम को निरस्त करने जा रहे हैं। आई.एम.डी.टी. अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो न केवल विदेशियों का पता लगाने, उनकी सूची बनाने अथवा उनको देश से बाहर भेजने के संबंध में है, बल्कि यह भारत के वास्तविक नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सुरक्षा कवच भी है जिन्हें पुलिस द्वारा तंग किया जा सकता है।

अपराह्न 3.00 बजे

देश के किसी भी भाग में, यदि कोई विदेशी है तो वह विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत आता है, इस बात को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व आरोप लगाये गये व्यक्ति पर है कि वह विदेशी नहीं है, कि वह भारतीय है। लेकिन आई.एम.डी.टी. अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई आरोप अन्य पक्ष अथवा सरकार द्वारा लाया जाता है, तो यह सिद्ध करना भी उसका कर्तव्य है कि वह व्यक्ति विदेशी है, कि वह 1971 के पश्चात पासपोर्ट के बिना, वीजा के बिना अवैध रूप से भारत में आया है; अथवा यदि वह पासपोर्ट अथवा वीजा से आया था, तो यह कि वह अधिक समय तक ठहर रहा है। इसमें यह भी प्रावधान है कि एक बार अधिकारियों द्वारा इसका पता लगाये जाने के पश्चात उसे उस तारीख से दस वर्ष के लिए मतदाता बनने से वंचित किया जायेगा। तत्पश्चात, उनको राष्ट्रीयता प्रदान की जायेगी बशर्ते कि वे अन्य नियमों के अन्तर्गत सही हों।

अब, मैं प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगाता। उन्हें या तो उनके लोगों द्वारा गलत सूचना दी गई थी अथवा उनकी असम गण परिषद का समर्थन जारी रखने में बहुत रूचि थी, जिस पर ए.ए.एस.यू. का यह दबाव है कि मतदाता सूची सही नहीं है। हर समय, वे गलत मतदाता सूची की सहायता से निर्वाचित होते हैं और वे कहते हैं कि यह गलत मतदाता सूची है, और यह कि इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए और इसमें यह संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन विधायक तथा मंत्री के रूप में बने रहते हैं। यह इसका सर्वाधिक हास्यास्पद भाग है। हम भाषायी तथा धार्मिक अल्प संख्यकों को ऐसी सूचियों तथा विदेशियों के मामले के कारण इतना अधिक तंग होना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी अपने दृष्टिकोण पर पूर्णतया अडिग है कि वर्ष 1971 के पश्चात् आये किसी भी विदेशी को असम में नहीं रहना चाहिए, चाहे वह हिन्दू हो, अथवा मुसलमान। हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन साथ ही हम यह देखने के लिए तैयार नहीं है कि पुलिस अधिकारियों को तंग करने के लिए कोई हथियार दे दिया जाये।

विगत में, जब कोई विदेशियों विषयक अधिनियम नहीं था, कोई आई.एम.डी.टी. अधिनियम नहीं था, तब यहां तक कि भट्टाचार्य, दत्त तथा चौधरी उप नाम वाले असमियों को, जो बंगालियों में भी विद्यमान हैं, भी विदेशी होने का नोटिस दिया गया था। यह एक तथ्य है। मैं वर्ष 1980 से संसद में असम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं श्री राम विलास पासवान से एक अनुरोध करना चाहता हूं जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूचि ली है। यदि प्रशासन अथवा न्यायाधिकरण को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए कोई संशोधन किया जाना है, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। हमारा उस पर दृष्टिकोण खुला है। लेकिन स्वयं अधिनियम को निरस्त करके अथवा कुछ प्रमुख परिवर्तन करके, आई.एम.डी.टी. अधिनियम के महत्व को किसी तरह अपमिश्रित नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि आप इसे लायेंगे, तो इस दल के एक सौ चालीस सदस्य आपके लिए मतदान नहीं करेंगे। हमारी पार्टी की कार्यकारिणी समिति ने निर्णय कर लिया है और हम आपसे अपील करते हैं।

मैं प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं भी मंत्री रहा हूं और मैंने भी यह देखा है कि कई बार अधिकारी मंत्रियों को गलत सूचना देते हैं। अतः, इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी और हम इसे भुलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पर आगे कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। असम में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सेना के अत्याचारों के संबंध में समाचार पत्रों में आरोप हैं। लेकिन आतंकवादियों की गतिविधियों को अवश्य रोका जाना चाहिए। हाल ही में, श्री आडवानी जी भी असम में थे। इन दोनों मुद्दों पर, उनका और कांग्रेस पार्टी के भिन्न विचार हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि तंग किए जाने को अवश्य बन्द किया जाना चाहिए 'अल्फा' उग्रवादियों का पता लगाने के नाम पर, आपको देश के निर्दोष लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। यह हो रहा है और इसे अवश्य रोका जाना चाहिए। मैं श्री पासवान से अनुरोध करता हूं कि वह गृह मंत्री के साथ चर्चा करें, जिनको कभी-कभी इसके सिर-पैर का भी पता नहीं होता। उन्होंने कल ही कहा था कि इसे निरस्त किया जायेगा और अगले दिन ...**(व्यवधान)** वह प्रधान मंत्री के साथ थे। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं। उन्हें पूर्वोत्तर की जानकारी है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को इससे अवगत नहीं कराया है...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं श्री संतोष मोहन देव के विचारों का समर्थन करता हूं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा को फिर प्रारम्भ कर रहे हैं। श्री के.एस.आर. मूर्ति खड़े थे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कहिए, क्या कहना है?

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : हमारी पार्टी का व्यू भी आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिए। आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री बनवारी लाल पुरोहित : जितने भी फॉरेनर्स हैं, वे आज भी रह रहे हैं, जहां तक उनको निकालने का सवाल है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है, यह वोट की राजनीति है। उनको निकालना चाहिए। यहां पर प्रश्न उनको निकालने का है। प्रधान मंत्री जी ने वहां पर कहा है। ... **(व्यवधान)** हमारी पार्टी का व्यू भी आना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने जो वहां पर घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं। जो कानून है, ...**(व्यवधान)** इस राष्ट्र में फॉरेनर्स की परिभाषा क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : इस राष्ट्र में फॉरेनर्स की परिभाषा क्या है?...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपकी बात हो गई।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : नहीं, नहीं, बात नहीं सुनी। फॉरेनर्स की डेफिनिशन यह है कि जो लोग बंगलादेश से या पाकिस्तान से यहां आए हैं, वे फॉरेनर्स हैं। इस देश में जो रहने वाले हैं, फॉरेनर्स नहीं हैं। हम उनके विरोध में नहीं हैं, परन्तु जो बांगलादेशी यहां पर आए हैं, उनको निकालना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यही उन्होंने कहा है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उसमें राष्ट्र का प्रश्न है। हम किसी को मिस गाइड नहीं कर रहे हैं। इसमें किसी के भी दो मत नहीं हो सकते, इसलिए हमारी स्पष्ट भूमिका है कि जो भी विदेशी हैं, उनको निकालना चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : यह एक गम्भीर चूक है। इसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। ....**(व्यवधान)** यह सदन आई.एम.डी.टी. अधिनियम को निरस्त करने के नितान्त विरूद्ध है। इस ई.एम.डी.टी. अधिनियम को कभी निरस्त नहीं किया जाना चाहिए जिसे एक विशेष विचार से लाया गया था ...**(व्यवधान)** कृपया मुझे कुछ कहने की अनुमति प्रदान कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : भारत की भूमि पर एक भी विदेशी नहीं रह सकता, उनको निकालना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपकी बात हो गई। आपने अपनी बात कह ली। अब आप और क्या कहना चाहते हैं?

लेफ्टिनेट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) **:** हम लोग सिम्पल बात कह रहे हैं। जो बंगलादेश के फॉरेनर्स हैं, जो हकीकत है, जो स्थिति है, जो कि इतनी अधिक संख्या में यहां पर आ गए हैं। ...**(व्यवधान)** हम चाहते हैं कि जो कानून है, उसको क्रियान्वित किया जाए।

अपराह्न 3.06 बजे

(कर्नल राव राम सिंह पीठासीन हुए।)

बंगला देश के जो फॉरेनर्स हैं, वे बहुत तेजी से यहां आ रहे हैं। मेहरबानी करके उनका आना बंद कीजिए, यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) **:** महोदय, कृपया मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : क्या आप इस विषय पर ही बोलना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : नहीं, मैं भूतपूर्व सैनिकों के विषय पर बोलना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने की अनुमति पहले ही दे दी है। मुझे प्रसन्नता है कि आपके जैसा भूतपूर्व सैनिक गोताखोर है ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री राजेश पायलट, मुझे खेद है कि एस। ।।इ विषय आज की कार्यसूची में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने की अनुमति पहले ही दे दी है।

सभापति महोदय : आप कितने समय तक बोलेंगे?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह भूतपूर्व सैनिकों का विषय है। अतः, एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में यदि आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं तो मैं, न नहीं कह सकता हूं।

श्री राजेश पायलट : महोदय, 1971 में जब हमारे देश पर पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था, तो हमारे अनेक सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ठीक एक हफ्ता पहले मैं एक गांव में था, तो मुझे वास्तव में यह अनुभव हुआ है कि लोग उस बलिदान को भूल गए हैं जो उन्होंने 1971 में देश के भूभाग और अखंडता की रक्षा करने में किया था। सभा के नेता श्री राम विलास पासवान यहां मौजूद हैं। हमने उस वर्ष 14 और 17 दिसम्बर के बीच पाकिस्तानी आक्रमण का सामना किया था। उनके बलिदान को बनाए रखने के लिए हम कुछ कर सकते हैं जैसे एक डाक टिकट जारी करना। हम मुख्यमंत्रियों से भी अनुरोध कर सकते हैं कि वे उन लोगों के लिए नागरिक अभिनंदन का आयोजन करें ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके जो वास्तव में देश के लिए लड़े ऐसा जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा और राज्य स्तर पर मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्रियों द्वारा किया जा सकता है जिससे उनके बलिदान को याद किया जा सके।

सभापति महोदय : मेरे विचार से सरकार श्री पायलट के प्रस्ताव पर विचार करना चाहेगी क्योंकि वस्तुतः भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के हमने जो कुछ भी किया है, वह पर्याप्त नहीं है।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : जी, हां।

अपराह्न 3.10 बजे

आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति—ब्यौरा

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : महोदय, मैं 17 से 21 दिसम्बर, 1996 तक आन्ध्र प्रदेश में हुई भारी वर्षा और बाढ़ के बारे में यह पूरक वक्तव्य देना चाहता हूं।

15 अक्टूबर, 1996 को दक्षिण-पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना था। 16 अक्टूबर, 1996 को यह निम्न दबाव का क्षेत्र और भी तेज हो गया और यह 18 अक्टूबर, 1996 तक समुद्र के ऊपर मौजूद था। 19 अक्टूबर, 1996 को यह अन्दर के भू-भाग की तरफ बढ़ा और पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए रायलसीमा और समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर बढ़ गया। 21 अक्तूबर, 1996 को यह निम्न दबाव धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया। 17 अक्टूबर 1996 से 21 अक्टूबर, 1996 के दौरान राज्य में पूरे दक्षिण तटवर्ती क्षेत्र और आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिलों में व्यापक और भारी से बहुत भारी वर्षा हुई।

भारी वर्षा से आन्ध्र प्रदेश के प्रभावित ग्यारह जिलों में मानव जीवन, पशुधन की अत्यधिक क्षति हुई और सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तियों को काफी नुकसान हुआ। सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं प्रकाशम, कुडापा, नेल्लोर, चित्तूर, अनंतपुर और कूरनूल, इन छः दिनों में इन प्रभावित जिलों में 100-317 मि.मी. तक वर्षा हुई। भारी नुकसान और तेज बाढ़ से कई गांव डूब गए। कई मझौले और लघु सिंचाई स्रोतों में दरारें पड़ गईं और वे क्षतिग्रस्त हो गए। इसका क्रमिक प्रभाव पड़ा और मझौले तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं जैसे क्यूडपा में लोअर सगिलेरू परियोजना और प्रकाशम जिले में रालपाडु और मोपाडु जलाशय में बड़ी दरारें पड़ गईं। वर्षा से नेल्लूर और ओनगोले के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 और नेल्लूर और ओनगोले के बीच तथा विजयवाड़ा और मद्रास के बीच कुछ अन्य स्थानों पर रेल लाइन को भारी क्षति पहुंची। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जिला प्रशासन ने निचले स्थानों में रह रहे 1,37, 314 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उन्हें 174 सहायता शिविरों में ठहराने में तुरंत कार्यवाही की है। प्रभावित जिलों में चिकित्सा और अर्द्ध-चिकित्सा दलों को तैनात किया गया। दो भारतीय वायु सेना के हैलीकॉप्टर, 10 सेना की नावें, बड़ी संख्या में देशी नावें और मोटरयान भी बचाव और सहायता के लिए लगाए गये जिसमें जलमग्न गांवों में पीड़ितों को खाने के पैकेट और पीने का पानी देना भी शामिल है। राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों में कुल 338 लोगों की मौतों की सूचना दी है।

प्रधान मंत्री ने 21 अक्टूबर, 1996 को प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया और जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे उपायों की समीक्षा की। आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ थे। प्रधानमंत्री ने तत्काल सहायता और पुनर्वास उपायों को करने के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की घोषणा की। इसमें से 23.285 करोड़ रुपया 1.1.1997 को देय आपदा राहत कोष का केन्द्र के अंश के चौथी किस्त के रूप में था लेकिन जिसे पहले ही 22.10.1996 को जारी कर दिया था और शेष 26.715 करोड़ रुपया अर्थोपाय अग्रिम के कारण दिया गया।

मैंने स्वयं 30 अक्टूबर, 1996 को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। मैंने प्रभावित लोगों की दयनीय दशा को देखा है और राज्य सरकार को सभी सम्भव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

राज्य सरकार ने अक्टूबर, 1996 के अन्त में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें 550.63 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है। 28-30 अक्टूबर, 1996 को तत्काल एक केन्द्रीय दल राज्य में भेजा गया था। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। मेरी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा सहायता समिति की बैठक 18 नवम्बर, 1996 को हुई थी। इस मुद्दे पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया कि चूंकि राज्य को निधियां पहले ही जारी कर दी गई हैं और आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय कोष से अतिरिक्त सहायता के मुद्दे पर 6-7 नवम्बर, 1996 के समुद्री तूफान के बाद राज्य को उपलब्ध कराये जाने वाले सहायता के पैकेज के साथ-साथ विचार किया जायेगा।

मुझे इतना ही कहना है।

अपराह्न 3.15 बजे

अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम को निरस्त करने के प्रश्न के बारे में

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, प्रधानमंत्री यहां पर उपस्थित हैं। जैसा कि कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है, उन्हें कुछ कहना चाहिए क्योंकि वे यहां पर उपस्थित हैं। यदि वे बोलने के इच्छुक नहीं हैं, तो मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। यह उन पर निर्भर करता है।

सभापति महोदय : यदि प्रधानमंत्री बोलना चाहते हैं तो उनका स्वागत है अन्यथा सभा की अनुमति से हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू करते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, प्रधानमंत्री बोलना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा).: महोदय, आपकी अनुमति से मैं जहां तक असम के अवैध प्रवासी (अधिकारणों द्वारा अवधारण) अधिनियम का संबंध है, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। आप और सम्पूर्ण सभा जानती है कि मैंने साढ़े छः दिन सभी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया था। मेरे दौरे के दौरान, मैंने समाज के सभी वर्गों से मिलने का प्रयास किया जिनमें राजनीतिक दलों के नेता, गैर-सरकारी संगठनों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और छात्र संघ शामिल हैं। इसी तरह, पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के दौरान मैंने लोगों के सभी वर्गों के साथ मिलने का प्रयास किया।

श्री राजेश पायलट : क्या आप किसानों से मिले?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : असम में यह मांग थी कि इस अधिनियम को निरस्त किया जाए। लगभग सभी राजनीतिक दल जिसमें सत्तारूढ़ दल भी हैं, इसे निरस्त करना चाहते हैं। लेकिन जमाइते-इस्लाम ने अन्त में मुझसे अनुरोध किया कि खासतौर पर इस अधिनियम के बारे में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। मैंने उन्हें बताया कि वर्तमान संदर्भ में जब तक सभी दल सहयोग नहीं करते तो मेरे लिए किसी भी अधिनियम को निरस्त करना वास्तव में मुश्किल होगा और उन्हें भी सभा के संघटन के बारे में मालूम है और सरकार सभी दलों के सहयोग के साथ इस पर विचार करेगी।

महोदय, यह मुद्दा पत्रकारों ने प्रेस संवाददाता सम्मेलन में उठाया था। अधिकांश लोग इस अधिनियम को निरस्त करना चाहते हैं क्योंकि इस अधिनियम से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। यह मुख्य विवादग्रस्त विषयों में से एक है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विदेशियों का पता लगाने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित किया गया है।

मैं इस अधिनियम के प्रभावों जैसे ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। हालांकि उन्होंने 3.78 लाख लोगों की विदेशियों के रूप में पहचान की है। आखिरकार, न्यायाधिकरण ने लगभग 1000 लोगों को बंगलादेश वापस भेजने का आदेश पारित किया, इस तरह बातचीत का यही कुल परिणाम है।

मैं अब इसके गुणावगुणों में नहीं पड़ना चाहता लेकिन इस मुद्दे पर कुछ विवाद है। जब तक मैं पूरी सभा को विश्वास में नहीं ले लेता, तब तक अभी इस अधिनियम को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 3.18 बजे

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति—जारी

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, सभा की अनुमति से, हम नियम 193 के अधीन पुनः चर्चा शुरू करेंगे। मेरे विचार से, श्री के.एस. आर. मूर्ति बोल रहे थे और इसलिए, वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री के.एस.आर. मूर्ति (अमलापुरम) : सभापति महोदय, हम प्रधान मंत्री के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने इस आपदा पर चर्चा के दौरान उपस्थित रहने की अपनी मंजूरी दे दी है। हमारे देश के इतिहास में इतनी बड़ी आपदा कभी नहीं आई। हम लोग तो खासतौर पर खुश हैं क्योंकि प्रेस में परस्पर विरोधी खबरें छप रही हैं कि प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के बीच सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है और इन दो पदाधिकारीयों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को वजह से आंध्र प्रदेश राज्य को परेशानी उठानी पड़ सकती है।

महोदय, मैं अमलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हूं जहां सात में से छः विधान सभा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री ने अमलापुरम का दौरा किया तो मुझे यह जानकारी नहीं दी गई थी कि प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। जब माननीय कृषि मंत्री ने वहां का दौरा किया तो भी मुझे नहीं बताया गया। यह तो शिष्टाचार की बात है कि जब भी कभी कोई मंत्री अथवा प्रधान मंत्री किसी संसद सदस्य के क्षेत्र का दौरान करते हैं तो उस संसद सदस्य को इसके बारे में बताया जाना चाहिए। यहां तक कि यदि अंतिम मौके पर कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन के बारे में भी माननीय सदस्य को, चाहे वह नहीं भी हो, बताया जाना चाहिए।

जहां तक मौसम विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका का संबंध है, उन्होंने तूफान के 60 से 70 किमी. प्रति घंटे की गति का पूर्वानुमान लगाया था जबकि वास्तविक गति 220 किमी. प्रति घंटा थी। यदि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर 220 किमी. प्रति घंटा की गति का पूर्वानुमान बताया गया होता और यह संकेत दिया गया होता कि अनेक मकान ढह सकते हैं, अनेक पेड़ गिर सकते हैं तो लोगों ने स्वयं ही ऐहतियाती उपाय किये होते और ऐसे स्थानों पर शरण ले ली होती जहां वे आवश्यक समझते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

माननीय गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी। अमरीका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। हम सभी जानते हैं कि 1977 में इसी तरह की एक आपदा डिविसीमा (अमरीका) में घटित हुई थी जिसमें करीब 10,000 लोग मर गए थे। अमरीकी और अमरीका में रह रहे भारतीयों ने उपग्रह के जरिए देखा था कि वहां पर क्या हुआ था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी भारत सरकार के पास वह प्रौद्योगिकी नहीं है जो ऐसे तूफानों की गति के बारे में पूर्वानुमान बता सके, जो समुद्री तूफान और तूफानी हवाओं के बारे में स्थिति को दूरदर्शन पर दिखा सके। हम अमरीका में देखते हैं कि किस तरह से समुद्री तूफान एक एक मिनट पर चलते हैं। जब अमलापुरम में यह घटना हो रही थी तो दूरदर्शन एक दिवसीय क्रिकेट मैच का प्रसारण कर रहा था। इससे पता चलता है कि इन लोगों के जीवन की रक्षा करने में हम कितनी रूचि लेते हैं।

इस सबके बाद मैं वहां हुई मौतों के बारे में अवश्य बोलना चाहूंगा। सरकार ने कहा है कि 971 लोगों के मरने तथा 925 लोगों के लापता होने की खबर है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि यह संख्या 2,000 से भी काफी ज्यादा हो सकती है। क्षेत्र के चारों ओर फैले

उन आरक्षित वनों में खोज करने की कोई कोशिश नहीं की गई है जहां मछुआरे रहते थे। मछुआरों का कहना है कि अनेक शव अभी भी इन आरक्षित वनों में पड़े होंगे जिन तक सरकार की पहुंच नहीं है। यहां तक कि 10 दिनों के बाद भी एक मछुआरा अमलापुरम से तैरता हुआ मद्रास में पहुंचा था। वह समुद्र में पूरे आठ दिनों तक तैरता रहा था और नेवी के जहाजों अथवा अन्य विमान भी उसे देख नहीं पाये।

तट रक्षक के विमान भी कोई संकेत दे सकते थे। यदि वे समुद्र में गए होते तो वे सभी मछुआरों को जो वहां थे, बिना रेडियो सुविधा के ढूंढ सकते थे। वे उन्हें चेतावनी दे सकते थे और कह सकते थे चूंकि क्योंकि समुद्री तूफान आने वाला है और आप लोगों की जान का खतरा है। इसलिए वापिस किनारे पर चले आओ।

पहुंचाई गई राहत की मात्रा ठीक-ठाक है। लेकिन इसका काफी राजनीतिकरण हुआ है। अनेक लोग कहते हैं कि उनका संबंध किसी विशेष राजनैतिक दल से है; हालांकि उनके घर ढह गये हैं फिर भी उन्हें गणना में शामिल नहीं किया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। राहत कार्य शुरू होने के पहले ही हमें सर्व-दलीय समितियों का गठन कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया। जिला स्तरीय समितियों, मण्डल स्तरीय समितियों और ग्राम स्तर की समितियों का गठन राहत कार्य शुरू होने के पहले ही कर देना चाहिए। जब हम प्रधान मंत्री से मिले थे तो उन्होंने भी सहमति जताई थी कि ऐसी सभी समितियों का गठन किया जाना चाहिए। मैं आपके विचारार्थ यह सुझाव देना चाहूंगा कि पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए भी, जिसमें 2,000 करोड़ रु. की भारी राशि लगेगी, स्थानीय मंत्री अर्थात् जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति होनी चाहिए। इसमें सभी पार्टी के विधायकों, संसद सदस्यों और नेताओं को शामिल कीजिए ताकि वे एक दिशा दे सकें। जिला प्रशासन पर भी निर्माण कार्यक्रम की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक इस तरह के अनेक आरोपों-प्रत्यारोपों की संभावना है कि यह काम समुचित ढंग से नहीं किया गया है।

मैं आपको अवश्य बता दूं कि इस देश में आज भी किसी भी राज्य के पास ऐसे विनाश का वैज्ञानिक प्रबन्ध नहीं है। आपके कलेक्टर प्रशिक्षित नहीं होते। आपके मण्डल राजस्व अधिकारी प्रशिक्षित नहीं होते। आपके राजनीतिज्ञ प्रशिक्षित नहीं होते। इन सभी लोगों के लिए इस संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। जब कोई विपत्ति की घड़ी आए तो उस समय सही अंक प्राप्त करने अनिवार्य होने चाहिए। इन मानदण्डों का पालन इन सभी लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक रेडियो सेट धरा का धरा रह जायगा। पुलिस वायरलेस प्रणाली इस समुद्री तूफान के कारण पूर्णतया निरर्थक हो चुकी है। हमें इस प्रणाली में सुधार करने के लिए सोचना होगा।

महोदय, जहां तक आपदा राहत कोष का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे मुख्यमंत्री का कहना है कि 164 करोड़ रूपए की धनराशि, जो दसवें वित्त आयोग द्वारा आवंटित की गई है, खर्च की जा चुकी है और उनका अनुमान है कि नुकसान 6,000 करोड़ रु. का हुआ होगा और वह 2,000 करोड़ रु. के संवितरण की मांग कर रहे हैं।

महोदय, आपने इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सहृदयता का परिचय दिया। लेकिन इसका तात्पर्य क्या हुआ? जहां तक मैं समझता हूं, राष्ट्रीय आपदा का मतलब होता है कि प्रभावित राज्य का खर्चा राष्ट्र को अवश्य उठाना चाहिए। हम इसे लेकर कोई विवाद नहीं खड़ा कर रहे हैं कि उड़ीसा में कोई राष्ट्रीय आपदा नहीं है। उड़ीसा में जो हुआ वह भी एक राष्ट्रीय आपदा है। मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि जब भी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति आए, भारत सरकार को इस बात का बिना ख्याल किए कि राज्य में कितना संसाधन उपलब्ध है, समूचे राज्य का आर्थिक बोझ उठाने की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। यदि संसाधन भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है तो हमें समस्या से निपटने के लिए साधन और जरिया तलाश करना चाहिए। लेकिन कृपया स्थिति की गंभीरता को कम मत आंकिए। यह एक राष्ट्रीय आपदा है और मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे पूरी गंभीरता से लें और देखें कि हम इस स्थिति से कैसे निपट सकते हैं। हो सकता है दसवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदाओं के लिए धन देने हेतु कतिपय नियम निर्धारित किए हों लेकिन उन नियमों को संशोधित करने का अधिकार आपके ही हाथ में है। आपको नियमों में संशोधन अवश्य करने चाहिए। आपको इस बात का ख्याल किए बिना कि दसवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा की रूपरेखा के बारे में क्या कहा है, यह परिभाषित करना चाहिए कि राष्ट्रीय आपदा क्या है।

हमें वहां बार-बार जाना चाहिए ताकि लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति निश्चित रूप से हो सके। हमें गैर-सरकारी संगठनों को आने की पूरी छूट देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राहत कार्य बहुत ही पक्के तरीके से हो।

महोदय, जहां तक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों का मसला है, मैं कहना चाहूंगा कि समुद्री तूफान से तकरीबन साढ़े छः लाख मकान प्रभावित हुए हैं—इनमें से 50 प्रतिशत पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 50 प्रतिशत को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। हो सकता है आप इस तथ्य को अभी न समझ पाएं लेकिन यदि आप उन दो जिलों में घूमें तब आपको पता चलेगा कि आपदा ने उन पर क्या कहर बरपाया है। यहां तक कि बंगलौर टाइल्स से बने पक्के मकान भी ढह गए हैं। आप छप्पर से बने मकानों की वास्तविक स्थिति का सही अन्दाजा लगा सकते हैं। अनुमान है कि 96 करोड़ रु. की हानि हुई है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 3,000 करोड़ रु. रखे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया उस राशि में से 1,000 करोड़ रु. इस कार्यक्रम के लिए राज्य को दिए जाएं। हमारा सुझाव है कि 22,500 रु. की राशि उन लोगों को दी जाये जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 10,000 रु. की धनराशि उन्हें दी जाय जिनके मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। यह कार्य करने के लिए कुल 1042 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। महोदय, गैर-सरकारी संगठनों को बड़े पैमाने पर आने की अनुमति दी

जानी चाहिए। कृपया सोचें कि हम अपने कार्यक्रम के लिए धन कैसे जुटा सकते हैं।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी मकान बनाये जायें, इन दो जिलों में ही नहीं बल्कि समस्त तट पर, वे आर.सी.सी. छत के होने चाहिए। बंगलौर टाइल्स का कोई मकान नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके ऐसे समुद्री तूफानों में गिर जाने की संभावना है। सभी मकान आर.सी.सी. स्लैब के होने चाहिए अथवा वे समुद्री तूफान का सामना नहीं कर पायेंगे।

हम यह सुझाव दे रहे हैं कि हमें विश्व बैंक के पास जाना चाहिए। यह अच्छा विचार है। यदि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत समस्त कार्यक्रमों को नहीं लिया जा सकता, तो नहर, पुल, सड़क, नाले तथा मकान जैसे अवसंरचनात्मक आदानों को उनकी सहायता से प्रारम्भ किया जा सकता है।

महोदय, कृषि को अत्यधिक क्षति हुई है। धान की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई है। इसे कुछ ही दिनों में काटा जाना था। यह फसल समाप्त हो गई है। इससे लगभग 396 करोड़ रुपये की हानि हुई है। महोदय, सरकार कृषकों को 625 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान कर रही है। यह पर्याप्त नहीं है। हम यह सिफारिश करते हैं कि इसे बढ़ाकर 1500 रुपये अथवा उसके लगभग किया जाना चाहिए। फसल बीमा की योजना बहुत पुरानी है। इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षति का आंकलन करने के लिए तीन मंडलों को लिया जाता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि गांव को यूनिट के रूप में किया जाना चाहिए ताकि सभी किसानों और उनकी फसलों का इसके अन्तर्गत लाया जा सके। महोदय, हम फसल कटाई के प्रयोग को 16 से घटा कर 4 करने का अनुरोध करते हैं। हम आपसे सभी 260 फसल कटाई के प्रयोगों को अनदेखी करने का अनुरोध करते हैं जो समुद्री तूफान से पूर्व किए जा चुके हैं। कृपया 10000 से कम के सभी ऋणों को माफ किया जाये। किसान बहुत गरीब हैं। वे इस आपदा को सहन नहीं कर पायेंगे, जब तक कि हम उनको यह रियासत नहीं देंगे। उन्हें जो भी ऋण हम दें, वे उन्हें रियायती ब्याज दर पर दिए जाने चाहिए।

महोदय, समस्त पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिले की अर्थ-व्यवस्था नारियल पर निर्भर है। वहां सभी नारियल के पेड़ नष्ट हो गये हैं।

उनमें से कुछ पूर्णतया उखड़ गये हैं; उनमें से कुछ ने अपने ऊपरी भाग को खो दिया है जहां नारियल लगते हैं। इससे लगभग 300 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। हमें उन्हें नये पौधे प्रदान करने चाहिए। हमें उनको गिरे हुए वृक्षों को हटाने में उनकी मदद करनी चाहिए। संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में, गिरे हुए वृक्षों को हटाने में उनकी सहायता करने के लिए सरकार ने पहले ही 230 रुपये प्रति वृक्ष प्रदान करने की घोषणा की है। यहां भी इसी तरह की सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अन्य बागवानी फसलों के लिए भी काफी सहायता की आवश्यकता है।

नारियल के पड़े लगाने की तीन श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी एक बहुत छोटे व्यक्ति की है जिसके पास पांच या छः वृक्ष हैं। उन्हें प्रति पौधा 2000 रुपये प्रदान किए जाने चाहिए जैसा कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपनी रिग में आग लगने के समय किया गया था। दूसरी श्रेणी उन किसानों की है जिनके पास कुछ एकड़ जमीन है। यदि आप उनको 15000 रुपए ऋण के रूप में तथा 5000 रुपये राजसहायता प्रदान करें, तो वे इस स्थिति पर काबू पा सकेंगे। भारत सरकार के अधीन एक नारियल विकास बोर्ड है जिसमें आन्ध्र प्रदेश से कोई प्रतिनिधि नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वे प्रतिनिधि कहां से हैं।

काफी संख्या में पशु खो गये हैं। मुर्गीफार्म पूर्णतया नष्ट हो गये हैं। बुनकर तथा मछुआरे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मछुआरों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। उन्हें नई नाव तथा नए जाल दिए जाने चाहिए। बुनकरों को नये करघा तथा धागे दिए जाने चाहिए। भारत सरकार के अन्तर्गत ऐसी योजनाएं हैं जिनको इन दो वर्गों के लोगों के साथ समन्वित किया जा सकता है जिनके द्वारा वे एक सुखी जीवन जी सकेंगे। कारीगरों, तथा लघु दस्तकारों को बैंक ऋण दिए जाने की आवश्यकता है। नाबार्ड तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को बड़े स्तर पर लाना चाहिए। जहां तक भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों के निर्धारणों का संबंध है, आन्ध्र प्रदेश सरकार जो रियायत चाहती थी, उन्हें पूर्णतया स्वीकार किया जाना चाहिए।

बिजली इन लोगों से अभी काफी दूर है। इन गांवों में 95 प्रतिशत के पास कोई विद्युत आपूर्ति नहीं है। इन गांवों में 95 प्रतिशत टेलीफोन एक्सचेंज कार्य नहीं कर रहे हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि इन सुविधाओं को बहाल करने के लिए तुरन्त कुछ किया जाना चाहिए। पंचायती राज विभाग को काफी क्षति हुई है। सड़कें और नाले बह गये हैं। विद्युत आपूर्ति की कमी के कारण जल-आपूर्ति की कमी के कारण जल-आपूर्ति प्रणाली रुक गई है। जब तक जनरेटर्स [illegible] नहीं किए जायेंगे, तब तक उस क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल सकेगा। इस विशेष क्षेत्र में खारा पानी है। छः लाख लोगों को पीने के पानी के अभाव में खारा पानी पीना पड़ता है। जब तक उनकी देखभाल के लिए कोई परियोजना नहीं बनायी जायेगी, तब तक इन लोगों को अधिक लाभ नहीं होगा। सिंचाई को क्षति हुई है; सड़कों को क्षति हुई है; जन स्वास्थ्य को क्षति हुई है; और जीवन के [illegible] की क्षति हुई है।

मैं सदन और सभापति से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष संसद सदस्यों का एक सर्वदलीय दल वहां देखने और स्थिति का आंकलन करने के लिए ले जायें। मैं सभी संसद सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे समुद्री तूफान राहत कार्य के लिए अपने एक माह के वेतन का अंशदान दें। मैं इस सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि अनुमानित 6000 करोड़ रुपये की क्षति के लिए 2000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता की आवश्यकता है। यदि कोई आशंका है, तो भारत सरकार को वहां जाकर स्थिति की सत्यता को जांच करना

चाहिए। क्षति अकल्पनीय है। ऐसी बात हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं हुई।

***श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी (खम्माम)** : माननीय सभापति महोदय, तटीय आन्ध्र प्रदेश के लोगों के लिए 6 नवम्बर की रात सर्वनाश की रात थी। तेलगु माता, जो एक भंयकर तथा खौफनाक समुद्री तूफान से घिरी हुई थी, की दर्द, वेदना तथा व्यथा की पुकार थी। सहायता और अपने भूखे पुत्रों के लिए, जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, भोजन के टुकड़े के लिए अनुरोध, देश में सभी द्वारा सुना गया था। देश ने उस अनुरोध का उत्तर दिया था जो समुद्री तूफान में फंसे लोगों ने किया था। लेकिन, महोदय, आन्ध्र प्रदेश में लोगों को शक है कि क्या संकट की घड़ी में उनकी इस पुकार को केन्द्र सरकार और विशेषकर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उचित रूप से सुना गया अथवा नहीं। राज्य में एक धारणा है कि जब राज्य को इतनी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा, तो उस समय केन्द्र सरकार ने पर्याप्त रूप से उस पर कार्यवाही नहीं की। अब तक जो कुछ भी सहायता घोषित की गई है वह केवल शब्दों का हेर-फेर प्रतीत होता है। सही अर्थों में सहायता कहीं भी देखने को नहीं मिलती, यहां तक कि सरकार के वक्तव्यों में भी नहीं, पहले प्रदान की गई वास्तविक सहायता की बात छोड़िए। जिस भावना के साथ इस आपदा को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। वह सरकार की ओर से दिए गये वक्तव्यों में पूर्णतया शामिल नहीं है। अब तक घोषणा की गई धनराशि में वह भावना प्रतिबिंबित नहीं होती।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक घोषित की गई सहायता का बहुत कम भाग अनुदान के रूप में है, शेष या तो ऋण के रूप में है अथवा अग्रिम के रूप में है। यहां तक कि राज्य सरकार ने भी यह टिप्पणी की है कि केन्द्र सरकार द्वारा अबतक घोषित की गई केन्द्रीय सहायता अधिकांशतया ऋणों तथा अग्रिमों तक सीमित है और यह केवल आंकड़ों का हेर-फेर है। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की ओर से दिए गये वक्तव्यों से लोगों के दिमाग में आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं जो पहले ही काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। लोग अब इन वक्तव्यों के कारण अधिक चिंतित हैं और यह धारणा बना रहे हैं कि आवश्यकता की इस घड़ी में उनकी सहायता करने के लिए केन्द्र में कोई नहीं है। लोगों को संयुक्त मोर्चा सरकार से बहुत उम्मीदें थीं। सभी सोचते थे कि वर्तमान सरकार के अधीन, राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से पूरा सहायोग तथा सहायता मिलेगी। राज्यों को सुदृढ बनाने तथा संघीय ढांचे को सुदृढ करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक अधिकार दिए जायेंगे, राज्यों को प्रत्येक क्षेत्र में मजबूत और सक्षम बनाने के लिए उपाय किए जायेंगे, तथा राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करके राज्य-केन्द्र संबंधों को मजबूत करने के लिए सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए उपाय किये जायेंगे। देश में प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा से प्रसन्न हुआ था कि न्यूनतम कार्यक्रम के भाग के रूप में देश में 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि में गरीबों को पक्के मकान प्रदान किए जायेंगे तथा देश के प्रत्येक भाषण में पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा।

इस पृष्ठभुमि में अब लोग यह सोचने लगे हैं कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई घोषणाओं की बात तो छोड़िए भले ही जनता परेशान हो अथवा किसी संकट का सामना कर रही हो तब भी सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती।

इसके अतिरिक्त कुछ वक्तव्य ऐसे हैं जिनके संबंध में यह दावा किया जा रहा है कि वे माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा दिए गए हैं, इससे राज्य के लोगों के दिमाग में अधिक भ्रम पैदा हो रहा है। महोदय, यह एक व्यक्तित्व का दूसरा व्यक्तित्व से टकराने का समय नहीं है और न ही यह आदर्शों की टक्कर का समय है। यह समय है जबकि हमें एक साथ मिलकर कार्य करना है। यह समय है, जबकि सरकार से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह दलगत नीतियों और छोटे-छोटे झगड़ों से ऊपर उठकर उन लोगों की पर्याप्त सहायता करें जिन्होंने हाल ही में आई आपदा में अपना सब कुछ खो दिया है। यह हमारे दल का निर्णय है।

महोदय, हाल ही में आई इस आपदा में आन्ध्र प्रदेश को भारी हानि हुई है। एक सप्ताह पहले आए तूफान ने राज्य के समूचे तटीय क्षेत्र को तबाह कर दिया था। इससे पहले आए चक्रवात के कारण पहले ही इतना नुकसान हो चुका था। अक्तूबर में आए चक्रवात में नौ जिले प्रभावित हुए थे। पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी, गुंटूर, प्रकाशम्, नैल्लोर, कुरनूल, अनन्तपुर, कुडप्पा और चित्तूर जिले उस चक्रवात में बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। राज्य सरकार इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के संबंध में केन्द्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। शायद इतना काफी नहीं था, कि पुनः 6 नवम्बर को 8 बजे राज्य में तूफान आया जो कि 7 तारीख सुबह 1 बजे तक चलता रहा। इन दुर्भाग्यपूर्ण पांच घंटों में तूफान ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। कुछ भी नहीं बचा। इस तूफान, जिसकी गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ने 70 लाख की जनसंख्या वाले 50 किलोमीटर क्षेत्र को बुरी तरह से तबाह कर दिया। अभी हमने सुना है कि सभा में इस बात पर चर्चा की जा रही थी कि यह चक्रवात था अथवा हवा के दबाव में कमी आई थी अथवा तूफान था। विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंघा हो जाती है तब यह चक्रवात होता है। लेकिन इसकी गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा थी अतः इसे तूफान कहा गया। चाहे वह कुछ भी हो हमें इतने भारी नुकसान पर गंभीरतापूर्वक विचार करना है जिसमें 971 व्यक्ति मारे गए और 927 व्यक्ति लापता हैं। यह आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि मारे गए तथा लापता लोगों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। 6,47,000 घर पूर्ण रूप से तहस-नहस हो गए। 4 हेक्टेयर भूमि पर धान की खड़ी फसल और 1.43 लाख हेक्टेयर भूमि पर व्यावसायिक फसलें बह गई। 20,000 पशु मर गए। 2.20 लाख पक्षियों के मरने से मुर्गीपालन के व्यवसाय

*मूलतः तेलुगु में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में भी हानि हुई। 2438 मत्स्य फार्म पूरी तरह से तहस-नहस हो गए, 6505 मत्स्य नावें नहीं मिल रही हैं। हजारों मछुआरे अपने जीवन निर्वाह के लिए इन मत्स्य नावों पर निर्भर करते हैं। अब उनकी नावें खो जाने के कारण वे बेरोजगार हो गये हैं। इसके अतिरिक्त 4321 छोटी-छोटी नावें भी गुम हो गई हैं। राज्य सरकार इस त्रासदी के शिकार लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। राहत कार्य जोरों पर है। यह सच है कि इस बचाव तथा राहत कार्य को कार्यान्वित करने में निम्न स्तर पर कुछ अनियमितताएं हो रही हैं। राज्य सरकार राहत तथा पुनर्वास कार्य को ईमानदारी से करने के लिए वचनबद्ध है। अनेक गैर-सरकारी संगठन भी राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं ताकि पीड़ित व्यक्तियों को कुछ राहत दी जा सके। अनेक राज्य सरकारें विशेष रूप से केरल तथा पश्चिम बंगाल ने सराहनीय कार्य किया है और उदारतापूर्वक धन प्रदान किया है।

महोदय, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे दल के माननीय सदस्यों ने पीड़ितों की सहायता के लिए अपने एक महीने का वेतन दिया है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इतने बड़े संकट से उबरने के लिए उच्च स्तर अर्थात केन्द्र सरकार को भी आगे आना चाहिए। जिन लोगों ने इस आपदा में अपना सब कुछ खो दिया है, उन लोगों की मदद करने तथा उनका बचाव करने की बजाय प्रधानमंत्री ने अनुमानित हानि के आंकड़ों की प्रमाणिकता के प्रति अपनी शंका व्यक्त की है। समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी दी है कि हानि तथा नुकसान के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महोदय, हाल ही में तेलुगु दैनिक में एक कार्टून प्रकाशित किया गया था। कार्टून में प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक चपरासी प्रधानमंत्री से कह रहा है कि उन्हें नारियल के पेड़ों की संख्या के बारे में शंका नहीं करनी चाहिए चूंकि उनके हवाई सर्वेक्षण के दौरान जब उनका हवाई जहाज प्रभावित क्षेत्र से गुजर रहा था तो वे गहरी निद्रा में सो रहे थे। यह एक कार्टून हो सकता है। लेकिन राज्य के लोग इसे गलैती से सच समझ सकते हैं। यह कोई शुभ संकेत नहीं है। इसलिए अब माननीय प्रधानमंत्री को पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि जब विभिन्न दलों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल सहित अनेक प्रतिनिधिमंडलों ने उन्हें स्थिति का जायजा लेने के लिए बुलाया तथा उनसे केन्द्रीय सहायता की मांग की, तब माननीय प्रधानमंत्री ने वहां हुई कुल हानि के बारे में शंका व्यक्त की थी बुलाया था। केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए हानि के आंकड़ों पर शंका करने का कोई आधार नहीं है। हानि का अनुमान लगाने के लिए राज्य में केन्द्रीय दल नियुक्त नहीं किया गया था। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर शंका करने का कोई आधार नहीं है। इसी तरह यह खबर भी है कि कृषि मंत्री कहा ने यह कहा है कि उड़ीसा की स्थिति चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश की स्थिति से अधिक गंभीर है। उनके द्वारा यह कहे जाने की सूचना मिली है कि उड़ीसा में आन्ध्र प्रदेश से अधिक नुकसान हुआ है। मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता कि किस राज्य को अधिक नुकसान हुआ है। मै इस बात को अवश्य मानता हूं कि उड़ीसा की स्थिति अधिक न सही लेकिन समान रूप से चिन्ताजनक है। जैसा कि कुछ समय पहले माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है कि इसे भी प्राकृतिक आपदा माना जाना चाहिए। हमें वह सभी कदम उठाने हैं जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्र के लोंगों की सहायता करने के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि आज सुबह भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने अनुरोध किया है कि सम्बन्धित विभागों द्वारा उड़ीसा में प्रभावित लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करना चाहिए। हम इस मांग का समर्थन करते हैं कि केन्द्र सरकार को इस उद्देश्य से आवश्यक धनराशि जारी करनी चाहिए। इसी तरह आप आन्ध्र प्रदेश की वर्तमान स्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन उस समय जबकि इस बात जबकि इस बात में विवाद हो कि केन्द्र सरकार धनराशि के आबंटन में आन्ध्र प्रदेश की उपेक्षा कर रही थी और राज्य से सौतेला व्यवहार कर रही है, ऐसे समय में कृषि द्वारा इस तरह की टिप्पणी देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे तेलुगु लोंगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इससे तेलुगु लोगों में छिपी हुई आशंकाओं की पुष्टि होती है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार के हितों की अवहेलना करती रही है, धन-राशि के आबंटन में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अलामत्ती समेत सभी मामलों में प्रधानमंत्री राज्य के बारे में चिन्तित नहीं हैं, उनके चन्द्र बाबु नायडू के साथ कोई सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं हैं। यही कारण है जिनकी वजह से अब लोग महसूस करते हैं कि राज्य की इस गंभीर समस्या से निपटने हेतु केन्द्र सरकार कोई व्यापक सहायता नहीं प्रदान कर रही है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय कृषि मंत्री ने आंन्ध्र और उड़ीसा में विद्यमान हालातों का तुलनात्मक वक्तव्य दिया है। इस वक्तव्य विशेष ने भी आंन्ध्र में स्थिति को ओर बिगड़ने में सहायता की है। अतः, केन्द्र सरकार को तुरन्त एक वक्तव्य देना चाहिए जिसमें स्पष्ट तौर पर नुकसान का ब्यौरा और इसके द्वारा दी जाने वाली संभावित सहायता का जिक्र किया गया हो। वक्तव्य में विशिष्ट तौर पर सहायता के बारे में कहा गया है जिससे कि लोगों के मन में शंकाए दूर हों और आन्ध्र में भूकम्प से प्रभावित लोगों को सांत्वना की बात कही गई हो। समाचारों में यह बात भी आ रही है कि सहायता देने में नियम आड़े आ रहे हैं। नियम लोगों की सेवा के लिए होते हैं। यदि लोगों की सेवा में नियम आड़े आते हों तो नियमों में या तो संशोधन किया जाए या उन्हें खत्म किया जाए। लेकिन नियमों के नाम लोगों को परेशानी में नहीं डाला जा सकता है। यह घोषणा करने के बाद भी, कि आंध्र में हाल का भूकम्प राष्ट्रीय आपदा था, यह हैरानी का विषय है कि नियम प्रभावित क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता की इजाजत नहीं देते हैं। महोदय, जब स्वर्गीय श्री तंगुतुरी प्रकाशन पंतुलु मुख्य मंत्री थे, वे एक गांव में गए। उस गांव के लोगों ने एक सड़क की मांग की। मुख्य मंत्री ने साथ गए अधिकारियों को गांव के लोगों की मांग के अनुसार सड़क के निर्माण हेतु कदम उठाने की हिदायत दी। अधिकारियों ने उनसे कहा कि कानून सड़क के निर्माण की इजाज़त नहीं देते हैं। मुख्य मंत्री ने अधिकारियों को कहा

कि "हमें लोगों ने चुना है और हमें लोगों की सेवा करनी है। यदि लोगों की सेवा करने में नियम आड़े आते हैं, तो कृपया ऐसे नियमों को त्याग दीजिए। यदि आवश्यकता हो तो नियमों को बदल दीजिए लोगों की आवश्यकताओं को नहीं।" अब केन्द्र सरकार के कार्यकरण में वह भावना लुप्त है। जब केन्द्र सरकार ऐसे नियमों का उल्लेख करती है जो पर्याप्त सहायता की इजाजत नहीं देते हैं, तो क्या वह ऐसे लोगों की सहायता की मंशा से बात कर रही है जोकि प्राकृतिक आपदा से पूर्णतः बर्बाद हो चुके हैं? अथवा नियमों के नाम पर केन्द्र सरकार जरूरतमंद लोगों को सहायता हेतु अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहती है।

सभापति महोदय : श्री वीरभद्रम, क्या आप बात समाप्त करेंगे?

श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी : कृपया दो मिनट और।

सभापति महोदय : कई अन्य वक्ता अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं।

श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी : अपनी पार्टी की ओर से मैं एकमात्र वक्ता हूं। मैं दो या तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से स्थिति को स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं। इसे स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए जिसमें राज्य को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा हो। यदि नियम आड़े आते हैं, तो ऐसे आपत्तिजनक नियमों को त्यागने के प्रयास किए जाने चाहिए। एक बात जो मैं इस सम्माननीय सभा तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि वहां पर नियमों के बारे में हम जो भी कहते हों, लेकिन अपने ऐसे अनपढ़, भूख से पीड़ित कृषि श्रमिकों से नियमों और विनियमों, कानूनों और अपने संविधान की बात करना कोई मायने नहीं रखता जो सारा दिन अपनी जीविका कमाने में लगे रहते हैं और सर्वोपरि वे लोग ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण निरंतर पीड़ित रहे हैं। यदि आप उन्हें नियमों के बारे में कहेंगे तो वे आपको नियमों को बदलने के लिए कहेंगे। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए पक्के घरों का निर्माण, न्यूनतम सांझा कार्यक्रम का एक विषय है। यदि तूफान के कारण 6.47 लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं और वे घरों के निर्माण का आग्रह करते हैं तथा जब न्यूनतम सांझा कार्यक्रम ऐसे लोगों के लिए घरों के निर्माण की बात करता है तो हम उनके घरों के पुनर्निर्माण में नियमों का उल्लेख करके अपनी असमर्थतता व्यक्त नहीं कर सकते हैं तथा चुपचाप नहीं रह सकते हैं। आखिरकार, किस नियम के अंतर्गत हमने अपने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में कैसे शामिल किया था? अतः अब ऐसे नियमों में संशोधन करने का समय आ गया है। हमें ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए जो कष्टदायी स्थिति में हैं। इसके लिए यदि आवश्यक हुआ तो हमें नियमों को भी समाप्त कर देना चाहिए। अब ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व बैंक भी हमारी मदद करने का इच्छुक है। केन्द्र सरकार के सक्रिय सहयोग के बिना विश्व बैंक से कोई भी सहायता प्राप्त करना बहुत कठिन है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सभा में राज्य के नुकसान, राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य के लिए वांछित सहायता तथा इस वृहत कार्य में राज्य सरकार को देने वाली सहायता की सभी तथ्यों और आंकड़ों के साथ घोषणा करें। इसके अलावा, केन्द्र सरकार विश्व बैंक जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता के लिए भी मदद करे। उसे नारियल विकास बोर्ड जैसी विभिन्न ऐजेंसियों के प्रयासों में भी तालमेल करवाना चाहिए। नारियल विकास बोर्ड पौध और अन्य वस्तुएं निशुल्क दे सकता है जिससे बागवानी कृषकों को सहायता मिल सकती है। इसी प्रकार, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अन्य एजेंसियों से भी सहायता ली जा सकती है। चूंकि यह राष्ट्रीय आपदा है तथा यदि हमें नियम एक सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं देते हैं तो उन हालातों में माननीय प्रधानमंत्री को राज्यों को राजी करने के लिए कदम उठाने की शुरूआत करनी चाहिए तथा अपने स्वयं के प्रभाव से तथा सरकार के प्रभाव से गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों से राज्य की सहायता हेतु तथा इसके लोगों को विद्यमान संकट पर काबू पाने के लिए वांछित सहायता के स्तर को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।

महोदय, आपका धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपराह्न 4.00 बजे राज्य सभा जाना है। अतः वे इस समय हस्तक्षेप करना चाहते हैं।

डा. एम. जगन्नाथ (नागरकुरनूल) : महोदय, उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रधानमंत्री जी के लिए राज्य सभा के सदस्यों की बात भी सुनना उतना ही जरूरी है। वे पिछले 45 मिनट से यहां पर हैं। अपराह्न चार बजे उन्हें राज्य सभा जाना है अतः वे हस्तक्षेप करना चाहते हैं...**(व्यवधान)** अब हमारे पास लगभग एक घण्टे का समय बचा हुआ है और मैं हर एक सदस्य को बोलने का अवसर देने का प्रयत्न करूंगा।

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से केवल एक बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। जहां तक इस विशेष मुद्दे के जवाब का संबंध है, मैं स्वयं इसका जवाब दूंगा। माननीय कृषि मंत्री पहले ही एक वक्तव्य दे चुके हैं और यदि वह इसमें और कुछ जोड़ना चाहेंगे, तो उनको इसकी छूट है। लेकिन हमने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है, इन सब बातों का जवाब वाद-विवाद समाप्त होने के बाद मैं स्वयं दूंगा।

मैं केवल इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम हाल ही में आए तूफान से हुई क्षति के परिमाण का अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ विवाद है परन्तु मैं इस विवाद का अंग नहीं बनना चाहता। इस सन्दर्भ में कई शिष्ट मण्डलों ने मुझसे भेंट

की है। मैंने स्वयं हवाई सर्वेक्षण किया है और मैं इस समय सभी बातों का विवरण नहीं देना चाहता। उत्तर के दौरान सम्पूर्ण स्थिति के बारे में अपने मूल्यांकन को रखूंगा।

एक शिष्टमण्डल ने मुझे बताया है कि लगभग 15,000 करोड़ रुपयों की क्षति हुई है, सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें 6000 करोड़ रुपये के लगभग की क्षति दर्शायी गई है। एक अन्य शिष्ट मण्डल ने मुझे बताया है कि क्षति लगभग 8500 करोड़ रुपयों की है। अतः अपनी राय के अनुसार उन्होंने क्षति को 15,000 करोड़ रुपये अथवा 8000 करोड़ रुपये आंका होगा। सरकार ने अपनी राय के अनुसार क्षति को लगभग 6,000 करोड़ रुपये बताया है। मैंने एक शिष्ट मण्डल से केवल इतना ही कहा कि सरकारी दल भी वहां जा रहा है। वहां से लौटकर यह दल अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद, क्षति के परिमाण के बारे में मैं अपने ठीक-ठीक विचार रख सकूंगा।

कृपया, ये बात ध्यान में रखिए कि इस संबंध में हर एक के अपने विचार हैं। मैं इस समय कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वहां पचास लाख नारियल के पेड़ गिर गए हैं। एक अनुमान के अनुसार दोनों जिलों के साठ लाख नारियल के पेड़ हैं और इनमें से सभी पेड़ गिर गए हैं। मैं हर एक बगीचे में नहीं गया...**(व्यवधान)**

(तभी डा. एम. जगन्नाथ कुछ कहने के लिए उठे)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : श्री जगन्नाथ जी, कृपया एक मिनट ठहरिए। उसके बाद आप बोल सकते हैं। मैंने केवल इतना ही कहा है कि हर एक दल ने क्षति के बारे में अपना-अपना मूल्यांकन लगाया है। एक दल ने इसका 15,000 करोड़ रु. का मूल्यांकन किया है। वह दल वहां गया और एक बयान जारी किया कि प्रधान मंत्री को आंध्र प्रदेश में हुई क्षति की कोई फिक्र नहीं है। एक दूसरा दल मेरे पास आया था। सभी यही कहते हैं कि इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन कहना एक अलग बात है और करना दूसरी बात। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस सरकार को उतनी ही चिन्ता होनी चाहिए। जहां तक वास्तविक क्षति का सम्बन्ध है, जब तक सरकारी रिपोर्ट नहीं आ जाती, मैं कुछ नहीं सकता। मैं शाम को चर्चा का उत्तर देने जा रहा हूं और तब मैं सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही के बारे में बताऊंगा...**(व्यवधान)**

श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था (अनन्तपुर) : केन्द्र और राज्य सरकार के बीच तकरार चल रही है। राज्य-सरकार केन्द्र सरकार पर दोष लगा रही है और केन्द्र सरकार जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रही है...**(व्यवधान)**

श्री एच.डी. देवेगौड़ा . जी नहीं, मैं वह कहने नहीं जा रहा। मैंने 'दल' कहा है। तीन दल मेरे पास आए हैं। एक टीम ने 15,000 करोड़ रुपए की बात की है, दूसरी टीम ने 8,500 करोड़ रुपए की बात की है और सरकार की रिपोर्ट 6,000 करोड़ रुपए की है। अतः मुझे सरकारी दल पर निर्भर होना पड़ा। सरकारी दल पूरे प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने जा रही है और वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत ... आपको प्रतीक्षा करनी होगी...**(व्यवधान)**

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : राजनीतिक दलों ने आप पर आरोप लगाया है कि आपको तूफान से प्रभावित लोगों की कोई चिन्ता नहीं है। यह आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री थे जिन्होंने केन्द्र पर अड़ियल और असहयोगी रवैये का आरोप लगाया है...**(व्यवधान)**

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : श्री उपेन्द्र जी, मैं सब समझता हूं कि राजनीति कौन कर रहे हैं। कृपया मामले को और आगे मत बढ़ाइए।

मैंने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जिसने 15,000 करोड़ रु. की बात कही है। मैंने उसका नाम नहीं लिया जिसने 8,500 करोड़ रु. की बात कही है। मैंने केवल 'शिष्टमण्डल' की बात कही है। मैंने "कांग्रेस, तेलुगू देशम अथवा दूसरी तेलुगू देशम" का नाम नहीं लिया है। मैं किसी पार्टी अथवा पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता। मैंने केवल यह कहा है कि टीमें अथवा शिष्टमण्डल मुझसे मिले और वही बात कही जो उन्होंने अपने-अपने ज्ञापनों में कही है। मैं तो केवल बातों को उन सदन की जानकारी में लाया हूं।

डा. एम. जगन्नाथ : सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश में आए समुद्री तूफान पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस समुद्री तूफान को भयंकर चक्रवात कहना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार जब हवाएं 220 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हों तो उन्हें चक्रवात मानना होगा।

मैं सभी राजनैतिक दलों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दलगत भावनाओं से उठकर हमारी मदद की। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए धन का आबंटन करने में उदारता का परिचय देगी।

समुद्री तूफान आंध्र प्रदेश जिसका समुद्र तटीय क्षेत्र 1,000 किमी. है, की एक विशेषता है। अभी विनाशकारी समुद्री तूफान ने मुश्किल से एक पखवाड़े पहले आंध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले के तटीय पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी के क्षेत्रों को तहस-नहस किया था और अब राज्य प्रशासन तूफान से हुई भीषण तबाही के उस वृहत आयाम पर अपना शिकंजा कसने के लिए भरसक कोशिशें कर रहा है जो किसी भी मायने में मुश्किल से तुलनीय है। जहां तक उसकी विशेषताओं जैसे हवा का वेग और घातक क्षमता का संबंध है, 1977 के भयावह प्रकरण के बाद 6 नवम्बर का प्राकृतिक प्रकोप ही याद आता है। हालांकि मरने वालों की संख्या सरकारी तौर पर 900 बताई जाती है लेकिन हकीकत यह है कि इसमें हजार से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसके अतिरिक्त ऐसे 2,000 मछुआरों के भी मारे जाने की आशंका व्यक्त की गई थी जिन्हें समुद्री तूफान की ज्वारीय जल तरंगें बंगाल की घाटी में बहा ले गई थीं।

पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में 648474 मकान, जिसमें छप्पर से बने मकान भी थे, ढह गए। पशुधन का भी काफी भारी नुकसान हुआ तथा फसलें पूर्णरूपेण नष्ट हो गई और पानी में बह गईं। 3,36,000 हेक्टेयर धान की खेती नष्ट हो गई; 4,4000 हेक्टेयर गन्ना नष्ट हो गया; 350 करोड़ रु. की नारियल की फसल और नकदी की फसल तबाह हो गयी। रेल सेवाएं, सड़क यातायात, विद्युत आपूर्ति और संचार व्यवस्था इन दो तटीय जिलों में पूरी तरह से पंगु पड़ गई है। सत्तर लाख लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, 1385 गांव प्रभावित हुए हैं। केन्द्र सरकार की सहायता बहुत मामूली है क्योंकि नुकसान 6,000 करोड; रु. से अधिक का लगता है।

जबकि लोग एक ओर समुद्री तूफान के कहर का मुकाबला करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे थे-जिसके आने की संभावना मध्य रात्रि के आस पास व्यक्त की गई थी—उसने सांय, 6:00 बजे ही पहुंचकर सबाके हतप्रभ कर दिया। बड़े पैमाने पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाने के कारण दोनों जिले गहरे अंधकार में डूब गए। यहां तक कि जब लोगों की छतें उखड़ रही थीं तो लोगों ने उड़ जाने के डर से बाहर आने का जोखिम नहीं उठाया।

गोदावरी नदी का कोन आकृति वाला मुहाना, कोनासीमा में दो जिले पूर्व और पश्चिम गोदावरी आते हैं। इन क्षेत्रों को राज्य का सबसे अधिक धान पैदा होता है। इन्हें ही सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा। यह क्षेत्र, जो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक खूबसूरत क्षेत्रों में से एक है, जल मग्न हो गया तथा कब्रिस्तान में बदल गया था।

प्राथमिक प्राक्कलनों के अनुसार, मृतकों के अतिरिक्त, हजारों लोगों, कुछेक के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका थी। सीमेंट की चद्दरें, जो छतों का काम करती थीं, झंझावात में उड़ गयीं तथा बिजली और टेलीफोन के तार भी उखड़ गए। रावुलापालम में एक माइक्रोवेव टावर जिसे 200 किमी. प्रति घंटे की गति वाली हवाओं को झेलने की योजना के साथ लगाया था, हवा की रफ्तार से ढह गया। इससे झंझावात की शक्ति का पता चलता है। बताया गया है कि लगभग 6,505 नावें, जिनमें कुछ यंत्रीकृत भी थीं; जिन पर प्रत्येक में दो अथवा तीन मछुआरे सवार थे, लापता हैं।

चक्रवात में चलने वाली हवाओं की ज्वारीय तरंगें दो मीटर ऊंची थीं तथा इन तरंगों ने तटीय गांवों को झकझोर कर रख दिया जिससे पाइलान्स (इस्पाती मीनार) भी गिर गए। बिजली के बड़े-बड़े यंत्र समुद्री तूफान में ढह गए जिससे पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों में बड़े पैमाने पर बिजली कट गई।

दसवें वित्त आयोग द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए 124 करोड़ रु. की आपदा राहत राशि निर्धारित की गई थी लेकिन सूखे और समुद्री तूफान की मार के सामने यह राशि बहुत ही कम है।

सभापति महोदय : डा. जगन्नाथ, मैं आपसे बहुत आदरपूर्वक कहूंगा कि किसी चर्चा में भाषण सामान्यतया पढ़ा नहीं जाता। आप अपनी बातें भाषण से लेकर उन पर बोल सकते हैं।

डा. एम. जगन्नाथ : हानि के इतने बड़े विकराल स्वरूप को देखते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह निम्नलिखित कदम उठाए :

1. राष्ट्रीय आपदा कोष से अतिरिक्त अनुदान।
2. (क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों; (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों; और (ग) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों से एक दिन का वेतन।
3. विद्युत क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रु. की ऋण सहायता और मौजूदा ऋणों का पुनर्निर्धारण।
4. प्रधान मंत्री राहत कोष से 50 करोड़ रु. की एक-मुश्त धनराशि।
5. आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चौबीस लाख टन चावल - इसे खरीदारी से न जोड़ा जाए।
6. भारतीय खाद्य निगम द्वारा छूट के आधार पर धान की खरीद के लिए धान खरीद केन्द्र खोलना।
7. नारियल के पेड़ फिर से लगाने के लिए परियोजना शुरू करना। पेड़ों को हटाने के लिए अतिरिक्त धनराशि देना और नई पौध लगाने के लिए बैंक ऋण देना।
8. सड़कों की मरम्मत के लिए धन देना, 18 करोड़ रु. राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु, और 21 करोड़ रु. राज्य सड़कों और भवनों के लिए।
9. परिवार कल्याण के अन्तर्गत भारत सरकार से 48 करोड़ की देनदारियां शेष हैं; जिन्हें जारी किया जाना चाहिए।
10. ग्रामीण सड़कों के लिए निधियों की स्वीकृति (55 करोड़ रु.)।
11. ई.ए.एस. के लिए अतिरिक्त धन।
12. ग्रामीण जल योजना के लिए अतिरिक्त धन।
13. आवास निर्माण : विश्व बैंक की सहायता से 'साइक्लोन हाउसिंग प्रोजेक्ट' (350 करोड़ रु. का परिव्यय); इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत कम-से-कम एक लाख मकानों को बनाने की मंजूरी; और जीवन बीमा निगम तथा 'हुडको' से ऋणों का पुनर्निर्धारण।
14. आर.ए.डी.एफ.- 'नाबार्ड' से सहायता।
15. 150 करोड़ रु. ऋण के रूप में।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व में इस सभा के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किए गये थे।

अपराह्न 4.00 बजे,

(श्री वसुदेव आचार्य पीठासीन हुए)

यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1977 के समुद्री तूफान की तरह सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए होते, तो मरने वालों की संख्या दस हजार से अधिक होती। जैसे ही आने वाले संकट की पूर्व सूचना दी गई, राज्य सरकार ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। खतरे वाले क्षेत्रों में जिला प्रशासन को सचेत किया गया था। पूर्वी नौसेना कमान्ड, विशाखापत्तनम और वायु सेना केन्द्र, बेगमपेट में चेतावनी दे दी गई थी। रेल तथा राज्य परिवहन अधिकारियों को भी यातायात को नियमित करने के बारे में चेतावनी दी गई थी। प्रभावित क्षेत्रों तथा राज्य मुख्यालयों के बीच बेतार संचार नेटवर्क की स्थापना की गई थी। संवदेनशील क्षेत्रों में वहां के लोगों को चेतावनी दी गई थी। कुल 1,90,995 लोगों को वहां से हटाकर लगभग 600 राहत कैम्पों में रखा गया था। लेकिन प्रकृति के प्रकोप के आगे ये सभी प्रयास कम पड़ गये थे। समुद्री तूफान ने पांच अथवा छः बार अपनी दिशा में परिवर्तन किया और विभिन्न दिशाओं में गया, जिससे लोग आश्चर्यचकित रह गये। अतः, इन परिस्थितियों में, मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन में लगाये गये आरोपों से पूर्णतया असहमत हूं। यदि राज्य सरकार ने पर्याप्त सावधानी उपाय नहीं किए होते हो, मरने वालों की संख्या वर्ष 1977 के समुद्री तूफान की तरह काफी अधिक हुई होती।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के लिए हमें उदारतापूर्वक निधियां प्रदान करे।

7, नवम्बर, 1996 को माननीय मुख्य मंत्री भी वहां थे। उन्होंने कई सचिवों, जो राहत कार्यों की निगरानी कर रहे थे, तथा मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा विधायकों के एक दल के साथ एक लघु सचिवालय स्थापित किया है। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

अपराह्न 4.01 बजे

श्री बी. धर्मभिक्षम (नालगोंडा) : जनाबे सदर साहेब, आंध्र प्रदेश में इस बार जो समुद्री तूफान आया, वह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 1953, 1967 और 1977 में भी इस तरह का तूफान आया था और काफी नुकसान उस राज्य को उठाना पड़ा था। 1977 के हादसे के समय मैं हाजिर था। ईस्ट-वैस्ट गोदावरी, गुंटूर, अनंतपुर, कृष्णा आदि में हमारे पार्टी के महासचिव सुधाकर रेड्डी और राज्य के विधायकों के साथ मैं भी वहां गया था। हमें मालूम हुआ कि पहली बार इस विभीषिका को सुनने के साथ ही मौके पर जायजा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री वहां गए। हमारे राज्य के मुख्य मंत्री ने भी वहां हालात का जायजा लिया और कई इलाकों का बार-बार दौरा किया। इन जिलों में हुई विभीषिका को समझने के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अचम्भित रह गई। लेकिन अससमेंट करने में इन दोनों में अंतर रहा। इससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आंकड़ों में अगर कहीं कोई अंतर है तो वे राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं। राज्य सरकार के ऊपर केन्द्रीय मंत्रियों की नुक्ताचीनी आने से इस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है; जिससे लगता है केन्द्रीय सरकार हमारे साथ नहीं है।

मैं अपने राज्य में आए इस समुद्री तूफान से हुए नुकसान के बार में कुछ कहना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश के 12 जिले समुद्र के किनारे हैं जो तीन बार वहां साइक्लोन आया, उस समय रायलसीमा के कई जिले प्रभावित हुए हैं। इन जिलों को बराबर नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1977 में उस वक्त के मंत्री ने इस हादसे से निपटने के लिए साहिल के साथ-साथ पक्की दीवार बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उस पर आज तक कोई अमल नहीं किया गया।

मैं वहां पर रहने वाले मछुआरों के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर समुद्र के किनारे हजारों की तादाद में मछुआरे रहते हैं। उनकी आधी जिंदगी समुद्र में गुजरती है। ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। इन हालात से निपटने के लिए अगर वहां पर शेल्टर्स बना दिए जाते जो जैसे ही समुद्र का पानी इन गांवों में आता, वे लोग इनमें शरण लेकर अपनी जान बचा सकते थे। एक जिले में बहुत पुराना शेल्टर बना हुआ है, वह कभी भी गिर सकता है और जान-माल का नुकसान हो सकता है। काकीनाडा शहर के अंदर समुद्र का पानी आ जाने से आधा शहर जलमग्न हो गया। साहिल के पास रहने वाले मछुआरों की तादाद हजारों में है। वह इलाका आज एक स्लम बनता जा रहा है। उन लोगों की सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं है। मरने वालों में अधिकतर ये मछुआरे ही हैं। हम वहां साहिल के पास एक गांव बलसू में गए। वहां हमें पता चला कि 750 लोग इसी गांव के मारे गए। यहां पर मछुआरों को भारी नुकसान हुआ है। उनके मकान बह गए, उनको रहने की कोई जगह नहीं है। उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। जबकि उन्हीं की वजह से समुद्री पैदावार से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का फायदा होता है। राज्य सरकार और ठेकेदार उनसे करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन कोई भी उनके लिए पक्के मकान और शेल्टर बनाने के लिए तैयार नहीं है। जो मछुआरे साहिल के साथ-साथ रहते हैं, उनके लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने के साथ-साथ पक्के मकान बनाने की भी योजना तैयार होनी चाहिए।

यहां पर प्राकृतिक आपदा के नाम पर बहस हो रही है। केन्द्रीय सरकार वहां हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसा खर्च करे। जब यह होगा तो हमें विदेशों से भी मदद मिल सकेगी। इस तरीके से हम इस विभीषिका से निपट सकते हैं।

उस इलाके में हजारों की तादाद में लोग बसते हैं, उनके तमाम बाग खत्म हो गए हैं और उनके घर बर्बाद हो गए हैं। अभी उनके रहने का भी ठिकाना नहीं रहा है और नारियल की खेती करने वाले किसान बिलकुल 20 साल तक वहां नहीं रह सकते और कोई काम नहीं कर सकते। समुद्री पानी के बहाव ने उनको बर्बाद कर दिया है। इस संबंध में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस कैलेमिटी के बारे में कहा है, परन्तु इसके तहत उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मैंने उस इलाके का दौरा किया और मुझे वहां पर केन्द्रीय सरकार का कोई भी अधिकारी नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से केन्द्रीय सरकार को वहां पर मिलिट्री अथवा ऐसे ही किन्हीं दूसरे कर्मियों को भेजना चाहिए था। ऐसे ही बस हेलीकोप्टर से दौरा किया और तुरंत अपना काम निपटा दिया। मेरे ख्याल से हालात को नजरअंदाज किया गया है। केन्द्रीय सरकार को अपनी मशीनरी को तुरंत भेजना चाहिए तथा तुरंत फंड्स रिलीज करने चाहिए। ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा भीख जैसे खर्च कर रहे हैं, मदद करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इस वास्ते केन्द्र सरकार को इस दिशा में विचार करना चाहिए और राज्य सरकार के नुमाइंदों से बातचीत करनी चाहिए। केन्द्र और राज्य के विचारों में जो मतभेद हैं, उनको हल करने की कोशिश की जानी चाहिए और राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों मिलकर इस काम को करें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ तथा सम्मानीय सहयोगी, इस सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य, कामरेड, इन्द्रजीत गुप्त को यहां पाकर इस दुःखद चर्चा में भाग ले रहा हूं। मेरा हस्तक्षेप बहुत थोड़ा होगा। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि, इस सरकार के बहुत वरिष्ठ सदस्य के नाते, यद्यपि संबद्ध मंत्री यहां नहीं है, वे मेरे अनुरोध पर प्रतिक्रिया करें और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर उचित रूप से ध्यान दें।

प्राकृतिक आपदायें किसी के करने से नहीं आती हैं। हमारी कठिनाई प्राकृतिक आपदाओं के होने से नहीं है, वह सामूहिक आपदा है। शायद वह स्वयं यह सुझाव देते हैं कि वे हमारे नियन्त्रण से परे है।...**(व्यवधान)** जब प्राकृतिक आपदायें मनुष्य कृत संकट में बदल जाती है तब ही यह सदन कार्य करना और अपने उत्तरदायित्व की भावना प्रदर्शित करता है। दो समुद्री तूफानों के इस विशेष मामले में— चाहे आप इसे वास्तव में एक समुद्री तूफान कहें, यह शब्द विज्ञान का प्रयोग करना है, शब्दों का प्रयोग है—बहुत शीघ्र उत्तरोत्तर आन्ध्र प्रदेश में दो बहुत प्रमुख आपदाएं घटित हुई।

यह सभा इस बात की जांच नहीं कर रहा है कि राज्य सरकार ने क्या किया अथवा क्या नहीं किया और उन्होंने जो किया वह पर्याप्त था अथवा नहीं। हमारी चिन्ता केन्द्रीय सरकार की भूमिका, कार्य तथा कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व तक सीमित है। उसकी जांच करते हुए, मैं पहले आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा था, जिसके दल के सदस्य हैं जो अब इस सरकार के सदस्य हैं, उससे पहले उद्धृत करूंगा। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने, प्राकृतिक आपदा के पश्चात् नहीं, बल्कि जो वे मुख्यमंत्री के रूप में कर सकते थे, वह करने के पश्चात दिल्ली आने और सरकार से मिलने के पश्चात्, जिसको वे स्वयं तथा उनका दल समर्थन दे रहे हैं, उस संघीय सरकार के प्रयासों को देखकर उन्होंने यह कहा था। मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं। मैं ठीक शब्द उद्धृत करने में गलती कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी सच्चाई में शक नहीं है, मुख्य मंत्री ने कहा था :

> "आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने जो अपर्याप्त दृष्टिकोण दिखाया है, वह संघीय ढांचे में व्याप्त असंतुलनों को उजागर करता है।"

मैं इन दो पहलुओं पर बोलना चाहता हूं। पहला 'अपर्याप्त दृष्टिकोण' तथा दूसरा 'प्राकृतिक आपदा' जिसको हमने बाद में मानव सृजित आपदा में बदल दिया, के संबंध में संघीय ढांचे में असन्तुलन' है। दूसरी बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जो आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहीं है। ये टिप्पणियां सरकार की बहुत कड़ी आलोचना है जिसको उसका अपना दल समर्थन कर रहा है।

श्री पी. उपेन्द्र : हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : वे केवल समर्थन नहीं कर रहे हैं, वे इसमें शामिल है। आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसमें शामिल नहीं है।

इस आपदा को देखते हुए आप स्वयं इसे एक आपदा कहते हैं, और जब आप यह कहते हैं कि इसका जिस ढंग से हमने सामना किया उससे हमने इसे मानव सृजित आपदा बना दिया है - को देखते हुए मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आप इसमें शामिल है अथवा आप बाहर से समर्थन दे रहे हैं, दोष बराबर है। निःसंदेह एक आपदा है। यदि अब भी आप इसे एक आपदा नहीं मानते तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आपने यह चर्चा क्यों प्रारम्भ की। दूसरी बात जो इसके कार्यकरण पर और अधिक तीखी टिप्पणी है, वह यह है :

> "केन्द्र सरकार का कठोर तथा असहयोगी दृष्टिकोण प्रभावित लोगों तथा संबद्ध राज्य सरकार की सहायता के लिए इसकी इच्छा, योग्यता तथा तत्परता के बारे में प्रश्न उठाती है।"

ये सामान्य - कथन नहीं है। ये सरकार की तत्परता, योग्यता तथा सक्षमता के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाने वाले व्यक्तव्य है। ये शीघ्र उत्तरोत्तर में आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में आई दो प्रमुख आपदाओं को देखते हुए दिए गये हैं।

इसमें कौन-कौन से पक्ष शामिल है? मेरे सहयोगी ने पहले ही उनका संदर्भ दिया है। पहला पहलु आपदा की समय पर चेतावनी के संबंध में है, महोदय मैं यह जानता हूं कि, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में बहुत पहले किए गये प्रयासों से प्रारम्भ करते हुए - और माननीय पूर्व

लोकसभा अध्यक्ष भी यहां है, जिन्होंने यह विभाग भी संभाला था - हमने काफी प्रतिभा लगायी थी और काफी प्रतिभावान भारतीय अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा पूर्व चेतावनी प्रणालियों में कार्य कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जहां तक जानकारी के उस पक्ष का संबंध है, भारत विश्व में किसी से भी कम नहीं है। अतिरिक्त ट्रांसपोन्डर उपलब्ध हैं, मौसम संबंधी आंकडे अंतरिक्ष में समय-समय पर प्रक्षेपित अन्तरिक्षयानों द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। भारत, भारतीय वैज्ञानिक तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में पूर्व चेतावनियां एकत्रित कर सकता है।

इसलिए, वह प्रश्न जो मंत्री महोदय के वक्तव्य कि हम दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा अन्य माध्यमों से यह प्रसारण करते हैं कि एक तूफान आ रहा है, महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होनें यह प्रश्न पूछा था कि वास्तव में कब और कैसे चेतावनी दी गई थी। उन्होनें बिल्कुल सही कहा था कि लोग तटीय आन्ध्र प्रदेश में मोबाइल रेडियो अथवा सैलुलर टेलीफोनस के साथ नहीं घूमते ताकि उनको यह सूचित किया जा सके कि एक गम्भीर समुद्री तूफान, जिसके चक्रवातीय तूफान में बदलने की संभावना है, तट पर आने वाला है। यह बहुत संगत प्रश्न है और सरकार इसके जवाबदेह है कि पूर्व चेतावनी प्रणाली का उपयोग क्यों नहीं किया गया जो कि हमारे अंतरिक्ष में स्थित उपकरणों तथा उपग्रहों के द्वारा उपलब्ध है और इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? सरकार ने उसकी सूचना किसको दी? उन्होंने सही ही इंगित किया था कि अत्यधिक प्रभावित जिलों के जिला कलैक्टर ने प्रधानमंत्री द्वारा अगली सुबह, उस रात नहीं, पूछे जाने पर कहा था, "सब ठीक है।" वह, यहां जिले में भी नहीं थे और वह कहता है कि सब ठीक था। उन्होंने जिले में जाना भी आवश्यक नहीं समझा।

श्री के.एस. मूर्ति (अमलापुरम) : वह अमलापुरम में था। मुख्यमंत्री ने जिला कलैक्टर के बारे में जो कहा है वह सही नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : मेरे विचार से यह छोटा प्रश्न है। मैं इसकी अपेक्षा जो कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है उस पर विश्वास करता हूं क्योंकि मुख्य मंत्री राज्य के लिए उत्तरदायी है। लेकिन प्रश्न वह नहीं है। मैं नहीं समझता कि सवाल कलैक्टर की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को लेकर है। प्रश्न, समय पर चेतावनी देने के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया के संबंध में है।

दूसरा पहलू विपदा प्रबन्धन से संबंधित है। मैं समझता हूं कि विपदा प्रबन्धन की समूची प्रणाली में देखा जाय तो यह हमेशा आपदा प्रबन्धन में होता है कि हमारी प्रकृति इसे मानव-जनित विपदा में बदल देने की होती है। यह हमारी कार्यकुशलता, कार्य करने का तरीका, दृढ़ता तथा आपदा की स्थिति में लिया गया समय है जिसके कारण ऐसा होता है। आपदा आने और उससे निपटने के लिए उपलब्ध तन्त्र के प्रयोग के बीच की ही अवस्था होती है जब हम किसी आपदा को मानव-जनित विपदा में बदल देते हैं। मैं आगे कतिपय विशिष्ट पहलुओं पर बोलूंगा कि हमसब इसमें कम से कम भविष्य में लिए ही सही कैसे कोई सुधार कर सकते हैं।

तीसरा पहलू वित्तीय पहलू का है और वित्तीय पहलू में मैं उस प्रश्न के बारे में नहीं बोलूंगा जिस पर पहले बोला जा चुका है और जो दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के पास जाने के प्रस्ताव के बारे में है। यह मेरी सहकर्मी, पिछली वक्ता कुमारी उमा भारती द्वारा कही गई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वित्तीय पहलू के बारे में, मैं उस प्रणाली, जिसे हम अपनाते हैं, तथा इससे संबंधित तीन या चार पहलुओं के बारे में कहना चाहूंगा तथा राहत मंजूर करने की समूची प्रणाली पर भी बोलना चाहूंगा।

आन्ध्र प्रदेश में विपदा अथवा आपदा अथवा आप जो कुछ भी इसे कहें, 6 नवम्बर, 1996 की रात 9:30 बजे के बाद आई। मैं वास्तव में जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से राहत की पहली सामग्री आंध्र प्रदेश में कब पहुंची। दिन पर दिन बीतते जाते हैं परन्तु घटित होने वाली आपदा का मूल्यांकन करने की समस्त प्रणाली, बोझिल नौकरशाही की प्रक्रिया, इत्यादि सब कुछ चलता रहता है। आपदा और उसके फलस्वरूप मनुष्य को होने वाला कष्ट तथा उसके बाद होने वाली त्रासदी को सरकारी फाइलों के निपटने का इंतजार नहीं होता है। भारत में बार-बार घटित होने वाली आपदाओं के बावजूद तथा हमारे देश के आकार और विविधता को देखते हुए यदि हम इन सच्चाइयों को नहीं मानते हैं तो दुर्भाग्य से इस तरह की आपदाएं और त्रासदियां होती रहेंगी और इसी तरह के विपदा प्रबन्धन से हम आगे भी आपदाओं से जूझते रहेंगे।

इन सब चीजों के बारे में जो कुछ सोचा जा रहा है: यदि सरकार वास्तव में उनके प्रति अपना सकारात्मक रवैया अपनाती है तो मुझे बेहद खुशी होगी।

दसवें वित्त आयोग ने भी इस विशेष पहलू पर ध्यान दिया है। इस संबंध में हकीकत को स्वीकारते हुए इसने सिफारिश की है कि एक राष्ट्रीय आपदा कोष की स्थापना की जाय। लेकिन जैसी कि हमारी प्रवृत्ति है, इस आपदा राहत कोष का प्रबन्ध भी सभी प्रकार की नौकरशाही जटिलताओं और राजनैतिक सोच-विचार के जाल में उलझ गया है।

मैं इस विषय पर दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का एक उद्धरण देना चाहूंगा। दसवें वित्त आयोग ने आशा व्यक्त की थी, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की स्थापना से अब घोर विपत्ति वाली आपदाओं और अधिक प्रभावशाली ढंग से निपटना संभव होगा।"

इसमें 'पूर्ण संतोषजनक ढंग से' नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि "और अधिक प्रभावशाली ढंग से"। लेकिन इसके बाद रिपोर्ट में जो कहा गया है, वह बात मुझे छू जाती है। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि :

> "हमें आशा है कि हमारे द्वारा सिफारिश की गई प्रणाली से एक साथ मिलकर काम करने की दिशा में

एक राष्ट्रीय एकता की भावना का सृजन करने मे सहायता मिलेगी जो विपदा की अवधि के बाद भी मौजूद रहेगी।"

स्थिति का अंदाजा लगाने का यह केवल एक मानदण्ड है जिसे मैं लागू करता हूं। इस आपदा के प्रति इस सदन की प्रतिक्रिया को देखिए। आंध्र प्रदेश के सभी सदस्य और न केवल आंध्र प्रदेश के बल्कि अन्य सदस्यों ने भी जिस तरीके से केन्द्र सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यस्त की है, उसे त्रुटिपूर्ण पाया है। यहां तक विपदा में बदली आपदा की स्थिति में भी हम वह नहीं कर पाए हैं जिसकी दसवें वित्त आयोग ने आशा की थी अर्थात कम से कम आपदा की स्थिति में तो हम एकजुटता दिखाते। हम यह एकजुटता नहीं दिखा सके हैं लेकिन क्यों नहीं दिखा सके हैं? इसका साधारण सा उत्तर है, जैसाकि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है, हमारी असंवेदनशीलता और अनिच्छा। ये बहंत ही कठोर शब्द हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह हमें इसका उत्तर दे। जो कुछ आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है और दसवें वित्त आयोग ने जो कुछ कहा है उसके प्रकाश में जो पढ़ा गया और जांचा गया है उसके स्पष्ट खण्डन से कम कुछ भी इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

दो या तीन अन्य छोटी बाते हैं जिसके बारे में मुझे वस्तुतः आशा है कि सरकार अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। पहली चीज है काम समय से पीछे होना। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में होने वाले राहत कार्य में विलम्ब होना। यह विपदा प्रबन्धन का एक हिस्सा है। जब प्राकृतिक आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है तो राहत कार्य इतने विलम्ब से शुरू होता है कि आपदा, विपदा में बदल जाती है क्योंकि तब तक केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता पहुंचाने में अत्यधिक समय लग चुका होता है। इस मामले में अंतर्ग्रस्त समय की बरबादी देखिए - 6 नवम्बर से 26 नवम्बर। 20 दिन बीत गए हैं और केन्द्र सरकार को किसी तरह से 50 करोड़ रुपए अग्रिम राशि के रूप में देने में 20 दिन लग गए हैं जबकि राज्य सरकार द्वारा लगभग 2,140 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। ये 20 दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन हैं। ये 20 दिन वे हैं जब आपको पैसे की आवश्यकता होती है, राज्य को पैसे की आवश्यकता होती है, और फौरन राहत पहुंचायी जानी होती है। लोगों द्वारा मांगे जा रहे कष्ट सरकारी फाइलों के निपटने की प्रतीक्षा नहीं करते। समय की इस बर्बादी पर सरकार को अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए।

दूसरी चीज, जिसका मैं सुझाव देता हूं, यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा भेजे जाने वाले अध्ययन दलों की अर्थहीनता को समाप्त कीजिए। एक निश्चित स्तर पर आकर यदि मुझे किसी राज्य प्रशासन से कुछ लेना देना हो अथवा राज्य सरकार को चलाना हो तो मैं तो इसे अपमानजनक समझूंगा। राज्य में जो आई.ए.एस. अधिकारी होते हैं क्या वे किसी आपदा का जायजा लेने के लिए सक्षम नहीं हैं अथवा क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम नहीं हैं कि क्या किया जाना है और क्या नहीं?

क्या विधान सभाओं में चुनकर आने वाले और अपने राज्यों में अपना कार्यभार संभालने वाले वही भारतीय यह निर्णय करने में सक्षम नहीं हैं। कि क्या राहत सहायता तत्काल पहुंचायी जानी है। लेकिन वह सब तो एक अध्ययन दल द्वारा देखा जाना है जिसमें संभवतः एक ऐसा अनिच्छुक संयुक्त सचिव है जिसे उसकी इच्छा के खिलाफ आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा रहा है। उससे तीन दिन में वापस आने तथा यह बताने के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर क्या घटित हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और उसके लिए कितना पैसा चाहिए। मेरे विचार से हमें इस प्रकार के अध्ययन दल के बारे में फिर से सोचना चाहिए जो उसी सेवा, उसी प्रशासनिक प्रणाली अथवा उसी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर मानीटर के तौर पर बैठा है जिसने इस सरकार को चुना है। समय से पिछड़ कर काम करने तथा संघीय ढांचे के बारे में जो कुछ आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है, दोनों, के लिए जिम्मेदार यह केवल एक कारक है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह काफी गंभीर बात है। मैं इस सदन से उनकी बात को गंभीरता के लेने की सलाह दूंगा। समय से पिछड़कर काम करने के लिए जिम्मेदार है—अधूरे मन और अनिच्छा से काम करने वाले हमारे अध्ययन दलों की प्रणाली।

अब मैं अपनी अंतिम बात पर आता हूं। मैं समझता हूं कि आजादी के पचास वर्षों बाद, इस प्रणाली, संविधान के अंतर्गत काम करने के पचास वर्षों बाद अब समय आ गया है कि हम अपनी खामियों को दूर करें। हम अन्य खामियों की बात नहीं करेंगे क्योंकि आज की चर्चा आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में आई आपदा तक सीमित है, अतः हमें आंध्र प्रदेश के बारे में ही चर्चा करनी चाहिए। हमें कुछ इस प्रकार की वित्तीय सहायता की मंजूरी फौरन प्रदान करने के लिए एक ऐसा उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए जिसमें राज्य सरकार के लिए आवश्यक लचीलेपन का यह प्रावधान हो कि वह समय पर सहायता उपलब्ध करा सके और इस संबंध में आपदा कोष का कार्य बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आप पांच मुख्य मंत्रियों की एक समिति गठित करते हैं। आप उस मुख्य मंत्री के बारे में क्या कहते हैं जिसका राज्य प्रभावित हुआ है? वह उसमें नहीं है। ये पांच मुख्य मंत्री बैठक करते हैं और आपदा और राहत कोष से धन-राशि की स्वीकृति प्रदान करते हैं। मैं पिछले उदाहरणों में नहीं जाना चाहता। जब पिछली सरकार सत्ता में थी तो एक माननीय मंत्री, जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे, ने इस आपदा राहत कोष से धन स्वीकृत कर दिया जो असल में एक राजनैतिक मंजूरी थी जिसका परिणाम यह हुआ कि वह राजस्थान, आदि जैसे राज्यों में आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई तो बाढ़ राहत के लिए कोई भी धन नहीं था, किसी को धन देने के लिए कोई भी पैसा उपलब्ध नहीं था। अब इस तरह के पक्षपातपूर्ण प्रयोजन के लिए आपदा राहत कोष के साथ खिलवाड़ होने के कारण हमें इसका एक दूसरा हल ढूंढना होगा।

मैं वास्तव में इस वाद-विवाद में भाग लेना नहीं चाहता था लेकिन चूंकि चर्चा मुख्य विषय से हटकर अन्य बातों पर भी हो रही

थी, अतः मुझे भाग लेना पड़ा और इसीलिए मैंने आपकी अनुमति मांगी तथा मैं अनुमति देने के लिए में आपका बड़ा आभारी हूं। मैं आशा करता हूं तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर ध्यान देगी। मैंने मानव विनाश कि कितने मर गए, आदि का अंकगणित आपको नहीं दिया है। मैंने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनकी जिम्मेदारी सीधे केन्द्र सरकार की होती है।

मेरे विचार से सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इन पहलुओं पर विचार करे क्योंकि आजादी के 50 वर्ष के पश्चात् भी हम मानवीय त्रासदियों और आपदाओं के समय प्रबंधन की कठिनाइयों, प्रक्रियाओं, रूख, वित्तीय और सरकार की उदासीनता की कठिनाइयों का जिक्र करते हैं। मैं यह सोचने पर बाध्य हो गया हूं क्योंकि ऐसी माननीय त्रासदियों के समय सरकार की उदासीनता ही एक विशेष कारण है जिसकी वजह से आन्ध्र प्रदेश में इस प्रकार की कठिनाइयां सामने आ रही है जिसके कारण राज्य के मुख्य मंत्री ने इस प्रकार से अपनी ही सरकार की निन्दा की है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : प्रधान मंत्री तो गए सो गए लेकिन संबंधित विभाग के मंत्री भी यहां उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय : वे राज्य सभा गए हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : इससे संबंधित मंत्री भी यहां नहीं हैं।

सभापति महोदय : राज्य सभा में भी इस पर डिसकशन चल रहा है और वे वहां गए हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय गृह मंत्री हैं लेकिन कृषि मंत्री यहां नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था (अनन्तपुर) : सभापति महोदय, हाल ही में अक्तूबर माह में आन्ध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, जिसमें अनन्तपुर, कुडप्पा, चित्तूर, कुरनूल, नेल्लोर और प्रकाशम जिले आते हैं, और इस माह दूसरी बार 6 तारीख को पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले भीषण विभीषका का शिकार हुये थे। इन विभीषिकाओं के कारण और इनके प्रति उदासीनता के कारण 2000 से अधिक व्यक्ति मारे गए और लाखों लोग बेघरबार हो गए। इनके कारण 7000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री को इन दोनों क्षेत्रों का आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ हवाई सर्वेक्षण करने के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह विभीषिका 'राष्ट्रीय आपदा से भी अधिक भीषण' है और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है कि यह 'राष्ट्रीय आपदा' है। मुझे 'राष्ट्रीय आपदा' और 'राष्ट्रीय आपदा से भी अधिक भीषण' में अन्तर समझ में नहीं आ रहा है। यह सिर्फ जिम्मेदारी से दूर भागना है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही इस विभीषिका के संबंध में जिम्मेदाराना रूख नहीं रहा है।

सभापति महोदय, मैं, आपके माध्यम से, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रभावित लोगों को भरपूर सहायता दी जाए।

प्रथम हादसे में रायलसीमा पिछड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इसके कारण न सिर्फ 400 लोगों की जान गई, बल्कि लाखों एकड़ भूमि में खड़ी फसल को नुकसान हुआ, विशेषकर मूंगफली की फसल को। संचार प्रणाली, राजमार्ग और सिंचाई तालाबों को भारी नुकसान हुआ।

पूरे राष्ट्र को रायलसीमा क्षेत्र के पिछड़ेपन की जानकारी है जो पिछले कई वर्षों से भयंकर सूखे की चपेट में आता रहा है। इसके विपरीत इस वर्ष वहां पर बाढ़ आई।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभावित लोगों को जिम्मेदारी लेने में कोई विवाद न खड़ा करें। सिर्फ प्रभावित व्यक्तियों की देखभाल की जाए। इन क्षेत्रों में सामान्य स्थिति पैदा की जाए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के प्रभावित लोगों को समुचित धनराशि उपलब्ध कराने में उदार रूख अपनाया जाए।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाबे स्पीकर साहब, इस ऐवान में जो कुछ बातें कही गयी हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता लेकिन इतना कहूंगा कि प्राईम मिनिस्टर को कौमी अलमिया का खुद ऐहतराम है और जब कौमी अलमिया है तो रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत दोनों में तजात पाया जाता है। तजात का नतीजा यह है कि जो लोग रजाकराना तौर पर काम करने के लिये आगे बढ़ना चाह रहे थे, वे रूक चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जब साईंस ने टैक्नालॉजी में और मिजाईल्ज में इतनी तरक्की कर ली है तो हमको यह बताया जाये क कब तूफान आने वाला है और अब यह कहा जा रहा है कि मिनिस्टर साहब ने अभी कहा है कि हमने टी.वी. और रेडियो पर ऐलान कराया था। कब कराया था, क्या कराया था किस तारीख को कराया था, इसकी इत्तला तो हमको नहीं है और न ही मिन्स्टिर साहब ने यह बताया है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जहां कोस्टल गाड्र्स और साहिल पर मछेरे रहते हैं और अगर आपने ऐलान कराया था तो आपके लोग वहां क्या कर रहे थे। उन मछेरों को कम से कम आपके आदमी रोकते ताकि वे समन्दर में न जाने पाते ताकि उनकी जानें न जायें। उनको आप रोक सकते थे।

दूसरी बात यह है कि 1977 में जब तूफान आया था तो उस वक्त यह बात कही गया थी कि अब बंगाल के बजाय उसका रूख आन्ध्रा की तरफ हो गया है और हमको एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिये लेकिन आज तक हमने किसी किस्म की ऐहतियाती अख्तियार नहीं की जिसका नतीजा यह है कि इतना बड़ा नुकसान पहुंचा और

मैं यह आज कहने के लिये मौकफ हूं कि जिन आंखों ने दखा उधर हर दस कदम पर लाशों के ढांचे पड़े हुये थे और उनको उठाने वाला कोई नहीं था। हर तरफ बदबू फैल रही थी और जो यतीम बच्चे थे, बेघर पड़े हुये हैं। आप अंदाजे की गलती तो बाद में करते रहिये लेकिन कम से कम इतना तो कीजिये कि जो लोग मुसीबत में हैं उनका फौरी राहत पहुंचाया जाये और जो लोग बेघर हो चुके हैं, उनको आरजी तौर पर बसाया जाये।

जो तिरारत खत्म हो चुकी है, उससे और फाकाकशी बढ़ रही है। विजयवाड़ा से कलकत्ता तक 1000 किलोमीटर का रास्ता है। वह खत्म हो चुका है। दूसरे स्टेट को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जिसका नतीजा यह है कि वह तिजारत भी खत्म हो रही है। कम से कम मरकजी हुकूमत उन तमाम चीजों को ठीक तो कर दे। रेल की पटरियां उखड़ चुकी हैं। कम से कम आप वह काम तो कर दें। बाद में अंदाजा क्या है क्या नहीं है वह तो और चीज है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूं कि आंध्र में यह बात लोगों के जहन में आ चुकी हैं कि मरकज ने हमको खातिरख्वाह इमदाद नहीं दी और लोग यह कहते हैं कि देवगौड़ा साहब कर्नाटक के नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वह सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। जबकि आंध्र में निजा है अलपट्टी डैम के ऊपर तो वहां आप हाइट बढ़ाने के लिए मरकज से पैसा दे सकते हैं तो जहां लोग परेशान हाल हैं जहां लोग उजड़ चुके हैं, वहां आप पैसा फराहम नहीं कर सकते। आप सिर्फ 50 करोड़ रुपये की इमदाद दे देते हैं और उसके बाद फिजाई दौरा कर लेते हैं। अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा लेकिन बरबादी का नजारा देखने के बाद कम से कम कुछ तो आगे बढ़ते, लेकिन हालात बुरे हो चुके हैं और यह कहा जा रहा है कि इंसानी हमदर्दी में अगर कोई आगे बढ़ते हैं तो यह कहा जाए कि भीख का चिप्पा लेकर जा रहे हैं। ये अजीबोगरीब किस्म की दलीलें होती हैं। यह समझ में नहीं आता कि एक आफत आई है, कौमी अलमिया है। हिन्दुस्तान ने भी दुनिया में जहां लोग परेशान हाल थे, मदद की है। वहां हमारी फौजों ने जाकर अमन कायम किया है, मरे हैं! तो फिर इसके लिए कहना कि यह चिप्पा है, अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं। बहरहाल, जबान अपनी अपनी और दिमाग अपना-अपना। मुझे कहना नहीं है फिक्र के लिए। हर चेहरे की फिक्र जुदा होती है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सकता है, इस मसले को हल किया जाए और फौरी उबूरी तौर पर काम किया जाए और रियासत की और मरकज को एक मुश्तरका टीम बनाई जाए कि वहां पर जाकर जो फौरी काम करना है, वह करे ताकि लोगों को सहूलियतें पहुंचाई जा सकें और काम हो सके।

मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया।

[अनुवाद]

श्री इन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : **महोदय, इस मामले पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है और जान-माल के नुकसान का ब्यौरा दिया जा चुका है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसी आपदाएं कोई पहली बार नहीं आई है। लगभग 19 वर्ष पूर्व पूर्वी तट पर आए भयंकर तूफान में ज्वार भाटे की लहरों से 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। वह भारत में आई सबसे बड़ी आपदाओं में से एक थी।**

ऐसी कई आपदाएं आ चुकी हैं। वर्ष 1978 में एक भयंकर तूफान और बाढ़ ने पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। हजारों लोग मारे गए थे और लगभग 19,00,000 मकान नष्ट हो गए थे। प्रभावित 17 जिलों में से 16 जिले पूरी तरह नष्ट हो गए थे और उनका अधिकांश भाग भी नष्ट हो गया था। उड़ीसा में हर दूसरे वर्ष ऐसी ही विभीषिकाएं होती हैं।

तमिलनाडु में भी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। हमारा अनुभव सबके सामने हैं। मौसम विभाग के पास पिछले 50 से 100 वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हैं। उनके पास पूरी जानकारी उपलब्ध है। परन्तु फिर भी हम दक्षता हासिल क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने में हम नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं कर पर रहे हैं। हम जानते हैं कि कई देशों जैसे फिलीपीन्स आदि में थोड़े-थोड़े समय के पश्चात् निरंतर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। परन्तु, वहां पर सूचना तंत्र काफी बेहतर है। लोगों को काफी पहले पूर्व सूचना दे दी जाती है। उनको नुकसान के पूर्व ही हटा दिया जाता है और वो लोग बेहतर तरीके से स्थिति का मुकाबला करते हैं। हालांकि, हमारे देश में काफी वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान हैं लेकिन फिर भी हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र आधुनिक नहीं है। हमारे यहां संचार तंत्र काफी कमजोर है और दक्ष प्रबंधन की कमी है। इस प्रकार से तटीय क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष अथवा दूसरे वर्ष नुकसान हो रहा है। हमारी सरकार को इन पहलुओं पर विचार करना चाहिये। यह भी विचार करना चाहिये कि किस प्रकार से नवीनतम प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान से समय पर सभी सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं और लोगों को समय पर सूचित किया जा सकता है ताकि ऐसी आपदाओं का बेहतर ढंग से मुकाबला किया जा सके। हम आपदाओं को रोक तो नहीं सकते हैं, परन्तु हम नुकसान को कम से कम करने के तरीके ढूंढ सकते हैं।

वे दावा करते हैं कि संचार प्रणाली काफी विकसित हुई है। यदि हमारी संचार प्रणाली में विकसित हुई है तो इसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी हमारा विकास उसके बराबर होना चाहिए। हम जानते हैं कि उस क्षेत्र में ये आपदाएं प्रतिवर्ष होती हैं। यहां तक इन आपदाओं के आने का समय भी पूर्वाभास होता है। ये आपदाएं मई और उसके बाद अक्तूबर या नवम्बर में आती हैं। इसके आने से पहले हमारे पास पूर्व सुरक्षोपाय करने का पर्याप्त समय होता है। हाल के मामले में हमने देखा है और जैसाकि रिपोर्ट कहती है, कि वहां से लोगों को बाहर निकालने का काम एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वहां पर समुचित सड़कें नहीं हैं। उस क्षेत्र के लगभग चालीस प्रतिशत गांवों में ऐसी सड़कें नहीं हैं जहां सभी मौसमों में आवागमन हो सकता हो। अतः यदि लोगों को वहां से शीघ्र बाहर निकालना हो तो वहां की सड़कों

पर वाहनों का आवागमन आसानी के साथ नहीं हो सकता। उससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है कि उसके बाद जहां लोग छतों के नीचे रहते हैं वहां नुकसान कम होता है। जिसका मतलब हुआ कि झोंपड़ियों और कच्चे मकानों को ज्यादा नुकसान होता है।

इस तरह के क्षेत्र जहां समुद्री तूफान बार-बार आते हैं, उनके लिए सरकार के पास एक 'मास्टर प्लान' होना चाहिए ताकि हम ऐसे तूफानों का मुकाबला आसानी से कर सकें। उसके लिए पर्याप्त निवेश आवश्यक है; समुचित नियोजन जरूरी है और अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग जरूरी है ताकि हमारे तटीय क्षेत्र सुरक्षित हो सकें। सड़कें हर मौसम में आवागमन के लिए उपयुक्त होनी चाहिए तथा बेहतर मकान होने चाहिए, जिनमें आपदा के समय लोग शरण ले सकें। जब इस तरह की आपदाएं आती हैं तो हम इन सभी पहलुओं पर सभा में, विधान सभाओं में, संसद में चर्चा करते हैं तथा निधियों का आवंटन कर दिया जाता है लेकिन बाद में इन सबको ताक पर रख दिया जाता है। इसीलिए ये नुकसान बार-बार होता है। यदि ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए हमारे पास कोई 'मास्टर प्लान' ही नहीं होगा तो हमें हर साल बार-बार इन मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी और लोगों को बेशकीमती जानें गवानी पड़ेगी।

यह एक बड़ी समस्या है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जैसाकि पहले कहा जा चुका है, यह एक राष्ट्रीय आपदा है और समूचे देश को आंध्र प्रदेश की जनता के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हमने इस तरह की घटना भूकम्प के समय लातूर (महाराष्ट्र) और गढ़वाल क्षेत्र में भी देखी है। जब इस तरह की बड़ी आपदाएं आएं तो समूचे देश को, केन्द्र सरकार को, राज्य सरकारों को और आम जनता को प्रभावित लोगों के साथ एक-जुटता दिखानी चाहिए तथा उन्हें सहायता पहुंचानी चाहिए ताकि वे अपने मकानों को फिर से बना सकें और अपना सामन्य जीवन पुनः शुरू कर सकें।

सर्वाधिक नुकसान उठाने वाले यानि मछुआरा समुदाय भी समाज के एक अंग हैं—सर्वाधिक हानि उन्हें ही उठानी पड़ती है। अभी भी एक हजार लोग लापता हैं और संभवतः उनमें से अधिकाशं लोग मछुआरे ही होंगे। जब रिकार्ड में उन्हें 'लापता' दिखाया जाता है तो उनके परिवारजनों को मुआवजा नहीं मिलता है। एक समय सीमा निर्धारित करने के बाद हमें उन लापता लोगों के परिवारजनों को वह लाभ दे देना चाहिए जो मृतकों के निकट संबंधियों को दिया जाता है ताकि वे इस समस्या का सामना कर सकें। जब हमारे शिष्ट मण्डल ने उस क्षेत्र का दौरा किया तो इन सारी कार्यवाहियों को तुरन्त किए जाने की आवश्यकता हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई जिन्हें सरकार को फौरन करनी चाहिए।

हमने राज्य सरकार, मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं। पहली मांग यह है कि हमें इस मामले में उदारता का परिचय देना चाहिए और उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाने में नियमों को बाधा नहीं बनने देना चाहिए। उन्हें अनुदान देते समय सदन द्वारा और सरकार द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दूसरे, हमें प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए उपाय करने चाहिए ताकि वे अपनी खेतीबाड़ी का काम पुनः शुरू कर सकें। तीसरे, जैसाकि मैंने कहा है, मछुआरों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। उन्हें पर्याप्त सहायता देनी चाहिए क्योंकि तूफान में उनकी जानें गई हैं, उनकी नावों एवं जालों का नुकसान हुआ है। इन सभी चीजों की पूर्ति की जानी चाहिए। चौथे, बड़े पैमाने पर पेड़-पौधों का भी विनाश हुआ है। उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। नारियल और अन्य पेड़-पौधों को पुनः लगाया जाना चाहिए ताकि वे अपने आर्थिक क्रियाकलाप को पुनः शुरू कर सकें। पांचवे, धान और अन्य फसलें नष्ट हुई हैं। कुछ क्षेत्रों में फसलें पूरी तरह और कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से नष्ट हुई हैं। उन चीजों की खरीदारी भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जानी चाहिए। कम-से-कम उन किसानों को कुछ तो फायदा मिलना चाहिए जो फसलों की पैदावार करते हैं। चूंकि फसलों को नुकसान पहुंचा है अतः उनकी गुणवत्ता भी बढ़िया नहीं रह सकती। अतः इसकी खरीदारी सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद, कृषि के लिए आवश्यक बीज और उर्वरक किसानों को दिया जाना चाहिए ताकि वे अपना कृषि कार्य फिर से आरम्भ कर सकें।

एक दूसरी बात, जिसे शीघ्र ही शुरू किया जाना चाहिए, वह है एक विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए ताकि जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है - जो अब बेरोजगार हैं, जो अब भुखमरी के शिकार है और जो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं- उनका पूरा-पूरा ध्यान रखा जा सकें। इसके अलावा, वहां किसी प्रकार की महामारी को फैलने से रोकने के लिए कारगर उपाय किए जाने चाहिए।

हमारी अंतिम मांग यह है कि मौसम की पूर्व जानकारी देने के लिए कम दूरी के केन्द्र (शार्ट रेन्ज सेन्टर्स) न केवल आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों अपितु कटक, कन्हाई, आदि जैसे अन्य समूचे तटीय क्षेत्रों जहां ऐसी आपदाएं बार-बार आती हैं, में स्थापित किए जाने चाहिए। इसलिए वहां, अद्यतन प्रौद्योगिकीय यंत्रों से सुसज्जित मौसम की पूर्ण जानकारी देने वाले कम दूरी के केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए और उनका उपयोग किया जाना चाहिए। चेतावनी की सूचना तुरंत जरूरतमन्द लोगों तक पहुचानी चाहिए; और हमें लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए हर सुविधा तैयार रखनी होगी ताकि हम उनकी जीवन रक्षा कर सकें और ऐसी आपदाओं का सामना न्यूनतम हानि के साथ कर सकें।

मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री तथा सरकार में बैठे अन्य लोग इन सभी मांगों पर ध्यान देंगे। हमें आशा है कि हम आगे से ऐसी मुसीबतों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति जी, मंत्री जी ने जो सुबह बयान दिया, उसमें यह बात लिखी है कि भारत मौसम विज्ञान

विभाग इस चक्रवात पर नजर रखे हुए था एवं चक्रवात की संबंधित दिशाओं एवं आघात स्थल के संबंध में विभाग ने राज्य सरकार को समय-समय पर चेतावनी भी दी थी। दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी इस चेतावनी का प्रसारण किया गया था। हम सरकार से ठोस रूप में जानना चाहते हैं कि यह जो समय-समय पर चेतावनी दी थी वह किस रूप में दी थी? यानी आकाशवाणी और इधर हमने कहा, यहां था या आपकी सरकार ने या सरकार ने या सरकार के किसी विभाग ने प्रदेश के मुख्य मंत्री या संबंधित और कोई भी मुख्य सचिव या कोई और व्यक्ति को किस प्रकार की चेतावनी दी थी? इस पर यहां पर स्पष्ट जवाब प्रधान मंत्री को देना चाहिए।

नंबर दो, हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति को आपने आकाशवाणी से प्रसारित किया था या सरकार को हैदराबाद तक सूचना दी थी? यदि हैदराबाद तक आपने सूचना दी थी, तो फिर हैदराबाद में इस पर किस-किस प्रकार की कार्रवाई हुई? इसकी जानकारी क्या भारत सरकार ने हैदराबाद से मांगी और यदि मांगी है, या फिर जब प्रधान मंत्री वहां पर हवाई जहाज से जांच करने गए थे या देखने गए थे, तब क्या उनको इसके बारे में जानकारी हासिल करने की जरूरत पड़ी, यदि पड़ी, तो वह जानकारी हमको मिलनी चाहिए?

नंबर तीन, सभापति महोदय, हम यह भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार जब हम प्रशासन की चर्चा करते हैं, तो प्रशासन जिलास्तर पर भी होता है और जो चार जिले प्रभावित हुए, जिनमें से दो तो अधिक प्रभावित हुए और एक जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ, पूर्वी गोदवरी, पश्चिमी गोदवारी, खम्मम और प्रकासम में, तो जो जिला मजिस्ट्रेट या कलैक्टर, जो मुख्य अधिकारी होते हैं, इन अधिकारियों के द्वारा कौन-कौन से ठोस कदम उठाए गए?

सभापति जी, जब मैं इन सारे सवालों को रख रहा हूं और प्रधान मंत्री से इनके बारे में जवाब चाहता हूं, तो उसके पीछे, इसमें कौन-कौन से अपराधी हैं, इसकी खोज है, केवल यही कारण नहीं हैं, हम इसलिए भी इस पर जवाब चाहते हैं क्योंकि पहली बार इस प्रकार का हादसा आन्ध्र प्रदेश में नहीं हो रहा है या यह कोई पहला हादसा नहीं है और आन्ध्र प्रदेश में हमेशा इस प्रकार के हादसे आते रहे हैं और उनका जिक्र होता रहा है। आज के दिन अगर हम कुछ और भी नहीं कर पाए, तो भविष्य में इस प्रकार की परेशानियों से बचने के बारे में एक ठोस कार्यक्रम सरकार की तरफ से, इस बहस के बाद आ सकता हो, तो मैं समझता हूं वह एक उपलब्धि होगी।

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति जी, हम लोग राजनीति में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर अनेकों बार प्रदर्शनों के लिए, बड़ी सभाओं के लिए, बड़े जलसों के लिए ले जाते हैं। 24 घंटों में हिन्दुस्तान के किसी भी महानगर में अगर कोई बड़ा राजनीतिक दल उसमें भी सत्तारूढ़ दल चाहे तो लाख दो लाख लोगों को ऐसे ही पहुंचा देता है। इस पूरे हादसे में जो प्रभावित लोग हैं, उनकी संख्या 1,72,150 है। यहां पर लिखा है कि इन लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से हटाकर अब कहीं अन्य जगहों पर पहुंचा दिया। अगर 1,72,150 लोग दो जिलों के हैं और उस जिले के मुख्य अधिकारी जो थे, वे लोग अगर सचेत रहते तो यह हजार से अधिक लोगों को मौत के घाट पर उतरना पड़ा तो उनको मौत से बचाया जा सकता था। उनको सुरक्षित जगह पर ले जाने में सरकार कदम उठा सकती थी और जब सरकारें राजनीतिक दलों के माध्यम से इन चीजों को करती हैं तो यह संभव था कि यहां भी लोगों की जान बचाने और जान माल की जहां तक सुरक्षा हो सकती थी, वह सुरक्षा करने में कुछ ठोस कदम उठा सकते थे। इसलिए हम इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे तथा भविष्य में इसके बारे में सरकार की तरफ से उठाये जाने वाले कदम क्या है?

दूसरा सभापति जी, हादसा होने के बाद सरकार ने, हम अभी केन्द्र सरकार की बात कर रहा हूं, क्या किया? बयान देना कोई सरकार का काम नहीं। मैं तो रेडियो और टेलीविजन नहीं सुनता और न ही देखता हूं। लेकिन मुझे मालूम है कि हिन्दुस्तान में पिछले चार-पांच दशकों से रेडियो-टेलीविजन की खबरें केवल प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, फलां मंत्री ने यह कहा, से शुरू होती हैं। यह केवल कहा जाता है। क्या किया, यह बात बहुत कम होती है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने यह नेशनल कैलामिटी करके कहा या एक्सट्रा नेशनल कैलामिटी करके कहा। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने क्या किया। हम यह जानना चाहते हैं कि कौन से कदम आपने तत्काल उठाये। आप देश के चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं। किसी भी शब्दावली में आपका नाम इस्तेमाल किया जाये, आपके पद की गरिमा का इस्तेमाल किया जाये, आप इस देश के पूरे अधिकार को अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। अगर नेशनल कैलामिटी हो गयी और यह आपको कब मालूम हुआ और मालूम होने पर आपने कौन-कौन से कदम उठाये जिससे समूचे राष्ट्र को आपने जागरूक करके राष्ट्र को इस हादसे में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए, राहत देने के लिए आपने क्या प्रेरणा दी। अगर देश का मुख्य अधिकारी यह प्रेरणा नहीं देगा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री चिल्लायें, नहीं चिल्लायें तो उनको दोष देने का कोई काम नहीं करना चाहिए। इसलिए हम जानना चाहते हैं जब यह इतना बड़ा हादसा हुआ तो कि भारत सरकार की तरफ से कौन-कौन से कदम उठाये गए। राहत के मामले को लेकर बातें चल रहीं है। अभी प्रधान मंत्री जी को मैंने सुना। वे बोले कि किसी का अंदाज है कि ढाई हजार करोड़, किसी का छः हजार करोड़, किसी का आठ हजार करोड़ व किसी का 15 हजार करोड़ है। अनके लोगों ने उनको आवेदन-निवेदन दिये हैं और अपना-अपना हिसाब-किताब लगाया है। उसमें कौन सही और कौन गलत है, हम नहीं जानते क्योंकि हमने उसको न पढ़ा है और न ही हमें कोई विशेष जानकारी है लेकिन अभी सरकार की तरफ से राहत पहुंचाने के बारे में जो कार्यवाही हुई है, वह तो नगण्य करके कहना, नगण्य शब्द के अर्थ को समझना नहीं होगा क्योंकि वह नगण्य से भी नगण्य है। आपने 50 करोड़ रुपये दिये हैं और वे भी वेज एंड मीन्स के तौर पर दिये हैं। वे 50 करोड़ रुपये आपने भारत सरकार के खजाने से दिये

हैं लेकिन सरकारी खजाने से ये 133 करोड़ रुपये यूरिया के लिए निकाल सकते हैं जबकि आपके आंकड़ों के हिसाब से आंध्र में हजार लोग मरे जबकि लोगों का कहना है कि उससे कहीं ज्यादा लोग मरे हैं। अगर आपको किसी की बात नहीं माननी थी तो आंध्र प्रदेश की सरकार की ही बात मानते तो वहां पर आज दो हजार करोड़ रुपये की जरूरत है, यह आज सभी लोग मानते हैं तो 50 करोड़ वह भी कर्ज के तौर पर दिये हैं। इनको वापिस देना पड़ेगा।

उसको वापिस देना पड़ेगा। हमने विश्व बैंक से पूछा है कि चालीस सालों की किश्तों में वापिस करने वाले कर्ज देने की संभावना है। संभावनाओं के ऊपर हादसे के बीस दिन के बाद इस सदन में चर्चा होगी। हम इस मामले पर बहुत गुस्से में हैं। हम मानते हैं कि सरकार ने अपने दायित्व को नहीं निभाया है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा है और जुबानी तौर पर कहा है कि यह नैशनल कैलेमिटी है। मरे हुए लोगों की मौत है, हमें क्या करना है, व्यवहार में यहां पर इस प्रकार की मनोवृति का प्रदर्शन हुआ है। हम अभी भी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप पहल कीजिए।

अभी जसवंत सिंह जी ने यह बात कही कि ऐसे मौके राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाने वाले होते हैं। हिन्दुस्तान में पैसे की कमी नहीं है। ऐसे हादसों में लोग हर तरह से अपना योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। आप किसी भी छोटे कस्बे में हुए ऐसे हादसे देख सकते हैं। यह वह देश है जिसने डा. कोटनीस को चीन में वहां के लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए भेजा था, यह वह देश है जब चीन का इस देश में आक्रमण हुआ तो पता नहीं कितनी छोटी-छोटी बच्चियों ने अपने गले से गहने उतारकर फेंक दिए और कहा कि देश को बचाओ और उसके लिए चाहे जो कुर्बानी हो, हम देने के लिए तैयार हैं।

मुम्बई में माईकल जैक्सन का प्रोग्राम होता है और लोग एक रात में 20 करोड़ रुपये देकर पहुंच जाते हैं। 1500 रुपये की न्यूनतम टिकट देने वाले लोग आज हजारों में हैं। लोगों ने एक-एक टिकट पाने के लिए 15-15 हजार रुपये दिए हैं और उस पर लड़ाई हुई है। एक परिवार ने एक मियां-बीवी की विशेष जगह के लिए डेढ़ लाख रुपये की टिकट खरीदी। पैसे की कमी नहीं है। अभी बंगलौर में एक तमाशा चला। सुन्दरियों को लाया गया। उसमें केवल पुलिस के बंदोबस्त पर दो करोड़ रुपये देने के लिए संगठन के पास पैसे थे। मैं जानता नहीं हूं लेकिन मेरी समझ में लोगों ने 20 करोड़ रुपये बंगलौर के तमाशे पर भी खर्च किए हैं। इन सब चीजों के लिए इस देश में पैसे हैं। दूसरी ओर आंध्र जल रहा था, लोग मर रहे थे लेकिन उसके लिए इस देश के पास पैसे नहीं है। पैसे का सवाल नहीं है, इच्छाशक्ति की बात थी और जो इंसानियत होनी चाहिए, जिसे लोगों ने बार-बार सैनसीटीविटी कहा, उस सैनसीटीविटी का अभाव हैं। वह आज केवल आंध्र के लिए नहीं है, वह वहीं सैनसीटीविटी है जो हर कदम पर हम इस देश में देखते हैं और जिसकी किसी को परवाह नहीं।

आप रोम में जाकर भाषण देते हैं कि हम तीन साल में विश्व को अनाज पहुंचा देंगे। विश्व की जगह कालाहांडी को पहुंचा दो। लेकिन वहां नहीं जाएगा क्योंकि आज सैनसीटीविटी का अभाव हमारे जीवन में एक मुख्य आधार बन गया है। सिर्फ शब्द हैं, व्यवहार में कुछ नहीं उतरता। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप सरकार के खजाने से जितना पैसा निकाल सकते हैं, मैं बिहार का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सारी बहस बिगड़ जाएगी, खजाने का पैसा कैसे-कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बात पर नहीं जाऊंगा, केन्द्र सरकार के खजाने से जितना पैसा भेज सकते हैं, भेजें, वेज एंड मीन्सके तौर पर नहीं, कर्ज के तौर पर नहीं बल्कि फंसे हुए लोगों को राहत देने के लिए, नुकसान को भरने के लिए दें। आंध्र प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, उस सरकार की अपनी सीमाएं है। किसी भी प्रदेश की सरकार की अपनी सीमाएं हैं और उसको पहचानना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए आप तत्काल पैसे का इंतजाम कीजिए और साथ ही देश के लोगों को टेलीविजन के जरिए, रेडियो के जरिए विज्ञापन दीजिए। हमारे मित्र रेल मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। हर रोज एक-एक पेज का विज्ञापन देते हैं। आजकल सर्वे के उद्घाटन पर भी एक-एक पेज की खबरें आती हैं। यानि विज्ञापन के तौर पर आते हैं, लाखों रुपया जब आप इन चीजों पर खर्च करते हो तो क्या आन्ध्र में फंसे हुए लोगों के लिए, इस देश की जनता को भी कुछ पैसे देने चाहिए, कुछ चंदा देना चाहिए, एक-एक दिन की अपनी तनख्वाह देनी चाहिए, 1-1 महीने की अपनी तनख्वाह देनी चाहिए, यह कहने के लिए सरकार के पास विज्ञापन के लिए चार पैसे नहीं है। सैंसिविटी इन सारी चीजों के साथ जुड़ी हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रधान मंत्री की ओर से यह अपील जाये।

अंत में एक प्रश्न और पूछकर मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। जब अनेक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से मिले तो अखबारों में एक खबर छपकर आई कि प्रधान मंत्री ने एक प्रतिनिधि मंडल से कहा कि सारे लोगों ने जितना हिसाब-किताब हमारे पास दिया है, हमारा इसके ऊपर विश्वास नहीं है। हमारी टीम जाएगी, वह जाकर हमको आकर बता देगी, उसके बाद हम तय करेंगे। जब प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने प्रधान मंत्री से कहा कि प्रधान मंत्री जी प्रदेश की सरकार के भेजे हुए आंकड़ों को मानकर आप क्यों नहीं तत्काल कुछ पैसे निकालते हैं, तब प्रधान मंत्री जी का जवाब है और अखबारों में छपा है, प्रधान मंत्री का जवाब है कि मैं भी मुख्य मंत्री था और मुझे मालूम है कि कैसे यह हिसाब-किताब बनाकर यहां भेजा जाता है। दो सवाल मैं पूछना चाहता हूं। पहला सवाल जब आप मुख्य मंत्री थे, तब कितनी बार आपने इस प्रकार का हेराफेरी वाला हिसाब बनाकर यहां पर भेजा था, यह बताइये? यानि मुख्य मंत्री के नाते यही आप करते थे, और मुख्य मंत्रियों के आंकड़ों के ऊपर आप उंगली उठाते हो और बोलते हो कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं अगर बता दूं कि असल में कितना नुकसान हुआ है तो सब कुछ यहां पर गिर पड़ेगा, सभी कुछ गिर जाएगा। टॉपल तो एक ही चीज हो सकती है, आपकी सरकार हो सकती है और कुछ यहां टॉपल नहीं होना है।

[अनुवाद]

मैं कहना चाहिता हूं कि सच्चाई यह है कि सभी कुछ गिर जाएगा।

[हिन्दी]

तो हम जानना चाहेंगे कि कितनी बार आपने इस प्रकार का काम किया और दूसरे आज के दिन जो भी सरकार की टीम गई, नहीं गई, वहां जाकर रिपोर्ट लाई, तो इन लोगों ने आपको वहां हुए नुकसान का कितना हिसाब-किताब दिया है, यह सदन को और देश को बताइएगा।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर सभापति जी, इससे पहले कि मैं अपनी बात को पूरी कहूं, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के तमाम सांसदों ने एक महीने का पूरा वेतन आन्ध्र प्रदेश तूफान पीड़ितों की सहायतार्थ प्रदान किया है। **...(व्यवधान)** समता पार्टी ने भी किया है। अभी कुछ सज्जन नाम ले रहे थे तो उन्होंने गुजरात का नाम तो ले लिया, जहां तोड़-फोड़ से उन्होंने कुछ किया, लेकिन राजस्थान का नाम या दिल्ली का नाम या**...(व्यवधान)**

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : सी.पी.एम. के लोक सभा और राज्य सभा के सभी मैम्बरों ने एक महीने की तनख्वाह दे दी है।

प्रो. रासा सिंह रावत : आप भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन सरकारी मंत्रियों ने अभी तक एक महीने की तनख्वाह देने की घोषणा की या नहीं, यह सारा देश जानना चाहता है? प्रधान मंत्री जी जब उत्तर देंगे तब इस बात को बताएंगे। मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि यह सरकार कितनी संवेदनशून्य हो गई है**...(व्यवधान)**

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : कांग्रेस पार्टी के हर मैम्बर ने भी एक महीने की तनख्वाह के लिए लिखकर दिया है। **...(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : यह सरकार कितनी संवेदनशून्य है, उसका नमूना इस बात से मिलता है कि प्रधान मंत्री जी की पार्टी की सरकार जिस राज्य कर्नाटक के अंदर है और कर्नाटक के**... (व्यवधान)** सुन तो लीजिए। सच्चाई सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी की पार्टी की सरकार जिस कर्नाटक राज्य में है, आन्ध्र प्रदेश उसका पड़ौसी राज्य है और उस पार्टी के**...(व्यवधान)**

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति जी, जार्ज साहब के अनुसार हमने कोई विज्ञापन नहीं किया है, लेकिन तमाम मंत्रियों ने एक महीने की तनख्वाह देने का निर्णय ले लिया है।

कई माननीय सदस्य : कब लिया है?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी किया है, लेकिन हम बोलकर नहीं करते है।

प्रो. रासा सिंह रावत : आन्ध्र प्रदेश के कवि दाशरथी जी ने तेलगू में एक कविता लिखी है और उस कविता का सार यह है कि :

[अनुवाद]

क्या किया जा सकता है, जबकि, जीवन, वायु और पानी जोकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, ही हमारा विनाश करें।

[हिन्दी]

आन्ध्र प्रदेश का जो गोदावरी बेसिन का इलाका है, जो पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले हैं, आन्ध्र प्रदेश का जो समुद्र तटीय प्रदेश है, जहां पर प्रति वर्ष या कुछ समय के बाद इस तरह के तरह चक्रवात से प्रयलयंकारी स्थिति, विध्वसंकारी स्थिति पैदा होती रहती है, उसके बारे में उस कवि ने लिखा है, करोड़ों लोगों के दर्द को निराशा के माध्यम से व्यक्त किया है। लेकिन आज के वैज्ञानिक अथवा आपके प्रशासक या आपका शासन, इस प्रकार का हादसा हो जाए और वे इस प्रकार की संवेदनहोनता का या उदासीनता का परिचय दें, यह शोभा नहीं देता।

आंन्ध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी का शासन है, वह आपकी सरकार का एक अंग है। आंध्र प्रदेश के पड़ौस में कर्नाटक राज्य है, वहां जनता दल का शासन है और केन्द्र में भी जनता दल के प्रधान मंत्री हैं। अभी इस हादसे को हुए 20 दिन भी नहीं हुए थे, मृतकों की माताओं-बहनों के आसूं भी नहीं सूखे होंगे, उन लोगों को आसमान के नीचे खुले में रिलीफ सेंटर्स में नाना प्रकार की विषम परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है, लेकिन कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में कोई ए.जी.सी.एल. ने क़रोड़ों रुपया खर्च करके जो विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता के रूप में कुछ किया, उससे इस सरकार और इनके दल की संवेदनहोनता का पता चलता है।

यह घटना 6 एवं 7 नवम्बर को घटी। 13 नवम्बर तक भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया कि यह राष्ट्रीय आपदा है और सारे राष्ट्र को इसे अनुभव करना चाहिए। हमारा राष्ट्र कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नागालैंड तक एक है। उसमें किसी भी जगह पर आने वाली विपत्ति और उपस्थिति होने वाला प्रलयंकारी दृश्य पूरे राष्ट्र का दुःख है। इस भयानक चक्रवात से 350 से ज्यादा गांव नष्ट हो गए, दो हजार से ज्यादा नागरिक काल का ग्रास बन गए, साढ़े चार लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों को रिलीफ सेंटर्स में खुले में जीवन बिताना पड़ रहा है। 15 लाख से ज्यादा नारियल के पेड़, जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन थे, नष्ट हो गए, करीब चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सम्पत्ति नष्ट हो गई और 7 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जहां पर चावल की फसल थी, वह पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी का इलाका था, वह सारी फसल बर्बाद हो गई। इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा और उसको आप राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर पाए। सारे राष्ट्र को दर्द की, पीड़ा की अनुभूति होनी चाहिए थी। उसका एहसास रेडियो, दूरदर्शन और समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, जनता में भावना पैदा करके कि एक राष्ट्रीय संकट है और इसमें आंध्र प्रदेश के लोग अकेले नहीं हैं, सारा देश उनके साथ है, ऐसी भावना पैदा करने के लिए इस सरकार को प्रयास करना चाहिए

था, लेकिन यह सरकार राजनीति की उधेड़बुन में ही फंसी रहती है। इस साझा सरकार से कुछ भी साझा नहीं है।

इसी सिलसिले में मैं दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। यह हादसा पहली बार नहीं हुआ है। 1977 में और 1978 में इतना बड़ा चक्रवात और ऐसा प्रलयंकारी दृश्य वहां उपस्थित हुआ था। आज उस बात को गुजरे 18-19 साल हो गए, क्या इस दरम्यान वहां सड़कों का निर्माण किया गया? ये कहते हैं कि दूरदर्शन से सूचना दी गई थी। माननीय कृषि मंत्री ने टाइम टेबल दिया है कि इतने बजे इसकी घोषणा की, इतने बजे उसकी घोषणा की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वे भी गांव के रहने वाले हैं, वे इस बात को जानते हैं कि गांवों के अंदर कितने लोग रेडियो सुनते और दूरदर्शन देखते हैं। मछुआरे जो नावों पर चलते हैं, जो पूर्वी गोदवरी, विशाखापत्तनम, कृष्णा, खम्मम् आदि समुद्री इलाके हैं, उनके अंदर जंगलों में रहने वाले, खेतों में काम करने वाले, मछली पकड़ने वाले, झोंपड़ियों में रहने वाले जो धान की रोपाई करते हैं, उनको क्या पता कि कौन सी विपदा आ रही है। जैसे चीन या पाकिस्तान के हमले के समय देश में नागरिकों को सायरन बजाकर खतरे से आगाह किया जाता था, अगर एक-दो दिन तक समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो और टी.वी. के जरिए, गांव-गांव ढोल पीट-पीटकर मुनादी कराकर जो कि पहले सूचना देने का साधन होता था, या राहत सेवक जो पहले काम करते थे, उनके माध्यम से सूचना देने का काम करते तो इतने लोग हताहत नहीं होते। यह क्यों नहीं किया गया?

जब भी ऐसी विपदा आती है हम लोग यहां बहस कर लेते हैं, थोड़ी सी सहायता की घोषणा हो जाती है उसके बाद हरिओम तत्सत। 1977 में इतनी बड़ी घटना हुई। सरकार ने 1977 के बाद जो गोदावरी का इलाका है, वहां 40 प्रतिशत सड़कें काम में आनी वाली नहीं हैं, उनको दुरूस्त नहीं कराया। उस इलाके में लोगों को सूचना मिले और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सड़कें होनी चाहिए। लेकिन 40 प्रतिशत सड़कें ऐसी हैं जो सब मौसमों में कम आने वाली नहीं है। पता था कि अक्तूबर महीने में भयंकर बारिश हुई है, 300 आदमी मौत के शिकार हो गए। बाढ़ की विभीषिका में लोग फंसे हुए थे, सड़कें क्षतिग्रस्त थीं, जो नहीं थीं, वह भी हो गईं। उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया। जहां पर हमेशा चक्रवात आते हैं, भयंकर बारिश होती है, समुद्र में ज्वार आने से लहरें कई फुट तक उठती हैं, उस इलाके के अदंर 20 प्रतिशत ऐसा इलाका है, जहां सड़के नहीं है। इतने साल से तूफान आ रहे हैं, क्या समुद्र के किनारे सीमेंट और कंक्रीट की दीवार बनाकर समुद्री ज्वार में उठने वाली लहरों को रोकने का प्रयास नहीं कर सकते थे? बड़े-बड़े बांधों पर दीवार बनाकर पानी रोकने का प्रयास किया जा सकता था।

प्रधान मंत्री जी विदेश जाते हैं। वहां पर फ्लोरिडा के बारे में सुना होगा, फिलीपींस के बारे में सुना होगा, दक्षिण अमेरिका में लोगों के समुद्र के किनारे घर होंगे। वहां के वैज्ञानिकों से राय ली जा सकती थी कि वहां क्या व्यवस्था है। उनकी घटनाओं से सबक लेकर ऐसी व्यवस्था करते जिससे कम से कम नुकसान होता। चक्रवात तो आते रहते हैं और आते रहेंगे। लेकिन समुद्र के किनारे पर जो कंक्रीट की दीवार खड़ी करनी चाहिए, उस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

इस संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हम लोग रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो विध्वंसलीलाएं थीं, जो लोग मारे गए, उन तक सूचना देने की क्या व्यवस्था की गई? जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, हम रेडियो और दूरदर्शन पर कितना ही ऐलान करते रहें, इस प्रकार की लीलाएं होती रहेंगी और लोग मौत का शिकार होते रहेंगे। सड़कों का विकास किया जाना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि 50 करोड़ रुपये आपने राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए दिए हैं, यह कर्ज के माध्यम से नहीं देकर अनुदान के रूप में दें। वहां पर चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सारे दल आपसे निवेदन कर रहे हैं, वहां की सरकार आपसे प्रार्थना कर रही है कि 50 करोड़ रुपये कुछ भी नहीं हैं, उनको अनुदान के रूप में राशि दी जाए। बाढ़ पीड़ित लोग हैं, तूफाने पीड़ित लोग हैं, जिनके घर नष्ट हो गए हैं, उनके लिए पक्के घर बनाने चाहिए। क्योंकि जो कंक्रीट के मकान होते हैं उनको नुकसान नहीं होता है। जहां चक्रवात आते हैं, इंदिरा आवास योजना के अंदर मकान निर्माण की योजना बनाएं, ताकि उनको कम से कम नुकसान हो। आसमान के नीचे रिलीफ कैम्पो में लाखों लोग रह रहे हैं। उनके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पता चला है कि जिनके घर नष्ट हो गए हैं उनको एक-एक हजार रुपये की सहायता दी गई है। उन्हें तत्काल एक हजार रुपया दिया जाएगा और तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में हर परिवार को 25-25 किलो चावल बांटा जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक हजार रुपए में उसका घर बन जाएगा? एक हजार रुपए में क्या व्यवस्था होगी और मरने वालों को सिर्फ पचास-पचास हजार रुपया दिया जाएगा। एक तरफ तो रेलों या हवाई जहाजों को दुर्घटनाओं में मरने वालों को एक-एक लाख रुपया, दो-दो लाख रुपए तथा पांच-पांच लाख रुपए दिए जाते हैं और प्राकृतिक विपदा से मरने वाले लोगों की जान की कीमत सिर्फ पचास हजार रुपए ही है जबकि ये मौतें सरकार की लापरवाही के कारण ज्यादा हुई हैं। ये मौतें इसलिये ज्यादा हुई हैं क्योंकि उनके लिए सही इंतजाम नहीं किए गए थे, क्योंकि उनको समय पर सूचनाएं नहीं दी गई थी, इस कारण भी ज्यादा मौतें हुई हैं। इसलिए उनके लिए राहत राशि बढ़ाई जाए और यह राहत राशि सही अर्थों में सही समय पर उन तक पहुंचे और सरकार जल्दी से जल्दी उनको राहत पहुंचाने की कोशिश करे ताकि तूफान प्रभावित लोगों को राहत मिल सके।

जो लोग इस प्राकृतिक विपदा के शिकार हुए हैं, मं उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के लोगों को साहस प्रदान करे और राष्ट्र के अंदर लोगों में ऐसी भावना जागे कि लोग मुक्त हृदय से तूफान से प्रभावित लोगों की सहायतार्थ तथा उनके संकट निवारण के लिए आगे आएं।

***श्रीमती शारदा टाडीपारथी** (तैनाली) : सभापति महोदय, मैं आन्ध्र प्रदेश और इसके लोगों ने, जिन्होंने हाल ही के समुद्री तूफान के कारण, भयंकर संकट का सामना किया है, के बारे जो कुछ कहा गया है उसको पुनरावृति करना आवश्यक नहीं समझती। पहले ही माननीय सदस्यों, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है, ने इस विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की है।

राज्य को एक ऐसे समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा है जिसने कई जिलों को नष्ट किया और जीवन को स्थिर बना दिया है। इस समुद्री तूफान के प्रकोप से उबरने से पूर्व ही, एक अन्य समुद्री तूफान आया जो राज्य के लिए सर्वनाश का दिन सिद्ध हुआ है। महोदय, भारत में, हम कश्मीर को सर्वाधिक मनोरम स्थान समझते हैं। दक्षिण में केरल और आन्ध्र प्रदेश में कोनासीमा को इसको सौन्दर्य के लिए जाना जाता है। जिस तरह से एक तारा चांद की सुन्दरता में वृद्धि करता है, उसी तरह कोनासीमा क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश की सुषमा और वैभव में वृद्धि करता है। इसकी सारी सुन्दरता और वैभव पाते रहे, वे वापस नहीं आ सकते, सभी कुछ उन पांच भयावह घंटों में खो गए। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना करती हूं कि मेरे राज्य अथवा देश अथवा हमारी सुन्दर धरती माता के किसी भाग को प्रकृति के इस तरह के भयंकर प्रकोप का सामना न करना पड़े।

महोदय, जिस क्षण हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री चन्द्र बाबू नायडू को चक्रवात की और इसके परिणामस्वरूप हुई अत्यधिक क्षति की जानकारी मिली, वे सरकारी मशीनरी के साथ प्रभावित क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। वे वहां ठहरे हुए हैं और सभी राहत, बचाव तथा पुनर्वास कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने उन सभी संबंधितों को, जो बचाव और राहत कार्यों में लगे हैं, निर्देश दिए हैं कि पार्टी संबंद्धता जैसी कोई क्षुद्र विचारधारा नहीं होनी चाहिए अथवा प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने में इस तरह का विचार नहीं आने देना चाहिए कि उन्होंने वोट दिए थे अथवा नहीं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए और मानवीय आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए। वे अपना सर्वस्व खो देने के बाद जीवित रहने वालों को सहायता प्रदान करने के कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में तुरन्त सभी मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जायें। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा का उनके दौरे के लिए आभारी हूं। उन्होंने समस्त प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश में किसान अब वेदनापूर्ण समय से गुजर रहे हैं। उन्हें अब उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिनसे वे अब से पहले अवगत नहीं थे। उनकी कठिनाइयों का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक तरफ, वे निरन्तर प्रकृति के प्रकोप का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर, सूखती फसलों की प्यास बुझाने के लिए नहरों में पर्याप्त जल नहीं होगा। या तो उनकी फसलें अधिक वर्षा के कारण बह गई, अथवा फसलें उगाने के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होगी। इसके साथ-साथ ऋण देने वालों से वही पुराना खतरा है। हर समय, किसान ही को हानि होती है। वे दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन सौभाग्य से कोनासीमा क्षेत्र में किसान कुछ सीमा तक इन चीजों से बचे हुए हैं। वे थोड़े समृद्ध थे। लेकिन एक रात में ही समुद्री तूफान ने इतनी अधिक परेशानियां ला दी हैं। समुद्री तूफान ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। इसने सभी को बर्बाद कर दिया। कुछ ही घंटों में लखपतियों को भिखारी बना दिया। इन किसानों की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभावित किसानों के सामान्य स्थिति में आने में 15 अथवा 20 वर्ष लग सकते हैं। महोदय, आदमी को भोजन के पश्चात एक मूलभूत आवश्यकता कपड़े की है। शायद बुनकर वस्त्रों के उत्पादन में लगे हुए है। ये लोग बहुत निपुण कामगार हैं। वे 5 मीटर लम्बे ऐसे कपडे को बुनाई करने में सक्षम हैं जिसको तह बनाकर एक छोटी सी माचिस में रखा जा सकता है। इतने अधिक वे निपुण हैं। निर्दयी भाग्य ने उनके जीवन को अधिक दयनीय बना दिया है। एक साड़ी का उत्पादन करने में एक परिवार के सभी सदस्यों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इतना अधिक प्रयास करने के बावजूद, उन्हें गुजारा करने में बहुत कठिनाई होती है। कारण यह है कि शायद उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलती है। एक छोटे से मकान में, दो या तीन परिवार इकट्ठे रहते हैं। इन मकानों में वातायन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हैं। ये लोग अस्वास्थ्यकर स्थिति में रह रहे हैं। उनकी पहली की दयनीय स्थिति में हाल ही के समुद्री तूफान में उनके तथाकथित घरों के गिरने और बहने से और वृद्धि हुई है। मकानों के गिरने से कई लोग मारे गये हैं। उनके करघे टूट गये, करघे पर रखी गई यार्न भी क्षतिग्रस्त हो गई। मुश्किल से कुछ बचा है। इस तरह उनकी आजीविका निष्ठुर भाग्य द्वारा निर्दयतापूर्वक छीन ली गई है। महोदय, उन्हें नया करघा और यार्न खरीदने में कम से कम 7000 रुपये व्यय करने पड़ेंगे। लेकिन इन बुनकरों की दशा ऐसी है कि वे 7/- रुपये भी प्राप्त और व्यय नहीं कर सकते।

एक और समुदाय मछुआरों का है जिसे समुद्री तूफान से क्षति उठानी पड़ी है। सामान्यतया मछुआरे आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं, फिर भी वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी यदि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी हो जायें, तो वे बहुत सन्तुष्टि महसूस करते हैं। महोदय, यह दुनिया का सामान्य ढ़ंग है कि जब एक व्यक्ति काफी धन कमाने लगता है, तो वह सम्पत्ति खरीदने लग जाता है। कोई मकान का निर्माण करवाता है, तो कोई जमीन खरीदता है। यह सामान्य व्यवहार है। लेकिन, महोदय, मछुआरों का यह समुदाय बिलकुल भिन्न है। वे उस स्थान को नहीं छोड़ते जहां वे रहते हैं और अपने जीवन का अधिकांश समय समुद्री जल पर व्यतीत करते हैं। महोदय, जब पिछले उपचुनाव के दौरान हमने उनके क्षेत्र का दौरा किया, तो उन्होंने गर्मजोशी और प्यार के साथ हमारा स्वागत किया था। महोदय, हमें यह सुनकर अत्यधिक दुख हुआ कि हजारों मछुआरों में से, जो पिछली शाम को समुद्र में गये थे, में कम से कम आधे वापस नहीं आये हैं और उनमें से कई मर गये हैं।

* मूलतः तेलगु में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अल्पसंख्यकों और मध्यम वर्ग से संबंधित अन्य तबकों की दशा भी बेहतर नहीं है। ये समाज के वे ही तबके हैं जो अपनी परम्पराओं का पालन करते हैं। अब उन्हें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दलित और आर्थिक अथवा सामजिक रूप से पिछड़े समुदाय से संबंधित व्यक्ति अब बिल्कुल बर्बाद हो गये हैं। उनकी झोपड़ियां गिर गई हैं और बह गई हैं। उनके मामले में तो पूरी बर्बादी हुई है।

महोदय, राज्य सरकार भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सहायता और राहत उपलब्ध कराने हेतु अपना भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन इतने भारी विनाश के सामने राज्य सरकार के प्रयास प्रभावित लोगों के साथ न्याय करने में नितान्त अपर्याप्त है। केन्द्र सरकार मां की तरह है और राज्य सरकारें उसकी सन्तान आमतौर पर माता-पिता अपने कमजोर बच्चों पर अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन केन्द्र सरकार का रवैया उत्साहवर्धक नहीं है। अब केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चूंकि राज्य को भारी नुकसान हुआ है, वे किसी तरह से कुछ मामूली धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराएंगे और हमें सलाई दे रहे हैं कि बाकी धन ऋण और अग्रिम के रूप में प्राप्त करें। क्या सहायता मैं और देरी की जाए, जिन लोगों को तुरंत सहायता की आवश्कयता है वे खत्म हो जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न राज्यों, गैर सरकारी संगठनों तथा विश्व के अन्य भागों से लोग आगे आ रहे हैं और भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता हेतु उदारतापूर्वक दान दे रहे हैं। हम उनकी समय से की गई सहायता और मदद के आभारी हैं। महोदय, मेरी मंशा केन्द्र सरकार को आलोचना करने की नहीं है। हम केन्द्र सरकार के अभिन्न अंग हैं। केन्द्र की आलोचना का अभिप्राय स्वयं को आलोचना करना है। महोदय, जब कोई मां अपने बच्चे को रोते हुए देखती है तो वह कर रहे कार्य को तुरन्त छोड़ देती है, चाहे वह कितना भी जरूरी क्यों न हो, तथा अपने रोते हुए बच्चे की देखभाल में लग जाती है।

रोते हुए बच्चे को उसके भाग्य पर छोड़ देना स्वस्थ और प्रोत्साहक रवैया नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा लोगों की पीड़ा को जानते हैं। हमें विशेष तौर पर लोगों की असंख्य कठिनाइयों और पीड़ा का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय (श्री बसुदेव आचार्य) : कृपया समाप्त कीजिए। हमें आज इस चर्चा को समाप्त करना है।

श्रीमती शारदा टाडीपारथी : महोदय, अन्ततः मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैंने "तुलाभरम" नामक फिल्म में कार्य किया है। यह 4 भाषाओं में बनाई गई थी; मलमालम और तमिल भाषाओं में इसका नाम "तुलाभरम" रखा गया था। तेलुगू में इसका नाम "मनुशुल माराली" था तथा हिन्दी में 'समाज को बदल डालो' इसका नाम था। इसे कॉमरेड टोपुल बसी द्वारा लिखा गया था। उस फिल्म में मेरी भूमिका एक सम्पन्न परिवार की लड़की की थी और जिसने गरीब आदमी से शादी कर ली थी। कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। समय के गुजरने के साथ-साथ उसके लिए अपने बच्चों का भरण-पोषण भी कठिन हो जाता है। वह जीवन के दुःखों का सामना नहीं कर सकी, उसने जहर खाकर अपनी और अपने बच्चों की जिन्दगी खत्म कर ली। महोदय, वह फिल्म थी। लेकिन यदि केन्द्र की अवहेलना से स्थिति को और बिगड़ने दिया गया, तो सभी प्रभावित परिवारों में यह कहानी वास्तविकता बन जाएगी और यह समय हाथ से निकल जाएगा तथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

अतः इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, एक महिला होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि हम उन्हें अपने बच्चे समझें न कि सौतेले बच्चे।

महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय आपदा जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी पार्टी आर.एस.पी. की ओर से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हमें उन लोगों से सहानुभूति है जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं तथा जिनके जान-माल का नुकसान हुआ है।

महोदय, मैं इस बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र में माननीय प्रधान मंत्री के नवम्बर के प्रथम सप्ताह अर्थात् 6 और 7 नवम्बर के दौरे का स्वागत करता हूं। इस दौरे से यह संदेश जाता है कि सरकार की मंशा उन गरीब लोगों का साथ देने की है जो इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हुए हैं।

लेकिन मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए खेद है कि धन की कमी भी मानव जीवन से तुलना नहीं की जा सकती है, धन की कमी भी भूमि और माल तथा फसलों के नुकसान के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। मेरे विचार से कोई वित्तीय संकट नहीं है लेकिन मुझे यह उल्लेख करते हुए खेद है कि यह सरकार कोई संकट प्रबंध क्षमता नहीं दर्शा सकी है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह सरकार की असफलता है।

यदि हम कृषि मंत्री श्री चतुरानन मिश्र जी द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ें तो आप देखेंगे, मैं उसे उद्धृत करता हूं :—

> "आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री मुझे 19 नवम्बर को मिले और मुझे एक ज्ञापन दिया जिसमें 2,143 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी।"

यह आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की मांग है। इस वक्तव्य से हमें पता चला कि केन्द्र सरकार केवल 50 करोड़ रुपये की सहायता दे रही है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं वक्तव्य से उद्धृत करता हूं :—

> "आंध्र प्रदेश सरकार को राहत और पुनर्वास उपाय करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार को उपलब्ध कराए गए हैं।"

यह बहुत तुच्छ स्वीकृति है। यह बहुत नगण्य स्वीकृति है। स्थिति से निपटने के लिए केवल 50 करोड़ रुपये की यह स्वीकृति पीड़ितों से सहानुभूति रखने की सरकार की वास्तविक इच्छा को प्रदर्शित नहीं करती है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी संकट प्रबंध क्षमता को दर्शाने में पूर्णतौर पर असफल रही है तथा वे अपनी आपदा प्रबंध क्षमता के दर्शाने में असफल रही है।

हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे हैं। सुपर प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर और इलैक्ट्रानिकी पर आधारित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ कई पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं लेकिन हमारा सूचना और प्रसारण विभाग उस स्थिति पर खरा उतरने में पूर्णतः असफला रहा है। वे कोई पूर्व सूचना या पूर्व जानकारी नहीं दे सके ताकि लोग अपने आपको बचा सकते, स्थिति से निपट सकते लेकिन वे सूचना और प्रसारण विभाग की असफलता के कारण ऐसा नहीं कर सके।

इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैंने कई बहुमूल्य भाषण सुने हैं। मैं और अधिक देर तक अपना भाषण जारी नहीं रखना चाहता लेकिन मेरा सरकार से यह आग्रह है कि राहत और पुनर्वास उपाय तुरंत किए जाएं ताकि सम्पूर्ण सरकार, राष्ट्रीय सरकार उस पर कायम रह सके।

[हिन्दी]

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) : मान्यवर, अक्तूबर माह में भारी वर्षा और बाद की वजह से आन्ध्र के लोगों की जो तबाही हुई थी और उस तबाही से ये लोग निकल भी नहीं पाए थ और उस समय जब सारा देश दीपावली का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा था, आन्ध्र प्रदेश के जिस इलाके को धान का कटोरा कहा जाता है वहां से लोगों की चीत्कार और करूण-क्रन्दन की पुकार सुनाई पड़ी, जोकि स्वाभाविक था। जिस राज्य के धान का कटोरा लुट जाए, जिसका सब कुछ लुट जाए वहां चीत्कार और करूण-क्रन्दन के अलावा और दूसरी कोई चीज नहीं सुनाई पड़ सकती है।

मान्यवर, आन्ध्र की सीमा ऐसी है उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में मध्य प्रदेश और दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु है और उसका बहुत सा इलाका समुद्र से भी लगा हुआ है और जब भी कभी छोटा या बड़ा तूफान आता है तो आन्ध्र का बहुत सा हिस्सा उसकी चपेट में आ जाता है। यदि मैं यह कहूं कि आन्ध्र की यही नियति है तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन आज तक जिस किसी की भी सरकार रही हो उसने इस अनुभव से लाभ नहीं उठाया। मानयवर, दुनिया के और देशों में भी ऐसी स्थिति है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो समुद्र से घिरे हुए हैं। वहां भी तूफान आता है लेकिन वहां की सरकारों ने तूफान से लोगों की रक्षा के लिए दीवारें खड़ी की हैं, बांध बनवाए हैं और वहां जो प्रसारण या सूचना एकत्र करने के माध्यम हैं उनको चुस्त और दुरूस्त रखा गया है लेकिन अपने यहां वैसी स्थिति नहीं है, बांध बनवाने की बात तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जो माध्यम सूचना एकत्रित करने और मौसम की जानकारी देने के हैं, वे भी लापरवाही से ग्रस्त हैं। हमारे यहां सूचना एकत्रित करने के काफी सक्षम साधन हैं। टी.वी. और रेडियो का सारे देश में जाल बिछाया गया लेकिन संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते ऐसे हादसे बराबर हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी सूचना एकत्रित की जाती है, वह समय पर रिलीज नहीं होती। अगर वह रिलीज होती है तो मौसम विभाग के लोग लापरवाही से खाना-पूर्ति करके उसका प्रसारण करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि एक बहुत बड़े हादसे जिससे कि हम सतर्क रह सकते हैं, उससे सतर्क नहीं रह पाते और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यदि यह लापरवाही नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कोई भी आदमी जान-बूझकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। यदि वहां के लोगों को सूचना होती कि 200 मील की रफ्तार से तूफान आ रहा है और पांच मीटर ऊंचा पानी उठ रहा है, तो निश्चित तौर से वहां के लोग सतर्क हो जाते और अपनी सुरक्षा के काम में लग जाते लेकिन इस तरह की सूचना वहां के लोगों को नहीं मिली। माननीय मंत्री जी ने कहा कि समय-समय पर सूचना दी जाती रही और प्रसारण किया जाता रहा मंत्री जी जवाब देते समय हमें यह बतायें कि कब सूचना दी गई, कैसे सूचना दी गई, किस के माध्यम से सूचना दी गई? क्या वाकई सूचना के तौर पर यह कहा गया कि 200 मील की रफ्तार से तूफान आ रहा है और पांच मीटर ऊंचा पानी तूफान उठा रहा है, ऐसी सूचना दी गई या नहीं दी गई?

मान्यवर, मैं अंत में 2-3 बातें रखना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यह राष्ट्रीय विपदा है। अगर ऐसी बात है तो केन्द्र सरकार की जवाबदेही होती है कि वह सारी ताकत लगा कर, सारे देश के लोगों को जागरूक करके और उनसे सहयोग लेकर चाहे जितना भी पैसा लगे, उसको लगाए और खर्चा करे। 50 करोड़ रुपए की जो राशि अनुदान के तौर पर दी गई, वह दाल में नमक के बराबर है। इससे साबित होता है कि सरकार में आन्ध्र प्रदेश के लोगों को इस विपदा से बचाने की और राहत पहुंचाने की इच्छा शक्ति नहीं है।

अंत में मैं चाहूंगा कि एक समिति बनायी जाए जिसमें तमाम दलों के लोग हों, सामाजिक कार्यकर्त्ता हों और स्वयं सेवी संगठन के लोग हों। जो भी इस काम के लिए राशि केन्द्र और राज्य सरकार की तरफ से दी जाए, उसकी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था हो।

तीसरी बात यह है कि मौसम विभाग या सूचना एकत्रित करने वाले विभाग में जो लापरवाही बरती जा रही है, उसको दूर किया जाए और इस विभाग को चुस्त किया जाए। उनकी लापरवाही के चलते देश का जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए उन्हें दंडित किया जाए।

माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जो रिपोर्ट राज्य सरकार से आई है, मैं इसको नहीं मानता, मैं अपनी टीम भिजवा कर इसकी जांच करवाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि राज्य की सरकारें कैसी रिपोर्टें देती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधान मंत्री जी को आन्ध्र प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है और वहां की सरकार की रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। इसका

मतलब यह है कि राज्य सरकारें हेरा-फेरी करती हैं। क्या प्रधान मंत्री मुख्यमंत्री की हैसियत से हेरा-फेरी करते थे? यदि कोई हेरा-फेरी करते थे तो वह अपनी आदत के मुताबिक इस काम में भी हेरा-फेरी करेंगे जिससे देश का बहुत बड़ा नुकासान होगा। मान्यवर, यदि उनकी ऐसी आदत बन गई है तो वह कम से कम इससे परहेज करें।

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारुख (पांडिचेरी) : क्या हम कल इस चर्चा को जारी रखेंगे?

सभापति महोदय : नहीं, आज हम यह चर्चा समाप्त कर देंगे। इसलिए हमें सभा का समय एक घंटे बढ़ाना होगा और चर्चा का उत्तर कल दिया जायगा। अतः सभी का ख्याल रखा जायगा। प्रश्न काल के तुरन्त बाद चर्चा का उत्तर दिया जायगा।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : यदि चर्चा का उत्तर कल दिया जाएगा तो हम सभा का समय आज क्यों बढ़ा रहे हैं?

सभापति महोदय : ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें अनेक सदस्यों को बोलने का मौका देना है। अनेक सदस्यों को अभी बोलना है।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : आज सभा का समय बढ़ाने की बजाय हमें चर्चा कल जारी रखनी चाहिए।

सभापति महोदय : हम सभा का समय एक घंटा बढ़ाएंगे। हमें चर्चा आज समाप्त करनी है। कल प्रश्न काल के तुरन्त बाद उत्तर दिया जाएगा। इसके बाद कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा की जानी है।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : सभापति महोदय, आन्ध्र प्रदेश में चक्रवात का जो हादसा हुआ है, उसके लिये नियम 193 के अन्तर्गत हम लोग यहां पर बहस कर रहे हैं। मैं स्वयं तो आन्ध्र प्रदेश में नहीं गया लेकिन अखबारों से जो कुछ पढ़ा, उसके अनुसार एक बात तो पक्की है कि वहां पर बहुत से लोग मर गये हैं और लोगों की हालत बहुत बुरी है। आज भी हजारों लोगों का पता नहीं है, कहां गये। यह शायद चक्रवात ही जानता है अन्य कोई नहीं जानता है। किनारे पर रहने वाले लोगों की हालत बहुत बुरी है। इस हादसे से सारा देश बहुत दुखी है। ऐसा नहीं कि केवल आन्ध्रा के लोग ही दुखी हैं। यह सारे देश का नुकसान है। हमारे महाराष्ट्र में यह बात उठायी गयी तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने राहत कार्यों के लिये 50 लाख रुपये का चैक भेज दिया। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये और इकट्ठा करने के लिये प्रयास किया जा रहा है। यह हमारा कर्तव्य है और हम लोग इसको निभायेंगे। यदि आन्ध्रा में पांच आदमी भी मरते हैं तो हम सोचते हैं कि भारत के पांच आदमी चले गये। यदि वे लोग इस हालत में हैं तो हम चैन से नहीं रह सकते। हमारे देश में जो राष्ट्रीय भावना बढ़नी चाहिये वह नहीं बढ़ रही है। इसलिये ऐसा होने के बाद हम ऐसी बातें यहां पर करते हैं कि वहां के लोग दुखी हैं।

सभापति महोदय, हमारे माननीय श्री चतुरानन मिश्र जी ने यहां विज्ञापन दिया है जिसमें कहा गया है कि यह मैसेज कब दिया गया और हम यह जानना चाहते हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट में उसपर कोई प्रीवेंटिव एक्शन लिया। इस संदर्भ में एक सवाल यह उठता है कि जो लोग किनारे पर रहते हैं उनको किस माध्यम से यह मैसेज दिया गया। वह टी.वी. था, रेडियो था या कोई और मशीनरी थी जिसके माध्यम से उनको सूचना दी गयी। यह कहा गया कि पहला संदेश 5 तारीख को 5.45 बजे रेडियो बुलेटिन से दिया गया कि जो कॉस्टल ऐरिया है, वहां पर चक्रवात आने की संभावना है। इससे पहले भी आन्ध्रा में चक्रवात आया था जिसमें 15 हजार लोग मर गये थे। यह सब होने के बाद हमारे देश में ऐसी स्थिति से निपटने के लिये जो प्रीवेंटिव एक्शन लिया जाना चाहिये था, वह लिया ही नहीं गया। इस बात का हिसाब लेना पड़ेगा कि मुसीबत आती है, निकल जाती है लेकिन मुसीबत निकलने के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, उसके लिये क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिये। हादसा होने के बाद रोने से क्या फायदा और यह कहना कि यह करना चाहिये था, वह करना चाहिये था, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि अब क्या करना चाहिये। आज हम यह सोच सकते हैं कि इतने लोग मर गये, उनके खाने के लिये कुछ नहीं, उनका कोई सहारा नहीं आदि सब कुछ बोल सकते हैं, उनके लिये पैसा जुटा देंगे, उनकी सहायता करेंगे। यह सब करके भूल जायेंगे लेकिन भविष्य में नहीं होना चाहिये इसके लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं? इसके बारे में हकीकत में सोचना चाहिए तो इस बात पर अभी चर्चा होनी चाहिए कि मदद कितनी करनी चाहिए। प्रधान मंत्री ने क्या किया है, क्या करना चाहिए

[अनुवाद]

निःसंदेह उस तरह की सलाह हमें देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ

[हिन्दी]

जो हो चुका है, उसको टालने के लिए हम कौन से कदम उठाते हैं यह देखने की बहुत आवश्यकता है। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने यहां पर एक वक्तव्य दिया है। उसमें लिखा है कि 'हमारा मौसम विभाग इस चक्रवात पर नजर रखे हुए था एवं चक्रवात की संभावित दिशा एवं, आघात के संबंध में भी राज्य सरकार को समय-समय पर चेतावनी दी जाती थी और दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से इस बात को बताया गया था।' इसके बारे में आज तक हमें पता नहीं चला

[अनुवाद]

कि जो चेतावनी लोगों को भेजी गयी थी उसका कोई असर हुआ या नहीं, क्या लोगों को उस चेतावनी का पता चला अथवा नहीं और

क्या राज्य सरकार ने तटीय क्षेत्रों के पास रह रहे लोगों को वहां से निकालने और कहीं ऐसी जगह ले जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए थे जहां वे सुरक्षित महसूस करते।

[हिन्दी]

इसकी कुछ तलाश हुई, मुझे नहीं मालूम। चार जिले प्रभावित हैं—पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और खम्मम। आंध्र प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार करीब 971 लोगों की मृत्यु हो गई जिसमें पूर्वी गोदावरी में 872, पश्चिमी गोदावरी में 78 तथा खम्मम जिले में एक की मृत्यु हो गई। ये जो आंकड़े दिये गए हैं, हमारे सामने जो वक्तव्य दिया गया है, उसके अनुसार हमारे सामने जानकारी आ चुकी है। हमें नहीं मालूम कि हकीकत में कितने लोग मर गए, कितने लोगों की हालत क्या है, कितने लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है। इस संबंध में कोई जानकारी इस समय नहीं है।

[अनुवाद]

इस वर्ष हम अपनी आजादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाएंगे।

[हिन्दी]

ऐसी मुसीबतें जब आती हैं तो हमारे सामने यह समस्या पैदा हो जाती है कि हकीकत में हम लोगों ने एक सरकार के तरीके से जब काम करना चालू किया तो सचमुच क्या हम इस देश के लोगों के लिए काम करते हैं? किसी भी दिन हम अखबार खोलें तो देखते हैं कि इतने आदमी मर गए। इतने बड़े देश में 200 आदमी रोज मर जाते हैं। कोई दुर्घटना से मरते हैं और कोई किसी और तरह से मरते हैं। हर हालत में आदमी मरते हैं। आदमी की कीमत हमारे देश में कम होती जा रही है और यह नेशनल कैलामिटी है। इसको रोकने के लिए हम क्या प्रबंध करेंगे इस बारे में शासन को जवाब देना चाहिए। जो कुछ हो गया वह ठीक है, लेकिन आईन्दा यह मुसीबत नहीं होनी चाहिए, इस बारे में सोचना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट से पूछा कि आपने जो बजट बनाया इसके बारे में मुझे वैरिफाइ करना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि उसमें कोई गलत बात नहीं है। यह क्राइसिस है और किसी ने कहा कि इतनी जरूरत है तो आंखें बंद करके ऐसा भेज देना ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री को जिम्मेदारी से काम करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि आपसे इतना पैसा मांगा और आपने नहीं दिया।

[अनुवाद]

कृपया हमें बताएं कि आपको जो जानकारी मिली है क्या आप उसकी जांच करने जा रहे हैं। यह पहला प्रश्न होगा जो किसी भी बारे में पूछा जायगा।

[हिन्दी]

यही होता है आपको जो पता लगा उसके बारे में आपने क्या कोई काउंटर इंफॉर्मेशन ली, क्या काउंटर चैक किया। हर जगह पर यही जवाब पूछा जाता है। तो इसके बारे में बहुत कुछ क्रीटिसाइज किया गया, हमारे लोगों ने भी किया लेकिन मुझे ऐसा लगता है

[अनुवाद]

यदि उन्होंने इस किया है तो यह सही था।

[हिन्दी]

लेकिन एक बात है कि अगर दो हजार करोड़ रुपये मांगे हैं तो उसके लिए खाली 50 करोड़ रुपये भेज देना यह कोई ठीक बात नहीं है। अगर दो हजार करोड़ रुपये की जरूरत है और उनको 50 करोड़ रुपये दे देने से वहां पर कोई काम हो जायेगा, इसका मुझे कोई भरोसा नहीं। यह स्टेटमेंट के अनुसार मैंने जो देखा है वह 50 करोड़ नहीं बल्कि उससे कम है, ऐसा मुझे लगता है।

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारुख : हमें तो एक रुपया भी नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : उनका यही कहना है कि उनके पास आज तक एक रुपया भी नहीं पहुंचा है। यदि ऐसा है तो यह बड़े दुख की बात है, गहरे दुख की बात है और लगता है कि जनता के प्रति हमारे दिल में प्यार नहीं है, कोई ऐसी तमन्ना नहीं है कि हमारी जनता ठीक ढंग से रहे। जो जनता मुसीबत में है उसके लिए हम उनके पीछे खड़े हो जायेंगे, यह भावना उसके पीछे नहीं है। यह नेशनल कैलामिटी है, हर कोई बोलता है। लेकिन नेशनल कैलामिटी है यह सोचकर उनके पीछे खड़े होने की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। उनकी कौन से ढंग से हम मदद कर सकते हैं, यह देखने की आवश्कयता है और उसी के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारे कोकोनट के पेड़ गिर गये हैं, पूरी क्रॉप्स सत्यानाश हो गई है, बहुत सारे घर गिर गये हैं। कौन सा प्रोग्राम हम लोग हाथ में लेने वाले हैं कि जिससे हम उनकी सहायता कर सकें। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए और कुछ नतीजे पर सोचा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

...**(व्यवधान)** यही समस्या है। कोई भी कुछ गंभीरता से नहीं लेता है।

[हिन्दी]

आपस में बातें कर रहे हैं। बात की गंभीरता का ख्याल करना चाहिए। हमें यह चिंता होनी चाहिए कि सरकार इसके बारे में कौन से कदम उठाने वाली है। कितनी जल्दी उन लोगों को निवास मिलेगा, कितनी जल्दी उनको खाना मिलेगा, कितनी जल्दी उनको पैसा मिलेगा।...**(व्यवधान)** आप लोग बाहर बैठकर बात कर सकते हैं। तो जो इस प्रकार की यह घटना हो गई है इसकी तरफ देखना चाहिए और जो मिसिंग लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। जो मर चुके हैं उनके बारे में तो उनके परिवार में पता है कि यह आदमी वापस आने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग लापता हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है। लेकिन वह वापस आने वाला है ऐसा भरोसा नहीं है। उनकी तलाश हमें करनी चाहिए। लेकिन जो मिसिंग लोग हैं उनके परिवारों की भी अच्छे ढंग से मदद करनी चाहिए, यह मैं सरकार को खासकर के बताना चाहता हूं और इस बात का जवाब आ जायेगा कि इस मुसीबत में कदम उठाने के लिए हम कौन सा इलाज करने वाले हैं, शासन पता लगाये तो अच्छा है। सैंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक स्पेशल टीम भेजी थी और जो सर्वे किया था कि कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी इस सदन में देनी चाहिये और अन्य राज्यों को कितना हिस्सा उठाना चाहिए और सैंट्रल गवर्नमेंट कितना उठायेगी, कौन सी मदद देनी चाहिए। केवल एक दूसरे से यह कहने से नहीं चलेगा कि हमने एक महीने की तनख्वाह दे दी। केवल चर्चा करने से काम बनने वाला नहीं है। यह मुसीबत हमारे पूरे देश की है इसके लिए हर इंसान को मदद करनी चाहिए, यही मेरा कहना है।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा) : महोदय; अंततः मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

आंध्र प्रदेश में जो कुछ भी हुआ-उसे अवदाब (डिप्रेशन) या चक्रवात या समुद्री तूफान या समुद्री तरंगे-विभिन्न स्थानों पर इसकी गंभीरता को देखते हुए इसे कुछ भी कहा जा सकता है, आंध्र प्रदेश के छः अथवा सात जिले दो चरणों में बिल्कुल तबाह हो गए—पहली बार 19 अक्तूबर को और दूसरी बार 6 और 7 नवम्बर को। इस पर मेरे अनेक सहकर्मी काफी प्रकाश डाल चुके हैं।

सभापति महोदय : डा. रेड्डी, कृपया रूकिए। अब छः बज चुके हैं। क्या सदस्य चाहते हैं कि सभा की बैठक एक घंटे बढ़ायी जाय और चर्चा आज समाप्त कर ली जाये तथा कृषि मंत्री जो कल प्रश्न काल के तुरन्त बाद अपना उत्तर दें?

(व्यवधान)

श्री जी.ए. चरण रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, हम चर्चा कल करेंगे...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : प्रश्न काल के तुरन्त बाद उत्तर दिया जा सकता है। कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लिया जाना है।

(व्यवधान)

अपराह्न 6.00 बजे

श्री जी.ए. चरण रेड्डी : चूंकि मंत्री महोदय द्वारा उत्तर कल दिया जाना है अतः कल हम एक घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : हमें उन अनेक सदस्यों को बोलने का मौका देना है जिनके नाम सूची में हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : यदि संभव हो तो सभा की बैठक आज ही बढ़ा दीजिए...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हम सभा की बैठक एक घंटा बढ़ा सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। हमने उन सदस्यों के नाम दिए हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से वापस आ चुके हैं। जब तक वे सारी बातें सभा के समक्ष नहीं बताते हैं तब तक हमें स्थिति को समझने में कठिनाई होगी। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सभा की बैठक आज बढ़ाई जाये अथवा कल सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाये। जिन सदस्यों के नाम आपके समक्ष हैं उन सभी को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपके पास कितने नाम हैं?

सभापति महोदय : मेरे पास सात नाम हैं।

श्री संतोष मोहन देव : इसमें केवल एक या डेढ़ घंटा लगेगा। हम यह चर्चा आज या फिर कल, जब भी आप चाहें पूरा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कल तो उड़ीसा वाला मामला चलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लिया जाना है।

श्री जी.ए. चरण रेड्डी : कल एक घंटे का समय दिया जा सकता है। यदि आवश्यक हुआ तो कल सभा की बैठक एक घंटा बढ़ाई जा सकती है।

श्री चतुरानन मिश्र : चर्चा आज ही समाप्त हो जाने दीजिए। कल मुझे राज्य सभा में भी उत्तर देना है।

सभापति महोदय : कल मंत्री जी को राज्य सभा में भी उत्तर देना है।

सभा की बैठक सात बजे तक बढ़ा दी जाये। हम कोशिश करेंगे कि चर्चा सात बजे तक समाप्त हो जाए। ठीक है, सभा की बैठक एक घंटा बढ़ा देते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : चर्चा आज समाप्त की जा सकती है। कल मुझे दूसरे सदन में भी जाना होगा।

श्री संतोष मोहन देव : चर्चा आज समाप्त की जा सकती है।

सभापति महोदय : समस्या यह है कि मंत्री जी को कल राज्य सभा में भी उत्तर देना होगा। यदि आज चर्चा रोक दी जाती है तथा इसे कल जारी रखा जाता है तथा प्रश्न काल के बाद यह एक घंटे तक चलती है तो मैं समझता हूं कि उन्हें राज्य सभा में उत्तर देने में कठिनाई होगी। अतः हमें सभा की बैठक को एक घंटा बढ़ा देना चाहिए।

श्री जी.ए. चरण रेड्डी : कल हम सभा की बैठक बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिल जायगा।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : हमारे कई मित्रों ने वहां हुई तबाही के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताया है। मैं यहां एक बात अलग से कहना चाहता हूं। मैं कहूंगा कि चाहे यह तबाही अक्तूबर में हुए अवदाब (डिप्रेशन) के परिणामस्वरूप हुई हो—जैसाकि कृषि मंत्री ने कहा है—अथवा तूफानी वर्षा के कारण-जैसाकि इसे भी कृषि मंत्री ने कहा है - यह उन्हीं क्षेत्रों में हुई है जहां सूखा पड़ना आम बात है। कुडप्पा, कुरनूल और अनन्तपुर जिलों में सूखा पड़ना बड़ी आम बात है और प्रत्येक दूसरे वर्ष हमें सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। महोदय, मैं आपको बताता हूं कि इस क्षेत्र में आई तूफानी हवाओं ने बड़े-बड़े टैंकों को तोड़ दिया है जिनसे 4,000, 5,000 अथवा 6,000 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। पोरूमामिल्ला राचेरूबू, राल्लापाडु नामक टैंक टूट गए हैं और 'लोअर सागिलेरू प्रोजेक्ट' नाम की सिंचाई परियोजना तहस-नहस हो गई है।

अपराह्न 6.04 बजे

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

महोदय, ये मझले और छोटे सिंचाई के टैंक अलग-अलग टूट गए क्योंकि जिन अतिरिक्त "वियरों" (बांध) का निर्माण वर्षा के फालतू पानी को नियंत्रित करने के लिए किया गया था वे पर्याप्त नहीं थे। गत कुछ वर्षों से इन टैंकों का रखरखाव समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा था इसीलिए ये सभी टैंक टूट गए। महोदय जैसा कि आप जानते हैं जब अतिरिक्त 'वियर' पर्याप्त नहीं होते हैं तो टैंक पूरी तरह भर जाता है और पानी ऊपर से बहता है और जब मिट्टी के बने टैंकों तथा मिट्टी के बने पुश्तों (बन्ड) के ऊपर से पानी बहता है तो वे एक घंटे अथवा आधे घंटे तक भी पानी की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। वहां पर न केवल काफी संख्या में लोग मारे गए अपितु मवेशी भी बड़े पैमान पर मारे गए। महोदय, जब कोई जाकर देखे तो उसे पता चलेगा कि वहां पर खेतों में कितना भारी नुकसान हुआ है।

वहां प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 20 से 30 फुट तक भूक्षरण हुआ है। अनेक गांवों में सैकड़ों एकड़ जमीनों में इतनी बुरी तरह से भूक्षरण हुआ है कि उन्हें अब खेती लायक बनाया ही नहीं जा सकता। कुछ अन्य क्षेत्रों में खेतों में रेत भर गई है। यदि पर्याप्त निवारक उपाय किए गए होते तो खासतौर से इस क्षति से अवश्य ही बचा जा सकता था।

महोदय, इसे क्या नाम दिया जाये मैं इसी को लेकर जाता हूं। मुझे वाकई नहीं पता कि इसे किस नाम से पुकारूं। कुछ इसे राष्ट्रीय विपदा कहते हैं और कुछ राष्ट्रीय आपदा।

माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह राष्ट्रीय आपदा से भी अधिक गम्भीर है। तेलुगूदेशम से अलग हुए गुट ने कहा है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय आपदा है। मैं इस विभीषिका को परिभाषित करने का इच्छुक नहीं हूं। चाहे यह कुछ भी हो, परन्तु जब तक सम्पूर्ण राष्ट्र सहायतार्थ नहीं आता है, तब तक इसको राष्ट्रीय नहीं जा सकता है। अगर प्रत्येक राज्य को स्वयं निपटना पड़े तो हम कैसे एक राष्ट्र कह सकते हैं? इस प्रकार की आपदा में प्रत्येक नागरिक को सहायता करनी चाहिये। केन्द्र सरकार के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर यह कहना चाहिये कि हम आपकी सहायतार्थ तत्पर हैं चाहे आप आन्ध्र प्रदेश के रहने वाले हों, कर्नाटक के रहने वाले हों अथवा पांडिचरी के रहने वाले हों। प्रत्येक व्यक्ति को यह कहना चाहिये कि हम आपकी सहायतार्थ तैयार हैं। इस प्रकार की भावना और रवैया प्रत्येक को दिखाना होगा।

महोदय, मैं इस विनाश का और विनाश को रोक सकने के उपायों, ताकि उचित ध्यान देने के कारण जान के नुकसान को रोका जा सके, का उल्लेख कर रहा था। रालापाडु में एक टैंक में दरारें पड़ने के कारण 200 लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के तूफान की स्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रणाली के अनुसार कार्य करना होता है। एक विभाग है जिसको सिंचाई विभाग के नाम से जाना जाता है। इस विभाग का दायित्व स्थिति पर निगरानी रखना है। राज्य सरकार के मैनुअल के अनुसार इस विभाग के अधिकारियों अथवा अभियंताओं को दरार पड़ने की आशंकाओं वाले टैंकों का निरीक्षण करना चाहिये और दरार पड़ने की विभीषिका के बारे में अनुमान के अनुसार सम्बद्ध क्षेत्र विशेष के लोगों को वहां से हटा दिया जाना चाहिये। यह कार्य जिला राजस्व प्रशासन और सिंचाई विभाग का दायित्व है। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं किये जाने से रालापाडु के टैंक में दरारें पड़ने के कारण निःसंदेह 200 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

कुडप्पा जिले में एक बड़ी सिंचाई परियोजना, जिसको सोमासिला परियोजना कहा जाता है, चल रही है। यह परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। परन्तु, दुर्भाग्यवश डूबे हुए क्षेत्र के लोगों को अब तक हटाया नहीं गया है क्योंकि उनको पूरी मुआवजा-राशि का भुगतान नहीं किया

गया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान वर्ष 1994 में विधान सभा सदस्यों, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे, ने विधान सभा में धरना दिया था और सरकार को बाध्य कर दिया था कि 315 कंटूर तक मुआवजा दिया जाए क्योंकि उस समय तक बांध का उतना ही निर्माण कार्य पूरा हुआ था। कार्यक्रम तय किया गया था कि अगले दो वर्षों में 330 कन्टूर तक मुआवजा देना होगा जो कि 35 से 40 करोड़ रुपये के लगभग होगा।

महोदय, स्थानीय लोगों को मुआवजा-राशि का भुगतान न किये जाने के कारण उनको हटाया नहीं जा सका और इसी दौरान भारी वर्षा आ गई। राज्य के मुख्य मंत्री ने सोमासिला परियोजना को अपने हाथ में ले लिया था ताकि मद्रास शहर के लिये हर हालत में पानी छोड़ दिया जाए। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि जब तक वह आदेश न दे बांध के फाटक न खोले जाएं। दुर्भाग्यवश समयाभाव के कारण, अधिकारी मुख्य मंत्री से बातचीत नहीं कर पाए और इसी दौरान भारी वर्षा प्रारम्भ हो गई। नजदीक के कई टैंकों में दरारें पड़ गईं और पानी भर गया। कन्टूर 330 तक पानी चढ़ गया और इसी के कारण सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान हो गया। आप स्वयं देखकर ही अन्दाजा लगा सकते हैं। सौभाग्य से, इस क्षेत्र में नुकसान दिन के समय में ही हुआ। लोग इसकी आशंका में ही थे। वे नजदीक की पहाड़ियों पर चढ़ गए और इससे कई जानें बच गईं। परन्तु जाते समय वे वृद्ध लोगों को साथ नहीं ले जा सकें। वे लोग जब बताते हैं कि वे अपनी माताओं और दादी तथा नानी आदि को उठा कर पहाड़ी पर नहीं ले जा सके, अतः उनकी मृत्यु हो गई, तो यह सब सुनकर हृदय दुख से भर जाता है। उनको मजबूरी के कारण मरने के लिये वहीं छोड़ दिया गया। यह सब क्या है? यह चर्चा करना कि क्या यह राष्ट्रीय आपदा है अथवा विनाश है अथवा मानव निर्मित विनाश है, कहां तक उचित है? महोदय, मैं किसी को दोषी नहीं सिद्ध कर रहा हूं। दुर्भाग्यवश, आन्ध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति जर्जर है। राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा है। इस प्रकार की विभीषिका की स्थिति में भी मुख्य मंत्री अपने दौरे के दौरान कोई भी शब्द मुआवाजा राशि के बारे में नहीं बोल सका। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह उन लोगों को, जो अगले दो वर्षों के दौरान डूबे जाने वाले क्षेत्र में रहते हैं, मुआवजा देने के बारे में विचार करेंगे। उन्होंने कोई स्पष्ट आश्वासन भी नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि वह अगले दो वर्षों में मुआवजा देने के बारे में सोचेंगे। महोदय, राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी है। मुख्य मंत्री प्रत्येक राज्य से धन की भीख मांग रहे हैं। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य की सहायता की जाए। उनका कहना कि वे विश्व बैंक से सिफारिश करेंगे, काफी नहीं है। उनको तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये। उनको प्रक्रिया आरम्भ करनी चाहिये तथा धन खर्च करना चाहिये। बाद में विश्व बैंक अथवा कहीं और से सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस प्राप्त की जाने वाली सहायता से केन्द्र सरकार द्वारा खर्च की गई राशि की भरपाई की जा सकती है। गरीब वर्गों द्वारा उठाए गए वास्तविक नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। प्रदेश के अधिकांश लोग छोटी झुग्गियों में रहते हैं। इनमें से लगभग सभी झुग्गियों को कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। आज भी वे नजदीक की पहाड़ियों अथवा वनों में रह रहे हैं। वे अपनी-अपनी गाड़ियों में गृहस्थी के सामान के साथ रह रहे हैं।

आपके न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित है कि अगले दो-तीन वर्षों में प्रत्येक को आवास उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का बजट काफी अधिक होगा। यह लगभग 60,000 करोड़ रुपये होगा। अगर यह इतना रहेगा, तो पांच-छह जिलों में लगभग 6 से 7 लाख आवास का निर्माण करना असम्भव नहीं है। कृपा करके गरीब वर्गों के लोगों को ऐसी तबाही से बचाने के लिये स्थायी हल खोजिये। यह अत्यंत आवश्यक है।

महोदय, इसलिये, मैं केन्द्र सरकार से न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत 6 से 7 लाख आवास निर्मित करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, मैं एक अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जिसे मेरे सहयोगियों ने नहीं उठाया है। जहां तक बीमा का प्रश्न है, फसल बीमा कही जाने वाली बीमा योजना वास्तव में दुर्भाग्यवश फसल बीमा नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिये।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : इस बीमा योजना का लाभ सिर्फ बैंकों को है जो इन किसानों को ऋण देते हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में सिर्फ बैंकों के ऋण के हिस्से की प्रतिरक्षा की जाती है और किसानों के हितों की रक्षा नहीं की जाती है।

इसलिये, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपा करके बीमा योजना को, अनिवार्य और व्यापक बनाया जाए। फसल का नुकसान कितना भी हुआ हो, आन्ध्र प्रदेश सरकार कहती है कि 500 रुपये प्रतिएकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। यह राशि काफी कम है। मेरा मानना है कि प्रत्येक कृषक ने फसल उगाने में 3,000 रुपये प्रत्येक एकड़ के हिसाब से व्यय किये होंगे। इसलिये, मुआवजा 3,000 रुपये प्रति एकड़ होना चाहिये। इसके अलावा यह भी देखना चाहिये कि क्या भूमि का कटाव हुआ है और क्या कृषक पुनः फसल उगा सकेंगे।

इसलिये, सरकार को चाहे लागत कुछ भी आए, भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाना चाहिये।

जहां तक तटों के मछुआरों का मामला है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई लोगों ने मुझे वहां के दौरे के दौरान सूचित किया कि बीमा कम्पनियां उनसे प्रीमियम राशि नहीं ले रही हैं। ये कम्पनियां किसी न किसी बहाने से 'मोटर बोट' और छोटी नौकाओं का बीमा नहीं कर रही हैं। यही उनकी समस्याओं का कारण है।

महोदय, मैं, आपके माध्यम से, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बीमा कम्पनियों के ऊपर दबाव डाला जाए और बीमे को

अनिवार्य बनाया जाए। और अगर आवश्यक हो तो राज्य अथवा केन्द्र सरकार को बीमा प्रीमियम अदा करना चाहिये।

महोदय, जहां तक नारियल के पेड़ों का सम्बन्ध है, चाहे इनकी संख्या 50 लाख हो या थोड़ा कम या अधिक, सरकार को इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए ताकि किसान फिर से अपनी फसलें उगा सकें, उन्हें मुफ्त में पौधे दिए जाएं तथा अगले पांच या छः वर्षों तक जब तक वे नारियल की खेती को पूरी तरह से उगाने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक प्रकार की जिम्मेदारी निर्धारित करनी होगी। इस विपदा के कारण हजारों लोग मारे गए हैं। मेरे कई विद्वान साथियों ने कहा है कि यदि समुचित ऐहतियाती कदम उठाए गए होते तो इन सभी मृत व्यक्तियों को बचाया जा सकता था। चाहे राज्य सरकार की गलती हो, चाहे केन्द्र सरकार की गलती हो या चाहे मौसम विभाग की गलती हो, समुचित जिम्मेदारी का पता लगाना ही होगा। जिसकी भी गलती हो-चाहे वह मुख्यमंत्री हों या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार-जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, कितना ही शक्तिशाली या बड़ा क्यों न हो, उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और समुचित कार्यवाही करनी ही होगी ताकि इस तरह की विपदा या मनुष्कृत आपदा को काफी सीमा तक रोका जा सके।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, हमारे पास केवल 40 मिनट शेष हैं और अभी आठ सदस्यों को और बोलना है। इसलिए प्रत्येक को पांच मिनट दिए जाएंगे। मैं उस पर कायम रहूंगा। कृपया याद रखें।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : जिस समय मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं उसी समय समय-सीमा लगा दी गई है।

सभापति महोदय, इस विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद है। तूफान की तबाही के बाद काकीनाड़ा, और गोदावारी डेल्टा के कुछ स्थानों पर स्थिति का जायजा लेने, समझने और उन लोगों से मिलने, जो इस भंयकर समुद्री तूफान के कारण मुसीबत में फंस गए है? हेतु भेजे गए पार्टी सी.पी.आई. (एम) की ओर से मुझे भेजा गया था। नुकसान और तबाही की व्यापकता मुझे इस मामले में किसी प्रकार की राजनीत करने की अनुमति नहीं देती है। इसलिए मैं, मामले के इस पहलू पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कुछ निश्चित बातें हैं जिनका उल्लेख करना होगा, कुछ निश्चित बातें हैं जिनके बारे में विस्तार से बताना होगा और कुछ निश्चित बातें हैं जिनसे यह पता चलता हैं कि यह मानवीय त्रुटि के कारण आई आपदा है। इसके लिए केवल कोई मौसम विभाग का अधिकारी या प्रसारण अधिकारी उत्तरदायी नहीं है।

हमें स्वतंत्र हुए पचास वर्ष हो गये हैं और अगले वर्ष हम अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्ष गांठ मनाने जा रहे हैं। तनी वर्ष बाद हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करेंगे। हम जानते हैं कि प्रकृति के थपेड़ों का सामना करते हुए इस पर नियंत्रण करते हुए मानव सभ्यता का विकास हुआ है और प्रकृति की शक्तियों का उपयोग मानव जाति की भलाई के लिए किया है। अब हमारा देश इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर रहा है, अगले वर्ष हम स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमें यह जानकर डर लगता है, यह सोचकर डर लगता है कि प्रकृति के इस तरह के थपेड़ों के सम्मुख हम अभी भी असहाय हैं। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए बिना, हमें मिल जुलकर संगठित होना चाहिए और यह शपथ लेनी होगी कि हमें जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय आम सहमति बनानी होगी कि हमें ऐसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार करने हैं ताकि हमारा देश प्रकृति के थपेड़ों का मुकाबला कर सके। कुछ क्षेत्र हैं जो समुद्री-तूफान से पीड़ित हैं, कुछ क्षेत्र हैं जो कभी-कभी ज्वार भाटीय प्रवण हैं। कुछ क्षेत्र हैं जहां ऐसा दस या बीस वर्षों में एक बार होता है। यह आकस्मिक है। लेकिन कुछ निश्चित क्षेत्र हैं जिन्हें हम बंगाल की खाड़ी या अन्य भू-भौतिकीय कारणों से प्रकृति के इन भयानक थपेड़ों के लिए संवेदनशील कह सकते हैं।

हमने उस क्षेत्र का दौरा किया था और यह पाया कि वहां पेयजल की कमी थी। वहां पेयजल की कमी समुद्री तूफान के कारण नहीं थी लेकिन यह समस्या वहां चिरस्थायी है। हमने देखा कि समुद्री तूफान के दौरान शरण लेने के लिए शरणस्थल बने हुए थे लेकिन ये तब बनाये गये थे जब इन गांवों के निवासियों की संख्या केवल पांच सौ या सात सौ थी लेकिन अब जनसंख्या बढ़कर पांच हजार से दस हजार तक हो गई है। ये शरणस्थल अब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और गांवों की बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए अपर्याप्त हैं।

कुछ देश हैं जिन्होंने तटवर्ती क्षेत्रों में वन उगाने पर ध्यान दिया है और लोगों को वहां से हटाकर तट से कुछ दूरी पर बसाया है ताकि समुद्री तूफान या ज्वार भाटे का प्रहार जंगलों पर पहले हो। अतः, इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं और शरणस्थलों की व्यवस्था की जा सकती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि लोगों को तटवर्ती क्षेत्रों में नहीं रहना चाहिए। लोग तटवर्ती क्षेत्रों में रहेंगे। वे वहां अपनी जीविका के लिए कार्य करेंगे और झींगा मछली के उत्पादन और समुद्री-उत्पादों आदि के व्यापार द्वारा अपना योगदान दे सकते हैं। इससे न केवल वे अपनी आजीविका कमाएंगे अपितु इससे सरकारी राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी।

हमें संगठित होना चाहिए और इस स्थिति को स्वीकरना चाहिए कि अब हम असहाय हो गए हैं। यह बात सिद्ध हो गयी है लेकिन हमें भविष्य में इस तरह की स्थिति में नहीं होना चाहिए। यह अच्छी बात है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार काफी मेहनत कर रही है। यह ठीक है कि कोई राज्य सरकार इतनी बड़ी विपदा आने पर सबकी सहायता नहीं कर सकती और न ही इतने बड़े पैमाने पर सबका पुनर्वास कर सकती है। भारत सरकार को इसमें सहायता के लिए आगे आना चाहिए। नियमों और विनियम बाधाएं तो हैं लेकिन इनमें संशोधन किया जा सकता है या समुचित ढंग से इन पर ध्यान दिया जा सकता है ताकि कुछ अपवादस्वरूप मामलों को छोड़कर ये नियम और

विनियम मार्ग बाधा नहीं बनेंगे बशर्ते कि हमारी ऐसा करने की इच्छा हो। यदि हमारे पास इच्छा नहीं है तो नियम और विनियम मार्ग बाधा में आड़े आ सकते हैं। यदि हमारे पास राजनीतिक इच्छा है यदि हमारे पास सामाजिक इच्छा है, यदि हमारे पास एकजुट होकर किसी विपदा का मुकाबला करने की इच्छा और संकल्प है तो कभी-कभी नियमों को अनदेखा भी किया जा सकता है।

मैं इस विषय को यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि जहां तक सहायता और पुनर्वास का संबंध है, हमें इसे जारी रखना चाहिए। सहायता और पुनर्वास कार्य में सहायता करने के बजाए हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : सभापति जी, दिनांक 6 नवंबर की रात में 9.30 बजे आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान आया, उससे बहुत अधिक तबाही हुई है, कई मौतें हुई हैं। करीब 14 जिले प्रभावित हुए हैं, 96 ब्लॉक मंडल प्रभावित हुए और सबसे अधिक नुकसान पूर्वी गोदावरी में हुआ जहां 872 लोगों की मौतें हुई। पश्चिमी गोदावरी में 98 लोगों की मौतें हुई जिससे करीब 6,47,554 मकान क्षतिग्रस्त हुए। लोग बेघर हो गए हैं जिसमें 4,32,715 मकान ईस्ट गोदावरी में तथा वेस्ट गोदावरी में 2,14,839 मकान क्षतिग्रस्त हुए।

जो किसानों की फसलें नष्ट हुई, जैसे करीब 3,46,810 हेक्टेयर भूमि में धान की फसल नष्ट हुई। इसी तरह 30,000 हेक्टेयर भूमि में कोकोनट के पेड़ नष्ट हुए। दूसरी फसल करीब 1,12,768 हेक्टेयर की थी, वह नष्ट हुई। टोटल 4,89,578 हेक्टेअर भूमि में फसलें नष्ट हुई हैं। इससी तरह से करीब 30,000 हेक्टेअर भूमि में बागवानी नष्ट हो गई है तथा 19,823 जानवर इस तूफान में मारे गए हैं और दो करोड़ से ऊपर जो लोग मुर्गी-पालन करते थे, उनको नुकसान हुआ है। इसी तरह से मछुआरों का 6505 करोड़ का नुकसान हुआ है और 2438 वॉटर टैंकों का नुकसान हुआ है। इसी तरह जो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, उसमें पंचायती राज की जो व्यवस्था थी, उसके अन्तर्गत 1500 मिलियन का नुकसान हुआ है। मुनिसिपैल्टी बोर्ड का नुकसान 1200 मिलियन, इलोक्ट्रिसिटी बोर्ड का नुकसान 1025 मिलियन, इरीगेशन विभाग का नुकसान 1000 मिलियन, एनीमल हसबेंडरी का नुकसान 424 मिलियन तथा फिशरीज विभाग का नुकसान 400 मिलियन का हुआ है। इसी तरह रोड और बिल्डिंग का 234 मिलियन का नुकसान हुआ है और अन्य जो नुकसान हुआ है वह 331 मिलियन है। कुल मिलाकर 6184 मिलियन का वहां नुकसान हुआ है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधान मंत्री जी ने वहां जाकर सिर्फ 50 करोड़ रुपया ही दिया, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा हो, उसी तरह से आन्ध्र प्रदेश के लोगों के लिए प्रधान मंत्री जी ने जो सहायता दी है, वह बहुत ही कम है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए, उतनी ही कम है।

सभापति जी, यह राष्ट्रीय देवी आपदा देश में आई है। आज आलोचना, प्रत्यालोचना का विषय नहीं है। सवाल संवेदना का है। आज जिस तरह पूरे देश के लोगों को इस समस्या से जूझना चाहिए जिस तरह से संवदेना व्यक्त करनी चाहिए, तूफान प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए, उस तरह से हमारे देश में माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। आज सरकार को तो युद्ध स्तर से इस समस्या से निपटना चाहिए, जैसे कि हमारे देश पर कोई विदेशी आक्रमण हुआ हो। लेकिन वैसी भावना सरकार में दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ आन्ध्र प्रदेश के लोग भूखों मर रहे हैं, वहां लोग बेघर हो गए हैं, बहुतों के बच्चे लापता हो गए हैं, बहुतों के मां-बाप नहीं मिल रहे हैं, लोग दर्द से कराह रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार देश में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता करा रही है।

हमारे प्रधान मंत्री जी विदेश यात्रा पर रहे हैं और अपने परिवार के लोगों के साथ इन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि हमारे प्रधान मंत्री जी इस दुःख में दुखी है या हमारे मंत्रीगण इस दुखद घटना से बहुत दुखी हैं। मैं अपनी सरकार से और खासतौर से हमारे कृषि मंत्री, श्री चतुरानन मिश्र, एक ऐसे दल को बिलोंग करते हैं, जो गरीब किसान मजदूरों की पार्टी है, से दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि समुद्री तूफान से जो नुकसान हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है, गरीब मजदूरों का नुकसान हुआ है। मेरा एक सुझाव है कि सारे दलों को अपने-अपने स्तर से वहां जाकर श्रमदान करना चाहिए। हर पार्टी को अपनी पूरी ताकत वहां लगा देनी चाहिए और साथ ही सरकार को अपनी ताकत लगा देनी चाहिए। मैं तो यह भी कहता हूं कि विदेशों से भी हमें मदद लेनी चाहिए। बहुत से ऐसे देश हैं, जिनकी हमने मदद की थी, उनसे इस विपत्ति के समय हमें मदद लेनी चाहिए। जिस तरह से आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री यहां आकर सासदों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं और मदद मांग रहे हैं, उसी तरह से हमारे प्रधान मंत्री जी को भी विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों से मदद की मांग करनी चाहिए। सारे देश की जनता को भी आन्ध्र प्रदेश के पुनर्वास के लिए, वहां राहत पहुंचाने के लिए मदद करनी चाहिए, चाहे स्कूल के बच्चे हों, छात्र-छात्रायें हों, चाहे कर्मचारी हों या चाहे अधिकारी हों। सभी अधिकारी उनके दुखदर्द, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए वहां जायें। मेरा सुझाव है कि शीतकालीन अधिवेशन के बाद प्रधान मंत्री जी सारे सांसदों और मंत्रियों को बुलायें और कहें कि पन्द्रह दिनों तक वहां श्रमदान करें। इससे यह तो नहीं होगा कि बहुत कुछ भला कर पायेंगे, लेकिन इससे वहां की जनता का मनोबल बढ़ेगा। सारे सांसद, सारा सदन और सारे के सारे मंत्री जब श्रमदान करेंगे, तो वे अपने दुख को भूलेंगे तथा साथ ही वहां जो राहत पहुंचाई जा रही है, उसमें भी भेदभाव हो रहा होगा, क्योंकि बहुत से बदमाश लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, उस ओर ध्यान दे सकेंगे। मैं इस बात को जानता हूं कि जिन गरीब लोगों को राहत मिलनी चाहिए, वह राहत उनको नहीं मिल पा रही होगी। उसमें भी भेदभाव हो रहा होगा। कौन हमारा है, कौन पराया है या कौन हमारी पार्टी का है या कौन दूसरी पार्टी का है, इस तरह का भेदभाव वहां हो रहा होगा। वहां के

मुख्य मंत्री जी ने राहत कार्य के लिए 19,932 टन चावल की मांग की है, वहां चावल सरकार द्वारा भिजवाया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने 14 लाख लीटर मिट्टी के तेल की भी मांग की है। इसके साथ ही गेहूं, दाल, सब्जी, कपड़ा आदि तथा बच्चों के लिए पाठ्य-पुस्तकें भेजने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। कारण यह कि तूफान में उनका सब कुछ नष्ट हो गया है।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गम्भीर मसले की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी बातों में गम्भीर मसले की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समय नष्ट न करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : दूसरे माननीय सदस्यों से बातचीत करते समय, वह आपको भी सुन सकते हैं। कृपया आप बोलना जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : मैं सुझाव दे रहा हूं कि सरकार गांव-गांव में गजेटेड आफिसरों को भेजे। उनको वहां से तब तक वापिस नहीं आना चाहिए, जब तक गांवों के पुनर्वास का काम पूरा न हो जाए। वहां जो भी मदद जा रही है, एन.जी.ओज. के द्वारा जो मदद जा रही है और साथ ही जो विदेशी मदद जा रही है, इन सारी मदद को सही तरीके से गरीबों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर गांव में इस काम को करने के लिए एक गजेटेड आफिसर को भेजना जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। यह बहुत अच्छा सुझाव है और माननीय सदस्य उसका ध्यान रखेंगे...**(व्यवधान)** ठीक है। आपने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं।

(व्यवधान)

श्री गंगा चरण राजपूत : सरकार में ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, जिनके पास काम नहीं है तथा दूसरे राज्यों से भी अधिकारियों को भेजना चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : एम.पीज को बैठा देते हैं।

श्री गंगा चरण राजपूत : एम.पीज जाने के लिए तैयार हैं। मिनिस्टर भी जायें। यह राष्ट्रीय आपदा है, कोई साधारण चीज नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश ने जो दो हजार करोड़ रुपये की मांग की है, वह उनको दिया जाए और साथ ही खाद्य सामग्री भी भिजवाई जाए।

श्री एम.ओ.एच. फारुख (पांडिचेरी) : महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, यनाम हमारे संघ राज्य क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह आंध्र प्रदेश में भी आता है और प्रकोप का निशाना भी बना। यह न केवल प्रकोप का निशाना बना अपितु हाल ही में तूफान द्वारा मचाई गई विनाशलीला में पूरे आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भी था। मैं अभी-अभी यनाम से होकर आया हूं जहां मैं एक दौरे पर गया था। इससे पहले मैं जब मुख्य मंत्री था तो यनाम में दो समुद्री तूफान देख चुका हूं लेकिन इस बार जो तबाही हुई है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, पूर्व में हुई हानियों से इसकी कोई तुलना नहीं है। असल में, इन लोगों के मस्तिष्क में काफी चिन्ता और भय बैठ गया है जो इतने लम्बे समय के बाद भी अभी वहां से नहीं गए हैं। मैं आंध्र प्रदेश सरकार का आभारी हूं क्योंकि इसने भी हमारी सहायता की है और राज्य सरकार ने भी भरसक प्रयास किया है।

मैं इस महान सदन में एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य बताना चाहूंगा, वह यह है कि आंध्र प्रदेश को प्रारम्भिक भुगतान के रूप में कम-से-कम 50 करोड़ रु. तो दिए गए हैं, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को 5 रुपए की भी धनराशि नहीं दी गई है...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : आपके राज्य ने कहा ही नहीं...**(व्यवधान)**

श्री एम.ओ.एच. फारुख : नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मंत्रीजी की रिपोर्ट के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समुद्री तूफान ने यनाम में भी जान-माल को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। मुख्य मंत्री ने भी एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने 68 करोड़ रु. की सहायता मांगी है। क्या यह सहायता दी गई है?

श्री चतुरानन मिश्र : अभी तक नहीं...**(व्यवधान)**

श्री एम.ओ.एच. फारूख : आज आपके वक्तव्य में तो इसे दे दिया गया है।

श्री चुतरानन मिश्र : मैंने कहा कि इसे दिया जायगा ...**(व्यवधान)**

श्री एम.ओ.एच. फारुख : मैं आपको बता दूं कि हमारे राज्य के मुख्य मंत्री ने स्वयं अगले दिन ही प्रधानमंत्री से, जब वह मद्रास गए थे, मुलाकात की थी और उन्हें एक ज्ञापन दिया था। तब उन्होंने कहा था कि वह मामले की जांच करेंगे। अगर सबको ठीक से याद है, तो वह घटना 6 और 7 को हुई थी और मैंने प्रधानमंत्री को 8 तारीख को लिखा था। मैंने कृषि मंत्री को लिखा है, मैंने गृह मंत्री को लिखा हुआ है। मेरे पास उन पत्रों की प्रतियां हैं। प्रधानमंत्री ने पत्र प्राप्ति को स्वीकार किया था और कहा था कि वह मेरा पत्र तुरन्त कृषि मंत्री जी

को भेज देंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हम इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? कृपया हमारे बारे में सोचिए।

सभापति महोदय : वह बात मंत्री महोदय की जानकारी में जा चुकी है और वह अपने उत्तर में इसका उल्लेख कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एम.ओ.एच. फारुख : यह एक सच्चाई है जिसका उल्लेख मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। मैंने एक पत्र लिखा था जिसे प्रधान मंत्री ने स्वीकार कर लिया था। मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ...**(व्यवधान)** मन को कचोटने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक रुपया भी नहीं मिला है जिसके कारण हम लोग बड़े ही निरूत्साहित हैं। अन्य लोग बड़ी-बड़ी चीजें मांग रहे हैं। लेकिन हम तो मुंह भी बड़ा नहीं खोल रहे हैं, हमें तो थोड़ा सा चाहिए। हमें यह क्यों नहीं दिया गया है? हमें कारण नहीं पता है। कम से कम पहली किश्त के रूप में ही सही, उन्हें इसके बारे में सोचना तो चाहिए था। मेरे मुख्यमंत्री ने 68 करोड़ रु. की मांग करते हुए उन्हें एक ज्ञापन दिया था लेकिन आपने तो छः रुपये भी नहीं दिए हैं। मैं इसके बारे में आपसे केवल पूछ रहा हूं। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? 'आपसे' मतलब है आपकी सरकार...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : फारुख जी, समय नहीं बचा है। आप अपनी बात कह चुक हैं।

श्री एम.ओ.एच. फारुख : मेरी चिन्ता केवल यह है और मैं यह बात माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यनाम, अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। सभी उद्योग तबाह हो गए हैं। 85,000 से भी ज्यादा नारियल के वृक्ष उखड़ गए हैं। आपको वहां जाना चाहिए और उस स्थान को देखना चाहिए। कई हेक्टेयर जमीन पानी में डूबी पड़ी है। पानी दस-दस फुट ऊंचा भरा हुआ है। तालाबों और कुओं में पानी भरा पड़ा है। लेकिन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। यह समुद्री तरंगे थीं; 76 लोग लापता हैं।

मेरे क्षेत्र में लोगों के सगे-संबंधी उनकी आंखों के सामने ही मिटते जा रहे हैं। लेकिन हम उन 76 लोगों को तकनीकी कारणों से राहत देने में सक्षम नहीं हैं जो लापता हैं। 'तकनीकी' से तात्पर्य है कि हमें यह नहीं पता है कि वे लोग कहां चले गए हैं। लेकिन अभी तक तो वे वापस आए नहीं हैं। हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं?

मैं अपने उन मित्रों से सहमत हूं जो वहां हो आए हैं और इसके बारे में बोले हैं। यह एक राष्ट्रीय आपदा है। मैं उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और सुझावों से सहमत हूं। यदि आप मुझे समय दें तो मैं अनेक सुझाव दे सकता हूं। लेकिन मेरी चिन्ता यह है कि जब तक आपकी टीम वहां जाकर वापस आती है तब तक आप केन्द्रीय निधि से थोड़ी बहुत राहत शीघ्र प्रदान करें। कुछ थोड़ा बहुत हमारे क्षेत्र को भी दीजिए। उसके बाद आप वहां जाकर देखिए कि हम उसके पात्र हैं अथवा नहीं। वास्तव में नुकसान 1,000 करोड़ रु. से भी ज्यादा का हुआ है।

मैं माननीय मंत्री और केन्द्र सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि वहां पर उद्योग एकदम बंद हो गए हैं। वहा बिल्कुल भी बिजली नहीं है। पांच हजार लोग सड़क पर आ गए हैं। कल मैं उद्योग चलाने वाले सभी लोगों से मिला था। मैंने उन्हें बताया कि यह आपदा की घड़ी है। उन्हें मत छोड़िए। उनका कहना है कि "हमारे उद्योग नहीं चल रहे हैं। हम उन्हें तनख्वाह कैसे दे सकते हैं?" मैंने कहा कि उन्हें अपने कर्मचारियों को कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। बैंकों को आसान दरों पर ऋण देने के लिए आगे आना होगा। अन्यथा, आप उद्योगों को पुनरूज्जीवित नहीं कर सकते हैं। अतः वहां पर बहुत सारे काम करने होंगे। मैं इसके बारे में आपको लिख रहा हूं। लेकिन मेरी मुख्य चिंता है कि आज आप अपनी ओर से अंतरिम राहत के रूप में कुछ न कुछ पैसा देने का प्रयास करें। मैं वही सुझाव देना चाहूंगा। मैं इसके संबंध में बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन समय के अभाव के कारण मैं सभी बातों को व्यक्त करने में सक्षम नहीं हूं। मुझे खुशी है कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया। कृपया मामले पर विचार कीजिए।

***श्री के.एस. रायुडू** (नरसापुर) : सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश में तटीय क्षेत्रों में पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिले आंध्र प्रदेश के खाद्यान्त भण्डार के रूप में जाने जाते हैं। वहां से बढ़िया किस्म का चावल न केवल समूचे राज्य को अपितु देश के अन्य भागों में भी भेजा जाता है। हाल के दिनों में आए समुद्री तूफान और भीषण वर्षा से समूचा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने हमारी इस उपजाऊ जमीन को कब्रिस्तान में बदल दिया है। एक महीने पहले आए समुद्री तूफान के दौरान प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर, कुडप्पा, अनन्तपुर और अन्य जिले बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जिसे कृषि क्षेत्र में सबसे अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया गया था। आंध्र प्रदेश के किसान जापान जैसे विकसित देशों के किसानों के साथ आराम से होड़ कर सकते हैं। ऐसा राज्य एक के बाद एक आए समुद्री तूफानों से कब्रगाह में बदल गया है और पिछले कुछ दिनों में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आंध्र प्रदेश अब स्वयं को असहाय महसूस करता है। खासतौर से हाल में आए समुद्री तूफान ने तटीय क्षेत्र को समूची अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। इस क्षेत्र में जीवन थम-सा गया है। लाखों पक्के और आधे पक्के मकान ढह गए हैं। बिजली के खंभे उखड़ गए। सभी वाणिज्यिक फसलें पानी में नष्ट हो गई हैं। अनाज खराब हो गया। महोदय, यदि कोई आसमान की तरफ देखता है तो उसे आसमान के अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा न तो पेड़ की कोई डाल और न ही कोई छत का ऊपरी भाग दिखाई देता है। समुद्री तूफान में सब कुछ बह गया है। सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। राज्य में स्थिति भयावह और गम्भीर हो गई है। जब राज्य को

* मूलतः तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इतनी बड़ी विपदा का सामना करना पड़ रहा है जिसे राष्ट्रीय विपदा भी घोषित किया गया है, ऐसे वक्त राज्य के प्रति केन्द्र के रवैये ने सभी को निराश किया है। इस तरह की असाधारण स्थिति में, जब देश संकट में हो, जब कोई विदेशी आक्रमण होता है या कोई इस तरह की राष्ट्रीय विपदा आती है तो केन्द्र सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? केन्द्र सरकार से यह आशा की जाती है कि इस तरह की असाधारण परिस्थितियों में सहायता देकर राज्य की सहायता करे। अभी भी देर नहीं हुई है, केन्द्र सरकार अब भी आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार की सहायता कर सकती है। केन्द्र को अपेक्षित निधियों को तुरंत जारी करने की घोषणा करनी चाहिए और वहां लोगों की सहायता करनी चाहिए।

महोदय, मैं नरसापुर संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र भी है। मुझे कुछ और समय दिया जाय। हाल के तूफान में हमने सब कुछ खो दिया। कृपया मुझे कम-से-कम 5 मिनट और बोलने दिया जाए।

महोदय, इस क्षेत्र में किसानों ने अपनी पत्नियों के मंगल सूत्र गिरवी रखकर धनराशि खर्च करके अपनी फसलें ऊगाई हैं। लेकिन उनके सभी प्रयास बेकार सिद्ध हुए। खड़ी फसल खेतों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। महोदय, मैं इस सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो 10,000 रु. तक किसानों के ऋण माफ कर दिए गए थे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में किसानों के ऋणों को माफ कर दिया जाए जिन्होंने हाल के समुद्री तूफान में लगभग सब कुछ खो दिया है। नारियल उत्पादकों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। नारियल के पेड़ को फल देने में लगभग 15 वर्ष का समय लग जाता है। इतने लम्बे समय तक उन्हें इन पेड़ों की देखरेख करनी होती है। नारियल के लाखों वृक्ष उखड़ गये हैं जिससे नारियल-उत्पादक भारी विपत्ति में पड़ गए हैं। मलबा हटाने के लिए भी उत्पादकों को करीब 300 रुपये खर्च करने हैं। वे इस धनराशि को कैसे जुटा पायेंगे? उन्हें यह धनराशि कहां से मिलेगी। अतः मेरा केन्द्र सरकार और इसकी एजेंसियों जैसे नारियल विकास बोर्ड से अनुरोध है कि उन्हें प्रभावित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नारियल उत्पादकों की सहायता करनी चाहिए। उन्हें मुफ्त पौधे दिए जाने चाहिए और इन किसानों को प्रति पेड़ कम-से-कम 400 रुपये दिए जाने चाहिए ताकि वे पुनः अपने पैरों पर खड़े हो सकें। महोदय, हाल के तूफान के कारण तटवर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों ने अपना सारा सामान खो दिया है। कुछ की आजिविका को कमाने वालों की मृत्यु हो गई है, कुछ ने अपने निकट सम्बंधियों को खो दिया है तो कुछ ने अपने मकान गवां दिए हैं, कुछ का पुशधन बह गया है और कुछ ने उनका सामान, अनाज, कपड़े आदि खो दिए हैं। आप उस क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पायेंगे जिसने कुछ न कुछ नहीं खोया हो। विगत समय में उनके पास कम-से-कम नारियल के पेड़ तो हुआ करते थे लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं है। हाल के भयानक समुद्री तूफान के कारण कम-से-कम साढ़े छः लाख मकान ध्वस्त हो गए हैं। केन्द्र सरकार को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत इन मकानों का पुनर्निर्माण करने के लिए कदम उठाने चाहिए। मछुआरे दिन-रात काम करते हैं, फिर भी उनकी आय बहुत कम है वे अर्द्ध-नग्न, भूखे रहते हैं और उनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं हैं। उनके पास जो कुछ भी था, वह सब तूफान में नष्ट हो गया है। हजारों मछुआरे या तो मारे गए हैं या गायब सूचित किए गए हैं। उन्होंने अपनी नावें, मछली पकड़ने के जाल आदि भी खो दिये हैं। केन्द्र सरकार को उनकी बड़ी पैमाने पर सहायता करनी चाहिए ताकि वे पुनः अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसी प्रकार बुनकरों ने भी अपना सब कुछ खो दिया है। उनके हथकरघे टूट गए हैं या कुछ के तो तूफान में बह गये हैं। धागा अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में है। हथकरघों और धागे के नुकसान के कारण समूचा बनुकर समुदाय बेरोजगार हो गया है। भारत सरकार को उनके पुनर्वास के लिए बड़े पैमाने पर सहायता करनी चाहिए।

राज्य में हाल के तूफान से लगभग 6126.45 करोड़ रु. की क्षति हुई है। आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2143.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए एक ज्ञापन दिया है। ये आंकड़े न तो श्री चन्द्रबाबू नायडू या के.एस. रायडू ने ही प्रस्तुत किए हैं। ये आंकड़े आन्ध्र सरकार के अधिकारियों की प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान के मूल्यांकन के बारीकी से अध्ययन के बाद प्राप्त हुए हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है कि ये आंकड़े ज्यादा दिखाए गए हैं। यह सही नहीं है। राज्य में भी सरकारी तंत्र है जिस तरह से केन्द्रीय स्तर पर आपके पास भी है प्रभावित क्षेत्रों का बारिकी से अध्ययन करने के पश्चात्, सरकारी अधिकारियों ने नुकसान का मूल्यांकन किया है और तब वे इन आंकड़ों पर पहुंचे हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि ये आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर बताए गए हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी करके उसकी मदद करे, जिससे उन लोगों की सहायता की जा सके जिन्होंने बाढ़ के कारण अपना सब कुछ खो दिया है।

महोदय, मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका (नैल्लोर) : आदरणीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जैसा कि सभा के माननीय सदस्य जानते हैं, आन्ध्र प्रदेश के नैल्लोर जिले, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, में 13 से 19 अक्टूबर तक बहुत भारी वर्षा हुई थी जिसके परिणामस्वरूप जान-माल तथा जन उपयोगिताओं की अत्यधिक क्षति हुई है। लोग बाढ़ में घिर गये थे। बहुत से घर गिर गये और बहुत से क्षतिग्रस्त हो गये। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 23 लोग मारे गये और 15,000 मकान क्षतिग्रस्त हो गये। निचले क्षेत्रों में कई कालोनियों में, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कालोनियों में तटबन्धों,

नहरों, पुलियों, आदि के टूटने के कारण प्रभावित हुए थे। मूसलाधार वर्षा से पशुधन, फसलों तथा अन्य लोक सम्पत्तियां की अत्यधिक क्षति हुई। यह बताया गया था कि लगभग 53,450 एकड़ भूमि क्षति ग्रस्त हो गई और लगभग 1000 पशु मारे गये। जिले में हुए सारे नुकसान का हिसाब लगाकर, जिला प्रशासन ने लगभग 84.45 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान लगाया है।

मैं सभा के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि राज्य में 1977 के समुद्री तूफान के अनुभव के पश्चात्, तत्कालीन सरकार ने समुद्री तूफान के लिए एक आपदा कार्य योजना तैयार की थी, जिसमें मुख्य सचिव स्तर से मंडल अधिकारी स्तर तक इस संबंध में स्पष्ट मार्ग निर्देश दिए गये थे कि किसी प्राकृतिक आपदा का निवारक-राहत तथा पुनर्वास उपायों के साथ कैसे सामना किया जाय। इसमें मुख्य सचिव के समायतित्व में एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति की स्थापना और सम्पर्क अधिकारियों के अधीन उप समितियां आदि की स्थापना करने की अभिकल्पना की गई है। उच्च स्तरीय समितियां की बैठक सितम्बर में होनी थी क्योंकि समुद्री तूफान सामान्तया प्रति वर्ष अक्तूबर तथा दिसम्बर माह में आते हैं। इन मार्ग निर्देशों का कार्यान्वयन न करने के लिए राज्य सरकार दोषी है। यदि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए अग्रिम उपाय किए जाते, तो न केवल नैल्लोर जिले में बल्कि अन्य जिलों में भी ये अनेक जानें न गई होतीं।

इस समुद्री तूफान और बाढ़ की एक और विशेषता यह है कि रेल नेटवर्क पूर्णतया क्षति ग्रस्त हो गया है और यातायात अव्यवस्थित हो गया। अक्तूबर की भारी वर्षा के एक माह पश्चात भी रेलगाड़ियों का चलना सामान्य नहीं बनाया जा सका और सड़क यातायात भी पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है। मैं इस अवसर का उपयोग सभा को यह बताने में करना चाहती हूं कि नैल्लोर जिले तथा आन्ध्र प्रदेश में अन्य तटीय जिलों में समुद्री तूफान अथवा बाढ़ प्रतिवर्ष अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर में आते हैं। इनके परिणामस्वरूप जान माल और लोक उपयोगिताओं को भारी क्षति पहुंचती है। सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए करोड़ों रुपये राहत तथा पुनर्वास पर व्यय किए जाते हैं। हम इस तरह की आपदाओं का कुछ सीमा तक सामना करने के लिए कुछ ठोस उपाय क्यों नहीं कर सकते हैं।

अपराह्न 7.00 बजे

मैं विचार करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव देती हूं। आवास स्थलों का वितरण ऊंचे क्षेत्रों में होना चाहिए क्योंकि भूमि अर्जन तथा वितरण के समय इस पर विचार नहीं किया जाता है। इसी तरह जाति, वंश तथा धर्म को देखे बिना सभी गरीबों को आवास प्रदान किए जाने चाहिए। मकान के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

तालाबों तथा नहरों पर दलस्तर करने आदि की योजना बनायी जानी चाहिए ताकि वे टूटने न पायें। उचित जल निकासी प्रणाली भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। समुद्री तूफान आश्रय, स्कूल, भवनों का सुदृढ़ीकरण करना वरीयता के आधार पर किए जाने चाहिए।

रेलवे को गुडुर-रानीगुन्टा लाइन पर वेंकटागिरी को नाडी कुडोविटरागुन्टा लाइन (बोबा नगर लाइन) के साथ जोड़ते हुए ऊपरी स्थल मार्ग बनाने पर विचार करना चाहिए। इससे विजयवाडा तथा चेन्नई के बीच वर्तमान तटीय लाइनों पर अव्यवस्था के मामले में एक वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित होगा।

विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग को सुदृढ किया जाना चाहिए और एक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में टाडा से इच्छापुरम तक एक सुपर हाइवे का निर्माण किया जाना चाहिए।

नैल्लोर तथा राजा मुन्डो में केन्द्रीय भण्डारों की स्थापना भी की जानी चाहिए, जो तटीय पट्टो में केन्द्रीय स्थल है जहां प्रभावित क्षेत्रों में अल्प सूचना पर बचाव तथा राहत कार्यों के लिए आवश्यक यन्त्र, औजार तथा अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

सभी फसलों तथा बागानों के लिए एक व्यापक फसल बीमा पर विचार किया जाना चाहिए।

प्राकृतिक आपदा के सभी पक्षों का अध्ययन करने के लिए तथा प्राप्त किए गये अनुभवों से आपदा जागृति तथा प्रबन्धन को अद्यतन करने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रबधन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। यह केन्द्र तटीय पट्टो में केन्द्रीय स्थान पर बनाया जा सकता है।

सभापति महोदय : तीन और वक्ता हैं। यदि सभा सहमत हो, तो हम कार्य को दस मिनट में समाप्त कर देंगे।...**(व्यवधान)** तीन वक्ताओं में से एक श्री अनिल बसु उपस्थित नहीं है।...**(व्यवधान)** कृपया सहयोग कीजिए हम कार्य को दस मिनट में समाप्त कर देंगे।

श्री जी.ए. चरण रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आन्ध्र प्रदेश में निजामाबाद से हूं। यद्यपि आन्ध्र प्रदेश में मेरा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ है, फिर भी हम आन्ध्र प्रदेश के उस क्षेत्र के अपने बहिन-भाईयों के दुःख दर्द को महसूस करते हैं। कोई भी व्यक्ति इस तरह की आपदा को नहीं रोक सकता। लेकिन आज की प्रौद्योगिकी कुछ हद तक राहत प्रदान कर सकती है। दुर्भाग्य से आज भारत में हमारे पास वह प्रौद्योगिकी नहीं है। मुझे और उदाहरण नहीं देने हैं। हाल ही की विमान दुर्घटना स्वयं एक उदाहरण है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने कहा है कि हमारे पास निगरानी रखने के लिए उचित उपकरण नहीं है और इस तरह की घटनाओं के साथ भी वही हुआ।

दूसरी बात यह है कि यहां हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं और फिर यह एक राष्ट्रीय आपदा निकलती है। यह राष्ट्रीय विपदा है। शेष विश्व में हम यह देख सकते हैं कि जब कभी कोई राष्ट्रीय विपदा आती है तो राज्यों के बचाव के लिए केन्द्र सरकार आती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 दिन पश्चात इस समय, अभी भी राज्य तथा केन्द्र सरकार यह कहकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि यह आपका उत्तरदायित्व है। कुछ सीमा तक वे स्वयं आंकड़ों पर लड़ रहे हैं।

दुर्भाग्य से, 20 दिन के पश्चात भी, अभी भी हजार के लगभग लोग लापता हैं। यह राज्य और केन्द्र के लिए अशोभनीय बात है। अभी भी हम निगरानी रखने तथा संख्याओं की बात कर रहे हैं। कुछ सीमा तक यह एक सामान्य अपील थी। यह अपील प्रधान मंत्री द्वारा स्वयं पहले ही दिन की जानी चाहिए थी। जिस क्षण केन्द्र ने इस विपदा को एक राष्ट्रीय विपदा माना उसी दिन यह अपील समस्त देश को, कुछ हद तक हमारे पड़ोसियों को भी, राहत के लिए की जानी चाहिए थी।

यह केवल आन्ध्र-प्रदेश राष्ट्र का ही उत्तरदायित्व नहीं था जिसे इसको देखना था। किसी को भी आंकड़ों में रूचि नहीं है। वे 2000 अथवा 5000 अथवा 15000 की बात कर रहे हैं। क्षति का आंकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम वरीयता लोगों का तथा क्षति का ध्यान रखना और इस समय लोगों का पुनर्वास करना है। समस्त अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को आपदा क्षेत्रों में शवों को पड़ा देखे 20 दिन हो गये हैं। यदि आप जीवित लोगों का ध्यान नहीं रख सकते है तो हमें मृत शरीरों का तो सादर ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आंध्र प्रदेश सरकार या केन्द्र किसको दोष दिया जाए लेकिन मृत शरीरों को गिद्धों के लिए छोड़ दिया गया।

यह मानव-जाति का अपमान है। जब हम इस सभा में बात करते हैं तो हम अपने आपको संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं। हम इस संस्था में जो भी चर्चा या वाद विवाद करते हैं या इस सभा द्वारा लिए गए निर्णय का न केवल इस देश पर प्रभाव पड़ेगा बल्कि यह शेष विश्व को भी प्रभावित करेगा। हम यहां पर जो निर्णय लेते हैं उसका कुछ हद तक भावी पीढ़ियों पर भी असर पड़ेगा। लेकिन हम निर्णय कैसे ले सकते हैं जबकि आंध्र प्रदश में भूकम्प के कई दिनों बाद भी मृत शरीर पड़े हैं।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले, प्रधान मंत्री को तुरंत आगे आना चाहिए और राष्ट्रीय अपील करनी चाहिए। इस संकट की घड़ी में प्रत्येक भारतीय नागरिक को पीड़ा महसूस करनी चाहिए और आंध्र प्रदेश की सहायता हेतु आगे आना चाहिए। दूसरे, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएं। अब मैं उस संदेश को उद्धरित करना चाहता हूं जो 6 नवम्बर को 6.37 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया था :—

> "प्रणाली धीरे-धीरे पश्चिम की ओर गई तथा 6 नवम्बर को 2.30 बजे मच्छलीपट्टनम से 350 कि.मी. पूर्व की ओर केन्द्रित थी और दूसरे और तीव्र होने तथा 6 नवम्बर की रात को ओंगोल और विशाखापटनम के बीच आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है।"

यह पूर्व चेतावनी वाला संदेश था। इसका पालन किया जाना चाहिए या इसे गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए था। अभी-अभी मेरे एक साथी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पर्याप्त सावधानियां बरती जिसके परिणामस्वरूप जान-माल का कम नुकसान हुआ। यदि उन्होंने पूर्व सावधानी न बरती होती तो विनाश और अधिक हो सकता था। मैं यहां पर किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं बल्कि इस घड़ी में प्रधान मंत्री से अपील करूंगा कि वे आगे आएं और आंध्र प्रदेश राज्य को मौसम विभाग के लिए नए उपकरण प्रदान करने की कोशिश करें। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब से राष्ट्र प्रधान मंत्री का संदेश सुनेगा जिसका निश्चित तौर पर कुछ प्रभाव पड़ेगा।

श्री रविन्द्र चित्तूरी (राजामुन्दरी) : सभापति महोदय, बहुत ही दुःखी मन से मैं इस सम्माननीय सभा में खड़ा हूं और बताना चाहता हूं कि भूकम्प से कितनी बुरी तरह से पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिले प्रभावित हुए हैं।

पूर्वी गोदावरी जिले में 6,48,00 घर ध्वस्त हो गए। हमें पुनर्वास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। भारत सरकार को आगे आना चाहिए और इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अपने घर बनाने हेतु लोगों की सहायता करनी चाहिए। मकान ढहने से वहां पर लगभग 1000 जानें गई। 1000 मछुआरे अभी भी लापता हैं।

जहां तक कृषि का संबंध है, समूची धान की फसल नष्ट हो गई है। 44,000 हैक्टेयर भूमि में गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। 29,100 हैक्टेयर भूमि पर नारियल की फसल को नुकसान हुआ है। हानि लगभग 3000 करोड़ रुपये की है।

केले, सब्जियों, कोको, नारियल, आम और काजू की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को दिए गए कृषि संबंधी ऋण माफ किए जाने चाहिएं तथा उन्हें रियायती दरों पर नए ऋण दिए जाने चाहिए। फसल बीमा गांव स्तर पर किया जाना चाहिए न कि तीन मंडलों को मिलकर।

पशुपालन के विशय में यह कहना चाहता हूं कि मुर्गी पालन समाप्त हो गया है तथा बहुत से जानवर मारे गए हैं।

उन बुनकरों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता है जिनके करघे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं चूंकि वे कहीं नहीं जा सकते हैं।

मछुआरों को दी गई राहत को बढ़ाया जाना चाहिए। उनको नए पोत और जाला निःशुल्क दिए जाने चाहिए। विद्युत और दूरसंचार का पुनःस्थापन कार्य संतोषजनक नहीं है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण शहरों को लाभ पहुंचाया गया है। इस समय 75 प्रतिशत गांवों में बिजली और टेलिफोन नहीं है।

लोक जल-आपूर्ति योजना जिसे पानी की पंपिंग के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। बिजली के अभाव में ठप्प हो गई हैं। अतः, भारत सरकार को बिजली की आपूर्ति बहाल करने हेतु तुरंत वहां पर अतिरिक्त दल भेजना चाहिए। दूरसंचार को पुनः चालू करने में राज्य सरकार की तुरंत पर्याप्त सहायता की जानी चाहिए।

चूंकि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है, इसलिए भारत सरकार को बिना राष्ट्रीय आपदा निधि का उल्लेख किए सम्पूर्ण व्यय वहन करना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं।

अपराह्न 7.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 नवम्बर, 1996/6 अग्रहायण, 1918(शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।